[illegible], खंड 3, अंक 11

बुधवार, 10 जून, 1998
20 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 10 जून, 1998/20 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

का शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
157	14	(ख)	(क)
205	12	श्री सदाशिवराज दादोबा मंडलीक	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक
225	नीचे से 6	श्री आर॰ए॰गवई	श्री आर॰एस॰गवई

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 3, द्वितीय सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 11, बुधवार, 10 जून, 1998/20 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

विषय	कालम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
समुद्री चक्रवात के कारण हुई त्रासदी के पीड़ितों के बारे में उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 202 से 205	2–51
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 206 से 221	52–95
अतारांकित प्रश्न संख्या 2128 से 2261	95–273
सभा पटल पर रखे गए पत्र	274–287
याचिका का प्रस्तुतीकरण	287–288
समितियों के लिए निर्वाचन	288–292
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति	
श्री सोमपाल	318
(दो) खोपरा तथा कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति	
श्री सोमपाल	395
नियम 377 के अधीन मामले	323–331
(एक) उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	323–324
(दो) डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
वैद्य विष्णु दत्त	325
(तीन) मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रोगों से प्रभावित जनजातीय लोगों को चिकित्सीय और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	326

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(चार) नसीराबाद और महू के बीच राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	326
(पांच) केरल के कुट्टनाड के किसानों को साधारण बीमा निगम द्वारा 1996-97 के रबी—एक मौसम के लिए मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी.एम. सुधीरन	326-327
(छः) पूर्वोत्तर राज्यों में पेड़ों के काटने पर लगाए गए प्रतिबंध से उत्पन्न समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता	
श्री विजय हान्दिक	327-328
(सात) पंचायती राज निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि, विशेषकर उड़ीसा के गंजम जिले में, जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेने से वंचित न रहें, को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयंती पटनायक	328
(आठ) उत्तर प्रदेश के मोहन लाल गंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शिवपुरा और गोधन गांवों में आग लगने की घटना से प्रभावित लोगों को प्रधान मंत्री सहायता कोष मे वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रीना चौधरी	328-329
(नौ) उड़ीसा में पुरी में एक पूर्ण स्थानीय रेडियो स्टेशन शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	329
(दस) कालीकट हवाई अड्डे पर और अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री ई. अहमद	329-330
(ग्यारह) कोयम्बटूर बम विस्फोट से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री सी.पी. राधाकृष्णन	330
(बारह) श्रीनगर स्थित एच.एम.टी. शोरूम को स्थानांतरित करने से रोकने तथा पारिस्थितिकी-अनुकूल उद्योग स्थापित करने हेतु एक समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. सैफुद्दीन सोज़	330-331
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक—	331-355
विचार करने के लिए प्रस्ताव	331
श्री बसुदेव आचार्य	331-332
श्री पी.आर. कुमारमंगलम	332-334, 348-353

विषय	कालम
डा. शकील अहमद	334-336
श्री तपन सिकदर	336-337
श्री अजय मुखोपाध्याय	337-340
श्री मोहन सिंह	340-341
डा. उल्हास वासुदेव पाटील	342
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	342-344
श्री मधुकर सरपोतदार	334-346
श्री सुशील कुमार शिंदे	346
खंड 2 से 6 और 1	354-355
पारित करने के लिए प्रस्ताव	355
उपदान संदाय (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प – वापस लिया गया और उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक	355-364
विचार करने के लिए प्रस्ताव	356
श्री मोहन सिंह	356
श्री पी.आर. कुमारमंगलम	356, 360-61
श्री ए.सी. जोस	357-358
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	358
श्री विकास चौधरी	359
खंड 2, 3 और 1	362-364
पारित करने के लिए प्रस्ताव	364
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प – वापस लिया गया और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	364-376
विचार करने के लिए प्रस्ताव	364
श्री बसुदेव आचार्य	364-366
डा. एम. तम्बीदुरई	366-367, 374-376

विषय	कालम्स
श्री सुशील कुमार शिंदे	368-369
श्री खारबेल स्वाईं	369-371
श्री निखिलानन्द सर	372-373
श्री मोहन सिंह	373-374
श्री रामदास आठवले	374
खंड 2, 3 और 1	376
पारित करने के लिए प्रस्ताव	376
वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प - वापस लिया गया और वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक	377-385
विचार करने के लिए प्रस्ताव	377
श्री बसुदेव आचार्य	377-378, 383-384
डा. एम. तम्बीदुरई	378-380, 383
श्री मनोरंजन भक्त	380-382
श्री चन्द्रशेखर साहू	382-383
खंड 2 से 7 और 1	384-385
पारित करने के लिए प्रस्ताव	385
बजट (सामान्य) 1998-99 – सामान्य चर्चा और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1995-96	396-446
श्री मुरली देवरा	397-423
श्री सत्य पाल जैन	423-436
श्री मोहन सिंह	436-446

लोक सभा

बुधवार, 10 जून, 1998/20 ज्येष्ठ, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदय : अब महासचिव, नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए उनके नाम पुकारें।

श्री महेश्वर सिंह (मंडी)

श्री सैयद हुसैन (लद्दाख)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

भयंकर चक्रवात के कारण हुई त्रासदी के पीड़ितों के बारे में उल्लेख

श्री पी.एस. गढ़वी : गुजरात में भारी चक्रवात के कारण 500 लोग मारे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका भी उल्लेख कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है कि गुजरात के सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्र और राजस्थान के जालौर जिले में 9 जून, 1998 को आये भयंकर चक्रवात के कारण हुई त्रासदी में 100 से अधिक व्यक्तियों के मारे जाने तथा सैकड़ों व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। अनेक व्यक्तियों के बेघर होने की भी सूचना मिली है। ऐसी भी सूचना है कि संपत्ति की क्षति के अतिरिक्त चक्रवात के कारण विद्युत आपूर्ति और संचार संपर्क में भी बाधा पड़ी है।

हम इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

अब दिवंगत आत्माओं की स्मृति में थोड़ी देर के लिये सभा के सदस्य मौन खड़े होते हैं।

पूर्वाह्न 11.03½ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में कल एक जबरदस्त तूफान आया है, वहां चार सौ से अधिक लोग मारे गये हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष जी, गुजरात के संबंध में आपने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करके हम सबकी भावनाओं का प्रकटीकरण किया है, बड़े पैमाने पर जन-धन की क्षति हुई है। सरकार इस संबंध में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के सामने रखेगी।

श्री कांतिलाल भूरिया : माननीय प्रधान मंत्री जी, आप वहां मौके पर जाकर देखें, चार सौ से अधिक लोग मर गये हैं। आप वहां एक पार्लियामेन्ट्री टीम बनाकर भेजें। मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट भी उससे प्रभावित हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता : वहां एक संसदीय दल भेजा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिन्शा पटेल : **अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा मामला नहीं है, वहां बहुत नुकसान हुआ है, दो सौ से ज्यादा लोग मारे गये हैं, दस हजार लोग बेघर हो गये हैं। इसलिए वहां केन्द्र सरकार को तुरंत सहायता देनी चाहिए।**

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

नहरों का आधुनिकीकरण

***202. श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में नहरों का आधुनिकीकरण करने/उनका दर्जा बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इस कार्य के पूरा होने की समय सीमा, यदि कोई हो तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने का कारण, विद्यमान वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार उनके स्वयं के संसाधनों में से किया जाता है। नहरों का आधुनिकीकरण/उन्नयन सामान्यत: ऐसी विस्तार, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण परियोजनाओं का एक घटक है। विस्तार/नवीनीकरण, आधुनिकीकरण परियोजनाओं सहित वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा निधियां आवंटित की जाती हैं।

आठवीं योजना के अंत तक विभिन्न राज्यों में शुरू की गई 170 विस्तार, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण परियोजनाओं में से 60 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। 110 चल रही स्कीमों की कुल अनुमानित लागत लगभग 11890 करोड़ रुपये है। जिसकी तुलना में मार्च, 1997 तक लगभग 4114 करोड़ रुपये पहले ही व्यय किये जा चुके हैं।

श्री ए. वेंकटेश नायक : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर ठीक ढंग से नहीं दिया है। प्रश्न राज्यवार ब्यौरों के संबंध में था लेकिन मंत्री जी ने उसका सामान्य उत्तर दिया है।

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार, विभिन्न राज्यों में 170 ई.आर.एम. परियोजनाएं आरंभ की गई थीं जिनमें से केवल एक-तिहाई, लगभग 60 परियोजनाओं को अभी तक पूरा किया गया है। सम्माननीय सभा को यह विदित है कि अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण देश को फसलों का अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में अनेक किसानों ने आत्महत्या की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी 170 परियोजनाओं में से केवल 60 परियोजनाओं को ही पूरा किया गया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य 110 परियोजनाओं के मामले में प्रगति नहीं हुई है। वहां भी प्रगति हुई है। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में राज्यवार आबंटन के ब्यौरे जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें वह ब्यौरे दे सकता हूं, यह एक लंबा विवरण है। या मैं वे ब्यौरे उन्हें भेज सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नायक जी, क्या आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहेंगें?

श्री ए. वेंकटेश नायक : जी नहीं, महोदय।

श्री शिवराज वी. पाटील : महोदय, जल संसाधन मंत्रालय को नहर प्रणालियों के संबंध में काफी कुछ करना है। नहरों के उन्नयन और आधुनिकीकरण से और कई एकड़ भूमि की सिंचाई करने में सहायता मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि यदि सिंचाई और नहर प्रणालियों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाये तो उतने ही पानी से इस समय सिंचाईरत लगभग तीन चार गुणा भूमि की सिंचाई की जा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि ऐसा भी किया जा सकता है। यदि सरकार ने यह महसूस किया है कि ऐसा भी किया जा सकता है तो वह यह देखने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है कि न केवल सामान्य उन्नयन और आधुनिकीकरण अपितु नहर प्रणालियों और सिंचाई प्रणालियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाये ताकि कम मात्रा में उपलब्ध पानी को ज्यादा से ज्यादा भूमि की सिंचाई करने के लिए उपयोग में लाया जा सके।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, शिवराज पाटील जी सही कह रहे हैं कि सभी नहर प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध जल का पूर्णत: उपयोग नहीं किया जाता है इसके कई कारण हैं। पहला यह कि नहर प्रणालियों की सभी नदी शाखाओं का निर्माण नहीं किया गया है। दूसरा यह कि किसानों को फील्ड चैनल बनाने में समय लगता है इसलिए सृजित संभावना का वास्तव में उपयोग नहीं हो पाता। तीसरा, खेती करने की पद्धति में परिवर्तन आया है। इससे पहले वर्षा सिंचित कृषि के आधार पर खेती की जाती थी और बाद में खेती की इन पद्धतियों में परिवर्तन आया है। अत: जिस पानी की अब आवश्यकता है, उसकी मूलत: परिकल्पना नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, बेहतर उपयोग हेतु भूमि को समतल बनाने और नहरों तथा फील्ड चैनलों की लाइनिंग का कार्य भी किया गया है। यह कई राज्यों में किया जा रहा है। इसके लिए विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) परियोजनाओं के अंतर्गत केंद्र द्वारा ऋण सहायता दी जा रही है। जहां तक

आधुनिक तकनीकों का संबंध है, छिड़काव करने वाले सेटों और ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जायेगा। राजसहायता योजनाएं भी चल रही हैं जहां साधारण किसान को छिड़काव और ड्रिप सिंचाई के लिए 70 प्रतिशत सहायता दी जाती है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को 90 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है। उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

लेकिन जहां तक कम्प्यूटरीकरण का संबंध है, इसके बारे में अभी तक विचार नहीं किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई पद्धति के आधुनिकीकरण हेतु एक घटक के रूप में इस पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रान्त है। आगरा के निकट चम्बलताल परियोजना वर्ष 1988 में बनी थी और उस समय इसका व्यय 16 करोड़ रुपए आंका गया था। अब 1998 आ गया है, लेकिन अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और लागत व्यय 16 करोड़ रुपए के बजाय 90 करोड़ रुपए हो चुके हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी परियोजनाएं जो बहुत वर्षों से लंबित पड़ी हैं, उनको पूर्ण करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय, वर्षा का जो पानी बरसात के रूप में पृथ्वी पर आता है उसका अधिकांश भाग बहकर नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है और भूमिगत जल का वाटर लैवल हर वर्ष और नीचे होता जा रहा है। क्या मंत्री महोदय इस जल को इकट्ठा करके रिटेन करने की कोशिश करेंगे ताकि वाटर लैवल ऊपर आ सके, जो भूमि असिंचित पड़ी है, उसे सिंचाई मिल सके और आगरा के निकट चम्बल ताल परियोजना ठीक प्रकार से काम करने लगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार ने नौवीं परियोजना में और उससे पहले की परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश सरकार को काफी धनराशि उपलब्ध कराई है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे, तो मैं उनको पूरा विवरण भेज दूंगा। जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरी बात पूछी है कि वर्षा के जल का अधिकांश भाग बहकर व्यर्थ चला जाता है, यह सही है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक हम सिर्फ 17.25 प्रतिशत वर्षा जल का ही उपयोग कर पाते हैं। उसका अधिक उपयोग करने की आवश्यकता निश्चितरूप से है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए योजना आयोग ने पांच पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यान्वित किए जाने के लिए 75,800/- करोड़ रुपए का एक वाटर शैड मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया है और उसकी शुरूआत इसी पंचवर्षीय योजना वर्ष से कर दी है। इस कार्य के लिए 670 करोड़ रुपए का प्रावधान इसी वर्ष के बजट में किया है। इसके कार्यान्वयन से माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर इंगित किया है उसके टिकाऊ और दीर्घकालीन उपाय किए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को एक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में यह टिप्पणी करते हुये प्रसन्नता हुई कि उनके पास उन सभी नहरों का राज्यवार ब्यौरा है जहां आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्य किया गया है।

मैं उनसे विशेष रूप से कृष्णा पश्चिमी डेल्टा के बारे में पूछना चाहूंगा। बकिंघम नहर की सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यह सिल्ट इतना अधिक है कि इसे साफ तक नहीं किया गया है। यह चेन्नई तक फैला हुआ है लेकिन अंगोला से परे नहीं है। इसके कारण लोगों को अत्यधिक परेशानी हो रही है। कृष्णा पश्चिमी डेल्टा की क्या स्थिति है? क्या इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है? राज्य सरकार का कहना था कि उन्हें विश्व बैंक से निधियां मिल रही हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। क्या मैं उनसे इस विशेष नहर और कृष्णा के पश्चिमी डेल्टा पर कुछ प्रकाश डालने के लिए कह सकता हूं।

यदि आप कृपया इन दोनों जगहों में स्थिति को देखें तो आपको पता चल सकता है कि हजारों एकड़ भूमि ही नहीं अपितु लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी। क्या मैं उनसे उन नहरों के बारे में कुछ कहने के लिए अनुरोध कर सकता हूं?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह विशिष्ट जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी भेज दूंगा।

श्री पी. शिव शंकर : मेरा अनुरोध है कि कृपया मुझे उत्तर भेजते समय इस बारे में कुछ कीजिए ...*(व्यवधान)* कृपया उनके संबंध में कुछ कार्यवाही कीजिए।

श्री सुधीर गिरि : सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और नवीकरण करने के लिए अत्यधिक धनराशि खर्च की जा रही है जैसाकि माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए ब्यौरों से स्पष्ट है। इन ब्यौरों के प्रकाश में क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि 170 सिंचाई परियोजनाओं में कितनी भूमि शामिल है?

मैं जानना चाहूंगा कि क्या परियोजनाओं ने उत्पादन में समग्र वृद्धि को सरल बनाया है। यदि हां, तो कुल उत्पादन कितना है और इन परियोजनाओं में कुल कितनी भूमि सन्निहित है?

श्री सोमपाल : विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण के अंतर्गत इन योजनाओं को राज्यों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा धनराशि दी जा रही है। महोदय, इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले क्षेत्र के ब्यौरे तत्काल *उपलब्ध नहीं है लेकिन एक अन्य योजना, जो डब्ल्यू.आर.सी.पी. नाम से जानी जाती है, के अंतर्गत कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं और* कुछ राज्यों ने इसे क्रियान्वित किया है। ऐसी बात नहीं है। ये आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्य धनराशि मांगते हैं और यह सब राज्यों द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। उनसे वे आंकड़ें प्राप्त करेंगे और उन्हें माननीय सदस्य को भेजा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि म.प्र. के रीवां में बाणसागर बहुद्देशीय और बहुराज्यीय परियोजना है जो 1978 से चल रही है। 10 साल में इस परियोजना का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ बांध बनाने की प्रक्रिया में है। सिर्फ बांध बन पाया है। नहर न बनने से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नहर का काम कब तक पूरा होगा और अभी तक उस परियोजना पर कितना खर्च हुआ है और वह कब तक पूर्ण हो जाएगा?

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : महोदय, यह पुनः विशेष परियोजना से संबंधित है। राज्य से ब्यौरे मांगे जाएंगे और उसके बाद ही वे माननीय सदस्य को भेजे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि कैनाल स्टेट सब्जैक्ट है। जहां तक फंडिंग का सवाल है भारत सरकार जब राज्यों को दिक्कत होती है, तो उन्हें फंडिंग करती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि कोसी बैराज एग्रीमेंट के तहत विगत दिनों भारत सरकार ने नेपाल से एक समझौता किया जिसमें सैकड़ों किलोमीटर भूमि जो नेपाल के जुरिस्डिक्शन में है और जिसका इरोजन होता है, उसमें पानी को रैगुलेट करने के लिए जो खर्च आता है वह राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कृषि मंत्रालय और आपके विद्वानजन ने इस बात पर कभी गौर करने का कष्ट किया है कि गंगा नेशनल रिवर है लेकिन उसका पेट सूख रहा है, हालांकि यह अलग बिन्दु है *क्योंकि पता नहीं बंगला देश से अपने देश के क्या-क्या समझौते हुए, जिससे हमारी गंगा का पेट ऊंचा होता जा रहा है, उसमें सिल्टेशन* हो रहा है, बालू भरती जा रही है और यही बालू, चाहे उत्तर प्रदेश की कैनाल का पानी हो, जिन नदियों से आप पानी लेते हैं, उन कैनाल का पेट भर रहा है, सिल्टेशन हो रहा है, नदियां डाइवर्ट हो रही हैं, इरोजन हो रहा है, अरबों रुपए की क्षति और बर्बादी हो रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कोसी बैराज से निकलने वाली नदियों से कैनालों में जो बालू भरती जा रही है, उसको प्रूनअप करने के लिए क्या आपने कोई उपाय किया है और यदि किया है, वह क्या है, और उसके अंतर्गत आपने बिहार राज्य सरकार को कौन सी मदद करने का लक्ष्य रखा है?

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह प्रश्न नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है, तथापि पूर्वी कोसी चरण-दो की परियोजना के संबंध में नौवीं योजना में 81.22 करोड़ रुपये आबंटित किये जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मंत्री जी, मैंने हिन्दी में प्रश्न पूछा है, तो कृपया जवाब भी हिन्दी में ही दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं। *...(व्यवधान)* वास्तव में मुझे हिन्दी के प्रश्न का उत्तर हिन्दी में देना चाहिए था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हालांकि इनका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको : मंत्री महोदय, आप उनके दबाव में क्यों आ रहे हैं? ...*(व्यवधान)* महोदय, वह किसी विशेष भाषा में उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री जी पर दबाव नहीं डाल सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : यह एक बहुत छोटा सा मसला है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : *अध्यक्ष महोदय, जब हिन्दी में सवाल पूछा जाये तो उसका जवाब भी हिन्दी में ही आना चाहिए।* ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्र की भाषा हिन्दी है और यह परम्परा रही है कि सदस्य जिस भाषा में प्रश्न पूछे, उसका जवाब उसी भाषा में आना चाहिए। अगर वह अंग्रेजी में प्रश्न पूछता है तो अंग्रेजी में जवाब आना चाहिए और अगर वह हिन्दी में पूछता है तो हिन्दी में आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वैको जी, कृपया बैठ जाइये। श्री टी.आर. बालू, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।

पूर्वाह्न 11.24 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।

अध्यक्ष महोदय : वैको जी, कृपया बैठ जाइये। टी.आर. बालू जी, कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, सभा में इनकी साथ-साथ अनुवाद करने की भी व्यवस्था है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लालू जी, माननीय प्रधान मंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अहमद जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। सदस्य किसी भी भाषा का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे संबंधित सदस्य पर छोड़ देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। अहमद जी, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये। ‹ननीय प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अहमद जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी जगह पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। यह सब क्या है?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब हमारे मित्र हिन्दी के प्रश्न का अंग्रेजी में उत्तर दे रहे थे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी लेकिन इस सदन की पद्धति यह है कि अगर हिन्दी में प्रश्न पूछा जाये तो उसका हिन्दी में उत्तर देना ज्यादा अच्छा है।

[अनुवाद]

लेकिन यहां भाषा संबंधी कोई विवाद नहीं होना चाहिए।

श्री लालू प्रसाद : हम कोई विवाद खड़ा नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सत्यमूर्ति जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यहां भाषान्तरण की व्यवस्था है। यदि आप तमिल भाषा में प्रश्न पूछना चाहते हैं और यदि आप अध्यक्षपीठ को इसकी सूचना दे दें, तो इसकी व्यवस्था भी है। सभी भाषाएं हमारी राष्ट्र भाषाएं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम माननीय प्रधान मंत्री जी की इस बात से सहमत हैं कि सभा में इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का जवाब दिया है।

बाढ़ नियंत्रण

***203. श्री चिन्मयानंद स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में किए गए उपायों से क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के वास्ते पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए राज्यवार अनुमोदित परिव्यय क्रमशः अनुबंध I, II, III में दिया गया है।

(ख) वृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं के द्वारा विभिन्न उपाय करके देश ने 113.5 मिलियन हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में आठवीं योजना अवधि की समाप्ति तक 89.4 मिलियन हेक्टेयर (अनन्तिम) की सिंचाई क्षमता सृजित की है।

तटबंधों, जल निकास चैनलों, कस्बों एवं गांवों का सुरक्षा कार्य करके विभिन्न बाढ़ प्रबंधन उपाय किए गए हैं जिससे 40 मिलियन हेक्टेयर के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 14.374 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को उचित सीमा तक सुरक्षा प्रदान की गई है।

अनुबंध I

वर्ष 1995-96 के लिए वृहद/मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास तथा बाढ़ नियंत्रण के संदर्भ में संशोधित अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृहद एवं मध्यम	लघु	क.क्षे.वि.	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	609.67	70.00	8.00	30.00	717.67
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.50	15.95	0.46	3.22	20.13
3.	असम	25.78	42.64	5.28	22.97	96.67
4.	बिहार	182.74	24.83	10.54	35.15	253.26
5.	गोवा	30.28	4.00	0.90	0.30	35.48
6.	गुजरात	636.53	101.85	9.25	1.60	749.23
7.	हरियाणा	114.33	40.51	13.90	10.00	178.74
8.	हिमाचल प्रदेश	3.06	25.77	1.00	2.04	31.87
9.	जम्मू व कश्मीर	20.32	24.02	2.60	13.71	60.65
10.	कर्नाटक	650.50	56.19	8.69	9.72	725.10
11.	केरल	113.00	34.00	12.00	21.00	180.00
12.	मध्य प्रदेश	298.26	127.38	10.49	1.00	437.13
13.	महाराष्ट्र	635.93	299.68	100.57	0.55	1036.73
14.	मणिपुर	35.96	6.52	1.40	5.01	48.89

1	2	3	4	5	6	7
15.	मेघालय	1.85	6.30	0.25	1.60	10.00
16.	मिजोरम	0.02	2.40	0.05	शून्य	2.47
17.	नागालैंड	0.80	2.55	शून्य	0.20	3.55
18.	उड़ीसा	213.09	89.00	3.70	8.80	314.59
19.	पंजाब	73.90	33.99	37.00	31.29	176.18
20.	राजस्थान	298.70	50.85	87.91	22.41	459.87
21.	सिक्किम	शून्य	2.56	0.06	0.34	2.96
22.	तमिलनाडु	76.23	29.62	11.56	3.49	120.90
23.	त्रिपुरा	5.49	4.46	0.02	2.04	12.01
24.	उत्तर प्रदेश	337.01	58.07	22.67	10.73	428.48
25.	पश्चिम बंगाल	105.00	15.00	2.00	43.00	165.00
	कुल (राज्य)	4468.95	1168.14	350.30	280.17	6267.56
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	शून्य	1.41	शून्य	0.71	2.12
27.	दादर व नगर हवेली	0.50	1.05	0.01	शून्य	1.56
28.	चंडीगढ़	शून्य	0.20	शून्य	शून्य	0.20
29.	दिल्ली	शून्य	2.52	शून्य	15.15	16.67

1	2	3	4	5	6	7
30.	दमन व द्वीव	0.55	0.12	शून्य	0.35	1.02
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	1.85	1.85
32.	पांडिचेरी	शून्य	2.83	शून्य	3.50	6.33
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1.05	8.13	0.01	20.56	29.75
	कुल (राज्य + संघ राज्य क्षेत्र)	4470.00	1176.27	350.31	300.73	6297.31

अनुबंध II

वर्ष 1996-97 के लिए वृहद/मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास तथा बाढ़ नियंत्रण के संदर्भ में संशोधित अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृहद एवं मध्यम	लघु	क.क्षे.वि.	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	651.88	122.76	13.00	22.00	809.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.00	16.92	1.04	3.85	22.81
3.	असम	23.50	76.10	2.78	19.92	122.30
4.	बिहार	328.14	84.63	11.28	36.35	460.40
5.	गोवा	45.50	4.00	0.90	0.80	51.20
6.	गुजरात	1089.03	133.00	9.25	1.60	1232.88
7.	हरियाणा	271.23	56.43	13.90	11.00	352.56

1	2	3	4	5	6	7
8.	हिमाचल प्रदेश	3.22	31.40	1.10	3.70	39.42
9.	जम्मू व कश्मीर	21.52	22.90	2.98	14.62	62.02
10.	कर्नाटक	1035.00	90.82	33.00	10.00	1168.82
11.	केरल	130.00	45.35	12.00	35.50	222.85
12.	मध्य प्रदेश	318.10	122.46	4.99	1.00	446.55
13.	महाराष्ट्र	679.53	371.03	112.80	1.27	1164.63
14.	मणिपुर	32.31	6.21	1.32	6.96	46.70
15.	मेघालय	3.00	7.80	0.70	4.43	15.93
16.	मिजोरम	0.05	2.80	0.05	–	2.90
17.	नागालैंड	0.75	2.55	0.19	0.19	3.68
18.	उड़ीसा	338.00	100.58	4.00	10.00	452.58
19.	पंजाब	76.52	33.70	37.00	23.90	171.12
20.	राजस्थान	301.65	42.81	98.60	11.35	454.41
21.	सिक्किम	–	2.56	0.06	0.34	2.96
22.	तमिलनाडु	186.16	62.41	12.32	1.59	262.48
23.	त्रिपुरा	5.49	11.46	0.02	2.04	19.01
24.	उत्तर प्रदेश	470.01	109.22	30.00	16.70	625.93
25.	पश्चिम बंगाल	124.00	65.33	1.50	66.35	257.18
	कुल (राज्य)	6135.49	1625.23	404.78	305.46	8470.96

1	2	3	4	5	6	7
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	0.00	1.68	0.00	1.60	3.28
27.	दादर व नगर हवेली	0.90	1.05	0.01	0.00	1.96
28.	चंडीगढ़	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
29.	दिल्ली	0.00	2.70	0.00	24.00	26.70
30.	दमन व द्वीव	0.55	0.12	0.00	0.35	1.02
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86
32.	पांडिचेरी	0.00	2.81	0.00	3.50	6.31
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1.45	8.56	0.01	31.31	41.33
	कुल (राज्य + संघ राज्य क्षेत्र)	6136.94	1633.79	404.79	336.77	8512.29

अनुबंध III

वर्ष 1997-98 के लिए वृहद/मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास तथा बाढ़ नियंत्रण के संदर्भ में संशोधित अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृहद एवं मध्यम	लघु	क.क्षे.वि.	बाढ़ नियंत्रण	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	712.67	115.12	10.20	17.00	854.99
2	अरूणाचल प्रदेश	0.49	27.18	1.21	4.48	33.36

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	21.46	83.12	3.19	19.92	127.69
4.	बिहार	366.23	65.91	11.30	40.00	483.44
5.	गोवा	35.80	3.55	0.95	0.84	41.14
6.	गुजरात	1186.13	171.37	10.00	5.00	1372.50
7.	हरियाणा	329.69	60.93	15.00	12.10	417.72
8.	हिमाचल प्रदेश	10.00	35.09	1.20	3.90	50.19
9.	जम्मू व कश्मीर	39.60	39.58	3.54	15.90	98.62
10.	कर्नाटक	1023.44	85.14	19.93	7.47	1135.98
11.	केरल	148.10	46.55	12.00	25.50	232.15
12.	मध्य प्रदेश	262.61	162.45	5.00	1.00	431.06
13.	महाराष्ट्र	2245.02	401.15	80.67	6.37	2733.21
14.	मणिपुर	50.00	7.00	1.60	7.10	65.70
15.	मेघालय	0.50	8.00	0.70	2.00	12.20
16.	मिजोरम	0.05	2.80	0.05	0.00	2.90
17.	नागालैंड	0.80	2.73	0.20	0.20	3.93
18.	उड़ीसा	586.00	71.00	4.00	5.00	666.40
19.	पंजाब	76.98	34.55	50.43	70.00	231.96

1	2	3	4	5	6	7
20.	राजस्थान	374.19	43.08	28.16	7.82	523.25
21.	सिक्किम	0.00	2.56	0.06	0.34	2.96
22.	तमिलनाडु	257.55	63.36	12.75	2.03	335.69
23.	त्रिपुरा	6.98	23.32	0.02	4.64	34.96
24.	उत्तर प्रदेश	470.00	112.86	25.00	18.15	626.01
25.	पश्चिम बंगाल	155.00	76.65	3.00	70.23	304.88
	कुल (राज्य)	8360.29	1745.45	370.16	346.99	10822.89
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	0.00	1.89	0.00	1.61	3.50
27.	दादर व नगर हवेली	1.32	1.12	0.01	0.00	2.45
28.	चंडीगढ़	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
29.	दिल्ली	0.00	1.00	0.00	11.00	12.00
30.	दमन व द्वीव	0.20	0.17	0.00	0.23	0.66
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12
32.	पांडिचेरी	0.00	2.81	0.00	3.00	5.81
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1.52	7.24	0.07	17.96	26.79
	कुल (राज्य + संघ राज्य क्षेत्र)	8361.81	1752.69	370.23	364.95	10849.68

श्री चिन्मयानंद स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई कि कितनी परियोजनायें अभी लम्बित पड़ी हैं खासकर उत्तर प्रदेश में कितनी लम्बित हैं और वे किन कारणों से लंबित हैं? इन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए क्या विश्व बैंक से कोई धनराशि प्राप्त हुई है? यदि प्राप्त हुई है तो कब और उसमें से कितने का उपयोग हुआ है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए विश्व बैंक से कितनी राशि प्राप्त हुई है, इसका कोई विवरण मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यदि कोई आया होगा तो उसको देखकर माननीय सदस्य को भेज दिया जायेगा।

श्री चिन्मयानंद स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अधूरा रह गया है. शायद सुना नहीं गया। मैंने यह पूछा था कि कितनी योजनाएं लम्बित हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, और उसमें मैंने सिंचाई और बाढ़ दोनों योजनाओं के बारे में जानना चाहा था कि क्या विश्व बैंक से उनके वित्त पोषण के लिए कोई धन प्राप्त हुआ है या नहीं?

श्री सोमपाल : कितनी योजनाएं लम्बित है और विश्व बैंक से कितनी सहायता आई है, दोनों विवरण माननीय सदस्य को बता दिए जाएंगे।

श्री चिन्मयानंद स्वामी : अध्यक्ष जी, जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें वर्ष 1995-96 में 428 करोड़ रुपये 1996-97 में 625 करोड़ रुपये लेकिन 1997-98 में उत्तर प्रदेश को केवल 626 करोड़ रुपये दिए गए यानी 1997-98 का अंतर मात्र 8 लाख रुपये रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस राशि में अचानक इतनी कमी क्यों हो गई और जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में लम्बित हैं, क्या उनके लिए धन उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार विचार कर रही है या नहीं?

श्री सोमपाल : बजट में ये कार्य आबंटन योजना आयोग और राज्य सरकारों से विचार-विमर्श के उपरांत किए जाते हैं। 626 करोड़ रुपये की जो राशि तय हुई थी, उतनी राशि उत्तर प्रदेश को दे दी गई है। यह राशि किन कारणों से निर्धारित हुई है, इसका विवरण योजना आयोग और उनकी बैठकों में अवश्य उपलब्ध होगा लेकिन यहां एकदम उपलब्ध नहीं है। यह आबंटन योजना आयोग और राज्य सरकार के विमर्श के बाद किया गया है और इसे पर्याप्त समझा गया।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि घग्घर फ्लड कंट्रोल के लिए राजस्थान को कितना पैसा दिया गया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? घग्घर कंट्रोल बोर्ड में जिस तरीके से डायवर्शन किया गया, डिप्रैशन्स में जो पानी डाला, उससे कितनी भूमि वाटर लौग्ड हुई, उससे दूसरे क्षेत्रों में कितना फर्क पड़ा। लाखों एकड़ जमीन वाटर लौग्ड होकर तबाह हो गई, दस-बीस गांव उजड़ गए, हजारों लोग बेघरबार हो गए। आप जिस तरह से 16 और 18 डिप्रैशन में नया पानी डालना चाहते हैं, उससे सूरतगढ़ शहर साढ़े चार साल में, नैशनल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक डूब जाएगा। इस प्रकार का जो कार्य किया जाता है, क्या उसकी कोई देखरेख करता है या नहीं? पहला प्रश्न कैनाल का रह गया है, वह भी ज्यादा जरूरी है कि राजस्थान कैनाल का किस तरह से मौडर्नाईजेशन करना है, कमांड एरिया डैवलप भी हुआ या नहीं। पहले कमांड एरिया के डैवलपमेंट की बात होती है, फिर कैनाल की बात होती है। आप इस नुकसान से बचने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए राजस्थान को वर्ष 1996-97 में 11.35 करोड़ रुपये और 1997-98 में 7.82 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। जहां तक घग्घर की बाढ़ का प्रश्न है, मैं स्वयं इस समस्या से अवगत हूं, मैंने वहां जाकर इसे देखा है। इससे वहां बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है, लाखों हैक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई है क्योंकि वहां प्राकृतिक रूप से बहुत बड़े-बड़े गड्ढे, डिप्रैशन थे। पाकिस्तान की तरफ घग्घर की बाढ़ का जो पानी निकल जाया करता था, पाकिस्तान ने अपनी तरफ कोई बांध बना दिया है जिसके कारण वहां बहुत ही उपजाऊ भूमि, जो बहुत अधिक कृषि की पैदावार दिया करती थी, जलमग्न हो गई है। इस समस्या पर कई बार विचार हुआ है। इसमें कठिनाई यह है कि यहां से जो भी अध्ययन दल गया और जो भी योजना बनी, राजस्थान सरकार की ओर से उसके संबंध में परियोजना के लिए जो मांग आनी चाहिए थी, वह उस रूप में नहीं आई। जब भी आई है, उसके लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है लेकिन उससे उसका पूरा निदान अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ...*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : इंडस वाटर ट्रीटी के अधीन वे अपनी सीमा में हमारे नैचुरल पानी के फ्लो को रोक नहीं सकते। यह गलत काम हुआ है, मैं उसके लिए ऐतराज करता हूं।

श्री सोमपाल : यह एक अलग विषय है और इसके संबंध में आपके बिन्दु को अंकित कर लिया गया है, उसे देखा जाएगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष जी, इस योजना में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई पर माननीय मंत्री जी आपने सम्माननीय सदस्यों के प्रश्न के जवाब में कहा है कि हम विवरण एकत्र कर रहे हैं, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के लिए इस योजना में कितना प्रावधान किया है? मैं आपका

ध्यान जनपद, इलाहाबाद की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां संगम है, गंगा, यमुना नदी है। वहां बाढ़ के समय बहुत ज्यादा कटाव होता है। क्या उस कटाव को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया है? नदियों के किनारे बसने वाले बहुत से गरीब तबके के लोगों को विस्थापित करने के लिए क्या आपके पास कोई योजना है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश को वर्ष 1996-97 में 16.7 करोड़ रुपये और 1997-98 में 18.15 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। जहां तक इलाहाबाद का प्रश्न है, माननीय सदस्य एक विशेष स्थान की बात कर रहे हैं, उसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी ली जा सकती है। मेरे पास इस समय उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां तक नदियों के किनारे, जिनमें बाढ़ आती है, बसने वाले लोगों की व्यवस्था के लिए कुछ गांवों को ऊंचा करना और बाढ़ आने से पहले उसकी चेतावनी देना, बाढ़ आने के बाद उनकी सहायता करना, यह सब राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। यह जानकारी उन्हीं के पास उपलब्ध रहती है, केन्द्र ने उनको जो राशि दिलवाई है, यदि वह उनको कम लगती है तो वे चर्चा करके उसे बढ़वा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक : ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों की भूमि में अनेक दरारें तथा कटाव के स्थान हैं, किन्तु पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि के कटाव को रोकने के लिए बहुत ही कम धनराशि आवंटित की गई है। वर्ष 1995 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 32 करोड़ रुपए की लागत से जोरहाट में एक कटाव-रोधी परियोजना, जिसका नाम हतिसाल-दैनीगांव-नियामाटी परियोजना है, मंजूर की गई थी। चूंकि असम में निर्माण का कार्य केवल ठंड के मौसम में ही किया जा सकता है, अत: योजना आयोग द्वारा तत्काल एक करोड़ रुपए जारी कर दिया गया। फिर, इसे राज्य योजना में शामिल कर लिया गया। किन्तु, असम सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि इसे केन्द्रीय योजना में शामिल किया जा सकता है। तथापि, पिछले ढाई वर्षों के दौरान, इसे केन्द्रीय योजना में शामिल नहीं किया गया है तथा कार्य में प्रगति नहीं हो रही है। यह नदी बिल्कुल सीध में 5 कि.मी. की दूरी पर स्थिति, असम के एक प्रमुख शहर जोरहाट के लिए खतरा बनी हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना को तत्काल केन्द्रीय योजना में शामिल किया जाएगा ताकि असम के लगभग सौ गांवों और एक प्रमुख शहर को ब्रह्मपुत्र नदी के प्रकोप से बचाया जा सके।

श्री भुवनेश्वर कालिता : महोदय, प्रश्न प्रशंसनीय है। कृपया हमें गुवाहाटी के बारे में भी बताएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : यह प्रश्न एक विशेष परियोजना के संबंध में है और इसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य का यह सुझाव अंकित कर लिया गया है और इस पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक : महोदय, क्या आप इसे केन्द्रीय योजना में शामिल करेंगे? *(व्यवधान)* ऐसा इसलिए क्योंकि इस राज्य के पास संसाधनों की काफी कमी है।

श्री सोमपाल : मैंने कहा है कि इसे नोट कर लिया गया है और इस पर विचार किया जाएगा।

श्री वी.वी. राघवन : महोदय, मुझे एक बार भी मौका नहीं दिया गया है, लेकिन इसके लिए मैं चिल्ला नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय : आपको मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से हर वर्ष बहुत क्षति होती है। मंत्री जी ने बाढ़ के कारणों का पता लगाया होगा। नदियों में काफी रेत भर गई है, नदी तल बढ़ रहा है, इसलिए यदि थोड़ा सा पानी भी आता है, तो वह गांवों को डुबो देता है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या आप डिसिल्टिंग का कोई प्रोग्राम बनाएंगे? यह प्रदेश का विषय नहीं है क्योंकि एक नदी कई प्रदेशों से निकलती है, उसके कारण नदी तल ऊंचा होता जा रहा है, इसलिए बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है। क्या भारत सरकार प्रदेश की सरकारों से मिलकर कोई योजना बनाएगी कि नदियों में डिसिल्टिंग की जाए और साथ ही क्या आप वहां बांध बनाकर, सड़कें बनाने की भी कोई योजना बनाएंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ नियंत्रण के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। नदियों के प्रवाह की धारा से किनारा तोड़कर पानी बाहर चला जाता है या तो कैचमैंट एरिया में अधिक वर्षा के कारण ऐसा होता है या स्थानीय क्षेत्रों में वर्षा के कारण होता है या फिर कई बार समुद्र की तरफ से ज्वार और वर्षा दोनों इकट्ठा होने से भी ऐसा होता है और इन कारणों से बाढ़ आती है। बाढ़ नियंत्रण के उपायों में से एक यह भी है कि कुछ स्थानों

पर नदियों पर कुछ दूरी पर इस प्रकार के बांध बनाए जाते हैं। ये दिल्ली में भी हैं और उत्तर प्रदेश में भी हैं। गांवों को ऊंचा करने की भी योजना है और देश में पहले ही कई हजार गांवों को ऊंचा कर दिया गया है। ये सारे उपाय उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जहां तक नदियों के तल का उथला होने का सवाल है, उसमें मिट्टी जमा होने का सवाल है, जो ड्रैजिंग आपरेशन सिल्टिंग और डिसिल्टिंग के लिए होता है, उसकी अभी तक कोई योजना नहीं है। आर्थिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से उसकी व्यावहारिकता पर कोई विशेष अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि इस प्रकार की योजना अभी भारत के संसाधनों के अंदर व्यावहारिक नहीं होगी, फिर भी इस विषय पर मंत्रालय में कोई अध्ययन करने की बात अवश्य की जा सकती हैं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का हृवांग हो कहा जाता है क्योंकि दामोदर नदी की बाढ़ से पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रत्येक वर्ष गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जब दामोदर घाटी योजना मूल रूप से तैयार की गई थी, तो चार जलाशयों के निर्माण का प्रस्ताव था, किंतु केवल दो जलाशय ही पूरे हुए हैं जिसके कारण जब कभी अधिक वर्षा होती है और दोनों जलाशय भर जाते हैं, तो ज्यादा पानी को छोड़ दिया जाता है और पश्चिम बंगाल में हर साल बाढ़ आती रहती है। अत:, यदि चारों जलाशयों का निर्माण कर दिया जाए, तो अतिरिक्त जल को इकट्ठा कर रखा जा सकता है और सूखा पड़ने की स्थिति में उस जल का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम पर तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह दामोदर घाटी निगम योजना की पुनरीक्षा करेंगे और क्या मूल योजना में प्रस्तावित अन्य दो जलाशयों का निर्माण किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, यह प्रश्न बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है।

श्री हन्नान मोल्लाह : जी हां, महोदय, यह मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि पश्चिम बंगाल दामोदर नदी की बाढ़ से प्रभावित हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछें।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं अपना पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य दो जलाशयों का निर्माण सरकार द्वारा किया जाएगा तथा लोअर दामोदर चैनल का निर्माण यथासंभव कम-से-कम समय में पूरा कर लिया जाएगा।

श्री सोमपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुन: एक परियोजना विशेष से संबंधित प्रश्न है, जिसका ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

श्री अनिल बसु : महोदय, इसी पूरक प्रश्न से संबंधित एक अन्य प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री अनिल बसु, इस प्रकार नहीं।

श्री अनिल बसु : दामोदर घाटी निगम के जलागम क्षेत्र में तिलैया, पंचाट, मैथन और कोनार चार बराज हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, यह ठीक नहीं है।

श्री अनिल बसु : इनका निर्माण 1960 में किया गया था और तब से इनमें काफी गाद जमा हो गया है जिससे बराज की क्षमता कम हो गई है। क्या माननीय मंत्री भारत सरकार के जल-संसाधन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय जल आयोग के अन्तर्गत आने वाले दामोदर घाटी निगम के इन बराजों से गाद निकालने पर विचार करेंगे?

[हिन्दी]

सोन नहर का आधुनिकीकरण

***204. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में वर्तमान सिंचाई प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में सिंचाई के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या बिहार में सोन नहर के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) मार्च, 1997 तक वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई स्कीमों द्वारा सृजित और उपयोग की गई अनुमानित सिंचाई क्षमता की राज्यवार स्थिति संलग्न अनुबंध में दी गई है।

तकनीकी सलाहकार समिति ने दिनांक 10.11.93 को आयोजित अपनी छप्पनवीं बैठक में सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना चरण-। (बिहार) को स्वीकार्य पाया तथा इस शर्त पर निवेश स्वीकृति की सिफारिश की थी कि राज्य वित्त विभाग की सहमति तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 4 जून, 1998 को इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है।

अनुबंध

वर्ष 1996-97 के अन्त तक वृहद, मध्यम/लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता (प्रत्याशित)

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सृजित क्षमता			उपयोग की गई क्षमता		
		वृहद एवं मध्यम	लघु	कुल	वृहद और मध्यम	लघु	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3047.10	2901.87	5948.97	2883.80	2687.16	5570.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	83.42	83.42	0.00	65.54	65.54
3.	असम	196.67	592.76	789.43	138.17	484.45	622.62
4.	बिहार	2802.50	5108.24	7910.74	2324.20	4573.70	6897.90
5.	गोवा	13.02	20.52	33.54	12.07	17.77	29.84
6.	गुजरात	1350.00	1935.30	3285.30	1200.00	1839.62	3039.62
7.	हरियाणा	2078.79	1576.77	3655.55	1833.62	1531.62	3365.24
8.	हिमाचल प्रदेश	10.55	150.38	160.93	5.59	128.42	134.01
9.	जम्मू एवं कश्मीर	173.70	378.68	552.38	147.57	364.64	512.21
10.	कर्नाटक	1666.02	1531.01	3197.03	1471.70	1488.71	2960.41

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	513.31	573.12	1086.43	464.31	537.49	1001.80
12.	मध्य प्रदेश	2178.30	2657.52	4835.82	1551.30	2422.02	3973.32
13.	महाराष्ट्र	2313.00	2619.20	4932.20	1287.70	2341.10	3628.80
14.	मणिपुर	63.00	60.39	123.39	52.00	51.19	103.19
15.	मेघालय	0.00	46.64	46.64	0.00	40.33	40.33
16.	मिजोरम	0.00	12.71	12.71	0.00	11.20	11.20
17.	नागालैंड	0.00	67.24	67.24	0.00	57.93	57.93
18.	उड़ीसा	1557.75	1357.47	2915.22	1442.66	1227.05	2669.71
19.	पंजाब	2512.85	3354.17	5867.02	2452.34	3296.12	5748.46
20.	राजस्थान	2285.57	2421.24	4706.81	2086.31	2336.78	4423.09
21.	सिक्किम	0.00	26.23	26.23	0.00	20.59	20.59
22.	तमिलनाडु	1545.51	2115.22	3660.73	1545.49	2111.36	3656.85
23.	त्रिपुरा	2.30	92.58	94.88	2.30	84.03	86.33
24.	उत्तर प्रदेश	7059.00	23595.00	30654.00	6126.00	21923.00	28049.00
25.	पश्चिम बंगाल	1444.08	3217.37	4661.45	1332.52	2576.90	3909.42
	कुल राज्य	32813.02	56495.05	89308.07	28359.65	52218.72	80578.37
	कुल संघ शासित क्षेत्र	18.22	112.15	130.37	9.00	104.32	113.32
	कुल योग	32831.24	56607.20	89438.44	28368.65	52323.04	80691.69

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, सोन नहर के आधुनिकीकरण का मामला वर्षों से लम्बित है। 1992 में सोन नहर के आधुनिकीकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति बनी थी। 1993 में उस समिति ने रिपोर्ट भी दे दी थी, परंतु छः-सात वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी तक इसमें क्या गतिरोध है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री सोमपाल : सोन नहर के आधुनिकीकरण की परियोजना के चरण 'ए' पर 10 नवम्बर 1993 को तकनीकी सलाहकार समिति की 56वीं बैठक में विचार हुआ था। उसके बाद बिहार राज्य के वित्त विभाग द्वारा इसकी क्लियरेंस दी जानी थी। केन्द्र के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अभी 4 जून 1998 को क्लियरेंस दी गई है, इसके बाद इसके ऊपर प्रगति हो सकेगी।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में निर्मित सोन नहर की मेन्टेनेंस नहीं होने के कारण नहर का किनारा काफी छोटा हो गया है, पानी की क्षमता भी घट गई है, जिसके कारण नहरी क्षेत्रों के लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस पर आगे क्या कार्यवाही होगी?

श्री सोमपाल : सोन नहर के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण की पायलट योजना की अब चूंकि वन मंत्रालय ने क्लियरेंस दे दी है, इस पर कार्य आरम्भ होगा। इसकी योजना यह है कि इसको 5.6 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 9 लाख कुछ हेक्टेयर किया जाएगा। इसके ऊपर प्रथम चरण में 403.41 करोड़ रुपये, द्वितीय चरण में 381.58 करोड़ रुपये और तृतीय चरण में 344.55 करोड़ रुपये यानी कुल 1129.54 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. सी.पी. ठाकुर, चूंकि यह प्रश्न बिहार से संबंधित है, अतः मैं केवल बिहार के सदस्यों को ही अनुमति दूंगा।

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, सोन नहर की क्षमता कम हो गई है क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता हुआ था और सोन नहर का पानी सिंगरौली परियोजना को दे दिया गया था। अतः, जब तक कटवान परियोजना का काम शुरू नहीं किया जाता, सोन नहर की क्षमता में सुधार नहीं होगा। इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सोन नहर के आधुनिकीकरण के साथ-साथ कटवान परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने की भी कोई योजना है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सोन कैनल की कैपेसिटी घट गई है। उसका पानी सिंगरोली में दे दिया गया है। एक मर्तबा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों में समझौता हुआ था। उसमें यह प्रावधान था कि कटवन जलाशय बनाया जाए, लेकिन अभी तक वह नहीं बनाया गया है। इसलिए सोन कैनाल के टेलएंड में पानी नहीं पहुंचता है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना पर कुछ काम या विचार हो रहा है या नहीं?

श्री सोमपाल : इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ आपत्ति है और अभी तक वह समझौता नहीं हो पाया है। जब यह आपत्ति नहीं रहेगी, उसमें समझौता हो जाएगा। उसके उपरांत ही उसमें प्रगति की जा सकती है।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, जबकि देश के अनेक भागों में नहरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के बहुत से जिलों में अनेक नहरें सूखती जा रही हैं जिसके कारण गरीब किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपने निर्वाचन-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बरुईपुर के निर्धन किसानों की स्थिति को अपनी आंखों से देखा है, वहां सभी नहरें सूख गई हैं। ऐसी ही स्थिति सोनारपुर में है जो कुमारी ममता बनर्जी के निर्वाचन-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई जांच करवाई है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब सरकार आधुनिकीकरण कार्यक्रम को आरंभ करती है, तो क्या वे एक ऐसी सही भू-जल नीति अपनाएंगे जिसमें केवल नहरों को ही नहीं, बल्कि झीलों और तालाबों को भी शामिल किया जाए क्योंकि अंधाधुंध नलकूप लगाए जाने के कारण पश्चिम बंगाल में पानी में संखिया का विष फैल गया है। हम इसे सहन नहीं कर सकते। मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय अपनी योजनाओं में तालाबों, झीलों तथा अन्य भू-जल स्रोतों को भी शामिल करेंगे। धन्यवाद।

श्री सोमपाल : महोदय, आपने सही टिप्पणी की है कि यह प्रश्न केवल बिहार राज्य से संबंधित है। *(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 202, 203 और 204 एक-दूसरे से संबंधित हैं और यह कहना बिल्कुल गलत है कि यह प्रश्न केवल बिहार से संबंधित है।

श्री सोमपाल : लेकिन फिर भी, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं।

वह सही कह रही हैं कि सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण और सिंचाई हेतु संभावना में वृद्धि करना है, टैंकों का निर्माण और उनकी मरम्मत बांधों, झीलों और बील्स तथा आक्सीज़ वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के भाग हैं और जैसाकि मैंने पहले प्रश्न का उत्तर देते समय सभा को पहले ही सूचित कर दिया है कि योजना आयोग ने एक योजना तैयार की है जिसे नौवीं योजना सहित पांचों योजनाओं में क्रियान्वित किया जायेगा। इस पर 75,800 करोड़ रुपये लागत आयेगी और झीलों, तालाबों, टैंकों, बील्स, आक्सीज के माध्यम से और भूमिगत जल प्रणाली को पुन: आरम्भ करके जल कृषि (वाटर हार्वेस्टिंग) का ध्यान रखना इस योजना का एक मुख्य भाग है ताकि वर्षा के जल की उपलब्धता और उपयोग में वृद्धि की जा सके।

डा. उल्हास वासुदेव पाटील : अध्यक्ष महोदय, भू-जल प्राप्त करने हेतु जल-भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और गवेष्णात्मक ड्रिलिंग करने के लिए केंद्रीय भू-जल बोर्ड की स्थापना की गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार केंद्रीय भू-जल बोर्ड के इस कार्यक्रम में तेजी लायेगी।

श्री सोमपाल : महोदय, भूमिगत जल की खोज केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा की जाती है और जहां तक सिंचाई क्षमता पैदा करने की बात है यह समग्र सिंचाई योजना का एक अभिन्न घटक है।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय प्रश्न सं. 202, 203 और 204 कुछ हद तक परस्पर संबद्ध हैं।

महोदय, सृजित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग में काफी अधिक अंतर है। राजस्थान और हरियाणा रेगिस्तानी क्षेत्रों में पक्की नालियों का निर्माण किये बिना खेतों में पानी पहुंचाना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री सुरेन्द्र सिंह : महोदय, मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

विश्व बैंक ने यह शर्त रखी है कि राज्य सरकार नालियों का रख-रखाव बिल्कुल नहीं करेगी क्योंकि वे राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं देंगें और उन नालियों का रख-रखाव किसानों को करना होगा। रेतीले क्षेत्रों में उनके रख-रखाव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या केंद्र सरकार नालियों के रख-रखाव हेतु निधियां प्रदान करेगी?

गं बात यह है कि जलाक्रांति और खारापन भूमि की ...ा सबसे बड़ा खतरा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न शीघ्र पूछें। अन्यथा, मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह : महोदय मैं अपना अनुपूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

कम से कम 13 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन नहीं किया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि उस भूमि का सुधार करने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को शुष्क कृषि में बदलने के लिए सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

श्री सोमपाल : महोदय, जहां तक फील्ड चैनलों के निर्माण और रख-रखाव का संबंध है, केंद्र सरकार कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण योजना के अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान करती है। यह सहायता चैनलों के सृजन के लिए दी जाती है न कि उनके रखरखाव के लिए। उन चैनलों का रखरखाव करना पूर्णतया राज्यों की जिम्मेवारी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये।

श्री सोमपाल : महोदय, जहां तक जलाक्रांति की समस्या का संबंध है, यह अनेक कारणों से हाल ही के वर्षों में खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है।

मेरे पास इनके ब्यौरे हैं लेकिन वे इतने कम समय में यहां नहीं दिये जा सकते। माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है कि ऐसी भूमि का सुधार और ऐसी भूमि पर इकट्ठे हुये पानी को निकालना आवश्यक है और जल निकासी, बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई योजनाओं के लिए उन्हें इस समस्या से निपटने के लिए निरंतर कार्य करना होगा। काफी अधिक क्षेत्र पहले से ही जलमग्न हो गये हैं। जलनिकासी जलविभाजक (वाटर शेड) योजना, सिंचाई योजनाओं और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की एक अभिन्न घटक है।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री रामानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 204 के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि बाणसागर बांध की समीक्षा नहीं हुई है और नवीं पंचवर्षीय योजना आ रही है। इसलिए मैं आपसे आधे घन्टे की चर्चा की मांग करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे : महोदय, बिहार में कोई इर्रिगेशन है या नहीं, या सिर्फ इर्रिगेशन बंगाल में है ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, आप प्रश्न संख्या 204 पर चर्चा करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें। श्री लाल मुनी चौबे जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले नोटिस देना होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

...*(व्यवधान)*

महासागर विकास कार्यक्रम

[हिन्दी]

***205. श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा महासागर विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियां का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है?

[अनुवाद]

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) संघ सरकार द्वारा महासागर विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं उपलब्धियों तथा 1992-93 से 1997-98 तक छ: वर्ष की अवधि के दौरान इन पर किए गये व्यय का विवरण नीचे दिया गया है।

1. ध्रुवीय (अंटार्कटिक) विज्ञान :

- अटांर्कटिक सागर में क्रिल एवं सजीव संसाधनों के अन्वेषण हेतु विशेष समुद्री यात्राओं सहित सात वैज्ञानिक अभियान, अंटार्कटिक भेजे गये।
- पुरा जलवायु एवं पर्यावरणीय अध्ययनों हेतु 150 मीटर गहराई तक हिम क्रोड ड्रिलिंग की गई।
- वोल्थाट पर्वतों के अमानचित्रित क्षेत्र के 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भूवैज्ञानिक मानचित्रण।
- ओजोन छिद्र परिघटना गतिकी को समझने के लिए दिवस समय ध्रुवीय ज्योति अध्ययन एवं ओजोन रूप रेखा अध्ययन प्रारम्भ किए गये।
- एकस्थितिक डॉप्लर ध्वनिक सोडार विकसित किया गया।
- दक्षिणी सागर के हिन्द महासागर क्षेत्र में क्रिल संसाधनों का मूल्यांकन।
- अंटार्कटिक झीलों में सूक्ष्म जीवों का पारिशरीरक्रियाविज्ञानी अध्ययन।
- ई-मेल के माध्यम से मुख्य भूमि के साथ संचार सम्पर्कों का समुन्नयन।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

- ओजोन एवं जलवायु विज्ञान अध्ययन के अंतरराष्ट्रीय अभियानों में भागीदारी।

- अंटार्कटिका विज्ञान पर भारतीय राष्ट्रीय आंकड़ा आधार (इनडास) स्थापित करना।

आठवीं योजना व्यय	:	81.65 करोड़ रुपये
1997-98 व्यय	:	21.51 करोड़ रुपये

2. समुद्री निर्जीव संसाधन :

- हाइड्रोस्वीप की सहायता से मध्य हिन्द महासागर बेसिन में 150,000 वर्ग कि.मी. के सम्पूर्ण अग्रणी क्षेत्र का गहराई मापन। यू.एन.सी.एल.ओ.एस. के अंतर्गत दायित्व के एक भाग के रूप में अन्तरराष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण को 30% क्षेत्र दे दिया गया।

- 12.5 कि.मी. के निकटतर ग्रिड अन्तराल पर प्रतिचयन कार्य पूरा हुआ। 5 कि.मी. अन्तराल पर कार्य प्रारम्भ किया गया।

- समय श्रृंखला समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ा हेतु पूर्व चयनित स्थानों पर तीन नौबंध प्रणालियां लगाई गई।

- सुदूर संचालित वाहन (आर.ओ.वी.) हेतु परिचालक हस्त की अभिकल्पना।

- धातुकर्म के क्षेत्र में, चुने गए 15 प्रक्रिया मार्गों में से भर्जन अपचयन अमोनियामय निक्षालन, सल्फर-डाईऑक्साइड अमोनियामय निक्षालन व अम्ल (दबाव) निक्षालन प्रक्रिया, पिंडिकाओं से धातु प्राप्त करने के लिए चुनी गई।

- धातुओं से निकल 90%-93%, तांबा 88%-95% एवं कोबाल्ट 86%-88% की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर (एन.एम.एल.,(जे.) और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर (आर.आर.एल.(बी.)) में बैच प्रक्रिया प्रायोगिक संयंत्र में निक्षालन क्षमता का प्रत्यक्षण किया गया।

आठवीं योजना व्यय	:	32.14 करोड़ रुपये
1997-98 व्यय	:	15.50 करोड़ रुपये

3. समुद्री सजीव संसाधन :

समुद्र से औषधियां

- समुद्री वनस्पति व जीवों की 450 प्रजातियां एकत्रित की गयीं और रासायनिक निष्कर्षण व जैविक मूल्यांकन के अंतर्गत इन पर कार्य होगा।

- सूक्ष्म जीवों की विस्तृत जांच से उच्च मधुमेहरोधी, वायरलरोधी, अमीबीय रोधी, चिन्तारोधी व डिम्भनाशी सक्रियता युक्त 5 सूक्ष्मजीवों की पहचान की गयी।

- एक हर्बल मधुमेहरोधी औषधि का विकास करने के लिए आशाजनक सूत्रों पर नियामक भेषजीय और विषवैज्ञानिक अध्ययन प्रारम्भ किया गया।

आठवीं योजना व्यय	:	2.00 करोड़ रुपये
1997-98 व्यय	:	2.50 करोड़ रुपये

4. समुद्र प्रेक्षण व सूचना सेवाएं :

समुद्री उपग्रह सूचना सेवा (मारसिस)

- समुद्र सुदूर संवेदन के माध्यम से कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप व अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्ति क्षेत्रों के मानचित्रों तथा सभी समुद्रवर्ती राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए तटीय आर्द्र भूमि मानचित्रों का विकास।

- उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों की प्रमाणिकता के लिए समुद्र सत्य आंकड़ा संग्रहण।

- संभाव्य मत्स्यन क्षेत्रों (पी.एफ.जैड.) के लिए परामर्श तैयार करना और 170 से अधिक मत्स्य घाट केन्द्रों को उनका प्रकीर्णन। एक आनुभविक तरंग पूर्वानुमान प्रतिरूप विकसित किया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम, उड़ीसा के महानदी मुहाना मैंग्रोव व चिल्का झील के लिए तटीय क्षेत्र सूचना प्रणाली विकसित की गयी।

- विभिन्न राज्यों में 7 आधुनिक ज्वार प्रमापी स्टेशन स्थापित किए गए। इनसे मध्य समुद्र तल परिवर्तनों के प्रबोधन के लिए आधार उपलब्ध हुआ है।

- समुद्र स्तर प्रबोधन और प्रतिरूपण के लिए तैरने वाले अंकीय ज्वार प्रमापी (डी.एफ.टी.जी.) लगाए गए।

- समुद्र से संबद्ध प्राचलों पर आंकड़ों और सूचनाओं के संग्रहण, भंडारण व प्रकीर्णन के लिए 14 राष्ट्रीय समुद्र आंकड़ा केन्द्रों की स्थापना।

- हिन्द महासागर समुद्र सतह तापमान और उत्तरी हिन्द महासागर के क्लोरोफिल-ए पर मानचित्रावली तैयार की गयी।

- क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय आंकड़ा प्लव कार्यक्रम (एन.डी.बी.पी.) शुरू किया गया। इसके अंतर्गत वास्तविक समय आधार पर समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ों की उत्पत्ति व प्रकीर्णन के लिए पूर्वी और पश्चिमी तटों के पास 12 आंकड़ा प्लव (8 उथले जल में, और 4 अपतल क्षेत्रों में) लगाए गए।

- आंकड़ों की प्राप्ति, अभिलेखन और प्रयोक्ता अभिकर्ताओं में उनके प्रकीर्णन के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई में एक समर्पित राष्ट्रीय आंकड़ा प्लव केन्द्र की स्थापना की गयी है।

- समुद्र उपग्रह सूचना सेवा (मारसिस) समुद्र स्तर प्रबोधन एवं प्रतिरूपण (सेलमाम) राष्ट्रीय समुद्र 8 सूचना प्रणाली (एन.आई.ओ.एस.) आंकड़ा प्लव, संयुक्त भूमंडलीय समुद्रीय फ्लक्स अध्ययन (जे.जी.ओ.एफ.एस.) और तटीय क्षेत्र में भू-जल अंतर्क्रिया (एल.ओ.आई.सी.जैड.) कार्यक्रम जो आठवीं योजना के दौरान क्रियान्वित किए गए थे नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्हें नवीकृत व पुन: संरचित किया गया और समुद्र प्रेक्षण एवं सूचना सेवा (ओ.ओ.आई.एस.) में एकीकृत कर दिया गया। इस कार्यक्रम के चार घटक हैं अर्थात् समुद्र प्रेक्षण प्रणाली, समुद्र सूचना सेवा, उपग्रह समुद्र विज्ञान एवं समुद्र प्रतिरूपण व गतिकी।

आठवीं योजना व्यय : 26.28 करोड़ रुपये

1997-98 व्यय : 20.93 करोड़ रुपये

5. समुद्रीय पर्यावरण और तटीय क्षेत्र

- तटरेखा के साथ 77 स्थलों पर समुद्री प्रदूषण के प्रबोधन से 25 कि.मी. क्षेत्र तक स्वच्छ समुद्री जल गुणवत्ता और प्रदूषकों के न्यून, मध्यम और उच्च सांद्रण की पहचान।

- गहन प्रबोधन के लिए 25 संभावित उच्च प्रदूषण स्थलों, (वे क्षेत्र जिनके भविष्य में अत्यंत प्रदूषित होने की संभावना है) की पहचान की गयी।

- तैयार किए जा रहे आंकड़ों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक अंत:अंशांकन कार्य किया गया।

- निरन्तर प्रदूषण प्रबोधन के लिए दो तटीय अनुसंधान जलयान सागर पूर्वी व सागर पश्चिमी चालू किए गए।

- समुद्री संसाधनों का निरन्तर विकास व प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत तटीय व समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (इकमाम) कार्यक्रम शुरू किया गया।

आठवीं योजना व्यय : 19.80 करोड़ रुपये

1997-98 व्यय : 5.38 करोड़ रुपये

6. समुद्री अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण :

- महासागर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 42 परियोजनाओं और 84 अध्येताओं ने वित्तीय सहायता प्राप्त की।

- वायुमण्डलीय विज्ञान केन्द्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को वायु-तल अंत:क्रिया अध्ययन के लिए, आन्ध्र विद्यालय, विशाखापट्टनम को तटीय जलकृषि और समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, तटीय जलकृषि और तटीय क्षेत्र प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अवसंरचना संबंधी सहायता प्रदान की गई।

- पांच विश्वविद्यालयों में समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और संबंद्ध मानव संसाधन और क्षमता निर्माण में अग्रणी अनुसंधान के संवर्द्धन के लिए महासागर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कक्ष स्थापित किए गए। ये कक्ष यथा समय में उत्कृष्टया-केन्द्र के रूप में विकसित होंगे।

आठवीं योजना व्यय : 12.82 करोड़ रुपए

1997-98 व्यय : 2.16 करोड़ रुपये

7. तटीय सामुदायिक कार्यक्रम :

- आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और दक्षिण गोवा में तट केन्द्र स्थापित किए गए और स्थानीय मछुआरों को तट और मछली पकड़ने वाली नौकाओं में दोतरफा संप्रेषण के लिए वॉकी-टॉकी और सहायक सामग्री वितरित की गई।

- अन्य क्षेत्रों तथा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर गोवा और संघ शासित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा पाण्डिचेरी में इस कार्यक्रम का विस्तार शुरू किया गया।

- समुद्र में मछुआरों की नौकाओं की स्थिति का पता लगाने में मछुआरों की मदद के लिए और मछलियों के झुण्डों का पता लगाने हेतु एक एकीकृत मत्स्य अन्वेषी एवं नौसंचालन निर्देशन प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु एक स्कीम आरम्भ की गई। तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय राज्यों के मछुआरों में 50 एकीकृत मत्स्य अन्वेषणी एवं नौसंचालन निर्देशन प्रणाली का वितरण किया गया।

- तटीय और समुद्री पारिप्रणाली के संसाधनों, पारिस्थिकी और पर्यावरणीय पक्षों को समझने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में एक बहुविषयक परियोजना को सहायता प्रदान करना।

- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अम्ल सल्फेट युक्त मृदा में झींगा पालन की वैज्ञानिक पद्धति के प्रदर्शन कार्य को पूरा किया गया।

- स्थानीय समुदाय के लिए बाडों में नील मछली की मिश्रित कृषि का प्रदर्शन किया गया।

- अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियों के पुनरुद्भव की परियोजना प्रारम्भ की गई।

आठवीं योजना व्यय	:	4.14 करोड़ रुपए
1997-98 व्यय	:	1.92 करोड़ रुपए

8. समुद्री जागरूकता :

- लगभग 50 संगोष्ठियों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। समुद्र विज्ञान संबंधी तीन संगोष्ठियां हिन्दी में आयोजित की गई।

- विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और विज्ञान मेलों में समुद्र से संबंधित प्रदर्शनियां आयोजित की गई। विभाग ने जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित "ग्रेड इन इंडिया" में तथा लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित "ओशन - ए हेरिटेज फार द फ्यूचर नामक विषय पर एक्सपो" 98 में विभाग की गतिविधियों की एक समन्वित झलक प्रस्तुत की।

- गोवा में ओश्नेरियम स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता का प्रावधान।

आठवीं योजना व्यय	:	0.80 करोड़ रुपए
1997-98 व्यय	:	0.15 करोड़ रुपए

9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :

- विश्व समुद्र संवीक्षण प्रणाली, भूमंडलीय विश्व फ्लक्स अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ें, सूचना तथा आदान प्रदान, तटीय क्षेत्र में भूमि-समुद्र अंत:क्रिया, विश्व समुद्र परिसंचरण प्रयोग जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर जलवायु प्रतिदर्श हेतु अपेक्षित समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ों के आदान प्रदान में इन कार्यक्रमों से मदद मिलती है।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रारम्भ - दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रीय समुद्र कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

आठवीं योजना व्यय	:	3.49 करोड़ रुपए
1997-98 व्यय	:	0.96 करोड़ रुपए

10. अवसंरचना एवं जलयान :

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने समुद्र ऊर्जा, गहन समुद्र प्रौद्योगिकी तथा समुद्र खनन, तटीय और पर्यावरणीय इंजीनियरी तथा समुद्र यंत्रीकरण पर प्रौद्योगिकी मिशन पद्धति वाले चार कार्यक्रम संचालित किए।

समुद्र ऊर्जा

- दो टरबाइनों सहित 55 किलोवाट शीर्ष क्षमता वाला उन्नत विद्युत माड्यूल और एक केन्द्रीय सामान्य परिवर्ती गति प्रेरण जनित्र का विकास किया गया और उसे विझिन्जम में केरल राज्य बिजली बोर्ड से जोड़ा गया। कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया गया।

- तरंग ऊर्जा से दीर्घकालिक विश्वसनीय विद्युत उत्पादन हेतु ऊर्जा परिवर्तन उपकरण तैयार करने संबंधी अध्ययन किए गए।

- 3 मेगावाट क्षमता के एक लघुज्वारीय विद्युत संयंत्र की व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा किया गया।

- प्लावी प्लेटफार्म पर 1 मेंगावाट के प्रायोगिक ओ.टी.ई.सी. संयंत्र के प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण तथा व्यवहार्यता अध्ययन को अद्यतन करना।

गहन समुद्र प्रौद्योगिकी तथा समुद्र खनन

- समुद्र-संस्तर से संदलित बहुधात्विक पिण्डिकाओं को उठाने के लिए उच्च दबाव उच्च प्रवाह स्वच्छ जल जैटों का उपयोग करके अवपंक पंप प्रणाली का अभिकल्पन और निर्माण किया गया।

- समुद्र संस्तर से नमूने/वस्तुएं एकत्र करने में क्षम सुदूर संचालित अर्न्तजल रोबोट हत्था युक्त तथा 250 मीटर जल की गहराई तक जल के भीतर पाइप लाइनों में परिचालन वॉल्वों का अभिकल्पन किया गया है। सुदूर संचालित साधन से एकीकरण और परीक्षण हेतु निर्माण चालू किया गया।

तटीय तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी

- तरंग अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, शोलिंग और भंजन को समामेलित करके तट समीप क्षेत्र में तरंग प्राचलों के आकलन हेतु एक नियत घटक का प्रतिदर्श तैयार किया गया।

- विशाखापट्टनम के समीप वाराह और सारदा नदी की संकरी खाड़ी से ज्ञात गहराई मापी तथा ज्वारीय परिवर्तन वैधीकृत आंकड़ों सहित संकरी खाड़ी के खारे जल की जलकृषि के सतत विकास मूल्यांकन हेतु प्रतिदर्श।

- तटीय स्थलाकृति, तट समीप गहराई मापन और तूफानी लहरों के पूर्वानुमानों को समाविष्ट करके ऊष्णकटिबंधी चक्रवात के कारण तटीय आप्लावन का आकलन शुरू किया गया।

समुद्री यंत्रीकरण

- ध्वनिक ज्वारप्रमापी का अभिकल्पन, निर्माण तथा परीक्षण किया गया।

- तरंग मापन के लिए स्ट्रेपडाउन त्वरणमापी सहित तरंग आरोही प्लव का अभिकल्पन और निर्माण किया गया।

- सुदूर संचालित यांत्रिक प्लावी प्लेटफार्म का अभिकल्पन किया गया।

अनुसंधान जलयान

- महासागर विकास विभाग के एफ.ओ.आर.वी., सागर संपदा और ओ.आर.वी. सागर कन्या नामक बहु-विषयक जलयानों ने समुद्री यात्राएं की, जिससे कुछ अल्प विदोहित और संभावित रूप में प्रचूर गहरे समुद्री संसाधनों का पता लगाने में मदद मिली है।

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान

आठवीं योजना व्यय	:	11.84 करोड़ रुपए
1997-98 व्यय	:	8.25 करोड़ रुपए

सागर संपदा और सागर कन्या

आठवीं योजना (गैर-योजना) व्यय	:	67.86 करोड़ रुपए
1997-98 गैर-योजना व्यय	:	15.05 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, महासागर विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक भौतिक लक्ष्य क्या-क्या रखे गए हैं? क्या महासागर विकास के लिए कोई विदेशी सहायता ली गई है? यदि हां, तो किन-किन देशों से और आठवीं पंचवर्षीय योजना में भौतिक और आर्थिक उपलब्धि क्या है?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : हमने 8,000 कि.मी. की तटीय दूरी के व्यापक समुद्र तट के संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य भी हैं। उन्हें भी प्रश्न पूछना है। हमें प्रश्नों का कार्य पूरा करना होगा। उसके बाद यदि समय बचा तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा।

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि 8वीं योजना में 200 करोड़ रुपये की निधियां आबंटित की गई और वर्ष 1997-98 की योजना और गैर-योजना के लिए यह निधियां लगभग 106 करोड़ रुपये हैं। जैसाकि माननीय सदस्य को दिए गए विस्तृत उत्तर में उल्लिखित है, हमने धुवीय (अंटार्कटिक) विज्ञान, समुद्री निर्जीव संसाधन, समुद्री सजीव संसाधन, समुद्र प्रेक्षण व सूचना सेवाएं, समुद्री पर्यावरण

और तटीय क्षेत्र तटीय सामुदायिक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा समुद्र के बारे में जागरूकता जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत काफी अधिक सुधार किया है। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि वे मछली के अलावा ऊर्जा हेतु गहरे समुद्र में महासागर संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और समुद्रों में से 100 टन पॉलिमेटालिक्स नोड्यूल्स प्राप्त किये गये थे तथा वे हमारे देश के लिए काफी उपयोगी हैं। संगठनों द्वारा समुद्र में कुछ बहूमूल्य औषधियों का उत्पादन किया जा सकता है। हमें नार्वे से नेशनल डॉटा बुआय प्रोग्राम के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। 14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से विदेशी सहायता के रूप में लगभग 3.70 करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

अभी तक पिंडिकाओं के अन्वेषण एवं विश्लेषण के लिए भारत सरकार ने क्या-क्या कार्य किए हैं? क्या कोई विशेष उपलब्धि हासिल हुई है।

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : मैं माननीय सदस्य को पहले ही बता चुका हूं कि हम धातु संसाधनों की खोज कर रहे हैं और हिन्द महासागर के अयस्कों से लगभग 100 टन पालिमेटलिक नोड्यूल्स प्राप्त हुये थे।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, अब तक 200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में मुम्बई और कोंकण पट्टी के अंदर समुद्र महासागर का जो विकास हुआ है, उसमें कितना खर्चा हुआ? आपने नया रूल बनाया है और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, वहां के मंत्री और आपके डिपार्टमेंट से बात हुई, क्या इसमें कोई टैक्नीकल डिफिकल्टी है, क्योंकि वहां मकान बनाने के लिए, झोंपड़ी बनाने के लिए उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है। मुख्य मंत्री ने जो योजना दी है, क्या उस पर आप जल्दी में कार्यवाही करने वाले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप लिखित उत्तर भेज सकते हैं।

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन : मैं ब्यौरे प्राप्त करके माननीय सदस्य को जानकारी भेज दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए आबंटन

***206. श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपूर्ण देश के अनेक संगठनों के किसानों ने सामूहिक तौर पर सरकार से केन्द्रीय बजट की साठ प्रतिशत राशि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के आबंटन हेतु आरक्षित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देना

***207. श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त योजना को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कोई मुख्य परिवर्तन करने के बारे में विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अल्पसंख्यकों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए किन्हीं ठोस उपायों को शामिल किया गया है और विशेष वित्तीय आबंटन किए गए हैं या किए जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय

योजना के दृष्टिकोण-पत्र का राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) ने 16 जनवरी, 1997 को हुई अपनी बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया था। आंतरिक योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण-पत्र के ढांचे के अंदर ही नौवीं योजना के ब्यौरे तैयार करने की कार्रवाई आरम्भ की थी। योजना आयोग की आंतरिक बैठकों में अनुमोदित प्रारूप नौवीं पंचवर्षीय योजना, 1992—2002, 1 मार्च, 1998 को योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया था। इस योजना पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अभी विचार किया जाना है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस प्रारूप की समीक्षा करने का निर्णय लिया है जिससे कि सरकार के राष्ट्रीय एजेण्डा में यथा उल्लिखित परिवर्तित प्राथमिकताओं को उपयुक्त ढंग से दर्शाया जा सके। विस्तृत कार्य योजनाएं पहले से ही तैयार की जा रही हैं, जो पूरी हो जाने पर, वर्तमान प्रारूप के साथ समेकित कर ली जाएंगी। यह संशोधित योजना तब, उचित प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ यथासमय प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ङ) और (च) सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन एवं विकास के कारकों के रूप में अल्पसंख्यकों सहित सामाजिक रूप से अलाभान्वित समूहों को शक्ति सम्पन्न बनाना, नौवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में दिए गए प्रमुख उद्देश्यों में से एक हैं। अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए अनेक केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित स्कीमें चल रही हैं। इन स्कीमों में से कुछेक के लिए 1998-99 के दौरान किए गए वित्तीय आवंटनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(1) आर्थिक मानदण्ड (2 करोड़ रु.) के आधार पर कमजोर-वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग; (2) मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन को अनुदान-सहायता (30 करोड़ रु.); (3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को अंश-पूंजी (41 करोड़ रुपए); (4) अल्पसंख्यक सघनित जिलों के लिए बहुक्षेत्रकीय योजनाएं (10 करोड़ रुपए); (5) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम (13 करोड़ रुपए); तथा (6) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण (7 करोड़ रुपए)।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

***208. श्री शांति लाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति ने उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सरदार सरोवर परियोजना के बारे में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना से प्रभावित हुए परिवारों को दूसरी जगह स्थानान्तरित करने का है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी संख्या में परिवारों को अब तक स्थानान्तरित किया जा चुका है और कितनों को स्थानान्तरित किया जाना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) नर्मदा बचाओं आंदोलन द्वारा अप्रैल, 1994 में उच्चतम न्यायालय में दायर की गई सिविल रिट याचिका सं. 319/94 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 5.5.95 के आदेश में कुछ समय के लिए सरदार सरोवर बांध की प्रभावी ऊंचाई 81.5 मीटर के ऊंचाई स्तर पर कायम रखने का आदेश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अपने दिनांक 12.3.96 के आदेश को फिलहाल स्थगित करना उचित समझा ताकि इस उद्देश्य के लिए मुहैय्या कराये गए तंत्र के अनुसार विभिन्न राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान किया जा सके। उल्लिखित आदेश का पालन करते हुए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से संबंधित पुनरीक्षा समिति की दिनांक 15.7.1996 को एक बैठक आयोजित की गई और इसके पश्चात् सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में 15 एवं जुलाई, 1996 को माननीय प्रधान मंत्री के साथ पक्षकार राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें निम्न पर सहमति व्यक्त की गई है:-

"सरदार सरोवर बांध का निर्माण योजना के अनुसार किया जाए, पहली बार में इसे 132.68 मीटर (436 फुट) तक के पूर्ण जलाशय स्तर तक सीमित रखा जाए। उसके बाद बांध में जल के वास्तविक प्रवाह से संबधित आंकड़ों पर पांच वर्ष की अवधि तक निगरानी रखी जाएगी। यदि इन पांच वर्षों के दौरान किन्हीं तीन वर्षों में छोड़े गए जल का प्रवाह पंचाट में किए गए निर्धारण के अनुसार पर्याप्त है तो जलाशय स्तर को 138.68 मीटर (455 फुट) तक बढ़ाने के निर्णय पर विचार किया जा सकता है। बांध के निर्माण कार्य की प्रगति पंचाट की शर्तों के अनुसार परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास और इस संबंध में राज्यों द्वारा निर्धारित राहत और पुनर्वास नीतियों के समरूप होगी। राज्य रात और पुनर्वास कार्यों का त्वरित और समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।"

तत्पश्चात् नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से संबंधित पुनरीक्षा समिति की 13 नवम्बर, 1996 को आयोजित सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई वर्ष 1996-97 के दौरान स्पिलवे भाग में 110 ई.एल. तक इस शर्त पर बढ़ाई जाए कि 81.5 मीटर ऊंचाई पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन उपायों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा की जाएगी तथा इसी प्रकार की पुनरीक्षा बांध की प्रत्येक पांच मीटर की ऊंचाई के लिए की जाएगी ताकि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उपायों के कार्यान्वयन के साथ-साथ निर्माण कार्य किया जा सके।

(ग) जी हां।

(घ) अप्रैल, 1998 तक 10,191 परियोजना प्रभावित परिवारों को बसा दिया गया है तथा शेष 30,536 परिवारों को स्थानान्तरित किया जाना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इस परियोजना को सन् 2000 तक पूरा कर दिया जाएगा। तथापि, इस परियोजना को पूरा करना निधियों की उपलब्धता तथा उसके साथ-साथ नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निर्णय के अनुसार पक्षकार राज्यों द्वारा परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना उपायों का कार्यान्वयन करने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

विवाद ग्रस्त सिंचाई परियोजनाएं

***209. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पानी के बंटवारे को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और तत्परता से सुलझाने हेतु केन्द्रीय सरकार क्या प्रयास कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार बातचीत को बढ़ावा देकर, अन्तर्राज्यीय नदियों/नदी घाटियों के विकास और विनियमन के लिए बोर्ड गठित करके जल से संबंधित अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करने का प्रयास करती है। यदि जल विवादों का अन्यथा समाधान नहीं हो पाता है तो किसी भी पक्षकार राज्य के अनुरोध करने पर जल विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण गठित किये जाते हैं।

गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, रावी-व्यास और कावेरी जल विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण गठित किये हैं। पहले तीन अधिकरणों ने अपने अंतिम निर्णय पहले ही दे दिये हैं।

इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधनों के अन्तर्राज्यीय मुद्दों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अंतर्गत एक स्थायी समिति भी गठित की है।

गंगा द्वारा भूमि कटाव

***210. श्री हीरा लाल राय :**
कुमारी ममता बनर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिले घाघरा, पद्मा और गंगा नदियों द्वारा किये जा रहे भूमि कटाव के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समस्या को हल करने के लिए योजना आयोग द्वारा कोई विशेषज्ञ समिति गठित की गई है;

(ग) क्या समिति द्वारा सिफारिश किये गये उपायों को लागू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भूमि के कटाव की समस्या को कब तक नियंत्रित कर लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां। बंगलादेश में पद्मा के नाम से पुकारी जाने वाली गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में माल्दा एवं मुर्शिदाबाद जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर तट कटाव हुआ है। गंगा नदी द्वारा बिहार में बक्सर, छपरा, बेगुसराय एवं भागलपुर जिलों में भी तक कटाव हुआ है। यह तट कटाव बिहार राज्य में घाघरा नदी के बांया तट के साथ लगने वाली कुछ पहुंचों में भी देखा गया है।

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल में माल्दा एवं मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा/पद्मा नदी द्वारा किए जाने तट कटाव की समस्या की जांच करने के लिए योजना आयोग ने सितम्बर, 1996 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसने माल्दा एवं मुर्शिदाबाद जिलों में फरक्का बैराज के प्रतिप्रवाह एवं अनुप्रवाह पर पड़ने वाली विभिन्न पहुंचों में भूमि कटाव की समस्या का समाधान के लिए क्रमश: 315 करोड़ तथा 612 करोड़ की लागत से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय करने की सिफारिश करते हुए दिसम्बर, 1996 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उपायों को प्राथमिकता दी गई थी तथा ये स्कीमें योजना आयोग द्वारा वित्त उपलब्ध कराने तथा तत्पश्चात् इनका कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्र तथा पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच उनके क्षेत्राधिकार के आधार पर आबंटित कर दी गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कछारी मैदानों से होकर बहने वाली गंगा जैसी विशाल नदियों के नदी व्यवहार तथा उनके प्रबन्धन का सही अनुमान लगाना तथा तटकटाव के कारण पैदा होने वाली समस्या का समाधान करने के वास्ते उपाय करना आसान नहीं है। इस प्रकार ऐसी विशाल नदी में तटकटाव को पूर्ण रूप से रोकना अथवा उसे नियंत्रित करने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करना कठिन है।

गेहूं उत्पादन का लक्ष्य और उसका वास्तविक उत्पादन

***211. श्री सतनाम सिंह कैंथ :**
श्री चन्द्रशेखर साहू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस देश में गेहूं का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है;

(ख) कितनी मात्रा में गेहूं के उत्पादन का अनुमान था और उसका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) गेहूं के उत्पादन में कमी का इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम जैसी विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा गेहूं की खरीद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना प्राप्त किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान गेहूं का उत्पादन 68.50 मिलियन मीटरी टन के लक्ष्य की तुलना में 66.38 मिलियन मीटरी टन होने की सम्भावना है। इस प्रकार यह 2.12 मिलियन मीटरी टन की कमी दर्शाता है।

(ग) 1.5 मिलियन मीटरी टन गेहूं के आयात के लिए कार्रवाई की गई है।

(घ) और (ङ) मूल्य समर्थन के तहत खाद्यान्नों की खरीद स्वैच्छिक है क्योंकि किसानों द्वारा की गई पेशकशों के अनुसार ही भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारी अभिकरणों द्वारा खाद्यान्न की खरीद की जाती हैं। अत: खाद्यान्नों की खरीद हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वैसे 5 जून, 1998 तक 11.96 मिलियन मीटरी टन की पर्याप्त मात्रा खरीदी जा चुकी है जबकि इसके मुकाबले पिछले वर्ष इस दिन तक केवल 8.52 मिलियन मीटरी टन की खरीद ही की गई थी। सरकार के पास पर्याप्त भण्डार उपलब्ध होने से, गेहूं के मूल्य बहुत संतोषजनक हैं जैसा कि 23 मई, 1998 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए गेहूं के थोक मूल्य सूचकांक में हुई मात्र 3.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि से पता चलता है, जबकि उसके मुकाबले पिछले वर्ष इसी अवधि में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष गेहूं के मूल्यों में वृद्धि कुल जिंसों की 6.5 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि की तुलना में भी कम है।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि

***212. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु परीक्षण करने के बाद अब सरकार का विचार व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकसित देशों की ओर से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राष्ट्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से हमारे भावी परमाणु परीक्षणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार ने घोषणा की है कि भारत स्वैच्छिक रूप से भूमिगत नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों को स्थगित रखेगा और उन पर रोक लगाए रखेगा। भारत ने इस घोषणा को विधिवत औपचारिक रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया है।

(ग) और (घ) अमरीका, फ्रांस, युनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, डेन्मार्क, नीदरलैंड्स, नार्वे, स्वीडन जैसे कई अन्य विकसित देशों ने, भारत से सी टी बी टी पर बिना शर्त हस्ताक्षर करने का आह्वान किया है।

(ङ) और (च) सी टी बी टी के अन्तर्गत, पक्षकार राज्यों से कोई भी नाभिकीय परीक्षण विस्फोट अथवा किसी भी अन्य नाभिकीय विस्फोट करने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने आगे और भूमिगत नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों को स्वैच्छिक आधार पर स्थगित रखने की पहले ही घोषणा कर दी है। बहरहाल, भारत द्वारा किए गए परीक्षणों की श्रृंखला ने हमारी समता की पुष्टि के लिए समीक्षात्मक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, कम्प्यूटर अनुकरण में हमारी क्षमता में महत्वपूर्ण इजाफा किया है और यदि आवश्यक हो तो भविष्य में उप-समीक्षात्मक प्रयोग करने में हमें सक्षम बनाया है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक उद्योग

***213. प्रो. पी.जे. कुरियन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक उद्योग की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों की समस्याओं से निपटने के लिए एक 'विकास परिषद' का गठन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन, लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने विकास परिषद (प्रक्रिया) नियमावली, 1952 के नियम 3, 4 एवं 5 के साथ गठित उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) के अनुच्छेद 6 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21 मार्च 1998 के भारत के राजपत्र : असाधारण एस.ओ. 157 (ङ) में प्रकाशित आदेश के जरिए दो वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास परिषद का गठन किया है। इस परिषद का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना और हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों ही क्षेत्रों के भावी विकास के लिए उपाय सुझाना है। परिषद का गठन संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास परिषद् का गठन

1.	सचिव, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	- अध्यक्ष
2.	सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली	- सदस्य
3.	सचिव, भारत सरकार औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली	- सदस्य
4.	सचिव, भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली	- सदस्य
5.	सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, नई दिल्ली	- सदस्य
6.	सचिव, भारत सरकार, लघु एवं एग्रो (कृषि) तथा ग्रामीण उद्योग विभाग, नई दिल्ली	- सदस्य
7.	डा. एन. शेषगिरी, विशेष सचिव एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, ब्लॉक 'ए', सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	- सदस्य
8.	सलाहकार (उद्योग एवं खनिज पदार्थ) योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली	- सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक, पंजाब राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास लि., (पीएसईडीसी), उद्योग भवन (पांचवीं मंजिल), 189, हिमालय मार्ग, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017	- सदस्य
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि., 116/2, रेसकोर्स रोड	- सदस्य

11. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कम्प्यूटर मेन्टेन्स कॉर्पोरेशन लि., 1, रिंग रोड, किलोखरी, महारानी बाग के सामने, नई दिल्ली - सदस्य

12. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि., 45/1 मैग्राथ रोड, नई दिल्ली - सदस्य

13. अध्यक्ष, कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिकी एवं टेलीविजन मैन्यूफैक्चरर्स ऐसोसिएशन (सेटमा), जे-13, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014 - सदस्य

14. अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी कम्पोनेन्ट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एल्सीना), एल्सीना हाउस, 422, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020 - सदस्य

15. अध्यक्ष, नेशनल एशोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एवं सर्विस कम्पनीज, (नैसकॉम), 109, अशोक होटल, नई दिल्ली-110021 - सदस्य

16. अध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माता संघ, चौथी मंजिल, पीएचडी हाऊस, खेल गांव, परिसर के सामने, नई दिल्ली-110016 - सदस्य

17. अध्यक्ष, भारतीय कम्प्यूटर संस्था (सीएसआई) 122 टीवी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एस.के. अहीरे मार्ग, वरली, मुम्बई-400025 - सदस्य

18. अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), 23-26 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 - सदस्य

19. अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् (ईएससी), तीसरी मंजिल, पीएचडी हाउस, खेलगांव परिसर के सामने, नई दिल्ली-110006 -सदस्य

20. श्री विजय थडानी, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनआईआईटी लि., सी-125, एनआईआईटी हाउस, ओखला फेस-I, नई दिल्ली-110020 - सदस्य

21. श्री गोपाल श्रीनिवास, निदेशक, टीवीएस इलेक्टॉनिक्स लि., जय लक्ष्मी एस्टेट, 8, हड्डोज रोड, चेन्नई-600006 - सदस्य

22. श्री शिव नडार, अध्यक्ष, हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लि., ए-10 एण्ड 11, सेक्टर-3, नोएडा - सदस्य

23. श्री जे.सी. कपूर, अध्यक्ष, डे-फोन (इण्डिया) लि., 706/707, सूर्याकिरण बिल्डिंग, 9, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 - सदस्य

24. श्री गुरप्रीत सिंह, कंटीनेंटल डिवाइसेस इंडिया लि., 20-ए, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली-110001 - सदस्य

25. श्री ओ.एन. वैद, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 सदस्य-सचिव

उर्वरकों की मांग और राज सहायता

***214. श्री अमर पाल सिंह :**
श्री टी. गोविन्दन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए अलग-अलग प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा राज्यवार कितनी मात्रा में और किस-किस किस्म के उर्वरकों की मांग की गई;

(ख) केन्द्र सरकार के पास विभिन्न किस्म के उर्वरकों का कितना भण्डार है और इस समय उनका बाजार मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरकों पर संशोधित राज सहायता दरों की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राज्यवार राज सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि मुहैया कराई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है और जिसकी मांग का आकलन किया जाता है एवं आबंटन किए जाते हैं। खरीफ 1996 से खरीफ 1998 तक राज्यवार आकलित मांग तथा इसकी तुलना में खरीफ, 1996 से रबी 1997-98 तक यूरिया की खपत के ब्यौरे संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं। रबी के लिये यूरिया की मांग का आकलन सामान्यतः अगस्त-सितम्बर में किया जाता है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा यूरिया अथवा अन्य किसी उर्वरक का भंडारण नहीं किया जाता। यूरिया की कीमत 1 जून, 1998 तक 3660 रुपये प्रति मी. टन थी। केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ 1998 के लिये घोषित विनियंत्रित उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य इस प्रकार हैं:-

(रुपये प्रति मीटरी टन)

डाई अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.)	8300
म्यूरियेट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.)	3700
मिश्रण (विभिन्न ग्रेड)	6200 से 8000

(ग) और (घ) यूरिया विनिर्माताओं को "धारित मूल्य एवं राजसहायता योजना" के अंतर्गत राजसहायता (धारित मूल्य तथा वितरण वितरण मार्जिन घटाकर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर) के माध्यम से प्रतिपूर्ति दी जाती है। आयातित यूरिया के मामले में, आयात लागत तथा बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा राजसहायता देकर वहन किया जाता है। बिक्री मूल्य अथवा धारित मूल्य/आयात मूल्य में किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप, राजसहायता की दर भी परिवर्तित हो जाती है। सरकार ने विनियंत्रित उर्वरकों के लिये रियायत की संशोधित दरों की घोषणा नहीं की है।

(ङ) उर्वरकों पर राजसहायता की अदायगी उर्वरकों के विनिर्माताओं तथा आयातकों को दी जाती है, राज्य सरकारों को नहीं। पिछले तीन वर्ष के दौरान दी गयी राजसहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये)

	1995-96	1996-97	1997-98
यूरिया (स्वदेशी)	4300	4743	6600
यूरिया (आयातित)	1935	1162	729
विनियंत्रित उर्वरक	500	1672	2596

विवरण

यूरिया की आकलित आवश्यकता और खपत को दर्शाने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन)

		खरीफ 1996		रबी 1996-97		खरीफ 1997		रबी 1997-98		खरीफ 1998
								अनुमानित		
क्र.सं.	राज्य	आकलन	खपत	आकलन	खपत	आकलन	खपत	आकलन	खपत	आकलन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	953.50	935.06	1020.00	997.03	985.00	830.04	1020.00	822.46	960.00
2.	कर्नाटक	525.00	501.70	364.80	310.70	550.00	542.19	356.00	335.00	590.00
3.	केरल	69.17	66.05	63.70	56.55	80.00	64.68	63.36	52.99	72.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	तमिलनाडु	390.00	313.69	505.00	489.81	340.00	326.25	550.00	500.00	375.00
5.	गुजरात	620.00	546.70	500.00	505.03	605.00	547.82	615.00	632.32	600.00
6.	मध्य प्रदेश	620.00	559.79	686.00	624.32	695.00	639.00	750.00	750.00	700.00
7.	महाराष्ट्र	1100.00	1035.84	610.00	579.73	1100.00	1048.00	635.00	631.00	1125.00
8.	राजस्थान	450.00	398.80	650.00	658.58	460.00	421.22	750.00	750.00	485.00
9.	गोआ	5.35	2.47	1.80	1.79	4.50	2.4	2.20	1.89	4.50
10.	हरियाणा	550.00	541.60	750.00	672.26	580.00	551.05	750.00	750.00	600.00
11.	पंजाब	1075.00	896.53	1050.00	980.84	980.00	941.09	1030.00	1051.16	1000.00
12.	उत्तर प्रदेश	2070.00	1976.03	2550.00	2467.30	2120.00	2073.89	2700.00	2600.00	2225.00
13.	हिमाचल प्रदेश	30.00	27.05	22.00	18.49	30.00	25.50	22.00	21.46	30.00
14.	जम्मू कश्मीर	70.00	36.47	42.00	36.06	62.25	47.21	43.00	42.03	75.00
15.	दिल्ली	10.50	10.74	24.00	26.28	11.55	10.62	30.00	28.07	13.50
16.	बिहार	660.00	672.02	650.00	619.76	725.00	643.33	700.00	655.46	700.00
17.	उड़ीसा	340.00	205.66	138.50	100.59	300.00	259.82	158.00	160.00	325.00
18.	पश्चिम बंगाल	440.00	392.00	610.00	569.62	430.00	396.99	625.00	625.00	460.00
19.	असम	35.00	31.85	33.00	35.41	40.00	37.63	46.00	45.01	50.00
20.	त्रिपुरा	8.68	5.45	7.42	6.08	13.00	5.98	12.00	13.01	12.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	मणिपुर	23.25	21.00	7.00	3.04	23.35	18.88	5.50	4.83	23.00
22.	मेघालय	2.50	2.21	2.75	2.19	3.00	2.43	3.00	2.11	3.00
23.	नागालैण्ड	0.50	0.45	0.35	0.16	0.50	0.36	0.50	0.40	0.50
24.	अरूणाचल प्रदेश	0.27	0.24	0.30	0.31	0.27	0.25	0.35	0.32	0.35
25.	मिजोरम	0.40	0.24	0.40	0.18	0.55	0.26	0.50	0.56	0.40
26.	सिक्किम	2.00	0.85	0.45	0.16	0.90	0.38	0.45	0.33	0.50
	अखिल भारत	10094.14	9227.67	10344.28	9796.81	10187.94	9479.08	10917.92	10528.72	10479.69

आतंकवाद का मुकाबला करना

***215. श्री आर. साम्बासिवा राव :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बंगलादेश ने दोनों देशों से आतंकवाद समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या बंगलादेश के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और भारत सरकार से विचार-विमर्श किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या बंगलादेश के अधिकारियों ने हाल ही में उग्रवादियों के अड्डे नष्ट करने के लिए कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) आतंकवाद से संबंधित मामलों पर, बंगलादेश की सरकार के साथ दोनों देशों के बीच सुरक्षा से संबंधित मसलों पर संवाद की समग्र रूपरेखा के भीतर विचार-विमर्श किया गया है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बंगलादेश और भारत मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं और उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने प्रदेशों में एक-दूसरे के विरुद्ध लक्षित किन्हीं गतिविधियों को चलाने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे।

2. बंगलादेश के विदेश मंत्री ने 20-24 अप्रैल, 1998 को बंगलादेश के प्रधान मंत्री के विशेष दूत के रूप में भारत की यात्रा की। विचार-विमर्श के दौरान, बंगलादेश के विदेश मंत्री ने यह बात दोहराई कि उनकी सरकार बंगलादेश के प्रदेश का उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए अनुमति नहीं देगी।

प्रति व्यक्ति राशि

***216. श्री एस.एस. ओवेसी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि की मांग की गई और योजना आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी राशि मंजूर की गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों को अल्प मात्रा में राशि आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) राज्यों के कुल योजना परिव्यय का निर्णय उपाध्यक्ष, योजना आयोग और संबंधित मुख्यमंत्रियों/राज्यपालों के मध्य पारस्परिक विचार-विमर्श के द्वारा संसाधनों की उपलब्धता, जिनमें केन्द्रीय सहायता और राज्यों के स्वयं के संसाधन शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कुल योजना परिव्यय के अंतर्गत क्षेत्रवार आवंटन का प्रस्ताव राज्यों द्वारा रखा जाता है तथा योजना आयोग के परामर्श से इसे अंतिम रूप दिया जाता है जिसमें उनकी प्राथमिकताओं तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है तथा इनका निर्णय प्रतिव्यक्ति राशि के आधार पर नहीं किया जाता है। अत: राज्यों के विशेष क्षेत्रकों के लिए कम परिव्यय के आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता है। वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए पारस्परिक विचार-विमर्श के आधार पर यथानिर्णीत, कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी राज्य योजनाओं के लिए राज्यवार आवंटनों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-। में दिया गया है। जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार राज्यों की संबंधित जनसंख्या द्वारा विभाजित कृषि और ग्रामीण विकास के राज्यवार परिव्यय संलग्न विवरण-॥ में दर्शाए गए हैं। राज्य योजनाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रोंके के परिव्ययों के अलावा, केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए भी परिव्ययों का आवंटन संबंधित मंत्रालयों के पारमर्श से विभिन्न क्षेत्रकों की पारस्परिक प्राथमिकता तथा संसाधनों की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इन परिव्ययों का निर्धारण भी प्रतिव्यक्ति राशि के आधार पर नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रकों के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-॥। में दिया गया है।

विवरण ।

दिनांक 10.6.98 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 216 के उत्तर में उल्लिखित विवरण वार्षिक योजनाएं 1995-96 से 1997-98 राज्य योजनाओं के लिए मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप			ग्रामीण विकास		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	72.00	64.48	128.40	143.00	241.96	230.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	49.70	52.14	60.81	19.38	20.18	23.93
3.	असम	166.00	159.53	162.88	96.00	132.41	131.28
4	बिहार	155.43	80.58	92.28	385.56	726.68	826.41
5.	गोवा	11.19	11.91	8.79	3.15	3.06	2.70
6.	गुजरात	189.48	255.72	317.62	167.17	182.55	200.59
7.	हरियाणा	89.64	108.80	105.13	34.27	35.42	57.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	107.69	121.85	132.84	25.32	39.19	48.60
9.	जम्मू व कश्मीर	110.11	117.65	152.00	32.44	44.69	60.37
10.	कर्नाटक	237.35	254.46	208.93	190.55	276.41	232.18
11.	केरल	207.25	243.20	207.27	76.00	191.19	91.56
12.	मध्य प्रदेश	213.83	319.95	337.93	314.04	317.68	379.59
13.	महाराष्ट्र	435.72	535.57	313.14	488.57	1002.95	717.42
14.	मणिपुर	26.63	24.85	26.58	12.97	11.17	11.73
15.	मेघालय	38.12	40.37	40.37	18.30	21.25	21.57
16.	मिजोरम	21.90	24.98	28.48	37.35	39.15	38.45
17.	नागालैंड	21.10	21.10	22.63	34.14	39.45	41.12
18.	उड़ीसा	170.83	135.06	121.61	185.28	220.02	132.89
19.	पंजाब	107.89	104.79	74.12	46.48	100.72	109.33
20.	राजस्थान	317.40	314.58	316.98	196.74	276.36	287.25
21.	सिक्किम	19.42	21.80	37.80	9.76	10.22	10.04
22.	तमिलनाडु	265.65	334.27	342.75	145.10	302.23	437.55
23.	त्रिपुरा	47.58	36.50	33.29	35.55	32.72	72.79
24.	उत्तर प्रदेश	396.07	504.10	510.45	459.93	1047.33	857.06
25.	पश्चिम बंगाल	102.78	119.58	150.58	154.93	254.60	254.95
	कुल (राज्य)	3580.76	4007.82	3933.66	3311.98	5569.59	5276.36

विवरण II

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार संबंधित राज्यों की जनसंख्या द्वारा विभाजित राज्यवार परिव्यय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1995-96		वार्षिक योजना 1996-97		वार्षिक योजना 1997-98	
		कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	ग्रामीण विकास	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	ग्रामीण विकास	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	ग्रामीण विकास
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	20	10	36	19	34
2.	अरूणाचल प्रदेश	570	222	598	231	697	274
3.	असम	74	43	71	59	72	58
4.	बिहार	18	44	9	84	11	95
5.	गोवा	95	27	101	26	75	23
6.	गुजरात	46	40	62	44	76	48
7.	हरियाणा	54	21	66	21	63	34
8.	हिमाचल प्रदेश	207	49	234	75	255	93
9.	जम्मू व कश्मीर	142	42	151	57	195	78
10.	कर्नाटक	52	42	56	61	46	51
11.	केरल	71	26	83	65	71	31
12.	मध्य प्रदेश	32	47	48	48	51	57
13.	महाराष्ट्र	55	61	67	126	39	90
14.	मणिपुर	144	70	134	60	144	63
15.	मेघालय	213	102	226	119	226	121

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	314	536	358	562	409	552
17.	नागालैंड	173	279	173	323	185	336
18.	उड़ीसा	54	58	42	69	38	42
19.	पंजाब	53	23	51	49	36	54
20.	राजस्थान	72	44	71	62	72	65
21.	सिक्किम	473	237	530	249	920	244
22.	तमिलनाडु	47	26	60	54	61	78
23.	त्रिपुरा	171	128	131	118	120	262
24.	उत्तर प्रदेश	28	33	36	75	36	61
25.	पश्चिम बंगाल	15	23	17	37	22	37
	कुल (राज्य)	80	66	88	98	93	97

विवरण III

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय

(करोड़ रुपये)

	वर्ष	केन्द्रीय क्षेत्रक (बीई) (सभी संघ राज्य क्षेत्रों सहित)
कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप		
	1995-96	2144.00
	1996-97	2080.47
	1997-98	2050.42
ग्रामीण विकास		
	1995-96	8310.00
	1996-97	8692.00
	1997-98	9095.70

[हिन्दी]

पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं

***217. श्री भेरू लाल मीणा : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) पर्वतीय क्षेत्रों में कोई वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां तक लघु सिंचाई स्कीमों का सम्बन्ध है, ऐसी स्कीमों को केन्द्र सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती तथा उनकी आयोजना, वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए ऐसी लघु सिंचाई स्कीमों का विवरण केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

***218. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किए जाने के बाद डेयरी क्षेत्र में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(घ) इस मिशन से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस मिशन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित/खर्च की गई; और

(च) डेयरी उद्योग में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के दायरे में शेष राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन निम्नलिखित 16 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था:-

आंध्र प्रदेश, बिहार, गोआ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश. पश्चिम बंगाल। मिशन द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम हैं—हिमित वीर्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना, पशु प्रजनन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के लिए सम्पर्क स्थापित करना, सरकारी पशु औषधालयों में संचार सुविधाएं (फोन) स्थापित करना, तरल नाइट्रोजन भंडारण और डिलीवरी प्रणाली, चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण।

(ग) प्रमुख मदों के लिए 31.3.1998 तक की अवधि के लिए डेयरी क्षेत्र में की गई राज्यवार प्रगति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) भारत सरकार ने मिशन के विभिन्न घटकों को क्रियान्वित करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 33.58 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में 3.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने मिशन के क्रियान्वयन की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की।

(ङ) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में आबंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन को उन 16 प्रमुख राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शुरू किया गया था जिनमें तीव्र डेयरी विकास की अपेक्षाकृत बेहतर संभावना थी। अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दूसरी डेयरी विकास योजनाओं की पेशकश की गई थी।

विवरण-I

31.3.1998 तक डेयरी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन राज्यों में प्रमुख डेयरी सूचकों की प्रगति

क्र.सं.	राज्य का नाम	ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में डे.स.स. की सं.		प्रतिदिन औसत दुग्ध अधिप्राप्ति (ह.कि.ग्रा.दि.)		प्रतिदिन औसत तरल दुग्ध विपणन (ह.ली.प्र.दि.)		प्रसंस्करण क्षमता ग्रामीण+शहरी (ह.ली.प्र.दि.)	
		मार्च, 87 के अनुसार आधारित	31.3.98 तक प्रगति	मार्च, 87 के अनुसार आधारित	31.3.98 तक प्रगति	मार्च, 87 के अनुसार आधारित	31.3.98 तक प्रगति	मार्च, 87 के अनुसार आधारित	31.3.98 तक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3633	5424	689.84	756.52	494.63	618.6	1312	2247
2.	बिहार	1219	2763	76.13	211.42	70.33	244.11	287	584
3.	गोआ	87	155	11.1	25.08	21.29	70.63	30	75
4.	गुजरात	8840	12086	2137.24	3989.22	902.33	1576.61	3021	6660
5.	हरियाणा	3023	2630	145.18	197.41	77.3	62.11	315	530
6.	हिमाचल प्रदेश	136	254	11.08	15.26	9.28	21.34	20	300
7.	कर्नाटक	3954	7823	689.04	1478.4	528.63	1311.71	880	2010
8.	मध्य प्रदेश	2565	4601	196.17	194.62	170.3	225.8	620	1030
9.	महाराष्ट्र	3370	6387	1676.76	2165.52	1365.41	2142.68	3430	3940
10.	उड़ीसा	391	1255	17.38	76.68	22.68	94.36	70	125
11.	पांडिचेरी	64	82	19.36	30.23	14.01	35.79	30	50
12.	पंजाब	4561	6156	418.53	734.18	109.12	373.79	900	1410
13.	राजस्थान	4193	5374	455.79	660.83	109.62	354.69	850	1050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	तमिलनाडु	5549	7686	775.0	1156.45	872.2	1375.53	1115	2421
15.	उत्तर प्रदेश	5201	11613	354.33	669.36	165.5	366.7	385	1140
16.	पश्चिम बंगाल	1144	1459	47.23	154.52	563.42	648.47	850	1510
	कुल	47934	75748	7720.96	12515.7	5496.05	9522.97	14115	25082

डे.स.म. = डेयरी सहकारी समिति

ह.कि.ग्रा.दि. = हजार किलोग्राम प्रतिदिन

ह.ली.प्र.दि. = हजार लीटर प्रतिदिन

	देश में कुल प्रगति 1987 के अनुसार आधारित	31.3.1998 तक प्रगति
1. दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन)	45.7	70.0
2. प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन)	184	204
3. औसत दुग्ध उत्पादन (लीटर प्रतिवर्ष)		
गाय	340	640
भैंस	910	1020

विवरण-II

अनुदान का राज्यवार, वर्षवार आवंटन और उपयोग

(लाख रुपए में)

	राज्य	धनराशि आबंटन					धनराशि उपयोग				
		1994-95 तक	1995-96 तक	1996-97 तक	1997-98 तक	कुल	1994-95 तक	1995-96 तक	1996-97 तक	1997-98 तक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	उत्तर प्रदेश	124.616	252.486	17.618	17.431	412.151	84.275	10.314	204.740	86.560	385.889
2.	कर्नाटक	137.612	347.244	219.602	28.888	733.346	83.838	8.000	574.595	31.228	697.661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	आंध्र प्रदेश	97.260	195.410	0.168	11.600	304.438	45.421	38.643	121.452	50.845	256.361
4.	गुजरात	36.595	352.605	236.890	28.531	654.621	21.663	63.237	463.300	88.820	637.020
5.	मध्य प्रदेश	55.414	94.596	19.886	1.251	171.147	32.951	36.108	57.345	28.072	154.476
6.	तमिलनाडु	57.650	23.360	0.138	0.000	81.148	35.489	2.885	0.000	0.000	38.374
7.	पंजाब	46.072	1.058	13.210	20.570	80.910	34.228	7.392	12.980	6.600	61.200
8.	उड़ीसा	16.570	165.670	0.000	5.395	187.635	10.402	7.840	138.288	32.270	188.800
9.	पश्चिम बंगाल	7.066	273.034	4.600	2.690	287.390	1.652	3.154	257.617	15.500	277.923
10.	हरियाणा	38.312	95.018	2.410	1.800	137.540	15.560	13.079	101.623	0.000	130.262
11.	राजस्थान	27.478	51.164	7.914	16.950	103.506	10.071	8.269	70.278	5.540	94.158
12.	पांडिचेरी	2.320	0.000	0.000	0.000	2.320	2.070	0.000	0.000	0.000	2.070
13.	गोआ	7.114	1.246	0.000	3.380	11.740	1.976	0.107	2.497	0.002	4.582
14.	बिहार	18.670	341.062	0.000	5.742	365.474	9.291	6.271	145.260	56.380	317.202
15.	महाराष्ट्र	0.000	0.000	0.000	8.500	8.500	-	-	0.000	0.110	0.110
16.	केरल	0.000	0.000	0.000	4.580	4.580	-	-	0.000	0.020	0.020
17.	हिमाचल प्रदेश	0.000	157.000	-	-	157.000	-	-	157.000	-	157.000
	प्रशिक्षण (केन्द्रीय गतिविधि)	18.000	7.500	7.500	10.000	43.000	17.030	8.050	6.170	4.860	36.110
	कुल	690.749	2358.453	529.936	167.308	3746.446	405.917	213.349	2313.145	506.807	3439.218

[अनुवाद]

कुक्कुट पालन विकास

***219. डा. असीम बाला :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के कुक्कुट पालकों को अनुचित बाजार प्रथाओं सहित जिन अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार नई वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी लाने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार छोटे कुक्कुट पालकों के लिए लाभकारी मूल्य तथा बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई नीति तैयार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा छोटे कुक्कुट पालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कुक्कुट और अंडे मुक्त बाजार वस्तुएं हैं और ये सामान्य खुली बाजार प्रणालियों द्वारा विनियमित होती हैं।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अंडों तथा मीट के लिए कुक्कुट घटकों के साथ कुक्कुट प्रजनन पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का संचालन कर रही है जिन्हें बढ़े हुए अंडा उत्पादन तथा जल्दी शारीरिक वजन बढ़ाने के उद्देश्य से क्रमशः लेयर तथा ब्रॉयलर संकरों के विकास तथा सुधार के लिए देश में विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में चलाया जा रहा है।

(ङ) और (च) कृषि तथा सहकारिता विभाग राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ (नेफेड) तथा राष्ट्रीय अंडा समन्वित समिति के माध्यम से लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के लिए कुक्कुट पालकों की सहायता के उद्देश्य से अंडा प्राप्ति की एक बाजार अंतःक्षेप योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना में यदि कोई घाटा होगा तो उसे केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रीय अंडा समन्वित समिति में बांट लिया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य कुक्कुट फार्मों के जरिए प्रजनन तथा वितरण के उद्देश्य से चार केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों तथा एक केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म के माध्यम से बेहतर किस्म के चूजे तथा बत्तख चूजे उपलब्ध करा रहा है। यह केन्द्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कुक्कुट उत्पादन में प्रशिक्षण तथा प्रजनन स्टॉक के निष्पादन के लिए परीक्षण सुविधाएं, चार यादृच्छिक नमूना कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्रों तथा तीन क्षेत्रीय आहार विश्लेषण प्रयोगशालाओं तथा केन्द्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से क्रमशः बेहतर आहार तथा आहार अवयव उपलब्ध करा रहा है।

(छ) उपरोक्त (क) से (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए धन की सीमा निर्धारित करना

***220. श्री अशोक नामदेव राव मोहोल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए धन की सीमा बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए धन की वर्तमान सीमा क्या है;

(घ) स्वीकार किए जाने वाले नए फार्मूले का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(च) नौवीं योजना के दौरान उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) योजना आयोग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु, गरीबी की उपभोग क्षमता की लागत में परिवर्तनों के लिए, गरीबी रेखा को समय-समय पर उयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अद्यतन किया जाता है।

(ग) और (घ) योजना आयोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का निर्धारण गरीबी के कट-आफ-प्वाइंट के आधार पर

करता है जिसे 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपए प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति दैनिक आवश्यकता के मानदण्ड के आधार पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के अनुरुप है। राष्ट्रीय स्तर पर 1973-74 की ग्रामीण और शहरी गरीबी की रेखाओं को उस वर्ष के अंतर-राज्यीय मूल्य भिन्नताओं का प्रयोग करते हुए राज्य की विशिष्ट गरीबी रेखाओं में असंकलित किया जाता है। राज्य की इन विशिष्ट ग्रामीण गरीबी रेखाओं को कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा तथा शहरी गरीबी रेखाओं को औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा अद्यतन किया जाता है। वर्ष 1993-94 संबंधी राज्य की विशिष्ट गरीबी रेखाएं संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(ङ) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत और संख्या का राज्यवार नवीनतम अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्ध है। इनका अनुमान राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन के 50वें चक्र के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से लगाया जाता है। ये अनुमान विवरण-II में संलग्न है।

(च) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और मजदूरी रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे जवाहर रोजगार योजना आदि जैसे गरीबी उन्मूलक परिसम्पत्ति सृजक कार्यक्रमों में आशा की जाती है कि वे धनी और निर्धनों के बीच की भिन्नता को सामान्य विकास प्रक्रिया से उत्पन्न प्रभावों के अतिरिक्त गरीबों की आय को बढ़ाकर भी कम करेंगे।

विवरण I

नयी कार्यालयी पद्धति के अनुसार गरीबी रेखायें (1993-94)

(प्रतिमाह-प्रतिव्यक्ति रु.)

	राज्य	ग्रामीण	शहरी
1.	आन्ध्र प्रदेश	163.02	278.14
2.	अरूणाचल प्रदेश	*	*
3.	असम	232.05	212.42
4.	बिहार	212.16	238.49
5.	गोवा	194.94	328.56
6.	गुजरात	202.11	297.22
7.	हरियाणा	233.79	258.23
8.	हिमाचल प्रदेश	233.79	253.61
9.	जम्मू व कश्मीर	*	*
10.	कर्नाटक	186.63	302.89
11.	केरल	243.84	280.54
12.	मध्य प्रदेश	193.10	317.16
13.	महाराष्ट्र	194.94	328.56
14.	मणिपुर	*	*
15.	मेघालय	*	*
16.	मिजोरम	*	*
17.	नागालैंड	*	*
18.	उड़ीसा	194.03	298.22
19.	पंजाब	233.79	253.61
20.	राजस्थान	215.89	280.85
21.	सिक्किम	*	*
22.	तमिलनाडु	196.53	296.63
23.	त्रिपुरा	*	*

राज्य	ग्रामीण	शहरी
24. उत्तर प्रदेश	213.01	258.65
25. पश्चिम बंगाल	220.74	247.53
26. अंडमान एवं निकोबार	*	*
27. चण्डीगढ़	*	*
28. दादरा और नगर हवेली	194.94	328.56
29. दमन और द्वीव	*	*
30. दिल्ली	233.79	309.48
31. लक्षद्वीप	*	*
32. पांडिचेरी	*	*
अखिल भारत**	205.84	281.35

*विशेषज्ञ दल में, इन राज्यों के गरीबी अनुपातों की अलग से गणना नहीं की गई है, बल्कि इन्हें अन्य राज्यों के अनुपातों से ही ले लिया गया है। ब्यौरे निम्नानुसार है:

1. असम का गरीबी अनुपात सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर व त्रिपुरा के लिए प्रयुक्त किया गया है।

2. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रयुक्त किया गया है।

3. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है।

4. गोवा का गरीबी अनुपात दमन व दीव के लिए प्रस्तुत किया गया है।

5. पंजाब का शहरी गरीबी अनुपात चंडीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों अनुपातों के लिए प्रयुक्त किया गया है।

6. 1993-94 में हिमाचल प्रदेश का गरीबी अनुपात जम्मू व कश्मीर के लिए प्रयुक्त किया गया है।

7. चूंकि गरीबी अनुपात का आकलन उपभोक्ता व्यय वितरण एवं गरीबी रेखा से किया जाता है। यह बेहतर है कि इन राज्यों की गरीबी रेखाओं को उन राज्यों की गरीबी रेखाओं के साथ समीकृत किया जाये जिनका गरीबी अनुपात अपनाया गया है।

**अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा, (अंतर्निहित) व्यक्तियों, एवं अखिल भारत स्तर पर गरीबी अनुपात के व्यय वर्गवार वितरण की सहायता से निकाली जाती है। अखिल भारत स्तर पर गरीबी अनुपात राज्यवार गरीबी अनुपात के भारित औसत के रूप में प्राप्त किया जाता है।

विवरण II

राज्यों के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या तथा प्रतिशतांक 1993-94

राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशतांक	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशतांक	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशतांक
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	79.49	15.92	74.47	38.33	153.97	22.19
2. अरूणाचल प्रदेश	3.62	45.01	0.11	7.73	3.73	39.35
3. असम	94.33	45.01	2.03	7.73	96.36	40.86

1		2	3	4	5	6	7
4.	बिहार	450.86	58.21	42.49	34.50	493.35	54.96
5.	गोवा	0.38	5.34	1.53	27.03	1.91	14.92
6.	गुजरात	62.16	22.18	43.02	27.89	105.19	24.21
7.	हरियाणा	36.56	28.02	7.31	16.38	43.88	25.05
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	30.34	0.48	9.18	15.86	28.44
9.	जम्मू व कश्मीर	19.05	30.34	1.86	9.18	20.92	25.17
10.	कर्नाटक	95.99	29.88	60.46	40.14	156.48	33.16
11.	केरल	55.95	25.76	20.46	24.55	76.41	25.43
12.	मध्य प्रदेश	216.19	40.64	82.33	48.38	298.52	42.52
13.	महाराष्ट्र	193.33	37.93	111.90	33.15	305.22	38.86
14.	मणिपुर	6.33	45.01	0.47	7.73	6.80	33.78
15.	मेघालय	7.09	45.01	0.29	7.73	7.38	37.92
16.	मिजोरम	1.64	45.01	0.30	7.73	1.94	25.66
17.	नागालैंड	4.85	45.01	0.20	7.73	5.05	37.92
18.	उड़ीसा	140.90	49.72	19.70	41.64	160.60	48.56
19.	पंजाब	17.76	11.95	7.35	11.35	25.111	11.77
20.	राजस्थान	94.68	26.46	33.82	30.49	128.50	27.41
21.	सिक्किम	1.81	45.01	0.08	7.73	1.84	41.43

1		2	3	4	5	6	7
22.	तमिलनाडु	121.70	32.48	80.40	39.77	202.10	35.03
23.	त्रिपुरा	11.41	45.01	0.38	7.73	11.79	39.01
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	42.28	108.28	35.39	604.46	40.85
25.	पश्चिम बंगाल	209.90	40.80	44.66	22.41	254.56	35.66
26.	अंडमान एवं निकोबार	0.73	32.48	0.33	39.77	1.06	34.47
27.	चण्डीगढ़	0.07	11.35	0.73	11.35	0.80	11.35
28.	दादरा और नगर हवेली	0.72	51.95	0.06	39.93	0.77	50.84
29.	दमन और दीव	0.03	5.34	0.15	27.03	0.18	15.80
30.	दिल्ली	0.19	1.90	15.32	16.03	15.51	14.69
31.	लक्षद्वीप	0.06	25.76	0.08	24.55	0.14	25.04
32.	पांडिचेरी	0.93	32.48	2.38	39.77	3.31	37.40
	अखिल भारत	2440.31	37.27	763.37	32.36	3203.68	35.97

1. असम का गरीबी अनुपात सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर व त्रिपुरा के लिए प्रयुक्त किया गया है।
2. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रयुक्त किया गया है।
3. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है।
4. गोवा का गरीबी अनुपात दमन व द्वीव के लिए प्रयुक्त किया गया है।
5. पंजाब का शहरी गरीबी अनुपात चंडीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों अनुपातों के लिए प्रयुक्त किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं दादरा व नगर हवेली का व्यय वितरण दादरा एवं नगर हवेली के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
8. 1993-94 में हिमाचल प्रदेश का गरीबी अनुपात जम्मू व कश्मीर के लिए प्रयुक्त किया गया है।

कृष्णा नदी के पानी का बंटवारा

***221. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :** *क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री ने कृष्णा नदी के जल के बंटवारे के संबंध में आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से कोई चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने हिस्से का पानी बढ़ाने की मांग कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री कृष्णा नदी के बंटवारे के संबंध में वर्तमान केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री से नहीं मिले हैं। तथापि, आन्ध्र प्रदेश राज्य ने संविधान की अनुच्छेद 131 के तहत कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निर्णय के उल्लंघन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में कर्नाटक, महाराष्ट्र और भारत की संघ सरकार के विरुद्ध एक याचिका दायर की है। इसी प्रकार कर्नाटक सरकार ने कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निर्णय की सही व्याख्या, क्षेत्र और सीमा के संबंध में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार तथा भारत की संघ सरकार के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एक वाद दायर किया है। इस प्रकार वर्तमान में यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

कॉमनवैल्थ एग्रिकल्चरल ब्यूरो द्वारा उपलब्ध सेवाएं

2128. श्री सी.डी. गामीत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इम्पीरियल एग्रिकल्चरल ब्यूरो नामक ब्रिटिश संस्था जिसका नया नाम कॉमनवैल्थ एग्रिकल्चरल ब्यूरो इंटरनेशनल है, द्वारा दी जा रही सेवाओं के बदले उसे धनराशि का भुगतान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वार्षिक भुगतान समेत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संगठन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा क्या है तथा देश द्वारा उन सेवाओं को किस रूप में उपयोग किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) 1998-99 के दौरान वार्षिक सदस्यता अंशदान के रूप में 11,920 पौंड (ग्यारह हजार नौ सौ बीस पौंड मात्र) की राशि जो कि 8,01,701/- भारतीय रुपयों के बराबर है, अदा की गई है।

(ग) भारत कॉमनवैल्थ एग्रीकल्चरल ब्यूरो इन्टरनेशनल सर्विसेज जिसमें निम्नांकित बातें शामिल हैं, का प्रमुख रूप से उपयोग करने वालों में एक है:-

(1) कृषि और संबंधित विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी।

(2) हानिकर तथा लाभदायक संधिपादों (आर्थ्रोपोड्स), पादप परजीवी सूत्रकृमियों, फफूंदियों तथा जीवाणुओं और आन्त्रकृमियों (हल्मेंथिस) की पहचान हेतु सेवाएं, और

(3) कीटों और खरपतवार का जैविक नियंत्रण।

कॉमनवैल्थ एग्रीकल्चरल ब्यूरो इन्टरनेशनल सर्विसेज का उपयोग भारत में कीट विज्ञान, कवक विज्ञान, सूत्रकृमि विज्ञान तथा परजीवी विज्ञान के अन्तर्गत पहचान के लिए, कुछ चुने हुए लक्षित कीटों तथा अन्य नाशी जीवों के नियंत्रण हेतु किया जा रहा है जिसमें जैविक नियंत्रण संबंधी विधियों पर विशेष बल दिया जाता है। भारत को कॉमनवैल्थ एग्रीकल्चरल ब्यूरो इन्टरनेशनल की सेवाएं संस्थानों तथा पुस्तकालयों के लिए जर्नल एवं सारांशों के रूप में भी प्राप्त होती है।

कृष्णाराजा सागर बांध

2129. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में कृष्णाराजा सागर बांध के निकट एक बड़े गड्ढे को देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध म सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) उक्त स्थिति के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्र को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बीज उत्पादन कार्यक्रम

2130. श्री रामानन्द सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान सरकारी कृषि फार्मों में बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि की सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) मध्य प्रदेश में कुल कितने सरकारी कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत सरकार द्वारा कृषि फार्मों पर बीज उत्पादन कार्यक्रम सहित बीज कार्यक्रम के लिये मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1996-97 के दौरान 1109.92 लाख रुपये प्रदान किये गये थे।

(ख) वर्ष 1998-99 के लिये बीज कार्यक्रम हेतु 1068.92 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1995-96 में 31 सरकारी फार्म घाटे में चल रहे थे।

वर्षा के जल का उपयोग

2131. श्री अशोक प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में जल की समस्या का समाधान करने हेतु वर्षा के जल के उपयोग की संभावना का पता लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में वर्षा के जल को मानव उपयोग योग्य बनाने हेतु विकसित की जा रही तकनीक का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) योजना पूर्व अवधि से नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के अतिरिक्त सरकार ने वाटरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से विशाल वर्षा पोषित क्षेत्रों के एकीकृत और विकासात्मक पूर्णता के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षा पोषित क्षेत्रों (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना प्रारंभ किया है। इस परियोजना में अन्य कार्यों के साथ-साथ घरेलू उत्पादन और पशुधन खेती सहित शुष्क और गैर शुष्क भूमि में मृदा और जल संरक्षण, जल निकास लाइन उपचार और उत्पाद प्रणालियों जैसे उपायों से संबंधित कार्यक्रमों में समर्थन दिया जाता है। मृदा और जल संरक्षण उपायों के तहत सतही अपवाह को भूजल पुनर्भरण में परिवर्तन करने की दृष्टि से वर्षा जल को वर्षा के स्थान पर ही संरक्षित करने के लिए विशेष महत्व दिया गया है, जो बाद में उपचारित वाटरशेड में उत्पादन प्रणाली को कायम रखने के उपयोग में लाया जाता है।

(ख) आठवीं योजना के दौरान वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना के तहत वास्तविक लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपचार के लिए प्रस्ताविक क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना के तहत वर्षा जल के संरक्षण के लिए निम्नलिखित विभिन्न तकनीकी कार्यक्रम घटक को शामिल किया गया है।

- कन्टूर वानस्पतिक झाड़ियों, कन्टूर ट्रेंचेज, लूज बोल्डर चेकों, गुल्ली प्लगिंग का प्रयोग, जल निकास लाइनों का प्रयोग करते समय फिल्टर स्ट्रिक्स आदि का प्रयोग।

- इसके अलावा, वर्षा जल को वर्षा कृषि संरचना, अपवाह प्रबंधन संरचना, सनकेन पाण्ड्स/डग आउट्स, फार्म पाण्ड्स आदि के रूप में भी संरक्षित किया जाता है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना की वास्तविक स्थिति और नौवीं योजना में स्थिति

			वास्तविक स्थिति (हैक्टेयर में)			
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आठवीं योजना का लक्ष्य	राज्यों द्वारा लिये गए वाटरशेड	वाटरशेड के तहत शामिल क्षेत्र	वास्तविक विकसित क्षेत्र	राज्यों द्वारा सुझाए गए नौवीं योजना के दौरान लिए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र	कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नौवीं योजना के दौरान उपचार के लिए प्रस्तावित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	197150	94	191949	176939	554867	200000
अरूणाचल प्रदेश	2800	3	1970	1970	17419	12000
असम	60200	110	104973	70221	125477	110000
बिहार	137200	191	98978	23189	190288	110000
गोवा	3075	4	3808	2100	3250	3000
गुजरात	208025	168	334261	292579	638046	210000
हरियाणा	40600	5	18725	20272	39000	42000
हिमाचल प्रदेश	14000	58	37240	34309	46294	18000
जम्मू व कश्मीर	12050	44	22000	14044	84600	27000
कर्नाटक	250600	85	357607	485109	750000	250000

1	2	3	4	5	6	7
केरल	54025	114	88276	88276	189102	60000
मध्य प्रदेश	458375	385	749641	660202	1200000	430000
महाराष्ट्र	455000	266	917900	879886	1799097	425000
मणिपुर	1975	5	6821	8682	65793	35000
मेघालय	3925	8	4110	2877	24000	21000
मिजोरम	1675	20	17666	18198	60632	40000
नागालैंड	3625	28	14125	14510	80421	50000
उड़ीसा	136350	258	388875	295000	867000	138000
पंजाब	15950	13	19270	18035	34910	20000
राजस्थान	339950	204	533939	547931	1095556	340000
सिक्किम	1675	12	7031	7626	23743	10000
तमिलनाडु	89025	88	175784	172657	342800	100000
त्रिपुरा	6175	17	7634	7694	53798	32000
उत्तर प्रदेश	208600	186	233295	303683	545000	210000
विशेष समस्या क्षेत्र	–	16	94421	–	–	–
पश्चिम बंगाल	95250	165	150000	131000 (अनन्तिम)	400000	100000

1	2	3	4	5	6	7
दादरा व नगर हवेली	575	3	692	84	1500	2000
अंडमान व निकोबार	825	4	2669	1785	5828	5000
अन्य	700	-	-	-	-	-
कुल	2800000	2554	4584266	4278858	9138421	3000000

[अनुवाद]

पशुओं की नस्लें

2132. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुओं की कई देशी नस्लें लुप्त हो गई हैं अथवा उनकी संख्या तेजी से कम हो रही है जो इनके अस्तित्व के लिए खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वेचूर (केरल) तथा पुंगानून (आंध्र प्रदेश) गोपशु नस्लों की संख्या में गिरावट आई हैं तथा साहिवाल तथा रैड सिंधी नस्लों की तरह संकटग्रस्त हैं जिनकी मूल नस्लें भारत में नहीं हैं।

(ख) और (ग) गोपशु की वेचूर तथा पुंगानूर नस्लों के संबंध में केरल तथा आंध्र प्रदेश में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन किए गए हैं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो आदि के माध्यम से संकटग्रस्त गोपशुओं के वीर्य/भ्रूण को हिमांकित रूप से सुरक्षित रखने की योजनाएं हैं।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत स्वदेशी नस्लों के फार्म स्थापित करने/सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

पशुधन संबंधी नीति

2133. **श्री जयसिंह जी चौहान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान देश के पशुधन में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पिछले दो वर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा पशुधन विकास के लिए कोई ठोस कार्य-योजना/नीति तैयार की गई है अथवा तैयार किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) 1992 में हुई पिछली पंचवर्षीय पशुधन संगणना तक अंतर संगणना प्रवृत्ति से पता चलता है कि देश में सकल पशुधन संगणना में कोई कमी नहीं हुई है। इस समय 1997 की पंचवर्षीय पशुधन संगणना से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) पशुधन के विकास के लिए सरकार कई केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं:-

(1) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम,

(2) राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम,

(3) आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता,

(4) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना,

(5) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता,

(6) राष्ट्रीय मृग/मेढा/खरगोश उत्पादन कार्यक्रम,

(7) समेकित सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता,

(8) गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजना।

[अनुवाद]

सहभागिता सिंचाई प्रबंध कार्यक्रम (पी.आई.एम.पी.)

2134. श्री तथागत सत्पथी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहभागिता सिंचाई प्रबंध कार्यक्रम (पी.आई.एम.पी.) के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान भाग लेने वाले सिंचाई प्रबंध कार्यक्रम के समक्ष उत्पन्न हुई समस्याओं तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जल प्रयोक्ता संघों को प्रबन्धकीय सहायता के रूप में 275 रु. प्रति हेक्टे. की वित्तीय सहायता देकर जिसका भुगतान तीन वर्षों में किया जाना है, सहभागी सिंचाई प्रबन्ध को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान है। 1.4.1996 से इसे बदल कर जल प्रयोक्ता संघों को 500 रु. प्रति हेक्टे. की एक मुश्त कार्यात्मक अनुदान दिया जाता है। अधिकांश जल प्रयोक्ता संघ लगभग 40 हेक्टेयर के कमान के साथ निर्गम कमान स्तर पर बनाये गये थे। ये व्यवहार्य नहीं पाये गये। आठवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों को माइनर (नहर) स्तर पर जिसका कमान क्षेत्र 500 से 1000 हेक्टे. है, जल प्रयोक्ता संघ बनाने पर राजी करने के प्रयास किये गये।

सहभागी सिंचाई प्रबंधन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि:

(1) जल प्रयोक्ता संघों का कानूनी दर्जा होना चाहिये और इसके सांविधिक कार्य और शक्तियां होनी चाहिये जिसके लिए राज्य सिंचाई अधिनियमों में संशोधन अथवा नए अधिनियम बनाने की आवश्यकता है। वर्ष 1997 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार ने "आन्ध्र प्रदेश किसान सिंचाई प्रणाली का प्रबंध अधिनियम 1997" लागू किया है और इस अधिनियम के तहत जल प्रयोक्ता संघों के चुनाव आयोजित किये हैं। गोआ सरकार ने भी "गोआ कमान क्षेत्र विकास अधिनियम 1997" लागू किया है जिसमें जल प्रयोक्ता संघों के गठन की व्यवस्था है। अन्य राज्यों ने अभी कार्रवाई करनी है।

(2) यह आवश्यक है कि जल प्रयोक्ता संघों को प्रणालियों को उचित समय से पहले अथवा उसके भीतर हस्तान्तरित करने के लिए सिंचाई प्रणाली में उचित रूप से सुधार किया जाना चाहिये। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय आबंटन उपलब्ध नहीं है।

(3) किसानों और सिंचाई विभागों के अधिकारियों के प्रशिक्षण और उनके बीच सहभागी सिंचाई प्रबंध के संबंध में सूचना का प्रसार करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं हैं।

सहभागी सिंचाई प्रबंध की राज्यवार उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की भूमिका मददगार (फेसिलिटेटर) की है जबकि सहभागी सिंचाई प्रबंध का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय ने सहभागी सिंचाई प्रबंध के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है।

(1) सहभागी सिंचाई प्रबंध के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं।

(2) अधिकारियों और किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और परियोजना स्तरों पर सहभागी सिंचाई प्रबंध पर बहुत से सम्मेलन आयोजित किये गये।

(3) अधिकारियों और किसानों के लिए सहभागी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं।

(4) राज्यों को सहभागी सिंचाई प्रबंध संबंधी नीति मुद्दों और दिशा-निर्देशों पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय कार्यकारी दल का गठन करने की सलाह दी गई है।

(5) जल संसाधन मंत्रालय ने राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए तीन क्षेत्रीय भाषाओं में सहभागिता सिंचाई प्रबंध पर मैनुअल तैयार किया है।

(6) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किसान संगठनों को कानूनी दर्जा देने के लिए सिंचाई अधिनियमों में माडल संशोधनों का मसौदा राज्यों को परिचालित करने के लिए तैयार किया गया है।

(7) जल संसाधन मंत्रालय विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में सहभागिता सिंचाई प्रबंध के बारे में राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को सूचना का सशक्त रूप से प्रसार कर रहा है।

(8) योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना के लिए सहभागिता सिंचाई प्रबंध पर एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट दें दी है, जिस पर योजना आयोग में परामर्श किया जा रहा है।

विवरण

सहभागिता सिंचाई प्रबंध की उपलब्धि का ब्यौरा दर्शाते हुए विवरण

क्र.सं..	राज्य	जल प्रयोक्ता संघों की सं. (जलीय स्तर)		शामिल अनुमानित कमान क्षेत्र (हजार हेक्टे.)
1	2	3		4
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,292	(माइनर)	4700.00
2.	असम	2	(माइनर)	1.00
3.	बिहार	1	(डिस्ट्रीब्यूटरी)	12.20
4.	गोवा	(1) 39	(माइनर)	4.59
5.	गुजरात	(1) 71	(माइनर)	
		(2) 405	(लिफ्ट इरीगेशन स्कीम)	19.00
6.	हरियाणा	554	(आउटलेट)	110.80
7.	हिमाचल प्रदेश	875	(माइक्रो स्कीम)	35.00
8.	कर्नाटक	193	(माइनर)	138.38
9.	केरल	3712	(आउटलेट)	148.48

1	2	3		4
10.	मध्य प्रदेश	65	(माइनर)	26.80
11.	महाराष्ट्र	142	(माइनर)	55.80
12.	मणिपुर	62	(माइनर)	49.27
13.	उड़ीसा	53	(माइनर)	27.60
14.	राजस्थान	35	(माइनर)	15.93
15.	तमिलनाडु	328	(माइनर)	426.40
16.	उत्तर प्रदेश	1	(माइनर)	0.25
17.	पश्चिम बंगाल	10,000	(नलकूप)	37.00

(शेष 8 राज्यों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा में कोई उपलब्धि नहीं हुई है)

5808.50
अर्थात् 5.81 मिलियन हेक्टे.

उत्तर प्रदेश की जलाशय योजना

2135. श्रीमती कमल रानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और इस वर्ष आज तक केन्द्र सरकार को जलाशय योजनाओं संबंधी कितने प्रस्ताव भेजे गये;

(ख) उक्त अवधि में स्वीकृत और अस्वीकृत हुई योजनाओं की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में ऐसी कितनी योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं और कितने-कितने समय से लम्बित पड़ी हुई हैं; और

(घ) इन योजनाओं के बारे में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 1997 में किशऊ बांध परियोजना नामक मात्र एक जलाशय स्कीम प्रस्तुत की है।

(ख) से (घ) इस स्कीम का इस समय विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों में मूल्यांकन किया जा रहा है। इसकी स्वीकृति इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के प्रेक्षणों (आब्जर्वेशन) का कितनी शीघ्र अनुपालन करती है।

[हिन्दी]

अलसी-सरसों अनुसंधान केन्द्र

2136. श्री मोतीलाल वोरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अलसी-सरसों अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गेहूं उत्पादन क्षेत्र

2137. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 1998-99 के दौरान गेहूं उत्पादक क्षेत्र को बढ़ाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का चावल उत्पादक राज्यों में गेहूं की खेती को बढ़ावा देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान गेहूं की खेती को बढ़ाने के लिए उड़ीसा जैसे राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सरकार मुख्यत: फसल गहनता के माध्यम से कुल फसल क्षेत्र में वृद्धि करने पर मुख्य जोर दे रही है, जिसमें गेहूं का फसल क्षेत्र में भी शामिल है। बहरहाल, गेहूं के तहत क्षेत्र में वृद्धि करने की गुंजाइश बहुत ही सीमित है। प्रतिकूल सस्य-मौसमीय परिस्थितियों के कारण चावल की खेती वाले अधिकांश राज्यों में गेहूं की खेती को बढ़ावा देना व्यवहार्य नहीं हैं।

(घ) उड़ीसा में खास तौर से गेहूं की खेती में वृद्धि करने के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है। बहरहाल, अनाज के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता के लिए ''चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाई जा रही है, जिसमें 1998-99 के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 869.97 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें चावल तथा मोटे अनाज के साथ गेहूं विकास कार्यक्रम के लिए सहायता भी शामिल हैं।

सकल घरेलू उत्पाद

2138. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

पहली पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच राज्य-वार और योजना-वार सकल घरेलू उत्पाद क्या रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान, राज्य आय संबंधी कार्य दल, जिसकी स्थापना केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वर्ष 1957 में की गई थी, द्वारा अनुशंसित मानक रीति विधानों का व्यापक रूप से अनुपालन करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान सन् 1960-61 के बाद से केवल एक समरूप आधार पर उपलब्ध हैं तथा ये संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्रचलित मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(रु. करोड़ में)

		प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना								
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1951-52 से 1955-56	1956-57 से 1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	983	1080	1118	1319	1510	1521	1783	2025	2043
2.	असम	-	-	336	-	-	-	-	494	-	-	696
3.	बिहार	-	-	993	1031	1113	1277	1456	1676	1615	2050	2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	गुजरात	–	–	738	830	836	910	1114	1152	1338	1589	151
5.	हरियाणा	–	–	245	–	–	–	–	389	540	651	596
6.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	171	189
7.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	95	98	105	114	130	127	168	190	193
8.	कर्नाटक	–	–	692	764	812	941	1086	1164	1426	1525	1631
9.	केरल	–	–	432	467	488	519	611	711	765	919	994
10.	मध्य प्रदेश	–	–	807	849	856	1035	1203	1084	1242	1754	1646
11.	महाराष्ट्र	–	–	1597	1647	1812	2037	2266	2355	2759	3131	3323
12.	मणिपुर	–	–	12	12	15	17	19	24	41	40	48
13.	उड़ीसा	–	–	374	404	501	582	652	640	787	885	965
14.	पंजाब	–	–	404	–	–	–	–	684	909	1055	1166
15.	राजस्थान	–	–	559	631	622	648	848	825	1024	1191	981
16.	तमिलनाडु	–	–	1112	1140	1168	1251	1404	1494	1751	1856	1926
17.	त्रिपुरा	–	–	28	34	34	37	42	46	56	67	71
18.	उत्तर प्रदेश	–	–	1843	1936	2001	2221	2882	2986	3509	4073	3829
19.	पश्चिम बंगाल	–	–	1339	1396	1499	1744	1929	2070	2328	2685	2748
20.	दिल्ली	–	–	175	195	208	225	265	286	327	370	411

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।

नोट 1 : विभिन्न राज्यों हेतु आंकड़ों में प्रयुक्त रीतिविधान तथा स्रोत सामग्री में अंतर होने के कारण तुलनात्मक समानता नहीं है।

नोट 2 : अरूणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड राज्यों और संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन व दीव एवं पाण्डिचेरी ने 1970-71 से पहले के ऐसे अनुमान तैयार नहीं किए।

नोट 3 : लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली तथा चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र ऐसे अनुमान तैयार नहीं करते हैं।

नोट 4 : मिजोरम एवं सिक्किम राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूह ने ऐसे अनुमान केवल 1980-81 से तैयार किए हैं।

विवरण

प्रचलित मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चौथी योजना					पांचवीं योजना					
		1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	2196	2523	2758	2948	3926	4722	4218	4276	4994	5511	6128
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	21	23	26	27	41	39	44	59	74	72
3.	असम	685	771	814	883	1023	1337	1314	1514	1702	1818	1908
4.	बिहार	2193	2245	2363	2784	3400	4140	4062	4364	4731	5105	5372
5.	गुजरात	1777	2189	2242	2109	3169	3018	3693	4281	4781	5066	5794
6.	हरियाणा	782	869	977	1060	1304	1429	1616	1902	2095	2301	2423
7.	हिमाचल प्रदेश	197	223	241	267	333	380	406	392	472	505	518
8.	जम्मू व कश्मीर	221	250	275	292	352	419	480	482	606	681	727
9.	कर्नाटक	1763	1858	1916	2012	2815	3178	3092	3283	3813	3995	4822
10.	केरल	1111	1255	1276	1457	1823	2086	2228	2398	2521	2754	3156
11.	मध्य प्रदेश	1867	1991	2251	2486	3245	3806	3639	3707	4508	4426	4463
12.	महाराष्ट्र	3656	3876	4094	4342	5758	7359	7677	8574	9618	10647	12146
13.	मणिपुर	43	41	50	64	82	96	102	105	122	126	160
14.	मेघालय	-	-	-	-	65	-	-	-	-	126	137
15.	नागालैंड	-	25	29	35	41	48	56	62	71	83	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	उड़ीसा	1044	1037	1362	1310	1621	1692	1760	1692	2111	2117	2250
17.	पंजाब	1275	1436	1534	1737	2156	2380	2599	3062	3455	3719	4220
18.	राजस्थान	1204	1654	1517	1645	2389	2535	2576	3047	3400	3644	3401
19.	तमिलनाडु	2148	2371	2696	2839	3432	3639	3727	4304	4710	5023	6095
20.	त्रिपुरा	76	78	89	86	110	138	146	164	175	197	217
21.	उत्तर प्रदेश	4186	4257	4434	5491	6220	7154	7005	8135	9464	9756	10320
22.	पश्चिम बंगाल	2993	3168	3505	3606	4412	5216	5487	6052	6566	6901	7581
23.	दिल्ली	459	477	541	600	696	879	1001	1116	1251	1339	1528
24.	गोवा, दमन व दीव	-	77	86	93	116	139	152	171	195	210	255
25.	पाण्डिचेरी	-	39	47	51	69	76	83	90	108	135	165

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।

नोट 1 : विभिन्न राज्यों हेतु आंकड़ों में प्रयुक्त रीतिविधान तथा स्रोत सामग्री में अंतर होने के कारण तुलनात्मक समानता नहीं है।

नोट 2 : मिजोरम एवं सिक्किम राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा व नागर हवेली तथा लक्षद्वीप ने ऐसे अनुमान तैयार नहीं किए।

विवरण

प्रचलित मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छठी योजना							सातवीं योजना						आठवीं योजना			
		1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अ)	1995-96 (अ)	1996-97 (त्व)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आंध्र प्रदेश	7324	8974	9702	11516	11962	13412	14242	17375	22089	25423	31165	37344	39131	48048	55844	64361	72195
2.	अरुणाचल प्रदेश	98	131	152	173	203	247	280	299	352	368	460	572	676	815	889	987	1080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.	असम	2298	2966	3359	4016	4715	5175	5601	6330	6780	8064	9498	10632	11543	13095	14500	15553	16811
4.	बिहार	6349	7391	8289	9479	11371	12366	14182	15358	18533	19408	22787	25099	26820	31250	34917	33613	37331
5.	गोवा	315	343	418	442	542	509	608	671	781	920	1024	1265	1544	1887	1961	2066	
6.	गुजरात	6547	8205	8675	11283	11740	12103	14022	13908	19496	21425	24180	26068	35018	38715	51388	53665	63501
7.	हरियाणा	3032	3498	4004	4361	4747	5788	6081	6743	8878	9919	12238	14639	15416	18347	21863	24553	30005
8.	हिमाचल प्रदेश	723	846	897	1023	1031	1237	1363	1539	1933	2184	2521	2975	3411	3744	4340	4931	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1050	1195	1362	1549	1747	1929	2134	2086	2548	2688	2763	2935	3218	3471	4264	5287	-
10.	कर्नाटक	5587	6423	7137	8617	9697	10218	11733	13435	15671	17799	20561	26738	29162	33800	39538	45252	50262
11.	केरल	3823	4050	4712	5523	6141	6503	7354	8258	9182	10668	12173	15102	17175	19688	23236	25802	28480
12.	मध्य प्रदेश	7012	7596	8680	10151	10324	12092	12491	16112	18994	21119	26515	27849	31070	38417	42022	47240	54943
13.	महाराष्ट्र	15163	16993	18304	21152	22890	26467	28431	33770	40472	50139	58137	65808	82076	97980	111726	133421	152129
14.	मणिपुर	200	242	256	304	344	372	426	542	606	634	723	868	958	1156	1306	1412	-
15.	मेघालय	180	206	227	263	302	342	386	467	506	660	767	884	979	1133	1258	1380	-
16.	मिज़ोरम	62	70	78	95	122	157	194	259	260	281	306	417	478	562	597	-	-
17.	नागालैंड	110	135	163	190	220	242	269	340	387	469	663	762	842	880	-	-	-
18.	उड़ीसा	3443	3844	4070	5853	5191	6226	6900	6853	8601	9957	9664	12505	13416	15481	18156	21310	22488
19.	पंजाब	4449	5285	5838	6456	7391	8347	9174	10816	12495	15055	16738	20245	23280	27560	31524	35483	41050
20.	राजस्थान	4126	4850	5531	7083	6983	7669	8341	9436	12892	13836	18281	20862	23671	24727	30420	33708	41872
21.	सिक्किम	49	55	65	75	95	113	135	156	167	186	213	237	243	248	-	-	-
22.	तमिलनाडु	7218	8677	8821	10222	12028	13682	15305	18166	20423	23935	27646	32563	37864	46098	53132	57655	66134
23.	त्रिपुरा	264	313	354	390	433	474	522	601	771	840	917	1030	1079	1244	1310	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24.	उत्तर प्रदेश	14012	15036	17600	19533	21514	24669	27237	30481	36601	41664	49496	57206	62056	69682	79056	88532	103170
25.	पश्चिम बंगाल	9594	10667	12002	14121	16319	17415	18946	23012	24686	27790	31590	36433	38768	44460	53819	57753	65785
26.	अंडमान व निको. द्वीप समूह	49	56	61	75	81	95	110	116	126	151	160	176	193	278	347	382	-
27.	दिल्ली	2455	2845	3305	3527	4006	4939	5640	6568	7784	8914	10126	13170	14506	16866	19060.	21879	-
28.	पांडिचेरी	170	190	213	247	281	314	356	391	455	511	580	648	720	727	917	1003	-

पी अनन्तिम

क्यू त्वरित अनुमान

\- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्रोत संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।

नोट 1 विभिन्न राज्यों हेतु आंकड़ों में प्रयुक्त रीतिविधान तथा स्रोत सामग्री में अंतर होने के कारण तुलनात्मक समानता नहीं है।

नोट 2 संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़, दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप ऐसे अनुमान तैयार नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

भूटान से शरणार्थी

2139. श्री भीम दाहाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूटान से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को भूटान सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी नहीं। भूटान से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत नहीं आ रहे हैं। भारत-भूटान की खुली सीमा पर भारत में भूटानी नागरिकों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उन्हें भारत में प्रवेश करने, यात्रा करने और भारतीय प्रदेश में रहने की स्वतंत्रता है। तथापि, भूटान से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारतीय प्रदेश से होकर नेपाल गए हैं तथा उन्हें उस देश के शरणार्थी शिविरों में ठहराया गया है। नेपाल में भूटानी शरणार्थियों का मामला भूटान और नेपाल के बीच एक द्विपक्षीय मसला है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वेतनमान में संशोधन

2140. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री वेतनमान में संशोधन के बारे में 18 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3783 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विवाचन-बोर्ड ने इस मामले पर अपना निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बोर्ड द्वारा अपना अंतिम निर्णय कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विवाचन-बोर्ड द्वारा मामलों को निबटाए जाने के क्रम में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र संबंधी योजना में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विभागीय परीक्षाओं के लिए मानदण्ड

2141. **श्री भीम दाहाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अवर श्रेणी लिपिक, प्रवर श्रेणी लिपिक और सहायक पदों के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने हेतु शैक्षिक योग्यता निर्दिष्ट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परीक्षाओं में बैठने के लिए विभागीय उम्मीदवारों के लिए कितनी न्यूनतम सेवा अवधि अपेक्षित है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के अधीन कार्यरत कुछ स्वायत्त निकायों में इन पदों के लिए विभागीय परीक्षा का भिन्न मानदण्ड है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (ग) अवर श्रेणी-लिपिक, उच्च श्रेणी-लिपिक तथा सहायक के पदों के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने देने हेतु शैक्षिक अर्हता तथा न्यूनतम अपेक्षित सेवा सहित, पात्रता संबंधी शर्तें, संबंधित पद/संगठन की कार्यात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर, संगत भर्ती/परीक्षा-नियमों में निर्धारित की जाती हैं। चूंकि ऐसे पद प्राय: भारत सरकार के अधिकांश कार्यालयों में होते हैं, अत: इस संबंध में अपेक्षित जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, संघ सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के संबंध में प्रत्यक्षत: लागू नहीं होतीं। ये निकाय ऐसी शर्तें/मानदण्ड स्वतंत्र रूप से निर्धारित करते हैं।

यूरेनियम के भण्डार

2142. **श्री रामपाल उपाध्याय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिकों ने हाल ही में किन-किन राज्यों में यूरेनियम भण्डारों की खोज की थी;

(ख) उसके बाद से यूरेनियम की खोज का काम किन-किन स्थानों पर आरम्भ किया गया है;

(ग) वहां से अब तक कितना यूरेनियम निकाला जा चुका है;

(घ) क्या सरकार का अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करके यूरेनियम भण्डार की खोज करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) हाल ही में बिहार, मेघालय, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों में यूरेनियम के मौजूद होने की खोज की गई है।

(ख) भूवेधन द्वारा यूरेनियम भंडारों के निरूपण हेतु अन्वेषण का कार्य विभिन्न स्थानों पर प्रगति पर है जैसे कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में गोगी; मेघालय के जिला पश्चिम खासी पहाड़ियों में वाहकिन; आन्ध्र प्रदेश के जिला नालगोंडा में लम्बापुर-पेड्डागट्टू और जिला कुडप्पा में मल्लपल्ली; राजस्थान के जिला उदयपुर में उमरा-उदय सागर और उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र में नकतु-कुदरी।

(ग) देश में उत्पादित यूरेनियम की मात्रा के बारे में जानकारी देना जन-हित में नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा अन्वेषण कार्य बहुविषयक आधुनिक, तकनीकों को प्रयोग में लाकर किया जाता है जैसे कि सुदूर संवेदन, वायुवाहित गामाकिरण और चुम्बकीय सर्वेक्षण, पृष्ठीय भूभौतिकीय और भूरसायनिक सर्वेक्षण, आदि। इनके बाद पृष्ठीय भूवैज्ञानिक अध्ययन, नमूनों का विश्लेषण और अन्वेषणात्मक भूवेधन और अन्वेषणात्मक खनन किया जाता है ताकि इन भंडारों की आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता को सिद्ध किया जा सके। इन कार्यों के लिए आधुनिकतम उपस्कर इस्तेमाल किए जाते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

2143. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गोवा में कार्यरत है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं और इसके द्वारा की गई खोजों और गोवा में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) गोवा के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, खेतों तथा बागवानी फसलों व पशुधन और मात्स्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कर रहा है। संस्थान ने चावल, गन्ना, मूंगफली, आम, काजू, अनानास, सब्जियों तथा गोवा की अन्य फसलों में उत्पादन प्रौद्योगिकियों का मानकीकरण किया है। विदेशी नस्ल के खरगोश तथा बटेर के मांस की शुरूआत की है। समेकित मछली-पशुधन पालन और चावल उत्पादन-मछली पालन की प्रणाली प्रारंभ की है। संस्थान में कुल 22 परियोजनाएं चल रही हैं।

पासपोर्ट कार्यालयों में दलाल

2144. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री महेश कनोडिया :
श्री मोहन सिंह :
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1998 के "इंडियन एक्सप्रैस" में छपे समाचार '...वांट ए पासपोर्ट? रूपीज 17,000 प्लीज' की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने पासपोर्ट जारी करने से ठगों को हटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने आम जनता को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने में दलालों और अनधिकृत एजेंटों की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं। इनमें पासपोर्ट आवेदन पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत माध्यम के रूप में यात्रा एजेंटों की सेवाओं को अमान्य करना, आवेदन पत्र के फार्मों को निःशुल्क जारी करना, देश में पासपोर्ट कार्यालयों और संग्रहण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करना, आवेदकों को पासपोर्ट डाक द्वारा सीधे योजना इत्यादि शामिल है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली के बाहर दलालों की गतिविधियां समय-समय पर स्थानीय पुलिस के ध्यान में लाई गई हैं और उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई में तेजी लाई गई है। बहरहाल पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर सतर्कता सुदृढ़ की जा रही है। सरकार पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के प्रति आम जनता में जागरूकता में वृद्धि करने के प्रयास कर रही है ताकि अनधिकृत एजेंटों के प्रभाव और उनकी गतिविधियों को कम से कम किया जा सके।

आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों की तैनाती

2145. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शैक्षिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों/भारतीय पुलिस अधिकारियों की तैनाती के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) ऐसे गैर-काडर वाले अधिकारियों की तैनाती से इन संस्थाओं के कार्य पर प्रभाव पड़ता है; और

(ग) गैर-काडर वाले अधिकारियों की तैनाती की प्रवृत्ति समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत आने वाले शैक्षिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान-संस्थानों संबंधी पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति, उक्त योजना के प्रावधानों के अधीन की जाती है। केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाले पदों पर नियुक्ति, प्रत्येक पद के भर्ती-नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। यदि नियमों में, किसी पद पर भारतीय प्रशासकि सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान हो तो ऐसी नियुक्ति कर दी जाती है। इसी तरह, किसी पद हेतु आवेदन आमंत्रित करने वाले किसी विज्ञापन अथवा परिपत्र के संदर्भ में आवेदन करने वाले व्यक्तियों में से किए गए चयन के आधार पर ऐसे पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी को नियुक्ति किया जाना हो तो उस अधिकारी को वह पद ग्रहण करने की अनुमति दे दी जाती है।

(ख) किसी संस्था के कार्यकरण पर किसी अधिकारी का प्रभाव उसकी प्रशासनिक योग्यता और प्रबंधकीय विशेषताओं पर निर्भर करता है, न कि उस स्रोत पर जिससे वह अधिकारी लिया गया हो।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

मुल्लापेरियार बांध

2146. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुल्लापेरियार बांध की ऊंचाई में वृद्धि की मांग से केरल के लोगों में व्यापक एवं अत्याधिक विरोध की भावना एवं चिंता की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक शताब्दी पुराने बांध की ऊंचाई में जरा भी वृद्धि से बांध ही खतरे में पड़ जाएगा एवं केरल की इदुक्की और एर्णाकुलम जिलों में रह रहे लोगों के जान-माल की अकल्पनीय हानि होगी; और

(ग) क्या सरकार देश के व्यापक हित में केरल के लोगों के मन में सरकार के दृष्टिकोण के प्रति व्याप्त भ्रांतियों एवं आशंकाओं व्याप्त को दूर करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कूड़े-करकट से विद्युत का उत्पादन

2147. श्री रामपाल सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री चिन्मयानंद स्वामी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कूड़े-करकट से विद्युत उत्पादित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें राज्य सरकारों की क्या भूमिका होगी;

(ग) इस योजना के कब तक निष्पादित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कितनी विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय वर्ष 1995-96 से "राष्ट्रीय शहरी, नगरीय तथा औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति कार्यक्रम" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम में कूड़े-करकट सहित शहरी, नगरीय तथा औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न वित्तीय तथा राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन प्रोत्साहनों की पेशकश की जा रही है उनमें वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए निवेश तथा ब्याज आर्थिक राज सहायता, अभिनव प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए त्वरित अवमूल्यन, रियायती उत्पाद तथा सीमा शुल्क तथा वित्तीय सहायता शामिल हैं। राज्य सरकारें इन परियोजनाओं के लिए भूमि और कूडे-करकट उपलब्ध कराने के साथ-साथ इन परियोजनाओं के लिए भूमि और कूड़े-करकट उपलब्ध कराने के साथ-साथ इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली की निकासी, संप्रेषण, बैंकिंग, तीसरे पक्ष को बिक्री और विद्युत बोर्डों द्वारा खरीद की सुविधा मुहैया कराएंगी। इसके लिए राज्य सरकारों को अनुकूल नीतियां घोषित करनी होंगी।

(ग) शहरी, नगरीय तथा औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति पर राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 1998-99 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव है।

(घ) वर्ष 1998-99 के लिए 5 मै.वा. की समग्र क्षमता वाली "अपशिष्ट से ऊर्जा" परियोजना की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

गेहूं का लाभकारी मूल्य

2148. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी फसल-मौसम के लिए गेहूं और अन्य अनाजों के लिए लाभकारी न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों के लिए ये मूल्य किस सीमा तक लाभकारी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 फसल मौसम गेहूं एवं अन्य खाद्यान्नों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की

सिफारिशों केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों, राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए मूल्यों एवं अन्य संबद्ध कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य न सिर्फ उत्पादन लागत को कवर करता है बल्कि किसानों को तर्कसंगत लाभ भी प्रदान करता है ताकि कृषि में निवेश एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके।

विवरण

1997-98* के लिए गेहूं एवं अन्य खाद्यान्न फसलों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य

(फसल वर्ष के अनुसार)

	सामग्री	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1.	धान	सामान्य	415
		ग्रेड "ए"	445
2.	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा एवं रागी)		360
3.	मक्का		360
4.	गेहूं		510
5.	जो		350
6.	चना		815
7.	अरहर		900
8.	मूंग		900
9.	उड़द		900

*1.4.98 से 10.6.98 की अवधि में केन्द्रीय पूल के लिए खरीद एजेन्सियों को गेहूं बेचने पर दिए जाने वाले 55 रुपए प्रति क्विंटल केन्द्रीय बोनस सहित।

विकलांगों के लिए आरक्षण

2149. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री रामदास आठवले :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालयों और उनके अधीनस्थ विभागों में विकलांगों के लिए आरक्षित सभी पद भरे गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (क) और (ख) मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण की नीति दृढ़ता और तत्परता से लागू किए जाने के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियां भरे जाने से संबंधित जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) समूह "ग" तथा "घ" पदों के संबंध में शारीरिक रूप से विकलांग व्यबितयों के लिए आरक्षण 1977 से लागू है। 01.01.1996 से प्रवृत्त निशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति-अधिनियम, 1995 की धारा 33 में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए भी 3% के आरक्षण का प्रावधान है, जो निशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति, अधिनियम, 1995 के अधिनियम के समय पर्याप्त समझा गया था।

पश्चिम बंगाल को निधि

2150. श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को तूफान प्रभावित क्षेत्रों की राहत के लिए आपदा राहत कोष के अलावा कोई निधि आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई एवं कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नॉन-ट्रांजिसनल राज्यों में कपास का उत्पादन

2151. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने नॉन-ट्रांजिसनल राज्यों विशेषरूप से उड़ीसा में कपास उगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी वाला कुल क्षेत्रफल कितना है; और

(घ) मृदा और वहां कपास उगाने के संबंध में किए गए परीक्षणों के परिणाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत सरकार गैर परम्परागत कपास उत्पादक राज्य उड़ीसा सहित राज्यों को कपास उत्पादन के लिए सहायता दे रही है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना गहन कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक आदानों जैसे, बीज, पौध रोपण उपकरण, स्प्रिंकलर सेट आदि की आपूर्ति के साथ-साथ उत्पादन पर प्रदर्शनी, समेकित कृषि प्रबंध एवं किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से उड़ीसा को प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के लिए सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कपास निगम बीज की आपूर्ति किसानों के प्रशिक्षण, कपास उत्पादों के विपणन इत्यादि के माध्यम से गैर परम्परागत क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन, उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर के जम्मू प्रभाग में कपास की कृषि को प्रोत्साहन दे दी है।

(ग) राज्य में काली कपासी मिट्टी का कुल क्षेत्र 9.6 लाख है।

(घ) मिट्टी का पी.एच. उदासीन से क्षारीय है क्योंकि इसके स्तरों में मुक्त कैल्सियम कार्बोनेट है। मिट्टी कैल्सियम से भरपूर है लेकिन इसमें फॉस्फेट्स, पोटाशियम, जिंक एवं बोरॉन की कमी है। काली मिट्टी के अलावा, कपास का एक बड़ा हिस्सा लोमी मिट्टी पर उगाया जाता है।

तम्बाकू का उत्पादन

2152. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तम्बाकू का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान तम्बाकू उत्पादन के भू-क्षेत्र में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है। पिछले तीन वर्षों में तम्बाकू के क्षेत्र और उत्पादन का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

तम्बाकू के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमान, 1994-95 से 1996-97

राज्य	क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)			उत्पादन (हजार मी. टन)		
	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	130.5	136.2	164.4	164.5	170.3	183.3
असम	1.7	1.6	1.6	0.9	0.8	0.8

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	14.9	18.2	18.2	7.7	10.4	10.4
गुजरात	113.4	121.8	120.6	213.2	196.0	211.5
हरियाणा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
जम्मू व कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कर्नाटक	59.4	59.6	70.9	45.2	48.8	58.0
केरल	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5
मध्य प्रदेश	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
महाराष्ट्र	0.8	9.4	9.5	12.8	13.5	10.8
मेघालय	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5
मिजोरम	1.0	0.5	0.5	0.9	0.5	0.6
उड़ीसा	10.3	9.1	6.9	6.0	6.7	4.5
राजस्थान	1.7	1.3	1.7	2.7	2.1	2.4
तमिलनाडु	7.2	8.6	9.1	10.7	13.0	13.3
त्रिपुरा	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
उत्तर प्रदेश	16.7	13.1	15.2	90.7	61.1	92.8
पश्चिम बंगाल	12.6	13.3	11.8	10.0	10.4	9.1
अखिल भारत	381.7	394.6	432.3	566.7	535.2	599.1

सप्ताह में पांच कार्य दिवस

2153. श्री ए. सिद्धराजू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में पांच कार्य दिवस की व्यवस्था में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार केन्द्र सरकार के जनता प्रत्यक्ष सम्पर्क रखने वाले कार्यालयों में भी सप्ताह में छ: कार्य दिवस की व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) सरकार ने सिविल प्रशासनिक कार्यालयों में पांच दिन का कार्य-सप्ताह जारी रखने का निर्णय किया है। तथापि, जिन विभागों के कार्य में प्रमुखत: और प्रत्यक्षत: व्यापक जन-सम्पर्क जुड़ा है अथवा जिनके कार्य वाणिज्य-स्वरूप के हैं तथा जो इस समय, सप्ताह में पांच दिन कार्य कर रहे हैं, उन विभागों से वर्तमान व्यवस्था की पुनरीक्षा करने तथा जहां कहीं संभव हो, छ: दिन का कार्य सप्ताह अपनाने के लिए कहा गया है।

गेहूं और धान का खरीद मूल्य

2154. श्री के.एस. राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग की सलाह पर सरकार ने हाल ही में गेहूं का खरीद मूल्य बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके साथ ही धान का खरीद मूल्य नहीं बढ़ाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार का धान का खरीद मूल्य कभी बढ़ाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ख) सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट, राज्य सरकारों, संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार एवं अन्य संबद्ध कारकों के आधार पर 1998-99 में विपणन हेतु 1997-98 के लिए गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 455 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त एक अप्रैल से 10 जून, 1998 की अवधि के लिए सरकार ने सार्वजनिक एजेन्सियों को गेहूं की बिक्री पर 55 रु. प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय किया है।

(ग) से (च) वर्ष 1997-98 मौसम के धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण सरकार पहले ही कर चुकी है। यह सामान्य धान के लिए 415 रु. प्रति क्विंटल एवं श्रेणी "ए" किस्म के लिए 445 रु. प्रति क्विंटल है। 1997-98 मौसम के लिए निर्धारित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अगले, अर्थात् 1998-99 मौसम के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय भण्डार

2155. डा. विजय सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार को विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को काली सूची में डाला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ नियम बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय भंडार, ठेकेदारों के साथ व्यापार संबंधी लेन-देन पर रोक लगाने तथा ऐसा लेन-देन कुछ समय के लिए रोक देने के संबंध में पूर्ति एवं निपटान-महानिदेशालय द्वारा निर्धारित नियमों का, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित पालन करता है। इस संबंध में आपूर्ति इत्यादि के लिए पूर्ति एवं निपटान-महानिदेशालय की कार्यालय पद्धति की नियम-पुस्तिका से संगत उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

आपूर्ति आदि के लिए पूर्ति एवं निपटान-महानिदेशालय की कार्यालय-पद्धति-नियम-पुस्तिका से उद्धरण

24.14 **ठेकेदार के साथ व्यापारिक लेन-देन पर रोक लगाना एवं ऐसे लेन-देन को कुछ समय के लिए रोक देना**

24.14.1 सक्षम प्राधिकारी लोक हित में, किसी फर्म, चाहे वह पंजीकृत हो अथवा अपंजीकृत, के साथ व्यापार संबंधी लेन-देन को कुछ समय के लिए रोकने अथवा ऐसे लेन-देन पर रोक लगाने संबंधी आदेश दे सकता है। इस समय, इस संबंध में अधिकार आपूर्ति-विभाग के मुख्य सतर्कता-अधिकारी के पास है।

24.14.2 **फर्मों के साथ व्यापार संबंधी लेन-देन कुछ समय के लिए रोका जाना**

किसी फर्म के साथ व्यापार संबंधी लेन-देन कुछ समय के लिए रोके जाने के आदेश ऐसी स्थिति में दिए जा सकते हैं जहां आरोपों की जांच-पड़ताल पूरी होने तक, संबंधित फर्म के साथ व्यापार जारी रखना वांछनीय नहीं समझा जाए। ऐसा आदेश निम्न स्थितियों में जारी किया जा सकता है:-

(1) यदि किसी फर्म की भारत के प्रति निष्ठा पर संदेह हो।

(2) यदि केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो या कोई अन्य जांच-अभिकरण, जांच के अधीन चल रहे किसी मामले के संबंध में ऐसी किसी कार्रवाई की सिफारिश करे; और

(3) यदि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता हो कि कोई फर्म व्यापार संबंधी लेन-देन में किसी नैतिक भ्रष्टता के अपराध की दोषी है, जिसके सिद्ध हो जाने की स्थिति में व्यापार संबंधी लेन-देन रोक दिया जा सकता है।

24.14.3 **व्यापार संबंधी लेन-देन पर रोक लगाया जाना**

निम्नलिखित स्थितियों में रोक लगाए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं:-

(1) यदि राज्य के प्रति निष्ठा के प्रश्न सहित, सुरक्षा-कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक हो।

(2) यदि किसी फर्म का मालिक, उसका कर्मचारी, साझेदार अथवा उसका प्रतिनिधि व्यापार संबंधी लेन-देन के संबंध में नैतिक भ्रष्टता के अपराधों के अभियोजन के पश्चात् न्यायालय द्वारा दोष-सिद्ध पाया जाए।

(3) यदि यह विश्वास करने का ठोस औचित्य हो कि किसी फर्म का मालिक या कर्मचारी या प्रतिनिधि रिश्वत, भ्रष्टाचार, धोखा-धड़ी, टेंडर बदलने, हेर-फेर, गलत बयानी, कानून द्वारा लगाए गए किसी शुल्क के भुगतान करने में अपवंचन या आदतन चूक आदि करने जैसे अनाचारों का दोषी हो।

(4) यदि कोई फर्म, पर्याप्त कारण बताए बिना, किसी दुराग्रह के कारण, सरकारी धन लौटाने से इंकार करे और सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा किसी तर्कसंगत विवाद के कारण नहीं है जिसके कारण विवाचन-मंडल या न्यायालय में कार्यवाही चलाई जा सकती हो।

(5) यदि कोई फर्म, भ्रष्टाचार के कारण पदच्युत, बरखास्त किए गए किसी सरकारी सेवक को नियुक्त करे या वह किसी दोष सिद्ध या भ्रष्टाचार में लिप्त कोई अपराध करने या ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने वाले गैर-सरकारी व्यक्ति को किसी ऐसे पद पर नियुक्त करे जहां वह सरकारी सेवकों को भ्रष्ट कर सकता हो।

परमाणु कचरा

2156. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में कम रेडियोधर्मिता वाले परमाणु कचरे के निपटान के लिए दीर्घावधि की योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु कचरे के निपटान के लिए किसी अन्य देश के साथ कोई प्रबंध किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में उत्पन्न निम्न स्तर वाले विकिरण सक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के संसाधन, अनुकूलन, हस्तन, पैकेजिंग और निपटान के लिए स्वदेशी रूप से प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकियों और उपस्कर का विकास किया गया है। इस प्रयोजन के लिए नियामक प्राधिकरण, अर्थात् परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों और अनुमोदनो के अनुसार संयंत्र स्थापित किए गए और उनका प्रचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मदर डेयरी

2157. श्री अमर रायप्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1997 के बाद से अब तक मदर डेयरी द्वारा दिल्ली में फल और सब्जियों के कितने विक्रय केन्द्र/विस्तार पटल खोले गए हैं;

(ख) ऐसे विक्रय केन्द्र/विस्तार पटल किन स्थानों पर खोले गए हैं जहां बिना प्रिंटर वाली तोलने की मशीने लगाई गई हैं; और

(ग) इन विस्तार पटलों पर बिना प्रिंटर वाली तोलने की मशीनें लगाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) फल तथा सब्जी परियोजना द्वारा दिल्ली में 1 जनवरी, 1997 से 31 मई, 1998 तक 30 फल तथा सब्जी केन्द्र खोले गए थे।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान जो फल तथा सब्जी केन्द्र खोले थे, उन सभी को मुद्रक सहित भार तोलने की मशीन उपलब्ध कराई गई थी।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजघाट अन्तर्राज्यीय परियोजना

2158. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेतवा नदी पर निर्माणाधीन राजघाट अन्तर्राज्यीय जल विद्युत और सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य लम्बे समय से पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राजघाट अन्तर्राज्यीय बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना अक्टूबर, 1979 में शुरू की गई थी जिसकी पूरी होने की लक्ष्य तारीख जून, 1986 थी। तथापि, निधियों की कमी के कारण यह कार्य जून, 1986 तक पूरा नहीं किया जा सका। इस परियोजना को पूरा करने का समय कई बार निर्धारित किया गया और इस परियोजना के पूरा होने की नवीनतम सम्भावित तारीख जून, 1999 है।

[अनुवाद]

लक्षित योजना निवेश की प्राप्ति

2159. श्री माधवराव पाटील :
श्री एस.एस. ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्यों ने 1997-98 के लिए लक्षित योजना निवेश को प्राप्त नहीं किया है;

(ख) उक्त राज्यों के द्वारा योजना निवेश का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के लिए उनके योजना परिव्यय को किस सीमा तक कम किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) 1997-98 के दौरान, योजना आयोग ने, 15 राज्यों जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है, के सम्बन्ध में मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय की तुलना में, निम्नतर स्तर पर संशोधित योजना परिव्यय स्वीकृत किये हैं। इन राज्यों के संशोधित परिव्ययों का मूलरूप से अनुमोदित परिव्ययों से कम होने का एक मुख्य कारण राज्य के अपने स्वयं के संसाधनों के अनुमानित आंकड़ों में आई गिरावट है। योजना आयोग के मौजूदा मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार की ओर से राज्यों

को सामान्य योजना सहायता पूर्ण मात्रा में दी जाती है, यदि राज्य का योजना व्यय मूल रूप से अनुमोदित/संशोधित अनुमोदित परिव्यय तथा निर्धारित क्षेत्रकों/स्कीमों पर किया जाने वाला व्यय, उसके लिए अनुमोदित परिव्यय से कम न हो विशिष्ट श्रेणी राज्यों के मामले में, उन्हें अपने गैर-योजना अन्तरालों को पूरा करने के लिए योजना सहायता के 20 प्रतिशत का प्रयोग करने की अनुमति है तथा उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ही केन्द्रीय सहायता में कटौतियां की जाती हैं। राज्यों हेतु वार्षिक योजना, 1997-98 के वास्तविक व्यय आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। इन राज्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सहायता में कटौती का प्रश्न तभी उठेगा यदि कुल व्यय संशोधित अनुमोदित परिव्यय से कम है अथवा निर्धारित क्षेत्रकों/स्कीमों का वास्तविक व्यय उनके लिए अनुमोदित परिव्ययों से कम हो। वार्षिक योजना, 1998-99 हेतु परिव्ययों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

1. अरूणाचल प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गोवा
5. हरियाणा
6. केरल
7. मध्य प्रदेश
8. मणिपुर
9. मेघालय
10. नागालैंड
11. उड़ीसा
12. पंजाब
13. त्रिपुरा
14. उत्तर प्रदेश
15. पश्चिम बंगाल

मानव अधिकारों का उल्लंघन

2160. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश विभाग की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत में मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन होता है जिनमें कारागारों की घटिया हालत, स्वैच्छिक परिसम्पत्तियां, मुकदमे से पूर्व लम्बी कैद, मुकदमे के दौरान लम्बी कैद, महिलाओं के विरुद्ध वैधानिक और सामाजिक हिंसा, महिला दासता, बाल वेश्यावृत्ति, अवैध व्यापार, भ्रूण हत्या और बाल श्रम शामिल हैं; और

(ख) अमरीका के विदेश विभाग की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी हां। मानवाधिकारों पर अमरीकी राज्य विभाग के देश की रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस को अमरीकी कानून के अनुसार प्रस्तुत की जाती है। भारत के संबंध में की गई आलोचनाओं के अतिरिक्त इन रिपोर्टों में भारतीय प्रजातंत्र, मानवाधिकारों के प्रति भारत की बचनबद्धता तथा मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए भारत में उपलब्ध संस्थागत सुरक्षा उपायों के बारे में बहुत सी सकारात्मक टिप्पणियों का भी नियमित रूप से उल्लेख किया जाता रहा है। पूर्व रिपोर्टों की भांति 1997 की रिपोर्ट में भी उसी प्रकार चित्रण किया गया है। अमरीकी घरेलू कानून के अनुसरण में तैयार की गई ऐसी रिपोर्टों पर औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कोई सरकारी परम्परा नहीं है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

2161. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बंगलूर में कार्य कर रहे केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों और उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ी अपीलों की संख्या कितनी है; और

(घ) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण के बंगलौर पीठ द्वारा अब तक निपटाए गए मामलों तथा लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) बैंगलूर में कार्य कर रही केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की न्यायपीठ को बंद करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग स्वयं ही निर्णय लेते हैं। इस संबंध में केन्द्रीकृत आधार पर कोई सूचना नहीं रखी जाती।

(घ) अप्रैल 30, 1998 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बैंगलूर न्यायपीठ ने अपनी स्थापना के समय से अब तक 18397 मामले निबटा दिए थे तथा उसके पास 617 मामले अनिर्णीय लम्बित थे।

[हिन्दी]

पारियेत जलाशय

2162. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश में पारियेत जलाशय खतरनाक होता जा रहा है क्योंकि इस जलाशय के "वैस्ट डियर" ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है तथा भूकम्प के कारण इस जलाशय में कुछ दरारें भी पड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) पारियेत बांध में कुछ दरारें पड़ने की जानकारी मिली है। सैल्यूस तथा वैस्ट वियर संरचनाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मध्य प्रदेश सरकार के जबलपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन द्वारा शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए अनुरक्षित पारियेत बांध की मरम्मत के लिए अपेक्षित एक लाख रुपए का प्राक्कलन तैयार किया है। केन्द्रीय जल आयोग ने बांध में आए दरारों के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाएं हैं। कारपोरेशन के अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति का सामना करने तथा स्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए उपयुक्त सामग्री तैयार रखने की सलाह दी गई है।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण केंद्र

2163. श्री आर.एस. गवई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषरूप से महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कुल कितने कार्यरत प्रशिक्षण केन्द्र हैं; और

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आठवीं योजना अवधि के दौरान एक विकासात्मक योजना स्कीम कार्यान्वित की थी जिसके तहत देश में 231 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए विभिन्न संगठनों को सहायता दी गई। स्कीम 9वीं योजना के दौरान भी कार्यान्वित की जा रही है। योजना के पहले वर्ष में 14 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी गई है। इस प्रकार पिछले 6 वर्षों में 245 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी गई है।

245 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों में से 8वीं योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य के लिए 3 की मंजूरी दी गई थी। इनमें से 2 ने काम शुरू कर दिया है।

स्कीम राज्य विशेष नहीं है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय स्वयं ऐसे किसी केन्द्र की स्थापना नहीं करता, बल्कि स्वयंसेवी एजेन्सियों तथा गैर-सरकारी संगठनों समेत विभिन्न संगठनों को ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता देता है।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा

2164. प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1998 को "बिजनेस स्टेन्डर्ड" में "एग्रीकल्चर लिफ्टेड 1996-97 रिअल जी.डी.पी., आर.बी.आई." शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग और सेवा क्षेत्र का सकल उत्पाद में योगदान बढ़कर क्रमशः 27% और 48.6% हो गया है जबकि इसमें कृषि क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 1997-98 में घटकर 24.4% हो गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें प्रकाशित मामलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करके सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान कारक लागत पर 1980-81 के (नियत मूल्यों पर) जी.डी.पी. के अंश के संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया है:-

क्षेत्र	प्रतिशत अंश
1. कृषि	
- कृषि, वानिकी व मात्स्यिकी	24.4
2. उद्योग	
- विनिर्माण,	22.7
- खनन तथा उत्खनन	1.8
- बिजली, गैस व जल-आपूर्ति	2.5
- उप योग	27.0
3. सेवायें	
- निर्माण	4.3
- व्यापार, होटल, परिवहन व संचार	20.4
- वित्तीय, बीमा, वास्तविक सम्पदा तथा कारोबार सेवायें	12.6
- समुदाय, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवायें	11.3
उप योग	48.6

(घ) सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के घटते हुये अंश का कारण अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों, अर्थात् विनिर्माण तथा सेवाओं, में अपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि होना है। यह ऐसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये एक असामान्य लक्षण नहीं है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का अंश विकास प्रक्रिया के आरम्भिक चरणों में कम हो जाता है जबकि विनिर्माण तथा सेवाओं का अंश बढ़ जाता है। इस प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अंश बढ़ाने की न तो कोई योजना है और न ही कोई लक्ष्य/वैसे, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिये सरकार एक बड़े पैमाने पर अनाजों दालों, तिलहनों, कपास, पटसन तथा मेस्ता, गन्ना और बागवानी फसलों से संबंधित अनेक फसल विशिष्ट केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

बिहार में बांध का निर्माण

2165. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :
प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार में कमला-कोशी और बागमती नदियों पर बहुउद्देशीय बांध बनाने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बांधों का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्र सरकार ने नेपाल भू भाग में नेपाल की महामहिम सरकार की स्वीकृति के साथ कमला-कोशी और बागमती नदियों पर बहुउद्देशीय बांधों के निर्माण के लिए काफी पहले बिहार सरकार से प्रस्ताव प्राप्त किए थे।

(ख) और (ग) परियोजनाओं और उसके निर्माण की समयावधि के ब्यौरे, इस प्रयोजन के लिए नेपाल की महामहिम सरकार के साथ होने वाले समझौतों पर निर्भर करेंगे।

कछातेवु समझौते का उल्लंघन

2166. श्री वैको : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्रीलंका की नौसेना द्वारा हमारे देश के मछुआरों पर, कछातेवु समझौते का उल्लंघन करते हुए लगातार गोलीबारी करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने यह मामला श्रीलंका प्राधिकारियों के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार को श्रीलंका के समुद्री इलाके में भारतीय मछुआरों के विरूद्ध हिंसक घटनाओं की खबरों के बारे में जानकारी है। इस प्रकार की बहुत सी घटनाओं में श्रीलंका सरकार ने अपनी सेनाओं का हाथ होने से इंकार किया है। 1997 में भारतीय पोतों पर गोलीबारी की बताई गई 15 घटनाओं में से श्रीलंका सरकार ने एक घटना में अपनी नौ सेना का हाथ होने की बात स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया है कि संबंधित पोत ने बार-बार रूकने का अनुरोध करने पर भी आदेश का अनुपालन नहीं किया था।

इस वर्ष सरकार को भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी करने की एक घटना के बारे में सूचित किया गया था। श्रीलंका सरकार ने इस घटना में अपनी नौ सेना का हाथ होने से इंकार किया है।

(ग) और (घ) भारतीय मछुआरों को पेश आ रही समस्याओं को श्रीलंका सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है। दोनों पक्ष इन समस्याओं को मानवीय तथा अनुकम्पा के आधार पर सुलझाने की आवश्यकता पर सहमत हैं। श्रीलंका सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उनकी सेनाओं को अनुदेश दिए जाते हैं कि वे श्रीलंका के समुद्री इलाके में पाए जाने वाले भारतीय मछुआरों के साथ निबटते समय अत्यंत संयम बरतें। तथापि श्रीलंका सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि श्रीलंका के उत्तरी भाग में समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी विकट समस्या मौजूद है तथा श्रीलंका के समुद्री तटों के निकट संवेदनशील इलाकों में भारतीय पोतों की बड़े पैमाने पर आवाजाही पर अपनी चिन्ता प्रकट की है। उन्होंने अपने समुद्री क्षेत्र में लिट्टे की हिंसक घटनाओं का भी हवाला दिया है।

समन्वित डेयरी विकास परियोजना

2167. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से स्वीकृति हेतु अक्तूबर, 1997 में राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना लागू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने परभानी, अकोला, थाणे, रायगढ़ तथा जालना जिलों के लिए समेकित डेयरी विकास परियोजना को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया था।

(ग) भारत सरकार ने कुल 1941.55 लाख रुपए के इस प्रस्ताव को फरवरी, 1998 में मंजूर कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वान नदी का सरणीकरण

2168. श्री सुरेश चन्देल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में स्वान नदी का सरणीकरण करने संबंधी राज्य सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास निर्णय हेतु काफी समय से लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लेने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र की सिफारिश शामिल करते हुए "स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन एवं एकीकृत नदी विकास परियोजना" नामक 93.15 करोड़ रुपए की लागत का एक नया परियोजना प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को इसकी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए 6.12.1997 को प्रस्तुत किया गया था। जांच के लिए अपेक्षित परियोजना प्रस्ताव की अतिरिक्त प्रतियां हिमाचल प्रदेश सरकार से अप्रैल और मई, 1998 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। इस परियोजना की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

एर्णाकुलम में फल प्रसंस्करण उद्योग

2169. श्री पी.सी. थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने एर्णाकुलम जिला, केरल में मुवातुपुआ के पास एक फल (अनानास) प्रसंस्करण उद्योग का वित्तपोषण किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के निवेश, निर्माण और पूर्ण होने के अनुमानित समय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) 25.19 करोड़ रु. के कुल प्रस्तावित निवेश जिसमें भूमि, भवन, मशीनरी, उपयोगिता सेवाएं, सीमा शुल्क आदि शामिल हैं, में से लागत का 70% यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा दिया जाएगा। परियोजना के पूरा होने का अनुमानित समय जून 1998 है।

(ग) और (घ) 14 पद भरे जा चुके हैं और आपरेटरों, स्टोरमैन, विपणन अधिकारियों आदि के पदों को भरने हेतु कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

[हिन्दी]

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें

2170. **श्री विजय गोयल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने नौकरशाहों की संख्या में कटौती करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या आयोग ने सरकार की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए भी सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जो सरकार को स्वीकार्य नहीं हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सरकार के अधीन पद समाप्त किए जाने के बारे में पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर कोई सामान्य निर्णय नहीं लिया गया है। पद समाप्त किए जाने या सृजित किए जाने से संबंधित मामलों में निर्णय उनकी (पदों) की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पांचवें वेतन-आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन अलग-अलग नोडल मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है, अपेक्षित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

[अनुवाद]

फरक्का बांध

2171. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा नदी की ऊपरी धारा से पानी की सतत् निकासी से नदी के निचले हिस्से में पानी का बहाव काफी कम हो जाने के कारण फरक्का को पूरे वर्ष के लिये निर्धारित और लक्षित न्यूनतम 40,000 क्यूसेक पानी की मात्रा नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या बांग्लादेश के साथ गंगा जल के बंटवारे संबंधी समझौते के परिणामस्वरूप स्थिति और खराब हो गयी है, जिससे पश्चिम बंगाल की अनेक लघु सिंचाई परियोजनाएं और कलकत्ता बंदरगाह की नौकायन क्षमता प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएं

2172. **श्री रामदास आठवले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या राज्य द्वारा उक्त अवधि के दौरान कुल स्वीकृत राशि का उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) महाराष्ट्र की वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा किए गए परिव्ययों तथा किए गए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	वर्ष	योजना आयोग द्वारा संस्तुत परिव्यय	व्यय
1.	1994-95	618.09	904.49
2.	1995-96	622.43	1153.82
3.	1996-97	679.53	642.89 (संशोधित परिव्यय)
4.	1997-98	2245.02	उपलब्ध नहीं

[अनुवाद]

पासपोर्ट कार्यालय का बंद होना

2173. श्री पी. उपेन्द्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजयवाड़ा में स्थित पासपोर्ट कार्यालय कुछ वर्ष पहले बंद कर दिया गया था;

(ख) क्या पासपोर्ट के लिए बड़ी संख्या में आवेदनों के मद्देनजर इस कार्यालय को पुन: खोलने की मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने आरम्भ में एक कलेक्शन कार्यालय के रूप में और बाद में उसे एक पूर्णाधिकार प्राप्त पासपोर्ट कार्यालय के रूप में परिवर्तित करके, इस कार्यालय को पुन: खोलने का निर्णय किया है; और

(घ) इस कार्यालय को पुन: खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नए पासपोर्ट कार्यालय खोलना कतिपय मानदण्डों पर आधारित है जैसे मौजूदा पासपोर्ट कार्यालयों की अवस्थिति, क्षेत्र विशेष से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या और विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध स्थायी समिति की यह सिफारिश कि उक्त क्षेत्र में नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए उस क्षेत्र से कम से कम 50,000 आवेदन प्रति वर्ष प्राप्त होने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यालय स्थान उपलब्ध कराने की शर्त पर सरकार ने विजयवाड़ा में पासपोर्ट संग्रह केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है।

नागपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2174. श्री नरेश पुगलीया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नागपुर में संतरों की भारी उत्पादन संभावना को ध्यान में रखते हुए वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने अथवा उन्हें प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नागपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को सहायता उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। फिर भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए इसकी योजना स्कीमों के तहत ऋण एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष अथवा क्षेत्र विशेष।

(ग) और (घ) योजना स्कीमों के तहत गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उद्योगों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। नागपुर में एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के वास्ते वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरदार सरोवर परियोजना

2175. श्री दिलीप संघाणी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पथरीली बाढ़ और सम्पर्क प्रवाह के खर्च की भागीदारी और सरदार सरोवर बांध परियोजना के भागीदार राज्यों के विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना पर होने वाले खर्च संबंधी मामलों के संबंध में मुद्दे उठाये गये विवाद क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विवादों को सुलझाने के लिए भागीदारी राज्यों की बैठक का प्रबन्ध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में शीघ्र निपटान के लिए क्या प्रभावकारी कदम उठाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) गुजरात सरकार के अनुसार डाईक तथा संपर्क नहरों पर आने वाले व्यय सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत घटक से वसूल किया जाएगा तथा विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना में होने वाला व्यय इस परियोजना के यूनिट-1 से संबद्ध कार्य वसूला जाएगा तथा इस प्रकार नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार इन दोनों व्ययों में मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंशदान किया जाएगा। तथापि, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकार गुजरात की आपत्तियों से सहमत नहीं हैं।

(ग) से (च) इस मामले पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से संबंधित पुनरीक्षा समिति की दिनांक 23.8.1993 को आयोजित छठी बैठक में विचार-विमर्श किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि संबंधित राज्य परस्पर विचार-विमर्श करेंगे तथा निर्णय लेंगे। निर्णय लेने में असफल होने पर यह मामला भारत के महान्यायवादी को उनकी राय जानने के लिए भेजा जाएगा तथा सभी पक्षकार राज्य यह राय मानने के लिए बाध्य होंगे।

[हिन्दी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज

2176. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग, राज्य को पिछड़े क्षेत्रों सहित उसके संपूर्ण विकास के लिए निधियां आवंटित करता है। तथापि, कार्यक्रम के प्रतिपादन, क्रियान्वयन और विकास के लिए वित्तपोषण का दायित्व राज्य सरकार का है।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

2177. श्री दिनशा पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने सरदार सरोवर परियोजना में भागीदार राज्यों द्वारा इस परियोजना की लागत के बंटवारे के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य भागीदार राज्यों द्वारा गुजरात को कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है;

(घ) भागीदार राज्यों द्वारा राज्य-वार आज की तारीख तक गुजरात राज्य को कितनी राशि दी गई;

(ङ) केन्द्र सरकार ने इन राज्यों से बकाया राशि शीघ्र जारी कराने के लिए क्या प्रयास किए हैं; और

(च) गुजरात राज्य को बकाया राशि का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट (1979) के अनुसार सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत घटक की पूंजी लागत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों द्वारा 57:27:16 के

अनुपात में बांटी जाती है। परियोजना के सिंचाई घटक की लागत गुजरात और राजस्थान राज्य सरकारों के बीच 18:1 के अनुपात में बांटी जाती है।

(ग) और (घ) अन्य सहभागी राज्यों द्वारा मार्च 1998 तक गुजरात को भुगतान की जाने वाली परियोजना की अंश लागत का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

राज्य	देय राशि	भुगतान की गई राशि	बकाया देय (विवादित हिस्से को छोड़कर)
मध्य प्रदेश	1052.34	488.89	509.41
महाराष्ट्र	498.48	329.13	143.75
राजस्थान	294.86	62.95	222.00
कुल	1845.68	880.97	875.16 (89.55 करोड़ रुपये के विवादित हिस्से को छोड़कर)

(ङ) और (च) अन्य पक्षकार राज्यों द्वारा गुजरात सरकार को सरदार सरोवर परियोजना की अंशलागत के भुगतान संबंधी मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की अनेक बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और राज्यों को गुजरात सरकार के बकाया देयों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता से अवगत कराया गया। इस मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति की 13.11.96 को हुई सातवीं बैठक में भी विचार किया गया था जिसमें राज्य शीघ्र भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे। पक्षकार राज्य इस प्रयोजन के लिए अपनी-अपनी वार्षिक योजना/बजट में उपयुक्त प्रावधान करने के लिए भी सहमत हुए। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय संबंधित राज्यों से गुजरात को उसकी अंश लागत के शीघ्र भुगतान के लिए लगातार अनुरोध करता रहा है।

ऊर्जा विकास

2178. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन और विकास की अत्यधिक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बिहार राज्य सहित देश भर में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, बायोमास गैसीकरण तथा ब्रिकेटिंग संयंत्रों घरेलू एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में सौर जल तापन, सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा आधारित ग्रामीण घरेलू रोशनी लालटनों, सिंचाई तथा गांव स्तरीय विद्युत संयंत्रों के लिए जल पंपन, पवन ऊर्जा, लघु पन विद्युत, बायोमास दहन, खोई आधारित सहउत्पादन तथा सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा से ग्रिड-संबद्ध विद्युत और शहरी व औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा के उत्पादन और विकास के लिए काफी सारे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ग) नौवीं योजना को अभी अनुमोदित किया जाना है। तथापि, बिहार राज्य ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए राज्य नोडल एजेंसी, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास संस्था ने अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों के वितरण/स्थापना के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के अपने कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा है जो इस प्रकार है:

पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र	-	10,000 सं.
संस्थागत बायोगैस संयंत्र	-	50 सं.
बायोमास गैसीफायर	-	50 सं.
उन्नत चूल्हे	-	2,00000 सं.
सौर लालटेन	-	60,000 सं.
सौर फ्रिज	-	20 सं.
सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां	-	2,000 सं.
सौर जल तापन प्रणालियां	-	25,000 ली./दिन
सौर कूकर	-	10,000 सं.
पवन चक्की	-	500 सं.

[हिन्दी]

बाणसागर परियोजना

2179. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में बाणसागर परियोजना कब तक पूरी की जानी थी;

(ख) इसकी अनुमानित लागत कितनी थी और 31 मार्च, 1998 तक इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) मुख्य बांध, नहरों और विद्युत संयंत्र का अलग-अलग अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है और कितना प्रतिशत कार्य अभी तक लम्बित है; और

(घ) शेष कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (ख) मध्य प्रदेश में बाणसागर परियोजना मूलतः जून, 1987 तक पूरी की जानी थी।

(ख) बांध वाले भाग की अनुमानित लागत 1990 के मूल्य स्तर पर 93 करोड़ रुपये है। फरवरी, 1998 तक खर्च की गई राशि 531.91 करोड़ रुपये है।

(ग) पूर्ण/लंबित कार्य की प्रतिशतता

(1)	मुख्य बांध -			
	चिनाई कार्य		-	97.5% / 2.5%
	कंक्रीट कार्य		-	78% / 22%
(2)	मध्य प्रदेश नहर		-	
	सिहावल नहर		-	01% / 19%
	कियोती नहर		-	24% / 76%
	पुरवा नहर		-	35% / 65%
	उत्तर प्रदेश नहर		-	5% / 95%
(3)	विद्युत संयंत्र		-	
	बिजली घर	1	-	100%
		2	-	30% / 70%
		3	-	80% / 20%
		4	-	35% / 65%

(घ) बांध का शेष कार्य जून, 2001 तक और नहरों का कार्य 2012 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

गेहूं खरीद केन्द्र

2180. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गेहूं खरीद केन्द्रों में हो रही अनियमितताओं से अवगत है;

(ख) क्या किसानों को इन केन्द्रों पर समर्थन मूल्य नहीं दिये जा रहे हैं और भुगतान में देरी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपाचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) किसी गेहूं खरीद केन्द्र से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) किसानों को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस का भुगतान किया जाता है एवं इन्हें केन्द्रों पर किसानों को तुरन्त जारी कर दिया जाता है।

मत्स्यन बंदरगाह

2181. श्री एन. डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर अरब सागर के पश्चिमी तट पर मत्स्यन बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) पश्चिमी तट सहित भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में निर्माण के लिए स्वीकृत मत्स्यन बंदरगाह तथा मछली उतारने के केन्द्रों का सूची को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन इस शर्त पर दिया जाता है कि मत्स्यन बंदरगाहों को निश्चित समयावधि में पूरा किया जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मत्स्यन बंदरगाह	मछली उतारने के केन्द्र
1.	आंध्र प्रदेश	1	1
2.	गुजरात	2	1
3.	केरल	5	4
4.	कर्नाटक	3	5
5.	महाराष्ट्र	1	7
6.	उड़ीसा	1	10
7.	तमिलनाडु	1	-
8.	पश्चिम बंगाल	1	2
9.	पांडिचेरी	1	-
10.	गोआ	-	1
11.	दियु और दमन	-	2
		16	33

तकनीकी पद

2182. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुपालन विभाग के अनेक तकनीकी पद बहुत समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन तकनीकी पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

पाकिस्तान द्वारा हथियारों का जमाव

2183. श्री टी.आर. बालू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमान की आपूर्ति पर विचार कर रही है;

(ख) क्या पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति से दक्षिण एशिया में असन्तुलन की स्थिति पैदा होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सरकार ने पाकिस्तान द्वारा किए गए नाभिकीय परीक्षणों की श्रृंखला से पूर्व मई, 1998 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं कि अमरीकी सरकार नाभिकीय परीक्षणों को रोकने के लिए पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों की एक खेप भेजने की संभाव्यता पर विचार कर सकती है, जिसके लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है। तथापि, पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय परीक्षण किए जाने के बाद अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए है और पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने की अमरीका की योजना के बारे में आगे और कोई खबर नहीं मिली है। प्रेसलर संशोधन, जो पाकिस्तान को इन विमानों की बिक्री पर रोक लगाता है, अभी प्रभावी है।

(ख) और (ग) सरकार का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा अपनी वैध आवश्यकताओं से कहीं अधिक अत्याधुनिक हथियारों का अधिग्रहण करना दक्षिण अफ्रीका में शान्ति और सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को इन हथियारों की आपूर्ति से भारत की सुरक्षा को खतरा है। सरकार ने इस विषय पर अपने विचारों से संबंधित देशों को अवगत करा दिया है। सरकार पाकिस्तान द्वारा हथियारों का अधिग्रहण किए जाने से भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी और भारत की सुरक्षा वातावरण में घटने वाली घटनाओं के अपने मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की प्रभावकारी ढंग से रक्षा करेगी।

रोजगार के अवसर

2184. श्रीमती मीरा कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक बेरोजगार व्यक्ति श्रम शक्ति में शामिल हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना द्वारा रोजगार के कितने अवसर पैदा किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) बेरोजगारों और रोजगार के अवसरों के बीच की दूरी को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) किसी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए बेरोजगारी का अनुमान सामान्य रूप से उस पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में प्रस्तुत किया जाता है। योजना आयोग की आंतरिक बैठक में अनुमोदित प्रारूप नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002, पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) द्वारा विचार किया जाना है। सरकार ने इस प्रारूप की समीक्षा करने का निर्णय लिया है जिससे शासन के लिए राष्ट्रीय एजेन्डा में यथा घोषित, परिवर्तित प्राथमिकताओं को उपयुक्त रूप से दर्शाया जा सके। संशोधित दस्तावेज को तब तक उचित प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा यथा अनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में उत्पादक रोजगार की प्राथमिकता की परिकल्पना की गई है, जिसे उन क्षेत्रों में जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की मात्रा अधिक है, क्षेत्रकों, उप-क्षेत्रकों और तकनीकों, जो अधिक श्रमदोहक हैं, पर ध्यान केन्द्रित करके विकास प्रक्रिया में ही सृजित किया जाएगा।

[हिन्दी]

बांध

2185. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में बनाए गए भिन्न क्षमता वाले बांधों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे बांधों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश का पंचेश्वर बांध भी उसमें शामिल है;

(घ) यदि हां, तो उसकी प्राक्कलित लागत कितनी है; और

(ङ) इसका निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बीजों की नई किस्में

2186. श्री सी.पी. राधाकृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बिनौले की नई किस्में विकसित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बीजों को किसानों को वितरित करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) फसलों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां। अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना के माध्यम से गहन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में 30 किस्में/संकर किस्में विकसित की गई हैं।

(ख) बीजों का उत्पादन एवं वितरण मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्यों के कृषि विभाग/राज्य बीज निगम प्रमाणित/अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के गुणन एवं किसानों के बीच उनके वितरण के कार्य में लगे हैं। केन्द्र सरकार एवं इसके अभिकरण, राष्ट्रीय बीज निगम लि. एवं भारतीय राज्य फार्म निगम लि. राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करते हैं। प्रमाणित बीजों की आपूर्ति के लिए गहन कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जाती है।

(ग) फसलों की सुरक्षा के लिए विभिन्न राज्यों में अवस्थित केन्द्रीय समेकित कृषि प्रबन्ध केन्द्रों के माध्यम से निरन्तर देख-रेख एवं अनुवीक्षण किया जाता है।

इसके अलावा निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं:-

- समेकित कृमि प्रबन्ध पर किसानों को प्रशिक्षण
- राज्यों को जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान
- *समेकित कृषि प्रबन्ध के संबंध में प्रदर्शनी एवं विस्तार के लिए वित्तीय सहायता*
- प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले परजीवियों एवं परभक्षियों के संरक्षण के बारे में किसानों को शिक्षित करना, एवं
- केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला के माध्यम से कीटनाशियों का गुणवत्ता नियंत्रण।

दुग्ध क्रांति योजनाएं

2187. डा. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दुग्ध क्रांति के अंतर्गत अब तक स्थापित की गई डेयरियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस समय लाभ अर्जित कर रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक दुग्ध क्रांति योजना के अंतर्गत शुरू की गई तेल परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) घाटे में चल रही डेयरी/तेल परियोजनाओं के पुनर्स्थापन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) ऑपरेशन फ्लड योजना के तहत कुल 170 डेयरी परियोजनाएं (दुग्ध शैड) स्थापित की गई हैं जिनमें से 91 परियोजनाएं लाभ में चल रही हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आयल परियोजनाएं ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम से अलग शुरू की गई थीं।

(घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने घाटे में चल रही कुछ डेयरी परियोजनाओं के पुनर्वास का कार्य भारत सरकार द्वारा योजना को स्वीकृति प्रदान करने से पहले ही हाथ में ले लिया। ऑयल परियोजना की पुनर्वास योजना भी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा तेल संघों/परिसंघों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है।

विवरण

डेयरी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	डेयरी परियोजनाओं की संख्या (दुग्ध शैड)	लाभ में चल रही डेयरी परियोजनाओं/दुग्ध शैडों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	11	4
2.	असम	1	-
3.	बिहार	8	3
4.	गुजरात	16	12
5.	हरियाणा	5	1
6.	हिमाचल प्रदेश	2	-
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1	-
8.	कर्नाटक	13	12
9.	केरल	2	2
10.	मध्य प्रदेश	7	2
11.	महाराष्ट्र	20	7
12.	नागालैंड	1	-
13.	उड़ीसा	5	4
14.	पंजाब	11	9

1	2	3	4
15.	राजस्थान	16	9
16.	सिक्किम	1	-
17.	तमिलनाडु	13	6
18.	त्रिपुरा	1	-
19.	उत्तर प्रदेश	28	14
20.	पश्चिम बंगाल	6	4
21.	गोआ	1	1
22.	पांडिचेरी	1	1
	कुल	170	91

नकदी फसलों की खेती

2188. **श्री टी. गोविंदन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 1995 के बाद नकदी फसलों की पैदावार हेतु कुल कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य फसलों और नकदी फसलों के उपयोग के अनुपात में इनकी खेती के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) नकदी फसलों के विकास की योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य को सहायता देने संबंधी केरल सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में 1995-96 से 1997-98 के दौरान प्रमुख नकदी फसलों जैसे कपास, गन्ना पटसन/मेस्ता तथा तम्बाकू के अंतर्गत क्षेत्र का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

फसल	1994-95	1995-96	1996-97
कपास	78.71	90.35	91.22
गन्ना	38.67	41.47	41.68
पटसन/मेस्ता	9.29	9.26	10.79
तम्बाकू	3.82	3.95	4.32

(ख) और (ग) वर्जिनिया तम्बाकू के अंतर्गत क्षेत्र का विनियमन घरेलू तथा निर्यात आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत केवल तम्बाकू बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(घ) केरल राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य को केन्द्रीय अंशदान के रूप में 40.381 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

पशु चिकित्सालय

2189. **श्री एस.एस. ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पशु चिकित्सालय और गर्भाधान केन्द्र खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा इसके लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रत्येक केन्द्र में कितने पशु होने चाहिये;

(ख) देश में पशु चिकित्सालयों और गर्भाधान केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पशु चिकित्सालय और गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का देश में ऐसे अस्पतालों और गर्भाधान केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने अस्पताल और केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है और इनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार ने पशुचिकित्सालय खोलने के लिए कोई मानदंड तय नहीं किए हैं। तथापि, कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने (1976) यह सिफारिश की थी कि वर्ष 2000 तक प्रत्येक 5000 गोपशु यूनिटों के लिए कम से कम एक पशुचिकित्सालय होना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना के लिए सामान्य मानदंड यह है कि प्रत्येक 1000 प्रजननीय गोपशु/भैंसों के लिए कम से कम एक केन्द्र होना चाहिए।

(ख) देश में राज्यवार पशुचिकित्सालयों और गर्भाधान केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों में पशुचिकित्सालयों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, राज्यों को हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी विस्तार संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता तथा स्थापित किए गए गर्भाधान केन्द्रों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-॥ में दिया गया है।

(ङ) और (च) पशुचिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर गर्भाधान केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

विवरण ।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पशुचिकित्सा अस्पताल/ पॉलीक्लिनिक	पशुचिकित्सा औषधालय	पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र/ स्टॉकमैन केन्द्र/ सचल औषधालय	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	280	1641	2616	3528
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	91	166	27
3.	असम	26	434	1245	731
4.	बिहार	62	1155	2190	1652
5.	गोआ	4	22	54	80
6.	गुजरात	13	443	1142	3789
7.	हरियाणा	607	859	759	2276
8.	हिमाचल प्रदेश	304	729	166	894
9.	जम्मू एवं कश्मीर	195	146	460	550

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	267	700	2093	5951
11.	केरल	180	923	17	1890
12.	मध्य प्रदेश	772	2254	90	2885
13.	महाराष्ट्र	31	1090	2036	4076
14.	मणिपुर	54	101	2°	154
15.	मेघालय	4	58	165	61
16.	मिजोरम	5	38	143	50
17.	नागालैंड	4	27	133	6
18.	उड़ीसा	58	482	2924	1618
19.	पंजाब	1103	1328	45	2119
20.	राजस्थान	1180	285	1080	2109
21.	सिक्किम	12	25	69	35
22.	तमिलनाडु	97	765	2202	3510
23.	त्रिपुरा	9	44	371	133
24.	उत्तर प्रदेश	1968	261	2714	2661
25.	पश्चिम बंगाल	110	611	704	2878
26.	अंड. निकोबार द्वीपसमूह	9	8	41	31
27.	चण्डीगढ़	5	8	1	1

1	2	3	4	5	6
28.	दादर व नगर हवेली	1	0	10	0
29.	दमन एवं दियू	2	0	0	0
30.	दिल्ली	48	24	1	25
31.	लक्षद्वीप	2	7	9	5
32.	पांडिचेरी	2	14	7	57

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना "हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार" के तहत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता तथा स्थापित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1995-96		1996-97		1997-98	
		राशि	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	राशि	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	राशि	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	192.50	1000
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	4.80	40	-	-
3.	गुजरात	-	-	-	-	34.20	114
4.	हरियाणा	23.80	170	-	-	-	-
5.	मध्य प्रदेश	28.00	200	-	-	-	-
6.	मणिपुर	-	-	-	-	19.56	154
7.	मिजोरम	1.80	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	केरल	27.36	228	-	-	-	-
9.	पंजाब	-	-	99.72	831	-	-
10.	राजस्थान	-	-	-	-	100.00	500
11.	उत्तर प्रदेश	24.34	147	-	-	200.00	1000
12.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	131.90	1055

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2190. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में आज तक कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं और देश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। वैसे केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (1994-95) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में फैक्टरी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या 2652 थी।

(ख) और (ग) मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता।

अंतरराज्यीय स्कंध स्थापित किया जाना

2191. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास विभाग में पूर्ण अंतरराज्जीय स्कंध स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे कृष्णा नदी के जल के उपयोग के मामले पर राज्य के हितों की रक्षा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्कंध ने सिंचाई, विद्युत, औद्योगिक और अन्य सभी परियोजनाओं द्वारा कृष्णा नदी के जल का समान रूप से उपयोग करने का अध्ययन करने का निर्णय लिया है; और

(ग) क्या तीनों राज्यों द्वारा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई याचिकाओं पर भी अंतरराज्यीय स्कंध द्वारा अध्ययन किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य से होकर बहने वाली नदियों से संबंधित सभी अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर विचार करने के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक अलग संगठन गठित किया है।

निर्यातोन्मुखी एकक

2192. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आठवीं योजना के दौरान कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए हैं तथा राज्य-वार और स्थान वार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का नौवीं योजना के दौरान देश में कुल शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो निर्यातोन्मुखी एककों में से कितने एकक विदेशी सहयोग से स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) किन-किन राज्यों में ये एकक स्थापित किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं और देश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। लेकिन केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (1994-95) के अनुसार फैक्ट्री क्षेत्र में देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की कुल संख्या 29,407 थी। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में अलग-अलग योजनावार यूनिटों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। वैसे यूनिटों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता।

विवरण

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1994-95 के अनुसार फैक्टरी क्षेत्र में प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	यूनिटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10163
2.	असम	734
3.	बिहार	433
4.	गोवा	34
5.	गुजरात	1270
6.	हरियाणा	600
7.	हिमाचल प्रदेश	46
8.	जम्मू और कश्मीर	69
9.	कर्नाटक	1221
10.	मध्य प्रदेश	1170
11.	मध्य प्रदेश	1302
12.	महाराष्ट्र	2420
13.	मणिपुर	49
14.	मेघालय	33
15.	नागालैंड	45
16.	उड़ीसा	425
17.	पंजाब	1196
18.	राजस्थान	1515
19.	तमिलनाडु	3792
20.	त्रिपुरा	22
21.	उत्तर प्रदेश	2652
22.	प. बंगाल	1089
23.	चंडीगढ़	36
24.	दमन एवं दीव	95
25.	दिल्ली	125
26.	पांडिचेरी	42
27.	अन्य	9
	कुल	29407

[हिन्दी]

भूमि का इष्टतम उपयोग

2193. श्री सी.डी. गामीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए भूमि का इष्टतम उपयोग करने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कितनी भूमि उपलब्ध है जिसका इष्टतम उपयोग किया जा सकता है;

(घ) देश में भूक्षरण और भूअपकर्षण सम्भावित कुल कितनी भूमि उपलब्ध है;

(ङ) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में हुई क्षति का जायजा लेने के लिए कोई मूल्यांकन किया है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की एक रूप रेखा तैयार की है और उसे क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है, क्योंकि भूमि राज्य का विषय है।

(ग) और (घ) लगभग 173.6 मिलियन हैक्टेयर भूमि भूक्षरण तथा भूअपकर्षण की विभिन्न समस्याओं यथा, जल-क्षरण, वायु-क्षरण, खड्डों, लवण प्रभावित भूमि, जलबन्ध, पारी खेती, अवस्तरित, वन, विशेष समस्याओं और तटीय रेतीले क्षेत्रों से ग्रस्त है। उन्हें इष्टतम उपयोग के लिए विकसित किया जा सकता है।

(ङ) और (च) हानि के आकलन के लिए कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं है, तथापि विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों यथा, (1) नदी घाटी परियोजना (आर.वी.पी.) के जल संग्रहण में भूमि संरक्षण, (2) बाढ़ प्रवण नदियों (एफ.पी.आर.) के जल संग्रहण में भूमि संरक्षण, (3) क्षारीय भूमियों का सुधार, (4) पूर्वोत्तर भारत में पारी-खेती क्षेत्रों के लिए जल संभर प्रबंधन की स्कीम, और (5) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जलसंभर विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.), तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य क्षेत्रकों की स्कीमों को, भूक्षरण व भूअपकर्षण को नियंत्रित करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

2194. श्री राम पाल उपाध्याय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में वर्ष 1997-98 के दौरान सृजित कुल सिंचाई क्षमता कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए अगले दो वर्षों के दौरान कुछ नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य द्वारा नौवीं योजना में उनके योजना अभिलेखों के अनुसार शुरू की जाने वाली वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 401.72 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होने की संभावना है जिसमें से वर्ष 1997-98 में 58.60 हजार हेक्टेयर सृजित करने का लक्ष्य था।

विवरण

नौवीं योजना (1997-2002) के लिये नई वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का ब्यौरा

हजार हेक्टेयर में क्षमता/
करोड़ रुपये में राशि

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (वा.वो. 1997-98)	चरम सिंचाई क्षमता
1	2	3	4
क. वृहद			
1.	यमुना जल परियोजनाएं	485.00	लागू नहीं
2.	गगरिन	20.00	10.93
3.	मनोहर थाना	78.10	37.93
4.	इंदिरा लिफ्ट	184.00	74.07

1	2	3	4
5.	धौलपुर लिफ्ट	19.20	24.16
6.	पिप्लादा लिफ्ट	14.77	14.87
7.	माही उच्च स्तरीय नहर	450.00	लागू नहीं
8.	राजस्थान बल समंकन परियोजना	2000.00	लागू नहीं
ब. मध्यम			
1.	सुक्लि	18.70	4.22
2.	बंदीसेन्दरा	13.04	4.09
3.	चकेन	9.55	3.38
4.	गर्द्रदा	36.50	9.22
5.	पिप्लाद	16.93	3.75
6.	बर्नी	15.05	7.75
7.	लहासी	16.27	4.32
8.	टकली	14.50	5.17
9.	गुलेन्दी	12.06	2.47
10.	पिप्लेट लिफ्ट	11.34	9.69
11.	ओलवारा लिफ्ट	9.70	4.68
12.	करेली	9.14	3.62
13.	कराल	26.12	4.80
14.	हिंडलोई	12.23	2.92

[हिन्दी]

विषैले तत्व

2195. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनाजों में प्रयुक्त रासायनिक कीटनाशकों के विषैले तत्वों के कारण लोगों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सरकार द्वारा उसका प्रभाव न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत कीटनाशकों का प्रतिबन्धित रूप में उपयोग मूल्यांकन तथा प्रभाविता के पश्चात्, भण्डार में रखे गये अनाज की कृमि रोग निरोधी और रोग निवारक उपचारों के लिए अनाज के भंडारण में किया जाता है। विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा कराये गये अध्ययनों से यह पता चला है कि कृमिनाशी दवाओं के अवशेष से स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है यदि इसे संस्तुत मात्रा में तथा समयान्तराल पर उपयोग में लाया जाए।

(ग) खाद्यान्नों पर रासायनिक कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) रोग निरोधी उपायों के रूप में अनाज की बोरियों पर संस्तुत कृमिनाशियों का छिड़काव।

(2) खाद्यान्नों पर सीधे छिड़काव न करना अथवा इसे खाद्यान्नों में नहीं मिलाना।

(3) खपत के लिए भेजने के पहले उपचारित खाद्यान्नों का उचित वातन करना।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

2196. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान विदेशी बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और नाबार्ड ने देश में, राज्य-वार कुछ मध्यम और बड़ी सिंचाइ परियोजनाओं को शुरू करने के लिए धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान केवल ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फंड (ओईसीएफ) जापान ने "रेंगाली वृहद सिंचाई परियोजना", उड़ीसा के लिए 7760 मिलियन येन (लगभग 265 करोड़ रुपए) की राशि स्वीकृत की है। जिसके लिए एक समझौते पर दिसम्बर, 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के निष्पादन के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृत निधियों के ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और सभापटल पर रख दिए जाएंगे।

जल विद्युत परियोजनाएं

2197. **श्री रामपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्वतीय क्षेत्रों में चल रही लघु जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरी होने वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 3 मेगावाट स्टेशन क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्यवाही करता है। अब तक, देश में 155.38 मेगावाट समग्र क्षमता की 216 लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं और 230.40 मेगावाट समग्र क्षमता की 208 एस.एच.पी. परियोजनाओं का कार्य जारी है। यह परियोजनाएं पहाड़ी और मैदानी, दोनों क्षेत्रों में अवस्थित हैं। इनमें से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 96.37 मेगावाट समग्र क्षमता की 82 प्रदर्शन एस.एच.पी. परियोजनाओं की सहायता कर रहा है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की सब्सिडी योजना के अधीन पहाड़ी क्षेत्रों में जारी लघु जल विद्युत परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन एस.एच.पी. परियोजनाओं में से 19 परियोजनाओं का काम पूरा हो जाएगा।

विवरण

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की सब्सिडी योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में जारी लघु विद्युत परियोजनाओं (3 मेगावाट स्टेशन क्षमता तक) का विवरण

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	कुल क्षमता (किवा.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
	हिमाचल प्रदेश		
1.	जुबाल	150	शुरू हो गई
2.	मनाली	200	-वही-
3.	होली	3000	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य उन्नत अवस्था में हैं। कमीशनिंग वर्ष 1998-99 के दौरान होगी।
4.	साल स्टेज II	2000	-वही-

1	2	3	4
5.	भाभा ओंग.	3000	-वही-
6.	गुमा	3000	-वही-
	उत्तर प्रदेश		
7.	बिलकोट	50	शुरू हो गई
8.	खेत	100	-वही-
9.	करमी	50	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य उन्नत अवस्था में हैं। कर्माशनिंग वर्ष 1998-99 के दौरान होगी।
10.	बागर	50	-वही-
11.	लाठी	100	-वही-
12.	नैनी	50	शुरू हो गई
13.	गोगिना	100	-वही-
14.	लैटी	50	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य उन्नत अवस्था में हैं। कमीशनिंग वर्ष 1998-99 के दौरान होगी।
15.	बइचम	100	शुरू हो गई
16.	सुरग	50	-वही-
17.	बदियाकोट	100	-वही-
18.	खाती	50	आदेश दे दिए गए हैं। स्थलों की समस्या के कारण राज्य में इस परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा रही है।
19.	जूमागढ़	1200	मुख्य उपस्कर स्थापित किये जा चुके हैं। सिविल कार्य उन्नत अवस्था में हैं। कमीशनिंग वर्ष 1998-99 के दौरान होगी।

1	2	3	4
20.	उरगांव	3000	शुरू हो गई
21.	जानकी चट्टी	200	–वही–
22.	इस्तरगढ़	200	–वही–
23.	दियोर एक्स.	50	–वही–
24.	घाघरिया एक्स.	50	–वही–
	तमिलनाडु		
25.	मुकुरूथी	700	–वही–
	बिहार		
26.	नेटरहाट	50	प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है। कमीशनिंग वर्ष 1999-2000 तक होगी।
27.	सदानी	1000	–वही–
28.	निचली घाघरी	400	–वही–
	सिक्किम		
29.	रोन्गोमचु	3000	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य प्रगति पर है। कमीशनिंग वर्ष 1999-2000 तक होगी।
	पश्चिम बंगाल		
30.	रांगमुक और केडार्स	500	शुरू हो गई
31.	मुंगपु काली खोला	3000	सिविल कार्य आरंभ किए जाने हैं। ई एवं एम उपस्करों के आदेशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कमीशनिंग वर्ष 2000-01 तक होगी।

1	2	3	4
	अरूणाचल प्रदेश		
32.	सिनयुक	2000	- शुरू हो गई
33.	दोमखरोंग	2000	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य उन्नत अवस्था में हैं। कमीशनिंग वर्ष 1998-99 के दौरान होगी।
34.	सिपिट	2000	-वही-
35.	सिदीप	3000	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य प्रगति पर है। कमीशनिंग वर्ष 1998-99 के दौरान होगी।
36	लिरोमोबा	2000	-वही-
37.	किटपी	3000	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य प्रगति पर है। कमीशनिंग वर्ष 1998-99 के दौरान होगी।
38.	कुश	2000	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य प्रारंभिक अवस्था में हैं। कमीशनिंग वर्ष 1999-2000 के दौरान होगी।
	मणिपुर		
39.	खुगा स्टेज-II	250	उपस्करों की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है। सिविल कार्य प्रारंभिक अवस्था में हैं। कमीशनिंग वर्ष 1999-2000 तक होगी।
40.	सिंगदा	750	-वही-
	मेघालय		
41.	गलवांग	100	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य प्रारंभिक अवस्था में हैं। कमीशनिंग वर्ष 1999-2000 के दौरान होगी।
42.	गैंगप	100	-वही-

1	2	3	4
	मिजोरम		
43.	टियरी	3000	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य उन्नत अवस्था में हैं। कमीशनिंग वर्ष 1998-99 के दौरान होगी।
44.	ट्यूपांगलुई	3000	-वही-
45.	काउ-तलाबंबग	3000	-वही-
	नागालैंड		
46.	होरांगकी	1500	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य उन्नत अवस्था में हैं। कमीशनिंग वर्ष 1998-99 के दौरान होगी।
47.	तेलंगामाओ	600	मुख्य उपस्करों की आपूर्ति हो चुकी है। सिविल कार्य प्रगति पर है। कमीशनिंग वर्ष 1998-99 के दौरान होगी।
	त्रिपुरा		
48.	सइकरबाडी	100	सिविल कार्य के ए. एवं एम. उपस्करों हेतु आर्डर दिया जाना शेष है। कमीशनिंग वर्ष 2000-01 के तक होगी।
	कुल	53950	

बूचड़खाना

2198. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत बूचड़खानों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में अनधिकृत रूप से पशुवध को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) दिल्ली नगर निगम ईदगाह, दिल्ली में एक पंजीकृत बूचड़खाना चला रहा है।

(ख) पशु वध राज्य का विषय है जो स्थानीय निकायों के नियंत्रण में है। अनधिकृत पशुवध को रोकने के लिए, स्थानीय निकायों द्वारा छापे मारे जाते हैं तथा अन्य उपाय किए जाते हैं। अनधिकृत पशु वध रोकने के लिए राज्य सरकारों को सूचित किया गया है।

स्वास्थ्यकर पशुवध सुविधाएं उपलब्ध कराने और पशुओं का अनधिकृत वध रोकने के लिए इस मंत्रालय द्वारा "बूचड़खानों का सुधार/आधुनिकीकरण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है।

पूर्वोत्तर परिषद

2199. कुमारी ममता बनर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद (एन.ई.सी.) का पुनर्गठन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के त्वरित विकास के लिए किए गए प्रस्तावों तथा केन्द्रीय पूल से किए गए विशेष बजटीय प्रावधानों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर परिषद के निम्नलिखित रूप से पुनर्गठन के लिए "सिद्धांत रूप में" एक निर्णय लिया गया:

(1) उपाध्यक्ष, योजना आयोग पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष होंगे।

(2) पूर्वोत्तर परिषद का योजना आयोग के साथ अधिक संबद्धता और समन्वय होगा तथा यह अनन्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगी तथा इसका कोई सुरक्षा संबंधी कार्य नहीं होगा; और

(3) सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाएगा।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के तेजी से विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम में अन्य बातों के साथ-साथ "एक परियोजना दृष्टिकोण" अपनाया जाना शामिल है जिसमें राज्य सरकारों और पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) के परामर्श से पहचान की जाने वाली चालू परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने पर जोर देना तथा पूर्वोत्तर के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्धारित बजट आबंटन के 10 प्रतिशत अव्ययित शेष का उपयोग करते हुए संसाधनों का एक गैर व्यपगत केन्द्रीय पूल बनाना शामिल है।

परमाणु परीक्षण के कारण बीमारियां

2200. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोखरण क्षेत्र के गांवों में परमाणु परीक्षण किए जाने के पांच दिन के पश्चात् ही वहां के लोगों की नाक से अत्यधिक खून बहने, त्वचा और आंख आदि की बीमारियों की शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजना

2201. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में किन-किन जल स्रोतों से सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) इस राज्य में सिंचाई की संभावना का ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य में कुल कितने सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान कराई गई थी; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिये कितना अनुमान लगाया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कर्नाटक में सिंचाई सुविधाएं वृहद मध्यम सतही सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु (भूजल एवं सतही जल) सिंचाई परियोजनाओं से प्रदान की जाती है।

(ख) कर्नाटक राज्य में विभिन्न स्रोतों से की जाने वाली सिंचाई के चरम सिंचाई क्षमता का अलग-अलग विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	स्रोत	चरम सिंचाई क्षमता (मि. हेक्टेयर)
1.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता	2.50
2.	लघु सिंचाई स्कीमें	
	(1) सतही जल	0.90
	(2) भूजल	1.20
	कुल	4.60

(ग) कर्नाटक में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 14 वृहद एवं 18 मध्यम चल रही परियोजनाओं से राज्य के अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के अतिरिक्त सूखा प्रवण क्षेत्रों में 1.22 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन की परिकल्पना है।

(घ) योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना के लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

कोनार सिंचाई परियोजना

2202. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री आर.एल.पी. वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच सहमति न होने के कारण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) बिहार में आज तक कोनार नहर परियोजना का कितने प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इस पर आज तक कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार के ध्यान में किसी अनियमितता और धनराशि के दुरुपयोग का मामला आया है;

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ज) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना तैयार करना और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों में किया जाता है। कोनार नहर परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 312.49 करोड़ रु. है। राज्य सरकार द्वारा मार्च, 1997 तक किया गया अनुमानित व्यय 89.48 करोड़ रु. है। बिहार सरकार की वार्षिक योजना 1996-97 के दस्तावेजों के अनुसार परियोजना के विभिन्न घटकों के पूरा होने की प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

मुख्य नहर	-	97%
वितरिकाएं	-	64%
संरचनाएं	-	60%

परियोजना का पूरा किया जाना राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

भूमि कटाव

2203. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में बढ़ते हुए भूमि कटाव की जानकारी है तथा इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ख) भूमि कटाव के कारण कितनी प्रतिशत भूमि प्रभावित हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा भूमि कटाव की समस्या से निपटने के लिए अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। विभिन्न राज्यों में मिट्टी अपरदन के मुख्य कारण हैं:-

भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, वनों की कटाई, अत्यधिक चारण, अनुपयुक्त भूमि उपयोग, अपर्याप्त दीर्घकालीन सुरक्षात्मक उपाय इत्यादि।

(ख) और (ग) एक अनुमान के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की 43.00% मिट्टी अपरदन से प्रभावित है। मिट्टी अपरदन को कम करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना एवं राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम शामिल हैं।

अपर कृष्णा परियोजना

2204. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर कृष्णा परियोजना का निर्माण कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मास्को में भारतीय लोगों पर हमला

2205. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 07 अप्रैल, 1998 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'स्किनहेडेस अटेक आन इण्डियन्स आन द राइज्' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में प्रकाशित तथ्य क्या हैं और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रूसी सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभी हाल ही में रूस में भारतीय राष्ट्रिकों को रंगभेद के आधार पर डराने-धमकाने अथवा उनके साथ मारपीट करने की लगभग एक दर्जन घटनाएं हुई हैं। हालांकि इन घटनाओं में चोट अथवा मौखिक गाली-गलौज की गम्भीरता अलग-अलग प्रकार की रही है, तथापि, मृत्यु अथवा गंभीर चोट की खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है जिसमें इन घटनाओं की वजह से भारतीय राष्ट्रिकों को लम्बे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा हो। जांच करने पर पाया गया कि रूस में भारतीयों के खिलाफ हिंसक जातिगत हमलों की घटनाओं में तेजी आने की खबरों को समाचार पत्रों में अतिरंजित करके छापा गया है।

भारतीय राष्ट्रिकों के साथ घटने वाली इक्का-दुक्का घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 'हिंदुस्तान टाइम्स' में 7 अप्रैल, 1998 को लेख छपने से भी पूर्व मास्को स्थित भारतीय राजदूतावास ने भारतीय राष्ट्रिकों को प्रभावित करने वाली ऐसी घटनाओं के प्रति अपनी गहरी चिंता से रूसी विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मास्को सिटी के स्थानीय प्राधिकारियों और रूसी विशेषज्ञ अभिकरणों को अवगत करा दिया था और उनसे भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायों में तेजी लाने का आग्रह किया गया था। इन चिंताओं को बार-बार दोहराया गया था जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय परिसरों तथा मेट्रो स्टेशनों के आसपास गश्त बढ़ा दी गई थी। भारतीय समुदाय के मन में विश्वास बैठाने के लिए जो अन्य उपाय किए गए उनमें : (1) जहां भारतीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उन संस्थाओं के अध्यक्षों से सीधा संपर्क स्थापित करना, (2) राजदूतावास के अधिकारियों के साथ भारतीय विद्यार्थियों और व्यापार समुदायों के प्रतिनिधियों की बैठकें जिनसे आतंकित न होने, पर्याप्त एहतियात बरतने, समूह में घूमने-फिरने, किसी भी घटना को तत्काल दर्ज कराने, पुलिस के साथ सहयोग करने और राजदूतावास को पूरी तरह से सूचित करने के लिए कहा जाना, (3) विश्वविद्यालय के उन छात्रावासों का राजदूतावास के अधिकारियों द्वारा दौरा करना जहां भारतीय विद्यार्थी अधिक संख्या में रहते हैं आदि उपाय शामिल हैं। उपर्युक्त उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप घटनाओं की संख्या में तेजी से कमी आई है और भारतीय समुदाय में शान्ति और सुरक्षा की भावना लौट आई है।

निजी क्षेत्र में सरकारी अधिकारी

2206. श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के उन राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए अनुमति मांगी थी;

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें यह अनुमति प्रदान की गई थी;

(ग) ऐसे कर्मचारियों का उनके विभागों सहित ब्यौरा क्या है जिनमें वे कार्यरत थे और निजी क्षेत्र में उनके द्वारा किए जाने वाली नौकरी का स्वरूप क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार के उन सेवानिवृत्त राजपत्रित कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर निजी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए अनुमति मांगी थी;

(ङ) ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अनुमति प्रदान की गई थी;

(च) ऐसे सेवानिवृत कर्मचारियों का उनकी सरकारी सेवा के दौरान और निजी क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य-स्वरूप का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने सरकार की अनुमति के बिना निजी क्षेत्र में नौकरी की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) केन्द्र-सरकार के कर्मचारियों को निजी क्षेत्र में नौकरी करने देने की अनुमति नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (ज) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

[हिन्दी]

जैव-तकनीकी के कारण उत्पादन में कमी

2207. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मई, 1998 के ''दैनिक जागरण'' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दिया गया था कि पूरे विश्व में किसानों को नुकसान होने की संभावना है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई जैव-तकनीकी का पेटेंट करवा लिया गया है जैसाकि ग्रामीण विकास फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय (आर.ए.एफ.आई.) कनाडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें बताई गई बातों के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऐसी प्रौद्योगिकी के लिए पेटेन्ट सं. 5723765 प्रदान की गई है जो बीज में एक ''टर्मिनेटर'' जीन का प्रवेश करा देती है एवं जो बीज की दूसरी बार बुआई करने पर उसका अंकुरण नहीं होने देती हैं। चूंकि भारत बीज का अतिअल्प मात्रा में आयात करता है अतः ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इस अमेरिकी पेटेन्ट का भारत पर कोई खास प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, किसान किसी भी ऐसे बीज को नहीं खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

कपास/मिर्च की कीमतें

2208. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुक्त बाजार में कपास और मिर्च की कीमतों में अचानक कोई गिरावट आई थी;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में कपास और मिर्च की वर्तमान बाजार भाव क्या हैं;

(ग) क्या किसानों ने आग्रह किया है कि भारतीय कपास निगम बाजार हस्तक्षेप योजना में भाग ले और सरकार कपास का 2,350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लाभकारी मूल्य निर्धारित करें; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कपास तथा मिर्च के मूल्य मई, 1995 में कपास के मूल्यों में असामान्य वृद्धि को छोड़कर, सामान्यतः बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित करते रहे हैं। यह वर्तमान तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास तथा मिर्च के थोक मूल्य सूचकांकों से स्पष्ट है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

थोक मूल्य सूचकांक

(आधार 1981-82 = 100)

अवधि	कपास	मिर्च
मई, 1995	407.4	286.6
मई, 1996	298.1	400.1
मई, 1997	327.2	350.2
मई, 1998	370.8	410.0

(ग) और (घ) भारतीय कपास निगम को इस संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, भारतीय कपास निगम कपास की बिक्री के लिये मण्डी परिसरों में आयोजित खुली निलामियों में अकसर भाग लेता है। कपास को न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत शामिल किये जाने की वजह से सरकार मूल्यों के समर्थन मूल्य से कम हो जाने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की अधिप्राप्ति करती है।

टेक्नोपॉलिस नालेजपार्क्स

2209. श्री के.एस. राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टाटा कंपनी को मुम्बई में स्व-शासित 'टेक्नोपॉलिस नालेजपार्क' स्थापित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पार्क की विशेषता, उस पर आने वाला खर्च और दी जाने वाली सुविधाएं क्या हैं;

(ग) क्या टाटा कम्पनी ने इसी तरह के 'टेक्नोपॉलिस नालेजपार्क्स' देश के अन्य भागों में भी स्थापित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) औद्योगिक उद्यान स्थापित करने के लिए उद्योग मंत्रालय से कोई औद्योगिक लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। तथापि, उद्योग मंत्रालय को टाटा हाऊसिंग डिवेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (टी.एच.डी.सी.एल.) से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपने प्रस्तावित विशेषीकृत औद्योगिक उद्यान, अर्थात् टेक्नोपोलिस नालेज पार्क को आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के अन्तर्गत आयकर से छूट पाने के लिए मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध को आवश्यक कार्रवाई हेतु वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। आवेदन में कहा गया है कि मुख्यत: वित्तीय सेवाओं, मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रानिक्स कम्पनी लि. (नेलको) टी.एच.डी.सी.एल. के साथ मिलकर मुम्बई में टेक्नोपोलिस नॉलेज पार्क के विकास की योजना बना रहे हैं। यह पार्क विशेषत: निम्नलिखित के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:

1. सूचना प्रौद्योगिकी
2. वित्तीय सेवाएं ... पोषक कार्यालय
3. यात्रा सेवाएं
4. *मीडिया विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक और फिल्म आधारित मास मीडिया*
5. औषधीय अनुसंधान
6. इंजीनियरिंग परामर्श

(ग) और (घ) चूंकि निजी क्षेत्र द्वारा टेक्नोपोलिस नॉलेज पार्क स्थापित करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, अत: यह सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

राजस्थान के लिए विकास योजना

2210. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान राजस्थान के पिछड़े/रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना अनुमोदित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितना धन आबंटित किया गया;

(घ) राज्य सरकार से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत की गई अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनमें से कितनी योजनाएं गरीब, दलित और अल्पसंख्यक बहुल पिछड़ें/रेगिस्तानी क्षेत्रों से संबंधित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ङ) राजस्थान के पिछड़े/मरुस्थलीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख विकास स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य में सात सर्वाधिक पिछड़ी पंचायत समितियों के गहन विकास को दृष्टि में रखकर, 1996-97 के दौरान 2.0 करोड़ रु., तथा एक बाढ़ नियंत्रण स्कीम, अर्थात् गोवर्धन नाले के पुनरोद्धार के लिए 1997-98 के दौरान 0.77 करोड़ रु. भी संस्वीकृत किए हैं। 1996-97 और 1997-98 दोनों वर्षों में, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य योजना से भिन्न, 60 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.) के लिए, इस परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा कराने के लिए उपलब्ध कराई गई।

विवरण

ग्राम विकास

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	स्कीम	कुल आवंटन	
		1996-97	1997-98
1.	आई.आर.डी.पी.	43.88	45.33
2.	गंगा कल्याण योजना (1 फरवरी 1997 से)	3.59	7.98
3.	सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	8.71	11.20
4.	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	52.58	34.00

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)

राजस्थान के सीमा ब्लॉकों के संतुलित विकास के लिए, बी.ए.डी.पी. को विशेष केन्द्रीय सहायता के साथ प्रचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत के वर्षों 1996-97 और 1997-98 में प्रत्येक वर्ष में 25.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास

सिंचाई स्कीमों के लाभ पिछड़े क्षेत्रों और कुछ खास मामलों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों को उनकी कमान स्थिति के स्थल पर निर्भर रहते हुए मिलते हैं। योजना आयोग ने विगत दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित स्कीमों/परियोजनाओं को निवेश स्वीकृति के लिए अनुमोदित किया है:

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
1.	सुकली मंझौली सिंचाई परियोजना	18.698
2.	बारी सेंट्रा मंझौली परियोजना	13.041
3.	बिसालपुर	309.070
4.	गंभीरी नहर का आधुनिकीकरण	1176.260
5.	आई.जी.एन.पी. (II)	3398.910
6.	गोवर्धन नाले का पुनरोद्धार	3.470

इसके अतिरिक्त, 1996-97 के केन्द्रीय बजट में, चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की घोषणा की गई थी।

विगत दो वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्वीकृत राशि के साथ परियोजना का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	परियोजना	संस्वीकृत राशि	
		1996-97	1997-98
1.	इन्दिरा गांधी नहर (II)		36.00
2.	पंचाना		5.00
3.	जयसमंद (आधु.)	1.85	2.00
4.	चप्पी	3.50	5.00
5.	बिसालपुर		38.20
6.	नर्मदा नहर		23.00
7.	गंभीरी		1.00
8.	चौली		1.25

ग्राम तथा लघु उद्योग

राजस्थान के जोधपुर और नागौर जिलों में पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्रमशः 25.3.94 और 18.3.97 से एकीकृत औद्योगिक विकास स्कीम को प्रचालित किया जा रहा है। जोधपुर जिले के ग्राम सेनगुरिया की परियोजना की अनुमानित लागत 514 लाख और नागौर जिले के ग्राम गागलाव तहसील की 501.74 लाख है, जिसमें से आज तक क्रमशः 98 लाख रुपये और 100 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं।

विकास केन्द्र स्कीम

पिछड़े क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर, भारत सरकार ने लाल गढ़, बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़ और भीलवाड़ा में पांच विकास केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। भीलवाड़ा को 1997-98 के दौरान स्कीम में शामिल किया गया था और इस केन्द्र के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 50 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। 1996-97 और 1997-98 के दौरान, सभी पांच विकास केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 140 लाख और 170 लाख रुपये जारी किए गए।

दिल्ली दुग्ध योजना

2211. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के प्राधिकारियों को अनेक व्यक्तियों और एरिया वेलफेयर एसोशियेशनों की ओर से वर्ष 1995, 1996, 1997 (अगस्त, 1997 तक) दिल्ली दुग्ध योजना के बूथों पर अवैध टोकनों के आधार पर गलत तरीके से दूध वितरण करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) प्राप्त शिकायतों की वर्षवार संख्या कितनी है और ऐसे बूथों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण दिल्ली दुग्ध योजना के प्राधिकारी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दुग्ध वितरण प्रणाली शुरू नहीं कर पाए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान संसद सदस्यों के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) दिल्ली दुग्ध योजना में इसके दुग्ध वितरण के लिए अब टोकन प्रणाली नहीं है और न ही अनधिकृत टोकन के प्रयोग संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना का दूध प्रथम आओ - प्रथम पाओ के आधार पर बेचा जाता है। दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का मूल्य अन्य आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में काफी कम है, इसलिए दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की मांग पर काफी दबाव रहता है जिसके परिणामस्वरूप वितरण प्रणाली पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। रेजीडेंट वेलफेयर एसोसियेशनों को वितरण के काम में सहयोजित किया जा रहा है ताकि इसे निष्पक्ष तथा साम्ययुक्त बनाया जा सके।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध वितरण के संबंध में संसद सदस्यों से 1995 में 15, 1996 में 18 तथा 1997 में (अगस्त तक) 14 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी मामलों में आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा

2212. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में ऊर्जा की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या राज्य में पवन ऊर्जा के संभाव्यता का पता लगाने के वास्ते कुछ स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सहित देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजीगत आर्थिक राज सहायता, राजकोषीय प्रोत्साहन तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के माध्यम से उदार ऋण उपलब्ध कराती है। इस प्रकार की सहायता सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघुपन विद्युत तथा बायोमास पर आधारित बायोगैस संयंत्रों; उन्नत चूल्हों; सौर प्रकाशवोल्टीय उपकरणों तथा प्रणालियों; बायोमास गैसीफायरों, सौर जल और वायु तापन प्रणालियों; एवं ग्रिड संबद्ध और साथ ही साथ विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। इस तरह की परियोजनाओं के लिए संभाव्यता क्षेत्रों की खोज करने के उद्देश्य से संसाधन मूल्यांकन तथा सर्वेक्षणों के लिए भी सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक आकर्षक नीति की घोषणा की है।

(ग) पवन संसाधन मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य में पवन ऊर्जा के दोहन के लिए संभाव्यता क्षेत्रों की पहचान करने

के उद्देश्य से, 15 पवन प्रबोधन केंद्रों तथा 30 पवन मानचित्रण केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(घ) जमगांदरानी, कुकरू, सेन्द्रवा तथा महुरिया नामक चार संभाव्यता स्थलों की पहचान की गई है, जिन्हें पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उपयुक्त माना गया है।

(ङ) पूर्ण संभाव्यता का दोहन और स्थलों की पहचान करने, तकनीकी-आर्थिकी व्यवहार्यता, केन्द्र व राज्य के प्रोत्साहन जारी रखने, तथा वित्तीय संसाधन जुटाने पर निर्भर करता है।

महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना

2213. श्री आर.एस. गवई :
श्री रामदास आठवले :
श्री सदाशिवराज दादोबा मंडलीक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को लगाने के लिए किन स्थानों का चुनाव किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 30 अप्रैल, 1998 तक परियोजना-वार धनराशि के आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का निकट भविष्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कम मूल्य पर आसानी से उपलब्ध होने वाले अन्य उपकरण लगाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य सहित समूचे देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और विकास के लिए कई सारे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इनमें बायोगैस संयंत्र, उन्नत चूल्हे, बायोमास गैसीकरण एवं ब्रिकेटिंग संयंत्र, घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रकार के सौर तापीय जल तापन, सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा आधारित ग्रामीण घरेलू रोशनी, लालटेन, सिंचाई हेतु जल पंपन और ग्राम स्तरीय विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत, बायोमास दहन, खोई आधारित सह-उत्पादन तथा सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा से ग्रिड युक्त विद्युत और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति जैसे विविध कार्यक्रम शामिल हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत, सभी जनजातीय क्षेत्रों सहित समूचे महाराष्ट्र राज्य को शामिल किया गया है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 अप्रैल, 1998 के अनुसार आवंटित की गई निधियों का परियोजनावार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में प्रयुक्त होने वाले उपस्करों की सस्ती कीमतों पर उपलब्धता के उद्देश्य से सरकार ने अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी संवर्धन और उत्पादन हेतु प्रायोगिक संयंत्रों की स्थापना हेतु तथा कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता देने की योजनाएं घोषित की हैं। सरकार सौर सैलों में इस्तेमाल होने वाले सिलिकन के उत्पादन हेतु वर्तमान यूनिटों के विस्तार और नए युनिटों की स्थापना हेतु उद्योगों को उदार ऋण की सहायता उपलब्ध करा रही है। मंत्रालय ने पवन ऊर्जा उपस्करों के स्वदेशी उत्पादन और पवन विद्युत जनरेटरों के संपूर्ण स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक 'प्रौद्योगिकी विकास योजना' आरंभ की है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 30 अप्रैल, 1998 के अनुसार आवंटित की गई निधियों का विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 30 अप्रैल, 1998 के अनुसार आवंटित और जारी की गई निधियां
1	2	3
1.	राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम	1473.780
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	82.610
3.	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	267.160
4.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम	140.900

1	2	3
5.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम	16.513
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम	23.250
7.	सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम	9.970
8.	जल पंपन पवन चक्की	5.000
9.	पवन विद्युत कार्यक्रम	365.240
10.	लघु जल विद्युत कार्यक्रम	34.000
11.	बायोमास विद्युत कार्यक्रम	17.600
12.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट	17.100
13.	नई प्रौद्योगिकी	8.390
14.	सूचना एवं जन जागरुकता	7.100

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

2214. प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विश्व के कपास उत्पादक देशों में तीसरा स्थान होने के बावजूद देश में कपास की प्रति हैक्टेअर उपज विश्व के अन्य कपास उत्पादक देशों से कम है;

(ख) यदि नहीं, तो संयुक्त राज्य अमरीका, चीन और पाकिस्तान में अलग-अलग कपास की अनुमानित उपज प्रति हैक्टेअर कितनी है;

(ग) क्या कपास उत्पादन कम उपज और लागत अधिक होने के कारण अलाभकारी हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा देश में कपास की उपज को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। भारत का प्रति हैक्टेयर कपास उत्पादन, इसका स्थान उत्पादन के आधार पर तीसरा होने के बावजूद, विश्व में *बहुत से अन्य कपास उत्पादक देशों की तुलना में कम है। खाद्य व कृषि संगठन उत्पादन वर्ष पुस्तिका-1996 के अनुसार भारत,* संयुक्त राज्य अमरीका, चीन तथा पाकिस्तान के पैदावार संबंधी आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

	किग्रा./हैक्टे.
भारत	307*
संयुक्त राज्य अमरीका	772
चीन	767
पाकिस्तान	488

*गैर-सरकारी/अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय का सरकारी आंकलन 1996-97 में 266 किग्रा प्रति हैक्टे. है।

(ग) कपास की खेती लाभदायक है क्योंकि इसके लाभ लागत की तुलना में अधिक है।

(घ) कपास के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये सरकार सभी कपास उत्पादक राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, नामत: गहन कपास विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। कपास उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सरकार कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भी कर रही है।

दिल्ली दुग्ध योजना

2215. श्रीमती कमल रानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली दुग्ध योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के संबंध में दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) जांच के निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) दिल्ली दुग्ध योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना में भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं पाया गया है।

(ख) से (ङ) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) महाप्रबंधक के अलावा, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा सतर्कता अधिकारी दिल्ली दुग्ध योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक जांच तथा नियंत्रण रखते हैं।

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

2216. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में तथा आंध्र प्रदेश में विशेषकर आम और अंगूर के क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की काफी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन राज्यों में इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) क्या सरकार राज्य में विदेशी सहयोग से ऐसे उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में इन राज्यों में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) हालांकि मंत्रालय ने इस संबंध में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया है लेकिन कच्चे माल की उपलब्धता के मद्देनजर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आम और अंगूर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु अच्छी संभावनाएं हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना नहीं करता।

(ङ) जुलाई 1991 में उदारीकरण से लेकर मार्च 1998 तक महाराष्ट्र राज्य में 710 करोड़ रु. के निवेश सहित शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों, संयुक्त उद्यमों आदि की स्थापना हेतु 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 1392 करोड़ रु. के निवेश वाले 106 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन भी कार्यान्वित किए गए।

आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में, शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों एवं संयुक्त उद्यमों आदि जिनमें 516 करोड़ रु. का निवेश शामिल है, की स्थापना हेतु 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त इसी अवधि के दौरान 191.80 करोड़ रु. के निवेश वाले 52 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन भी कार्यान्वित किए गए।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के मामले

2217. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बीजों कीटनाशी दवाओं और उर्वरकों की बिक्री में हुए भ्रष्टाचार का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल अधिकारियों और लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले कुछ समय में उर्वरकों की खरीद/धारित मूल्य एवं सब्सिडी स्कीम के प्रशासन में हुए घपलों एवं अनियमितताओं के निम्नलिखित मामले देखने में आए हैं:–

(1) मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा यूरिया के आयात के लिए टर्की के मेसर्स कर्सन लिमिटेड से किया गया सौदा,

(2) मेसर्स साई कृष्ण इम्पेक्स के माध्यम से नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा यूरिया का आयात,

(3) मेसर्स तुर्नू एस.एस., रोमानिया से नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा घटिया किस्म के यूरिया का आयात, एवं

(4) निम्नलिखित द्वारा जाली दस्तावेजों आदि के माध्यम से धारित मूल्य सब्सिडी का दावा,

(क) मेसर्स हर्षवर्द्धन केमिकल्स एंड मिनरल्स प्रा.लि. तथा

(ख) मेसर्स फॉस्फेट इण्डिया लिमिटेड।

बीजों और कीटनाशियों के बारे में किसी भ्रष्टाचार/प्रशासनिक अनियमितता की सूचना नहीं मिली है।

(ख) ऊपर क्रम सं. (1) पर उल्लिखित मामले में सी.बी.आई. ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के पूर्व मुख्य कार्यपाल सहित नौ आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 22.12.97 को एक आरोप पत्र दाखिल किया है। सी.बी.आई. इस समय अन्य मामलों की छानबीन कर रही है।

(ग) से (ङ) सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान हैं।

मध्य प्रदेश में असिंचित भूमि

2218. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई के लिए पानी की भारी कमी के कारण राज्य के कुछ आदिवासी जिले प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार की आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र राज्य की 44 वृहद एवं 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत शामिल हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत 183.80 हजार हेक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 63.32 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी उप योजना में 42 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना बनाई है।

[अनुवाद]

मत्स्यन पर प्रतिबंध

2219. **श्री रंजीब बिस्वाल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पारादीप पत्तन के प्राधिकारियों द्वारा मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण समुद्री मछुआरों को उक्त पत्तन के आस-पास मछली पकड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी समस्याओं के निदान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) पारादीप पत्तन प्रबंध द्वारा यंत्रिकृत मत्स्यन जलयान संचालकों तथा मछुआरा संघ के सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद यंत्रिकृत मत्स्यन जलयानों को वाणिज्यिक बंदरगाह बेसिन से हटाकर भारत सरकार की सहायता से नव-निर्मित मत्स्यन बंदरगाह ले जाया गया है। मत्स्यन बंदरगाह पारादीप में तथा उसके आस-पास मछली पकड़ने वाले यंत्र युक्त मछुआरों को उनके मत्स्यन जलयानों को ठहराने तथा मछली उतारने की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का गुम्बद

2220. **श्री के.सी. कोंडय्या : क्या प्रधान मंत्री** कायगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में 29 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2417 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उक्त रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) ने विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं जो देश में नाभिकीय संस्थापनाओं के सुरक्षा और अन्य पहलुओं की देखभाल करती हैं। इन समितियों की रिपोर्टों से यह प्रकट हुआ है कि कायगा गुम्बद (आन्तरिक संरोधक गुम्बद) के लिए अपनाए गए पहले वाले डिजायनों को फिर से तैयार करने की जरूरत है। इसके अलावा ऐसी जटिल संरचनाओं के निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पहले वाली तकनीकों में भी सुधार की जरूरत है। इसके परिणामस्वरूप फिर से डिजायन तैयार किया गया जिसके लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने अनुमति दे दी है और फिर से

तैयार किए गए इस डिजायन के आधार पर नए सिरे से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

कैगा-II के गुम्बद का निर्माण-कार्य मार्च 1998 में पूरा कर लिया गया है और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 का काम शुरू कर दिया गया है और जुलाई, 1998 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

इस अनुभव के आधार पर, यह संभावना है कि इस क्षेत्र में एक उत्तम विशेषज्ञों के साथ परस्पर बातचीत के द्वारा जिस डिजायन को फिर से तैयार करके विकसित किया गया है, वही परमाणु विद्युत परियोजनाओं के भावी गुम्बदों के निर्माण का आधार होगा।

[हिन्दी]

महासागर विकास

2221. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आरम्भ किये गए महासागर विकास कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त धनराशि के उपयोग में किसी अनियमितता दुर्विनियोजन का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच आरम्भ की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) महासागर विकास विभाग को पिछले तीन वर्षों में योजना एवं गैर-योजना दोनों के अन्तर्गत आवंटित राशियां (संशोधित अनुमान) निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये)

1995-96	1996-97	1997-98
57.79	64.38	102.11

(ख) और (ग) राशियों के उपयोग/पुनर्विनियोजन का, ऐसा कोई मामला नहीं है, जब आवंटित राशि का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अन्य उद्देश्यों हेतु किया गया हो। जबकि विभाग की वर्ष 1995-96 की लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट एवं विभाग द्वारा वित्त पोषित, स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान की 1993 से 1997 तक की अवधि की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, विभाग राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के लेखा खातों एवं कार्यकलापों पर कुछ टिप्पणियां की गई है। इन पर ध्यान दिया जा रहा है।

(घ) कोई जांच प्राधिकृत नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

छोटे मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

2222. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे मछुआरों के कल्याण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसी योजना कार्यान्वित की गई है;

(ग) क्या यह योजना उड़ीसा में पारादीप, पुरी और कोणार्क के आस-पास रह रहे छोटे मछुआरों के लिए क्रियान्वित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के आस-पास रहने वाले मछुआरों को पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या प्रसुविधा दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना क्रियान्वित कर रही है। इस योजना में निम्नलिखित तीन घटक हैं:-

1. सक्रिय मछुआरों के लिए सामुदायिक दुर्घटना बीमा,
2. आदर्श मछुआरा गांवों का विकास, तथा
3. समुद्री मछुआरों के लिए बचत-एवं-राहत।

(ख) उन राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम नीचे दिए गए हैं जहां इस योजना के एक या अधिक घटक क्रियान्वित किए जा रहे है:-

राज्य

1. आंध्र प्रदेश, 2. असम, 3. बिहार, 4. गुजरात, 5. हिमाचल प्रदेश, 6. जम्मू एवं कश्मीर, 7. कर्नाटक, 8. केरल, 9. मध्य प्रदेश, 10. महाराष्ट्र, 11. मणिपुर, 12. उड़ीसा, 13. तमिलनाडु, 14. राजस्थान, 15. त्रिपुरा, 16. उत्तर प्रदेश तथा 17. पश्चिम बंगाल।

संघ शासित प्रदेश : 1. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, 2. लक्षद्वीप, 3. पांडिचेरी तथा 4. दमन एवं दीव।

(ग) और (घ) पारादीप, पुरी तथा कोणार्क के आस-पास रहने वाले मछुआरों को विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के बचत-एवं-राहत तथा आदर्श मछुआरा गांव घटकों के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया है।

पान के पत्ते

2223. श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पान के पत्तों को एक कृषि वस्तु के रूप में घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो पान के पत्तों की खेती में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित पान बेल अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत, पान के पत्तों की खेती में सुधार के लिए 10 अनुसंधान केन्द्रों में कृमि एवं फसल की बीमारियों सहित विभिन्न पक्षों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ राज्य भी अपने यहां खेती में सुधार के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

भारतीय युद्ध बंदी

2224. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन में भारतीय सैनिक/नागरिक बंदी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बंदियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उसकी वापसी के लिए चीन सरकार से कोई वार्ता शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चीन में कोई भी भारतीय सैनिक हिरासत में नहीं है। तथापि, दो भारतीय नागरिक श्री गुरिन्दर सिंह विर्क और श्री लोडोई पाण्डेन चीनी जेलों में नजरबन्द हैं। श्री विर्क को ठगी के अभियोग में 12 वर्ष की सजा दी गई थी जबकि श्री पाण्डेन पर तस्करी तथा सांस्कृतिक अवशेषों को बेचने के आरोपों के संबंध में अभियोग चल रहा है। ये चीनी कानून के अनुसार आपराधिक आरोपों के सिलसिले में नजरबन्द हैं।

(ग) और (घ) बीजिंग स्थित हमारे मिशन ने द्विपक्षीय करारों के आधार पर कौंसली सेवाएं प्रदान की हैं। सरकार द्विपक्षीय करारों के अनुसार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदा

2225. श्री ए.सी. जोस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से कीट-पतंगों द्वारा फसल को पहुचाएं गए नुकसान की मात्रा को प्राकृतिक आपदा के रूप में परिभाषित करने के लिए हाल ही में कोई समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज तक किसानों को दिए गए मुआवजे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने ''कीट प्रकोप'' के लिये आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार होने के लिए निम्नलिखित मानदण्डों की सिफारिश की थी:-

(1) कीट प्रकोप का कारण या इसकी स्थिति को जटिल बनाने का कारण मौसम संबंधी लगातार प्रतिकूल परिस्थितियां होनी चाहियें।

(2) कीट प्रकोप या स्वरूप महामारी या किसी रोग के फैलने जैसा होना चाहिये तथा यह ऐसा हो जिसे सामान्य रूप से मानवीय प्रयास से रोका न जा सकता हो।

(3) कीट प्रकोप से पर्याप्त रूप से समीपवर्ती क्षेत्रों की फसलें प्रभावित हुई हों तथा।

(4) फसलों के नुकसान की सीमा 50% या इससे अधिक होनी चाहिये।

कीट प्रकोप के कारण फसलों, विशेषकर कपास की फसल को हुई क्षति के संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार को फरवरी, 1998 में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 12,00 करोड़ रुपये की सहायता राशि निर्मुक्त की गई थी।

[हिन्दी]

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सिंचित भूमि

2226. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन के पश्चात् आदिवासी उपयोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कुल कितना सिंचित भूमि क्षेत्र है; और

(ख) सिंचित भूमि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से चरम सिंचाई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आदिवासी उप प्लान क्षेत्र को शामिल करते हुए परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता	पूर्ण होने के बाद आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में सृजित की जाने वाली संभावित सिंचाई क्षमता
1.	आंध्र प्रदेश	75.44	11.64
2.	असम	192.90	69.70
3.	बिहार	380.47	342.63
4.	गुजरात	204.38	111.96
5.	मध्य प्रदेश	929.40	132.10
6.	महाराष्ट्र	424.75	132.62
7.	मणिपुर	16.00	15.58
8.	उड़ीसा	1150.56	577.43
9.	राजस्थान	193.43	186.26
10.	पश्चिम बंगाल	1434.67	164.56
11.	केरल	8.38	8.38
	कुल	5010.38	1752.86

(ख) सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा नई स्कीमें शुरू की गई हैं।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर उद्योग की स्थापना

2227. श्री तथागत सत्पथी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ अमरीकी कम्पनियों के सहयोग से उड़ीसा में कुछ इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर एकक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

मसालों का उत्पादन बढ़ाना

2228. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के वास्ते केन्द्र सरकार को अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से राज्य में मसालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के गठन हेतु वित्तीय सहायता देने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि भारत सरकार कर्नाटक में मसालों के विकास के लिए 100% केन्द्रीय सहायता से पहले से ही एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। कर्नाटक में इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण मसालों को सहायता दी जा रही है वे है: काली मिर्च, अदरक, हल्दी, मिर्च, धनिया और वृक्ष मसालें (लौंग, जायफल और दालचीनी)। इस योजना के तहत, वर्ष 1997-98 के दौरान कर्नाटक सरकार को 285 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारावाड़ को 3.38 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न मसालों के आधारी बीज के उत्पादन और न्यूक्लियस रोपण सामग्री आदि के लिए दी गई थी। इस योजना को वर्ष 1998-99 के दौरान भी जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

भारत पर प्रतिबंध

2229. श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री सतनाम सिंह कैंथ :
प्रो. पी.जे. कुरियन :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री अनिल बसु :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री सुरेश चन्देल :
श्री नरेश पुगलीया :
श्री मुकुल वासनिक :
श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री सत्यपाल जैन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री संजय सिंह :
श्री विजय गोयल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में पोखरन में परमाणु परीक्षण किए जाने के उपरांत अनेक देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग देशों द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परमाणु-परीक्षण के पश्चात् उसका समर्थन करने वाले, आलोचना करने वाले और तटस्थ रहने वाले देशों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने परमाणु परीक्षण पर भारत के विचार बताते हुए विभिन्न शासनाध्यक्षों, जी-8, जी-15 के तथा संयुक्त राष्ट्र निकायों आदि के अध्यक्षों को पत्र लिखे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) भारत का इन प्रतिबंधों से किस प्रकार निपटने का विचार है; और

(छ) परमाणु परीक्षण के पश्चात् विदेश नीति में क्या परिवर्तन होने की सम्भावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हां। पोखरन में नाभिकीय परीक्षणों के उपरान्त कतिपय देशों ने भारत के खिलाफ आर्थिक कार्रवाईयों की घोषणा की है।

(ख) पृथक-पृथक देशों द्वारा की गई आर्थिक कार्रवाईयों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और ये विवरण अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) अनेक देशों ने भारत के नाभिकीय परीक्षणों के पीछे तर्क-आधार के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की है। अनेक देश सरकारी वक्तव्य जारी करने से दूर रहे हैं। चीन के अलावा, विशेष रूप से यूरोप और लातिन अमरीका के अनेक देशों ने इन परीक्षणों की आलोचना की है।

(घ) और (ङ) जी हां। प्रधान मंत्री ने इन परीक्षणों को प्राधिकृत करने के निर्णय को रेखांकित करते हुए विभिन्न सरकारों के नेताओं को अपनी सुरक्षा चिन्ताओं का खुलासा करने वाले पत्र लिखे हैं। सरकार ने उन देशों के प्रति भी अपना क्षोभ व्यक्त किया है जिन्होंने हम पर प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि यह भारत की जायज सुरक्षा चिन्ताओं की एक अपर्याप्त समालोचना को प्रतिबिम्बित करती है।

(च) हम इन प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कर रहे हैं और सरकार इस स्थिति से निबटने और भारत के सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त उपाय कर रही है।

(छ) भारत की विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार ने नाभिकीय निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है तथा हम नाभिकीय हथियारों की समाप्ति की दिशा में शीघ्र प्रगति संवर्धित करने के लिए सतत् सक्रियता जारी रखने के इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

कृषि विकास कार्य

2230. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषि योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत सरकार की मुख्य कृषि विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी विलम्ब की सूचना नहीं मिली है।

(ग) केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय दौरों, सामयिक प्रगति रिपोर्टों तथा वर्ष में दो बार होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलनों/क्षेत्रीय सम्मेलनों, क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक आदि के माध्यम से ध्यानपूर्वक मानिटरिंग की जाती है।

[अनुवाद]

मत्स्यन संस्थान

2231. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में राष्ट्रीय मत्स्यन और अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये संस्थान किस-किस राज्य में कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे संस्थान स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) सरकार ने केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है जिसका मुख्यालय कोची (केरल) में है तथा इसकी यूनिटें चेन्नई (तमिलनाडु) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में हैं। सरकार की अन्य राज्यों में ऐसे संस्थान स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

सकल घरेलू उत्पाद विकास दर

2232. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष के सकल घरेलू उत्पाद विकास लक्ष्य को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी अनुमान के अनुसार 1997-98 में अर्थव्यवस्था में केवल 5 प्रतिशत विकास होगा;

(ग) क्या योजना आयोग का अपने लक्ष्य की समीक्षा करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान योजना आयोग द्वारा किस सीमा तक विकास दर प्राप्त किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) योजना आयोग की आंतरिक बैठक में तैयार किए गए प्रारूप नौवीं पंचवर्षीय योजना ने 1997-2002 की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की विकास दर की 7 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अग्रिम अनुमान के अनुसार 1997-98 में कारक लागत पर जीडीपी द्वारा मापित आर्थिक वृद्धि 5 प्रतिशत है।

इस योजना पर अभी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किया जाना है। सरकार ने इस प्रारूप की समीक्षा करने का निर्णय लिया है जिससे शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में यथावर्णित परिवर्तित प्राथमिकताओं को उपयुक्त ढंग से दर्शाया जा सके। विस्तृत कार्ययोजनाएं पहले से ही तैयार की जा रही हैं जिन्हें अंतिम रूप दिए जाने पर वर्तमान प्रारूप के साथ समेकित कर दिया जाएगा। संशोधित दस्तावेज को तब उचित प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय विकास परिषद के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ङ) अग्रिम अनुमान अनुमानित मूल्य हैं। वास्तविक आंकड़े शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए तुरंत अनुमान के माध्यम से ज्ञात होते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का आधुनिकीकरण

2233. **श्री एस.एस. ओवेसी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण तंत्र का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली के आधुनिकीकरण के मुद्दे पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण समेत किसी भी उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत विभिन्न संस्थाओं जैसे केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड्गपुर, धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर आदि को खाद्य प्रसंस्करण के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मंत्रालय अन्य स्कीम भी चलाता है जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली के आधुनिकीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तीस्ता बांध

2234. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में तीस्ता बांध परियोजना किस अवस्था में लम्बित पड़ी हुई है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गयी है और उक्त परियोजना पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) इस परियोजना की प्रगति में क्या बाधायें आ रही हैं, यदि कोई है;

(घ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) इस समय तीस्ता बैराज परियोजना के फेज 1 के चरण 1 का पहला

उप चरण कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 1.1.98 को परियोजना के विभिन्न घटकों के पूरा होने का प्रतिशत इस प्रकार है:-

तीस्ता बैराज	100%
महानन्दा बैराज	100%
डॉक नगर बैराज	100%
तीस्ता महानन्दा सम्पर्क नहर	100%
महानन्दा मुख्य नहर	100%
डॉक नहर मुख्य नहर	65%
नगर टोनगांव मुख्य नहर	अभी शुरू की जानी है।
तीस्ता जल ढ़ाका मुख्य नहर	55%
वितरण प्रणाली	25%

(ख) से (घ) इस परियोजना की प्रगति पर प्रभाव डालने वाली बाधाएं ये हैं, भूमि अधिग्रहण समस्याएं, वन भूमि उपलब्ध न होना, निधियों की कमी, परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आदि। योजना आयोग ने वर्ष 1983-84 में 5 करोड़ रु. की विशेष केन्द्रीय सहायता, वर्ष 1986-87 में 10 करोड़ रुपये और 1987-88 में 10 करोड़ रु. की अग्रिम योजना सहायता जारी की है। इसके अलावा, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा 150 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई थी। जल संसाधन मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत परियोजना के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान 5 करोड़ रु. और वर्ष 1997-98 के दौरान 15 करोड़ रु. की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई थी।

मार्च, 1997 तक इस परियोजना पर लगभग 672.66 करोड़ रु. व्यय किए गये हैं।

(ङ) सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

किसानों को ऋण

2235. श्री आर.ए. गवई :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान मल्टी एजेंट सिस्टम के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं का उत्पादन

2236. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं की पैदावार बढ़ाने हेतु कोई दीर्घकालीन योजना तैयार करने पर विचार किया है ताकि सन् 2000 तक गेहूं की बढ़ती हुई मांगों को पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित/अपनाई जाने वाली नीतियां कौन सी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। सन 2000 ईसवी तक मांग पूरी करने के लिये गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये चालू केन्द्रीय प्रायोजित गेहूं पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम को कुछ सुधारों के साथ नौवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, चावल पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम तथा मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम की कार्यान्वयन भी जिनमें गेहूं विकास कार्यक्रम भी सम्मिलित है, जारी रहेगा। अनाज की फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में ये योजनाएं राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करेंगी। गेहूं तथा अन्य अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिये अपनाये जाने हेतु प्रस्तावित कार्यनीति में अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत कवरेज बढ़ाना, पौध पोषकतत्वों के उपयोग में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, छिड़काव सिंचाई प्रणाली जैसी पानी बचाने की युक्तियों का प्रचार, कुशल जल संचयन और संरक्षण विधियों का विकास आदि सम्मिलित हैं।

विश्व बैंक सहायता

2237. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक तथा अन्य देशों की सहायता से कृषि उत्पादन में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इससे कृषि उत्पादों में कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। इस समय विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तथा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अनेक परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) कृषि उत्पादन अनेक कारकों से प्रभावित होता है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तथा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय परियोजनाएं उत्पादन में वृद्धि हेतु राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में भी सहायता करती हैं। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजाओं के कार्यान्वयन के कारण कृषि जिन्सों के उत्पादन में हुई वृद्धि का आंकलन अलग से नहीं किया जा सकता, क्योंकि समग्र उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किए गए सभी उपायों से प्रभावित होता है।

जलाशयों की गाद निकालना

2238. **श्री रंजीब बिस्वाल** :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न बांधों और जलाशयों से गाद निकालने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में भूमि कटाव/अपरदन को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के सभी बांधों व जलाशयों से गाद कब तक निकाल दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) जी, नहीं। भूमि कटाव तथा जलाशयों की गाद जमना एक प्राकृतिक घटना है तथा जलाशयों में गाद को समायोजित करने के प्रावधान किए गए हैं। सामान्यतया जलाशयों की आयोजना 100 वर्षों के जीवन के लिए की जाती है। कुछ सीमा तक जलाशयों में गाद जमने की दर को कम करने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं के अवाह क्षेत्रों में भूमि संरक्षण, उपाय, वानिकी तथा जल प्रबंधन कार्य किए जाते हैं।

मधुमक्खियां

2239. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालक एसोशियेसन की संरचना और कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान देश में राज्यवार उत्पादित मधु का ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न देशों को निर्यात किए गए मधु का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मधुमक्खी पालकों को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सरकार को "नेशनल हनी बी कीपर्स एसोसियेशन" नामक किसी भी संगठन के कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल, एक इण्डिया बी कीपर्स एसोसियेशन है, जिसका मुख्य कार्यालय 1325 सदाशिव पेठ, पुणे में स्थित है। यह मधुमक्खी वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्त्ताओं, विद्यार्थियों तथा मधुमक्खी पालकों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इसकी सदस्यता उन सभी के लिए खुली है, जो देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और विकास में रूचि रखते हैं। इसके कार्यकलापों में इण्डियन बी जर्नल का अंग्रेजी में तथा भारतीय माधवी पालन का हिन्दी में प्रकाशन, मधुमक्खी पालको, शहद उत्पादकों के व्यापारियों तथा मधुमक्खी वैज्ञानिकों में मधुमक्खी पालन संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार मधुमक्खी के छत्तों एवं अन्य साहित्य की आपूर्ति तथा मधुमक्खी पालन उपकरणों की आपूर्ति शामिल हैं।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(घ) फसल उत्पादकता में सुधार के लिये कृषि मंत्रालय द्वारा मधुमक्खी पालन के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम चलाई जा रही है। यह स्कीम आठवीं योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 से 18.87 करोड़ रुपये के परिव्यय से शुरू की गयी थी। इस स्कीम के तहत निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहायता दी जा रही है:-

क्र.सं.	कार्यकलाप
1.	अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
2.	मधुमक्खी कालोनियों का उत्पादन एवं वितरण।

3. *शहद तथा इसके उत्पादों के रखरखाव तथा वितरण के लिए आधारभूत ढांचे का विकास।*

4. कृषकों/मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण।

5. प्रोत्साहनात्मक कार्यकलाप।

उक्त के अलावा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निम्नलिखित स्कीमें चलाई जा रही है:-

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1.	एपिस मेलीफेरा के लिए प्राइमरी यूनिट।
2.	एपिस सिरेना के लिए प्राइमरी यूनिट।
3.	एपिस मेलीफेरा के लिए मध्यम स्तर की एपियरी यूनिट।
4.	एपिस सिरेना इण्डिका के लिए मध्यम स्तर की एपियरी यूनिट।
5.	एपिस मेलीफेरा के लिए अर्द्ध वाणिज्यिक एपियरी।
6.	एपिस सिरेना के लिए अर्द्ध वाणिज्यिक एपियरी।
7.	एपिस मेलीफेरा के लिए वाणिज्यिक एपियरी यूनिट।
8.	एपिस सिरेना के लिए वाणिज्यिक एपियरी यूनिट।
9.	एपिस सिरेना की वाणिज्यिक एपियरी (आपूर्ति एवं सेवा एकक)।
10.	एपिस मेलीफेरा की वाणिज्यिक एपियरी (आपूर्ति एवं यूनिट)।
11.	मधुमक्खी प्रव्रजन।
12.	परागण।
13.	शैक्षणिक संस्थानों में मधुमक्खी पालन शुरू करना।
14.	मधुमक्खी पालकों के लिए ग्रीष्म पाठ्यक्रम।
15.	शहद प्रसंस्करण संयंत्र सहित हनी हाऊस।

विवरण I

राज्यवार शहद उत्पादन

(मूल्य लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	158.77	174.53
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	206.79	227.31
4.	बिहार	517.76	569.14
5.	गोवा	0.10	0.10
6.	गुजरात	-	-
7.	हरियाणा	29.37	32.28
8.	हिमाचल प्रदेश	36.76	40.41
9.	जम्मू व कश्मीर	105.18	115.62
10.	कर्नाटक	89.31	98.17
11.	केरल	259.87	285.66
12.	मध्य प्रदेश	15.20	16.71
13.	महाराष्ट्र	70.22	77.19
14.	मणिपुर	81.99	90.13
15.	मेघालय	88.53	97.32

1	2	3	4
16.	मिजोरम	1.73	1.90
17.	नागालैण्ड	18.45	20.28
18.	उड़ीसा	298.05	327.63
19.	पंजाब	43.16	47.44
20.	राजस्थान	–	–
21.	सिक्किम	2.82	3.11
22.	तमिलनाडु	617.23	678.48
23.	त्रिपुरा	5.30	5.83
24.	उत्तर प्रदेश	110.27	121.21
25.	पश्चिम बंगाल	423.89	465.95
26.	दादर व नागर हवेली	–	–
27.	दमन व दीव	–	–
28.	दिल्ली	1.96	2.15
29.	लक्षद्वीप	–	–
30.	चंडीगढ़	–	–
31.	अण्डमान व निकोबार	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–
	योग	3182.71	3498.55

विवरण-II

भारत से शहद का निर्यात

(मात्रा कि.ग्रा. में, मूल्य रूपये में)

क्र.सं.	देश का नाम	1995-96		1996-97	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	158133	13606827	170035	24642140
2.	बंगलादेश	856	60674	24266	2276951
3.	जर्मनी	–	–	35340	1932546
4.	मलेशिया	3710	215418	9114	1319449
5.	यूनाइटेड किंगडम	–	–	23605	941336

1	2	3	4	5	6
6.	सिंगापुर	–	–	3670	718550
7.	इटली	–	–	2680	392336
8.	संयुक्त अरब अमीरात	13620	1931861	1750	304759
9.	नीदरलैण्ड	–	–	5790	253799
10.	कुवैत	–	–	848	128360
11.	ओमान	–	–	180	40330
12.	श्रीलंका	1590	112037	390	31578
13.	फ्रांस	–	–	150	8576
14.	रसिया	340040	40874526	–	–
15.	मारीशस	3237	180467	–	–
16.	सऊदी अरब	100	7000	–	–
	योग	521286	62988810	[illegible]0818	32990719

सूचना विज्ञान संबंधी राष्ट्रीय नीति

2240. **श्री के.एस. राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कोई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त नीति के सिद्धांत और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई कृतक-बल गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो कृतक-बल की संरचना और विचारणीय विषय क्या हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान नीति की घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले 10 वर्षों में भारत एक सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में उभर सके, सूचना विज्ञान पर राष्ट्रीय नीति बनाई जाने का प्रस्ताव है; केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, उद्योगों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा व्यापक स्तर पर समाज की सहभागिता से इस नीति को एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में क्रियान्वित करने के लिए एक उपयुक्त अधिकार संपन्न संस्थागत तंत्र की सिफारिश की जाती है; मार्गविरोधों को दूर करने एवं भारत के सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग को वर्धित करने के लिए

अपेक्षित कदमों और सूचना प्रौद्योगिकी के अंगीकरण को एक राष्ट्रीय अभियान बनाने के लिए एक ब्लूप्रिन्ट तैयार करने की भी सिफारिश की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) कार्यदल का गठन और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास के सम्बन्ध में सरकार द्वारा 22.5.1998 को गठित कार्यदल को 90 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है तथा इसकी सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् ही सूचना-विज्ञान पर राष्ट्रीय नीति को घोषणा की जाएगी।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यदल

संगठन

अध्यक्ष		-	श्री जसवन्त सिंह
		-	उपाध्यक्ष, योजना आयोग
सह-अध्यक्ष		-	श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू
		-	मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश
		-	डा. एम.जी.के. मेनन
		-	पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री
		-	विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सदस्य

1.	डा. एन. शेषगिरी सदस्य-संयोजक	-	महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
2.	श्री एन. विट्ठल	-	अध्यक्ष, सार्वजनिक उद्यम चयन मण्डल पूर्व सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग
3.	श्री ए.वी. गोकाक	-	अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग
4.	श्री आर. गुप्ता	-	सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग
5.	श्री पी.जी. मोकड़	-	सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
6.	श्री टी.एच. चौधरी	-	विदेश संचार निगम लि. तथा सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक, आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के सलाहकार
7.	डा. पी.वी. इन्दिरेसन	-	पूर्व निदेशक, आई.आई.टी., चेन्नई
8.	श्री देवांग मेहता	-	कार्यपालक निदेशक, नेशनल एसोसिएशन आफ साफ्टवेयर कम्पनीज (नॉसकॉम)
9.	श्री एन.आर. नारायण मूर्ति	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इन्फोसिस
10.	श्री अशोक सूटा	-	अध्यक्ष, विप्रो कम्प्यूटर्स
11.	श्री राजेन्द्र पवार	-	उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, एन.आई.आई.टी.
12.	श्री वाई.एस. राजन	-	वरिष्ठ सलाहकार (प्रौद्योगिकी), सी.आई.आई.
13.	श्री रवि पार्थसारथी	-	प्रबंध निदेशक, आधार संरचना लीजिंग व वित्त सेवाएं (आई.एल.एफ.एस.)
14.	श्री अनिल बख्शी	-	आई.टी. प्रोफेशनल
15.	श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी	-	निदेशक (संचार एवं अनुसंधान), पी.एम.ओ.

विचारार्थ विषय

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों - कृषि, उद्योग, व्यापार तथा सेवाएं - में सूचना-प्रौद्योगिकी के क्रांतिक व इनपुट के रूप में व्यापक उपयोग के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति बनाने हेतु कार्यनीति की संस्तुति करना।

2. एक विश्व स्तरीय भौतिक, संस्थागत तथा नियामक सूचना प्रौद्योगिकी आधारसंरचना के निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करना, जो भारत के अनुकूल हो। इस डिजाइन में दूरसंचार, कम्प्यूटर्स, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिकी तथा मीडिया आधार संरचना (उसकी अंतर्वस्तु को छोड़कर) का वर्धमान अभिसरण शामिल होगा।

3. इस दिशा में, एक नेशनल इन्फार्मेटिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (एन.आई.आई.) आधार तैयार करने और इसे लोकल इन्फोरमेटिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (एल.आई.आई.) और ग्लोबल इन्फोरमेटिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए साधन निर्धारित करना। एन.आई.आई. का डिजाइन, सूचना प्रौद्योगिकी की तेजी से परिवर्तित हो रही प्रकृति को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनात्मक होगा।

4. यह सिफारिश करना कि कैसे एन.आई.आई. को सरकार के विभिन्न अंगों यथा दूरसंचार विभाग, प्रसार भारती, रेलवे, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया आदि के वर्तमान संसाधनों का उपयोग करते हुए इष्टतम लागत पर सृजित किया जा सकता है।

5. समाज के सभी वर्गों द्वारा, विशेषकर व्यवसाय और शिक्षा में, इन्टरनेट के उपयोग में व्यापक प्रसार प्राप्त करना और इन्टरनेट पर भारतीय विषयवस्तु के विकास के उपायों को सुझाना।

6. भारतीय भाषाएं सीखने और उनमें सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए कार्यनीति की सिफारिश करना। यह नीति भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकास, विशेषकर शैक्षिक तथा वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर के विकास, को प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाएगी।

7. अगले दस वर्षों में भारत के सॉफ्टवेयर और अन्य आई.टी. सेवा निर्यात में बीस गुना वृद्धि लाने के लिए कार्यनीति तैयार करना। विशेषत:, यह नीति उन विश्वस्तरीय सॉफ्टवेयर उत्पादों और ब्रांडों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करेगी, जो शीघ्र अपनी विश्व साख बना सकें।

8. ई-कॉमर्स तथा ई डी आई (इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज) के वृहत् उपयोग के माध्यम से निर्यात की वृद्धि को उत्प्रेरित करने के उपाय सुझाना।

9. आई टी के उपयोग को सरकार में सभी स्तरों पर बढ़ाने के मार्ग सुझाना जिससे उसकी क्रियाशीलता को जनोन्मुखी, पारदर्शी और दायित्वपरक बनाया जा सके।

10. देश में पर्सनल कम्प्यूटर के घनत्व में प्रभावशाली वृद्धि लाने के लिए कार्यनीति विकसित करना तथा इस दिशा में, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक घर और वाणिज्यिक स्थापना में, जिसके पास टेलीफोन हो, उसके पास एक कम्प्यूटर भी हो। यह कार्यनीति कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर की उपलब्धता तथा उसकी संयोजकता को न्यूनतम संभव लागत पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखेगी।

11. कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर अवयवों तथा पेरिफेरल्स के लिए सशक्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धात्मक घरेलू विनिर्माण आधारों की स्थापना के लिए कार्यनीति अभिकल्पित करना।

12. अगले दो वर्षों में देश में आई टी प्रोफेशनलों की संख्या को चौगुना करने के लिए शासकीय अभिकरणों, निजी व्यवसायों स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं और अन्यों को शामिल करके एक प्रशिक्षण तथा जनशक्ति विकास योजना डिजाइन करना। कार्यदल देश में सभी माध्यमिक विद्यालयों में विश्वव्याप्त कम्प्यूटर साक्षरता को सुनिश्चित करने के लिए "शासन के लिए राष्ट्रीय एजेण्डा" में उल्लिखित प्रतिबद्धता को कार्यान्वित करने के लिए एक योजना का सुझाव देगा। यह योजना अर्थव्यवस्था के उन सभी वर्गों में भी सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखेगी जहां यह उत्पादकता गुणक के रूप में कार्य करती है।

13. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान नीति के उद्देश्यों को साकार करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के जुटाव हेतु एक कार्यनीतिक योजना बनाना। यह योजना वित्त-पोषण के उन नवोन्मेषी साधनों पर निर्भर होगी जो सरकारी परिव्यय में कमी करेंगे।

14. एक आई टी आधारित समाज के सृजन के लिए, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आई.पी.आर.), गोपनीयता, प्रतिभूति और सूचना-सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान देते हुए, एक उपयुक्त वैधानिक ढांचे का सुझाव देना।

15. यह सिफारिश करना कि कैसे भारत अन्य देशों, विशेषत: जो अल्पविकसित हैं, में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए इन्फो-टैकनॉलाजी में अपनी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है।

पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम

2241. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 1998 के "पायनियर इण्डिया" में 'पाक न्यूक्लियर प्लैन टैररिज्म लिंक्ड यू.एस. स्टडी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हां। सरकार ने आतंकवाद और गैर-परम्परागत युद्ध पर अमरीकी कांग्रेस के कार्यदल की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित समाचार-पत्रों में छपी खबरें देखी हैं।

(ख) बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं की मौजूदगी, अपनी ओर से संयम बरतने की घोषणाओं और उत्पादक देशों में आपूर्ति प्रतिबंधों के बावजूद इस क्षेत्र में पाकिस्तान को मिल रहे अनवरत बाहरी समर्थन की हमें जानकारी है।

(ग) पाकिस्तान के गुप्त नाभिकीय हथियार कार्यक्रम और इसके आतंकवाद से लिप्त रहने की बात को खुलासा किया गया है और इस प्रकार की गतिविधियों की आड़ में उत्पन्न होने वाले हमारे सुरक्षा चिन्ताओं के बारे में कई देशों को द्विपक्षीय रूप से अवगत करा दिया गया है तथा इस बात को विभिन्न मंचों पर उठाया गया है। सरकार भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की प्रभावी रूप से रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है।

कृषि ऋण

2242. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से एक केन्द्रीय कोष की स्थापना का अनुरोध किया है ताकि वे कृषि ऋण की राशि को बढ़ा सके और ब्याज की दर को समुचित स्तर पर ला सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव के संबंध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्यों के पास कोष की कमी के कारण कृषि क्षेत्र के कल्याणकारी उपाय प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कृषि ऋण की मात्रा में वृद्धि करने तथा ब्याज की दर उचित स्तर पर बनाये रखने के लिए केन्द्रीय कोष बनाने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

मत्स्य उत्पादन

2243. श्री तथागत सत्पथी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों का पता लगाया है जहां आठवीं योजना के दौरान मत्स्य उत्पादन में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) आठवीं योजना अवधि के दौरान किसी भी राज्य में मछली उत्पादन में कमी नहीं आई है। तथापि, योजनावधि के दौरान गोआ, हिमाचल प्रदेश तथा मिजोरम राज्यों में मछली उत्पादन में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा मछली तथा अन्य समुद्री उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने और मछुआरों तथा मत्स्य उद्योग की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ताजे तथा खारे जल में मछली पालन का विस्तार, तटीय समुद्री मात्स्यिकी का विकास, मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों जैसी अनिवार्य बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा मानव संसाधन विकास शामिल हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी तथा मछली पालन के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

कुएं खोदना

2244. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री सदाशिवराज दादोबा मंडलिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा 1997-98 के दौरान कुएं खोदने का कार्य आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1998-99 के दौरान कर्नाटक राज्य में गहरे छेद करने के लिए कुछ स्थानों को चुना गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा गहरे छेद करने के लिये स्थान चुनने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(च) राज्य में गहरे छेद करने का कार्य अब तक आरम्भ करने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा 1997-98 के दौरान खोदे गए कुंओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में 1998-99 के दौरान 978 कुएं खोदने का एक अनंतिम लक्ष्य नियत किया हैं, जिसमें कर्नाटक राज्य में 103 कुएं शामिल हैं जैसा कि संलग्न विवरण-II में दिया गया है। कुओं की वास्तविक स्थिति राज्य सरकार के अनुरोध दूर संवेदन अध्ययनों, भू भौतिकीय सर्वेक्षण और भू वैज्ञानिकों मानचित्रीकरण के परिणामों पर निर्भर करेंगी।

(ङ) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा बोरहोल खोदने के लिए स्थानों के चयन के मानदंड में भू-जल की उपलब्धता, गुणवत्ता और मात्रा निश्चित करने की आवश्यकता, भू-जल विकास के लिए राज्य सरकारों का अनुरोध, दूर-संवेदन, भू भौतिकीय सर्वेक्षणों और भू वैज्ञानिकों मानचित्रीकरण के परिणाम शामिल हैं।

(च) बोरहोलों को खोदना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न भागों में वार्षिक आधार पर सामान्य कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। 1998-99 में कुएं खोदने का कार्यक्रम पहले ही अप्रैल, 1998 में शुरू हो चुका है।

विवरण I

1997-98 के दौरान केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा खोदे गए कुओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	खोदे गए कुओं की संख्या
1	2	3
(1)	आंध्र प्रदेश	73
	(1) चित्तूर	4
	(2) कुडप्पा	20
	(3) पूर्वी गोदावरी	11
	(4) गुन्टूर	5
	(5) नालगोण्डा	17
	(6) नेलौर	16
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
	(1) चैगंलौग	1
3.	असम	15
	(1) कामरूप	1
	(2) गोलपारा	6
	(3) उत्तरी लखीमपुर	1
	(4) सोनीतपुर	1
	(5) शिबसागर	6
4.	बिहार	30
	(1) बन्का	3
	(2) बेतिया	2
	(3) दुम्का	2
	(4) हजारीबाग	10

1	2	3
	(5) जहांनाबाद	1
	(6) मधुबनी	4
	(7) नालन्दा	7
	(8) रांची	1
5.	गुजरात	75
	(1) बनासकन्था	6
	(2) जामनगर	10
	(3) जुनागढ़	2
	(4) कच्छ	27
	(5) मेहसाना	6
	(6) राजकोट	23
	(7) सुरेन्द्र नगर	1
6.	हरियाणा	
	(1) फरीदाबाद	6
7.	हिमाचल प्रदेश	
	(1) कागड़ा	3
8.	जम्मू व कश्मीर	13
	(1) जम्मू	11
	(2) कथूआ	1
	(3) ऊधमपुर	1
9.	केरल	21
	(1) अल्लेपेय	4
	(2) कालीकट	6
	(3) कोल्लम	10
	(4) त्रिवेन्द्रम	1

1	2	3
10.	महाराष्ट्र	69
	(1) अकोला	19
	(2) अमरावती	4
	(3) बुलधाना	4
	(4) धूले	3
	(5) जलगांव	3
	(6) नान्देड़	19
	(7) पुणे	14
	(8) रायगढ़	3
11.	मेघालय	16
	(1) पूर्वी खासी हिल्स	4
	(2) पश्चिमी गारो हिल्स	6
	(3) पश्चिमी खासी हिल्स	6
12.	उड़ीसा	43
	(1) बालासोर	4
	(2) बालांगीर	7
	(3) गन्जम	5
	(4) केन्द्रपारा	4
	(5) कालाहान्डी	3
	(6) नऊपारा	7
	(7) सम्बलपुर	3
	(8) सुन्दरगढ़	2
	(9) सुबर्णापुर	8
13.	पंजाब	25
	(1) फरीदकोट	13
	(2) फतेहगढ़	1

1	2	3
	(3) जालन्धर	3
	(4) होशियारपुर	4
	(5) पटियाला	4
14.	राजस्थान	60
	(1) बाड़मेर	9
	(2) भरतपुर	1
	(3) चूरू	10
	(4) धौलपुर	6
	(5) जयपुर	7
	(6) जैसलमेर	2
	(7) झुन्झुनु	15
	(8) जोधपुर	1
	(9) करौली	3
	(10) सवाई माधोपुर	6
15.	तमिलनाडु	58
	(1) कुड्डालौर	4
	(2) डिन्डीगुल	21
	(3) पाराम्बालूर	1
	(4) रामनाद	2
	(5) थिरूवरूर	2
	(6) तन्जौर	2
	(7) वेल्लौर	2
	(8) टी.वी. मल्लाई	24
16.	उत्तर प्रदेश	48
	(1) इलाहाबाद	15
	(2) भदोही	2
	(3) बुलन्दशहर	2
	(4) मेरठ	6
	(5) इटावा	3
	(6) मिरजापुर	9
	(7) मुरादाबाद	4
	(8) नैनीताल	1
	(9) वाराणसी	6
17.	पश्चिम बंगाल	29
	(1) बीरभूम	2
	(2) दार्जिलिंग	1
	(3) मेदीनीपुर	10
	(4) मुर्शिदाबाद	9
	(5) नादिया	7
18.	मध्य प्रदेश	60
	(1) बस्तर	8
	(2) दुर्ग	11
	(3) जबलपुर	15
	(4) खाण्डवा	3
	(5) नरसिंहपुर	2
	(6) राजनन्द गांव	3
	(7) सरगुजा	2
	(8) सिधी	2
	(9) उज्जैन	14
19.	कर्नाटक	112
	(1) बेल्लारी	11
	(2) बीधर	9

1	2	3
	(3) बीजापुर	3
	(4) धारवाड़	17
	(5) गुलबर्गा	16
	(6) हसन	9
	(7) कोलार	19
	(8) मध्या	8
	(9) रायचूर	20
20.	संघ शासित क्षेत्र	23
	(1) चण्डीगढ़	4
	(2) दिल्ली	17
	(3) पाण्डिचेरी	2

विवरण-II

1998-99 के दौरान केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा कुएं खोदने के अनंतिम लक्ष्य का विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिला	खोदे जाने वाले बोरहोलों की संख्या
1	2	3	4
1.	असम	1. लखीमपुर और धेमाजी	5
		2. डिब्रूगढ़ और तिनसुखिया	6
		मौरीगांव	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	1. पूर्वी सियांग	2
		2. चैंगलौंग	2
3.	मेघालय	1. रोभोई	8
4.	गुजरात	1. साबरकान्था वानसकान्था गांधी नगर	8
		2. कच्छ एवं तटीय सौराष्ट्र	20
		3. भरूच बडोदा सूरत	10
		4. जूनागढ़	32
		5. मेहसाना अहमदाबाद	9
5.	पंजाब	1. पटियाला फतेहगढ़ साहिब संगरूर	8
		2. कपूरथला	8
		3. रोपड़	1
		4. होशियारपुर नवांशहर	1
6.	हरियाणा	1. गुड़गांव	7
		2. फरीदाबाद	7
7.	हिमाचल प्रदेश	1. कांगड़ा	2
		2. बिलासपुर हमीरपुर	4
8.	उत्तर प्रदेश	1. गौन्डा	5
		2. बहराइच	5
		3. फतेहपुर	5
		4. मिर्जापुर सोनभद्र	13

1	2	3	4
		5. बान्दा	10
		6. वाराणसी	3
		7. मेरठ बुलन्दशहर	10
		8. रामपुर, मुरादाबाद	5
		9. नैनीताल	2
		10. सहारनपुर	2
		11. उत्तर काशी बिजनौर, पौड़ी	2
		12. इटावा	5
9.	तमिलनाडु	1. कांचीपुरम तिरूवैलोर तिरूवनामलाई	10
		2. रामनाथपुरम	5
		3. डिन्डीगुल कोयम्बटूर	16
		4. वेल्लौर	13
10.	केरल	1. कन्नौर	15
		2. क्वीलौन	4
		3. एरनाकुलम	4
		4. एलेपी	10
11.	बिहार	1. बन्का, जहांनाबाद, नालन्दा	20
		2. हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, धनबाद	15
		3. सूपोल, माधेपुरा, सहरशाह	5
		4. पूर्वी चम्पारन, वैशाली, मुजफ्फरपुर	5
		5. रांची	3
12.	महाराष्ट्र	1. नागपुर, चन्दरपुर गादचिरोली, यवतमाल	10
		2. नांदेड़, लाटूर	16
		3. रायगढ़, पुणे	16
		4. अकोला	16
13.	जम्मू और कश्मीर	1. श्रीनगर	8
		2. जम्मू	2
		3. कटुआ	2
		4. ऊधमपुर	2
14.	आंध्र प्रदेश	1. पूर्वी गोदावरी	5
		2. निजामाबाद	29
		3. कृष्णा	8
		4. श्रीकाकुलम	12
		5. कुडप्पा, नेल्लौर, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक	29
		6. पश्चिम गोदावरी	20
		7. खमाम	14
		8. वारांगल	15
		9. करीमनगर	15
		10. आदीलाबाद	15
15.	उड़ीसा	1. बालासोर, पुरी, कटक	36
		2. सम्बलपुर	12

1	2	3	4
		3. मलकानगिरी, रायगढ़ा	12
		4. गजपती	12
		5. गंजाम	12
		6. नयागढ़	12
16.	राजस्थान	1. सवाई माधोपुर	10
		2. जोधपुर	8
		3. जालौर	8
		4. बीकानेर	16
		5. जयपुर, अजमेर	15
		6. चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा	15
17.	मध्य प्रदेश	1. उज्जैन	16
		2. जबलपुर	16
		3. सिधी	7
		4. बस्तर	16
		5. दुर्ग, राजनन्दगांव	20
		6. रीवा, सिधी, सतना	8
18.	कर्नाटक	1. धारवाड़	31
		2. बेलगांव	11
		3. शिमोगा	9
		4. हासन	6
		5. चिकमगलूर	8
		6. उत्तरी कनारा	12
		7. कूर्ग	13
		8. दक्षिणी कनारा	13
19.	पश्चिम बंगाल	1. बीरभूम	5
		2. वर्दवान	4
		3. दार्जिलिंग	1
		4. जलपाईगुड़ी	1
		5. मुर्शिदाबाद	5
		6. नादिया, उत्तरी-24 परगना	5
		7. मेदीनीपुर हुगली, हावड़ा	10
20.	दिल्ली	1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	22
		कुल	978

भारत-फ्रांस समझौता

2245. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फ्रांस के राष्ट्रपति ने जनवरी माह में भारत की यात्रा की थी और दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) फ्रांस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ कितना सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हां।

(ख) कोंसली मामलों से सम्बद्ध दो करारों और जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग से सम्बद्ध आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। विवरण इस प्रकार है:

आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी करार पर भारत के केन्द्रीय गृह मंत्री और फ्रांस के विदेश मंत्री द्वारा 25 जनवरी, 1998 को हस्ताक्षर किए गए। इस करार में कार्यवाहियों की तामील के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करने, तलाशी और अभिग्रहण करने, न्यायालय की कार्यवाहियों में उपस्थित होने के लिए हिरासत में रह रहे व्यक्तियों के अस्थायी हस्तान्तरण को प्रभावी बनाने अथवा जांच-पड़ताल में सहायता करने और दस्तावेजों तथा अभिलेखों को उपलब्ध कराने में सहायता करने की व्यवस्था की गई है।

दीवानी मामलों में परस्पर विधिक सहायता से सम्बद्ध करार पर भारत के केन्द्रीय विधि सचिव और फ्रांस के राजदूत द्वारा 25 जनवरी, 1998 को हस्ताक्षर किए गए। इस करार में दूसरे देश में (प्रत्येक उस देश के अलावा जिनका अपने राजनयिक या कोंसली एजेन्टों के माध्यम से ऐसा करने का विकल्प हो) रह रहे व्यक्तियों के संबंध में न्यायिक अथवा न्यायिक से इतर दस्तावेजों की तामील करने में सहायता देने और प्रमाण प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की व्यवस्था है।

जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध आशय पत्र पर भारत के राज्य मंत्री (एस. एंड टी. एंड पी.) और फ्रांस के शिक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 25 जनवरी, 1998 को हस्ताक्षर किए गए। इसमें संयुक्त अनुसंधान और सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(ग) फ्रांस और भारत आतंकवाद का सामना करने के लिए एक-दूसरे को सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी करार पर हस्ताक्षर करना अपराध और आतंकवाद का सार्वभौमिकरण और अन्तर्राष्ट्रीयकरण पर दोनों देशों के बीच समान चिन्ता तथा सहयोग करने की इच्छा को प्रतिबिम्बित करता है।

परमाणु परीक्षणों के प्रभाव

2246. श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का देश की विभिन्न विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं पर प्रभाव का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी परियोजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) *: (क) से (ग)* भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के कारण लगने वाले आर्थिक प्रतिबंधों का बाह्य सहायता से चल रही सिंचाई परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

स्वर्णरेखा बराज परियोजना

2247. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग की तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टी.ए.सी.) ने स्वर्णरेखा बराज परियोजना तथा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में नदी के बायें किनारे पर नहर नेटवर्क के निर्माण हेतु मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार के सिंचाई और जलमार्ग राज्य मंत्री ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से मुलाकात की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मामले में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(च) परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (च) पश्चिम बंगाल की 215.61 करोड़ की लागत वाली स्वर्णरेखा बैराज परियोजना पर जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने दिनांक 27.1.1988 को आयोजित इसकी अड़तीसवी बैठक में विचार किया तथा उसे इस शर्त पर स्वीकार योग्य पाया गया कि उसे पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से पर्यावरणीय तथा वन स्वीकृति मिले। तद्नंतर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इसे दिनांक 19.9.1994 को पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति प्रदान की तथा योजना आयोग ने इसे 15.3.1995 को निवेश स्वीकृति प्रदान की।

सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

वीजा पर प्रतिबंध

2248. श्री रंजीब बिस्वाल :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के लिए वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और प्रतिबंध कब तक के लिए लगाया गया है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) अमरीका ने घरेलू कानून अर्थात नाभिकीय प्रसार निषेध अधिनियम (एन.पी.पी.ए.) की धारा 102(ख) के अन्तर्गत प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन प्रतिबंधों में भारत को वीसा जारी करने के बारे में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

2249. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :
श्री सुरेश कुरूप :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मंत्रियों के नाम क्या है और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या आरोप है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डार में अधिकारी

2250. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की केन्द्रीय भण्डार की शेयर पूंजी में 90% से अधिक की भागीदारी है जिसके कारण इस संगठन का नियंत्रण और प्रबंधन सरकार के हाथ में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय के प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को 60 वर्ष से ऊपर पुनर्नियुक्ति का सेवा विस्तार न करने के स्थाई आदेशों के बावजूद बार-बार सेवा विस्तार मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी नियुक्ति के लिए अन्य अधिकारियों का चयन उक्त अधिकारियों की वर्तमान सेवा अवधि समाप्त होने से बहुत पहले हो जाए?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार, दिल्ली-राज्य-सहकारी समितियां-अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित एक पंजीकृत सहकारी समिति है और यह सरकारी कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्थापित की गई है। इसकी प्रबंधन संबंधी शक्तियां, इसके निदेशक-मंडल में निहित होती हैं। केन्द्रीय भंडार की कुल 77.78 लाख रुपये की शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार ने 68.18 लाख रुपये का अंशदान किया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भंडार के वर्तमान महाप्रबंधक, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक अधिकारी थे, को इस विभाग के संयुक्त सचिव के कार्यभार के अतिरिक्त दिनांक अप्रैल 13, 1991 से अंशकालिक आधार पर केन्द्रीय भंडार का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया था और उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेने पर उन्हें संविलयन के आधार पर, दिनांक नवम्बर 11, 1991 से पूर्णकालिक आधार पर केंद्रीय भंडार पर महा प्रबंधन नियुक्त किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा, केंद्रीय भंडार के महा प्रबंधक का सेवाकाल पिछली बार बढ़ाने का निर्णय, विभिन्न संगत पहलू ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(ङ) केन्द्रीय भंडार के निदेशक-मण्डल को ऐसे मामले में, उपयुक्त समय पर आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है।

सीक्रेट सर्विस फंड

2251. श्री कमल नाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल 1998 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार "सी.बी.आई. वाइन्स, डाइन्स आन सीक्रेट फंड्स" की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार के प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई करने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो ने यह सूचित किया है कि गुप्त सेवा निधि, संगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप संचालित की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेश से आने वाले पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदर-सत्कार पर आवश्यक व्यय करने की अनुमति भी है। इस प्रकार खर्च की गई धनराशि, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की गुप्त सेवा-निधि में से किए जाने वाले व्यय का मामूली हिस्सा है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा से नीचे लोग

2252. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की कुल आबादी को पता करने के लिए तथा हरेक वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि के रूख को जानने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं। पिछला सर्वेक्षण 1991 की जनगणना में किया गया था। हालांकि भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा जन्म व मृत्यु का एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जिसे प्रतिदर्श पंजीयन प्रणाली (एसआरएस) के नाम से जाना जाता है, सम्पूर्ण देश में, यादृच्छिक रूप से चुने गए गांवों एवं शहरी ब्लॉकों में किया जा रहा है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म व मृत्यु दरों के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध कराना है। यह बड़े राज्यों (10 मिलियन तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले) एवं पूरे देश के जनन एवं मृत्यु के अन्य पैमाने भी प्रदान करता है।

स्वाभाविक वृद्धि दर के अर्थ में मापित वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जन्म एवं मृत्यु दरों के वार्षिक अनुमानों के बीच भिन्नता के रूप में प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर (एसआरएस) से प्राप्त स्वाभाविक वृद्धि दर का नवीनतम अनुमात 1.85 प्रतिशत है तथा यह वर्ष 1996 से संबंधित हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के, एसआरएस से यथा उपलब्ध जनसंख्या के वर्ष 1991 से 1996 तक के स्वाभाविक वृद्धि दर अनुमान (प्रतिशत) विवरण-। में दिए गए हैं।

(ग) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशतांक एवं संख्या के सम्बन्ध में राज्यवार नवीनतम अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्ध हैं। इनका आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 50वें दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से किया गया है। ये अनुमान विवरण-॥ में संलग्न हैं।

(घ) गरीबी के विरुद्ध त्रिआयामी कार्रवाई की जा रही है। ये हैं: (क) आर्थिक विकास की गति तेज करना, (ख) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करना, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के माध्यम से मानवीय तथा सामाजिक विकास, तथा (ग) रोजगार एवं आय सृजक कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए सम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर प्रत्यक्ष हमला। इन कार्यक्रमों में से प्रमुख हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, गृह कल्याण योजना, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं तथा प्रधानमंत्री का शहरी गरीब उन्मूलन कार्यक्रम।

विवरण-I

स्वाभाविक वृद्धि दर, 1991 से 1996

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*1991*	*1992*	*1993*	*1994*	*1995*	*1996*
1	2	3	4	5	6	7
भारत*	1.97	1.91	1.94	1.94	1.93	1.85
बड़े राज्य						
आन्ध्र प्रदेश	1.63	1.53	1.57	1.55	1.58	1.44
असम	1.94	2.04	1.93	2.16	1.97	1.80
बिहार	2.09	2.14	2.14	2.21	2.16	2.19
गुजरात	1.90	1.89	1.98	1.84	1.91	1.55
हरियाणा	2.49	2.33	2.30	2.27	2.18	2.07
कर्नाटक	1.79	1.78	1.75	1.67	1.65	1.54
केरल	1.23	1.14	1.14	1.13	1.20	1.18
मध्य प्रदेश	2.20	2.20	2.23	2.14	2.20	2.12
महाराष्ट्र	1.80	1.74	1.79	1.76	1.70	1.60
उड़ीसा	1.60	1.61	1.50	1.68	1.70	1.62
पंजाब	1.99	1.89	1.84	1.74	1.73	1.63
राजस्थान	2.49	2.44	2.49	2.47	2.42	2.33
तमिलनाडु	1.20	1.23	1.13	1.12	1.23	1.15
उत्तर प्रदेश	2.44	2.35	2.46	2.44	2.45	2.37
पश्चिम बंगाल	1.87	1.64	1.83	1.69	1.57	1.50

1	2	3	4	5	6	7
छोटे राज्य						
अरूणाचल प्रदेश	1.74	1.72	1.91	1.86	1.78	1.64
गोवा	0.93	0.73	0.80	0.78	0.73	0.67
हिमाचल प्रदेश	1.96	1.93	1.81	1.77	1.65	1.50
मणिपुर	1.47	1.39	1.57	1.50	1.39	1.38
मेघालय	2.36	2.13	2.17	2.24	2.01	2.15
नागालैंड	1.52	1.54	1.53	1.58	शून्य	शून्य
सिक्किम	1.50	1.62	1.74	2.17	1.56	1.35
त्रिपुरा	1.68	1.55	1.69	1.66	1.12	1.19
संघ राज्य क्षेत्र						
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.42	1.48	1.61	1.48	1.29	1.37
चण्डीगढ़	0.93	1.23	1.58	1.53	1.38	1.32
दादरा और नगर हवेली	1.97	2.64	2.14	2.50	2.15	1.97
दमन एवं दीव	1.89	1.73	1.67	1.89	1.38	1.26
दिल्ली	1.84	1.95	1.84	1.78	1.73	1.59
लक्षद्वीप	2.24	1.89	1.95	1.92	1.79	1.71
पांडिचेरी	1.26	1.30	0.92	1.05	1.25	1.10

*आवर्तियों की प्राप्ति न होने के कारण जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

टिप्पणी : राष्ट्रीय स्तर पर 1995 तक के अनुमानों में मिजोरम शामिल नहीं हैं क्योंकि 1995 तक मिजोरम में एस आर एस प्रचालन में नहीं था।

स्रोत प्रतिदर्श पंजीयन प्रणाली।

विवरण II

राज्यों के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या तथा प्रतिशतांक 1993-94

राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशतांक	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशतांक	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों का प्रतिशतांक
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	79.49	15.92	74.47	38.33	153.97	22.19
2. अरूणाचल प्रदेश	3.62	45.01	0.11	7.73	3.73	39.35
3. असम	94.33	45.01	2.03	7.73	96.36	40.86
4. बिहार	450.86	58.21	42.49	34.50	493.35	54.96
5. गोवा	0.38	5.34	1.53	27.03	1.91	14.92
6. गुजरात	62.16	22.18	43.02	27.89	105.19	24.21
7. हरियाणा	36.56	28.02	7.31	16.38	43.88	25.05
8. हिमाचल प्रदेश	15.40	30.34	0.46	9.18	15.86	28.44
9. जम्मू व कश्मीर	19.05	30.34	1.86	9.18	20.92	25.17
10. कर्नाटक	95.99	29.88	60.46	40.14	156.46	33.16
11. केरल	55.95	25.76	20.46	24.55	76.41	25.43
12. मध्य प्रदेश	216.19	40.84	82.33	48.38	298.52	42.52
13. महाराष्ट्र	193.33	37.93	111.90	35.15	305.22	36.86
14. मणिपुर	6.33	45.01	0.47	7.73	6.80	33.78
15. मेघालय	7.09	45.01	0.29	7.73	7.38	37.92
16. मिजोरम	1.64	45.01	0.30	7.73	1.94	25.66

1	2	3	4	5	6	7
17. नागालैंड	4.85	45.01	0.20	7.73	5.05	37.92
18. उड़ीसा	140.90	49.72	19.70	41.64	160.80	48.56
19. पंजाब	17.76	11.95	7.35	11.35	25.11	11.77
20. राजस्थान	94.68	26.46	33.82	30.49	128.50	27.41
21. सिक्किम	1.81	45.01	0.03	7.73	1.84	41.43
22. तमिलनाडु	121.70	32.48	80.40	39.77	202.10	35.03
23. त्रिपुरा	11.41	45.01	0.38	7.73	11.79	39.01
24. उत्तर प्रदेश	496.17	42.28	108.28	35.39	604.46	40.85
25. पश्चिम बंगाल	209.90	40.80	44.66	22.41	254.56	35.56
26. अंडमान एवं निकोबार	0.73	32.48	0.33	39.77	1.06	34.47
27. चण्डीगढ़	0.07	11.35	0.73	11.35	0.80	11.35
28. दादरा और नगर हवेली	0.72	51.95	0.06	39.93	0.77	50.84
29. दमन और दीव	0.03	5.34	0.15	27.03	0.18	15.80
30. दिल्ली	0.19	1.90	15.32	16.03	15.51	14.69
31. लक्षद्वीप	0.06	25.76	0.08	24.55	0.14	25.04
32. पांडिचेरी	0.93	32.48	2.38	39.77	3.31	37.40
अखिल भारत	2440.31	37.27	763.37	32.36	3203.68	35.97

1. असम का गरीबी अनुपात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर व त्रिपुरा के लिए प्रस्तुत किया गया है
2. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रयुक्त किया गया है।
3. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है।
4. गोवा का गरीबी अनुपात दमन व दीव के लिए प्रयुक्त किया गया है।
5. पंजाब का शहरी गरीबी अनुपात चंडीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों अनुपातों के लिए प्रयुक्त किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं गोवा के व्यय वितरण को गोवा को गोवा के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं दादरा व नगर हवेली का व्यय वितरण दादरा एवं नगर हवेली के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
8. 1993-94 में हिमाचल प्रदेश का गरीबी अनुपात जम्मू व कश्मीर के लिए प्रयुक्त किया गया है।

ढुलाई के काम आने वाले पशु

2253. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : *क्या प्रधान मंत्री यह बताने* की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ढुलाई के काम आने वाले पशु शक्ति (डी.ए.पी.) में तेजी से कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अधिकतम उपयोग के लिए उठाए जाने वाले कदमों सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रति मेगावाट विद्युत पर 50 लाख रु. की वार्षिक राज सहायता शामिल है;

(घ) यदि हां, तो क्या ढुलाई के काम आने वाले पशुओं डी.ए.पी. के लिए आठवीं योजना में एक करोड़ रु. आबंटित किए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह आबंटन इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सातवीं योजना में पशु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना थी;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) आने वाले वर्षों में डी.ए.पी. के लिए कितनी वार्षिक राजसहायता दिए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) पशुओं की जनगणना के अनुसार वर्ष 1987 में करीब 68 मिलियन ढुलाई के काम आने वाले पशु थे जो कि वर्ष 1992 में बढ़कर करीब 73.5 मिलियन हो गए हैं। केन्द्र सरकार विद्युत क्षमता की बढ़ोत्तरी के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक राज सहायता उपलब्ध नहीं कराती।

(घ) से (च) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, 8वीं योजना काल के दौरान पशु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ रु. के बजट का नियतन किया गया था।

(छ) से (झ) सातवीं योजना में पशु ऊर्जा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव था। तथापि, वित्तीय अड़चनों के कारण, केन्द्र की स्थापना नहीं की जा सकी। केन्द्र सरकार ढुलाई के काम आने वाले पशु ऊर्जा के लिए वार्षिक आर्थिक राज सहायता उपलब्ध नहीं कराती।

पदोन्नति में आरक्षण

2254. श्री आर.एस. गवई :
श्री जोगेन्द्र कवाडे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वर्ष 1997 के दौरान पांच कार्यालय ज्ञापन जारी करके पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी है;

(ख) क्या ये न्यायालय के फैसले पर आधारित है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार न्यायालय के समक्ष अपने विचार व्यवस्थित तरीके से पेश करने में असफल रही;

(घ) न्यायालय के समक्ष सरकार की तरफ से उपस्थित वकीलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जारी किए गए इन कार्यालयों ज्ञापनों का अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को प्रभावित करता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की लंबित परियोजनाएं

2255. श्री आर.एस. गवई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की अनेक परियोजनाएं अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजनाएं कब से लंबित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं का अनुमोदन न किए जाने के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं का कब तक अनुमोदन किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) योजना आयोग के पास इस समय अनुमोदन के लिए महाराष्ट्र सरकार की कोई परियोजना लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशेष आवंटन हेतु मानदण्ड

2256. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को विशेष आबंटन उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ख) क्या विकास योजना और आवंटित राशि के बीच असमानता दूर करने के लिए उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या राज्यों के साथ उन समस्याओं के संबंध में कोई चर्चा हुई थी जिनके लिए अतिरिक्त धन की निरन्तर आवश्यकता है; और

(घ) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के आबंटन में अपनाए गए मानदण्ड राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1991 में यथा अनुमोदित संशोधित गाडिगल फार्मूले में दिए गए हैं। इस फार्मूले में, राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए निधियों का 7.5 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है। राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय, योजना आयोग उनकी विशेष समस्याओं, विशेषकर कम विकसित राज्यों की समस्याओं को ध्यान में रखता है और तदनुसार निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

रोजगारोन्मुखी योजनाएं

2257. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा रोजगारोन्मुखी योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना स्कीमों का उद्देश्य देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र का संवर्धन करना है। ये स्कीमें परियोजना विशेष होती हैं, राज्य विशेष अथवा क्षेत्र विशेष नहीं।

इनकी स्कीमों में से एक के तहत खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। स्कीम में कृषि कच्चे माल का प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए करने हेतु उद्यमशीलता के विकास तथा प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण की व्यवस्था है। इसमें लघु यूनिट के संचालन एवं प्रबंधन के लिए प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

आतंकवाद को समर्थन

2258. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी विदेश विभाग ने अपनी हाल ही की रिपोर्ट में पाकिस्तान को कश्मीर में विद्रोही गतिविधियों से समर्थन देने का दोषी माना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में अमरीका से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भारत ने किस सीमा तक अमरीकी सरकार को प्रभावित किया है; और

(ङ) क्या इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आने की सम्भावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) 'सार्वभौमिक आतंकवाद के नमूने' पर अमरीका की विभागीय वार्षिक रिपोर्ट में कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 'हरकत उल अंसार (एच.यू.ए.) जैसे आतंकवादी गुटों को पाकिस्तान के अधिकारिक समर्थन की विश्वसनीय रिपोर्टों का हवाला दिया गया है।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि हरकत उल अंसार का *आधार पाकिस्तान में स्थित है तथा यह कश्मीर में अपनी गतिविधियां चला रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस गुट के समर्थकों* में पाकिस्तानी और कश्मीरी तथा अफगानी के साथ-साथ अफगान युद्ध के भूतपूर्व अरब सैनिक शामिल हैं।

(ग) से (ङ) सरकार द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अमरीका तथा अन्य देशों का ध्यान जम्मू और कश्मीर और भारत के अन्य भागों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के संबंध में अपने वैध चिन्ताओं की ओर लगातार आकृष्ट करती रही है। सरकार जम्मू और कश्मीर में सीमा पार के आतंकवाद को नियंत्रित करने तथा रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना जारी रखेगी।

इंटरनेशनल डिस्टिलर्स इंडिया लि. को संयुक्त उद्यम की अनुमति

2259. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल डिस्टिलर्स इंडिया लि. (एक बहुराष्ट्रीय कंपनी) को संयुक्त उद्यम हेतु वित्तीय सहयोग की अनुमति तथा एक भारतीय कंपनी द्वारा धारित औद्योगिक लाइसेंस का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बात के बावजूद की उन्हें विनिर्माण लाइसेंस एवं वित्तीय उद्योग हेतु अनुमोदन केवल एक स्थान पर कार्य करने के लिए दिया गया है उन्होंने वास्तव में अनेक स्थानों पर विनिर्माण/प्रसंस्करण संबंधी सुविधाएं स्थापित कर ली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इंटरनेशनल डिस्टिलर्स इंडिया लि. की उक्त कार्रवाई उन्हें दी गयी वित्तीय सहयोग संबंधी अनुमति तथा औद्योगिक लाइसेंस का प्रत्यक्ष उल्लंघन है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त बहुराष्ट्रीय कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत उत्पादन

2260. **श्री अनंत कुमार हेगड़े** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अपारंपरिक स्रोतों के माध्यम से उत्पादित विद्युत का ब्यौरा क्या है और पारंपरिक तरीके से प्राप्त विद्युत की तुलना में अपारंपरिक तरीके से प्राप्त विद्युत की प्रति यूनिट लागत कितनी बैठती है; और

(ख) सरकार द्वारा अपारंपरिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित लगभग 746 मेगावाट की कुल क्षमता स्थापित की गई है। इसमें पवन से 615 मेगावाट क्षमता, बायोमास से 89 मेगावाट तथा लघुपन बिजली से 42 मेगावाट क्षमता शामिल हैं। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान पवन विद्युत परियोजनाओं से 2.36 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया गया है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत स्थल, प्रौद्योगिकी, परियोजना के प्रकार व आकार, उपलब्ध राजकोषीय प्रोत्साहन तथा वित्त पोषण के साधनों पर निर्भर करते हुए 1.50 रुपये से लेकर 3.00 रुपये प्रति यूनिट भिन्न-भिन्न होती है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सब्सिडी, पर्यावरणीय एवं सामाजिक लागतों तथा अन्य ऊपरी खर्चों को एक साथ ध्यान में रखकर ये लागतें, पारंपरिक विद्युत की लागत की तुलना में अपेक्षाकृत कम बैठती है।

(ख) पवन ऊर्जा, लघुपन बिजली तथा बायोमास पर आधारित अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार पूंजीगत आर्थिक राज सहायता, ब्याज आर्थिक राज सहायता, राजकोषीय प्रोत्साहन तथा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (लिमिटेड) इरेडा से उदार ऋण उपलब्ध कराती है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए संभाव्यता वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु संसाधन मूल्यांकन अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों में भी सहायता की जा रही है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब तक 12 राज्यों ने इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता को आकर्षित करने के लिए संप्रेषण, बैंकिंग, खरीद-वापसी एवं तृतीय पक्ष की बिक्री के लिए अनुकूल नीतियों की घोषणा की है।

निजी कम्प्यूटर संस्थान

2261. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में कुकुरमुत्तों की तरह फैलते जा रहे हजारों निजी कम्प्यूटर संस्थानों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं

है; जो बहुत ऊंची फीस वसूल करके विभिन्न कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने का दावा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से अधिकांश संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे संस्थानों पर नियंत्रण लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर, एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) हालांकि अनौपचारिक क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है, लेकिन भारत सरकार ने देश में कम्प्यूटर शिक्षण का मानकीकरण करने तथा उसकी क्वालिटी में सुधार लाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों की मान्यता (डीओईएसीसी) नामक एक योजना शुरू की है। अनौपचारिक क्षेत्र (निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही) में शिक्षक वर्ग, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की दृष्टि से पूर्व-निर्धारित मानदण्डों एवं शर्तों को पूरा करने वाले संस्थानों/संगठनों को उनके अनुरोध के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। यह योजना स्वैच्छिक है तथा इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नामक तकनीकी शिक्षण को मान्यता प्रदान करने वाले सांविधिक निकाय द्वारा विस्तृत अध्ययन करने के बाद शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 'ओ' (आधारभूत), 'ए' (उन्नत डिप्लोमा), 'बी' (स्नातक) तथा 'सी' (स्नातकोत्तर) नामक चार स्तरों के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डीओईएसीसी योजना के अन्तर्गत आने वाले संगठनों की आवधिक रूप से निगरानी की जाती है और यदि वे योजना में विनिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन के मानदण्डों को पूरा करने में असफल होते हैं तो समुचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री सुरजीत सिंह बरनाला।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सभा पटल पर पत्र रखने के बाद अनुमति दूंगा। कृपया यह बात समझें।

...(व्यवधान)

***अध्यक्ष महोदय** : श्री रामानन्द सिंह, कोई समस्या नहीं है। इसे पहले ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा चुका है।* कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय भाण्डागार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) केन्द्रीय भाण्डागार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भाण्डागार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 608/98]

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 609/98]

वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगे रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : मैं श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 610/98]

जल भूतल परिवहन मंत्रालय की वर्ष 1998-99 के विस्तृत अनुदानों की मांगें

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा.एम. तम्बीदुरई) : मैं जल भूतल परिवहन मंत्रालय का वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 611/98]

मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संख्याक 10) (राजस्व प्राप्तियां-अप्रत्यक्ष कर) (सीमा-शुल्क)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 612/98]

(दो) मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संख्याक 11) (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 613/98]

(तीन) मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1998 का संख्याक 12) (प्रत्यक्ष कर)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 614/98]

(2) वित्त मंत्रालय के लिए वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 615/98]

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगें

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रहती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 616/98]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगें

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 617/98]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगें

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 618/98]

[अनुवाद]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगें इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मेनपावर रिसर्च, नई दिल्ली वर्ष 1996-97 आदि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य

मंत्री (श्री राम नाईक) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 619/98]

(2) (एक) इन्सटीट्यूट आफ एप्लाइड मेनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्सटीट्यूट आफ एप्लाइड मेनपावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 620/98]

(4) संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 621/98]

(5) (एक) रीजनल कम्प्यूटर सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कम्प्यूटर सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 622/98]

(7) (एक) रीजनल कम्प्यूटर सेन्टर, चंडीगढ़ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल कम्प्यूटर सेन्टर, चंडीगढ़ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 623/98]

(9) योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 624/98]

(10) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर सर्विसिज इनकारपोरेटिड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर सर्विसिज इनकारपोरेटिड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 625/98]

अंतरिक्ष विभाग के लिए वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगें

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) अन्तरिक्ष विभाग के लिए वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 626/98]

(2) (एक) नेशनल रिमोट सेनसिंग एजेन्सी, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेनसिंग एजेन्सी, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 627/98]

(3) (एक) फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 628/98]

(4) (एक) नेशनल एम.एस.टी. रडार फैसलिटि, गदांकी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एम.एस.टी. रडार फैसलिटिज, गदांकी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 629/98]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अन्तरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अन्तरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 630/98]

(6) परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 631/98]

(7) विदेश मंत्रालय के लिए वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 632/98]

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 633/98]

(ख) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 634/98]

(ग) (एक) वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 635/98]

(घ) (एक) महाराष्ट्र लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र लैंड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 636/98]

(ङ) (एक) कर्नाटक मीट एण्ड पोल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पोल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 637/98]

(च) (एक) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, अगाट्टी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, अगाट्टी के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 638/98]

(छ) (एक) मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 639/98]

(ज) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 640/98]

(3) जल-संसाधन मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 641/98]

(4) (एक) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के वर्ष 1996-97 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 642/98]

(6) (एक) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तंजावुर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तंजावुर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 643/98]

(8) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-644/98]

(10) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-645/98]

(12) कृषि मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-646/98]

(13) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-647/98]

(14) (एक) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-648/98]

(16) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये संख्या** एल.टी.-649/98]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1998 जो 21 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 40 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1998 जो 21 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन, 1998 जो 30 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1998 जो 30 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1998 जो 20 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 192(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छ:) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1998 जो 20 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 193(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 97(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियमन, 1998 जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 98(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1997 जो 19 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 717(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी शुद्धि पत्र जो 18 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 252(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दस) अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का सरांशीकरण) संशोधन विनियम, 1997 जो 19 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 718(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1998 जो 13 मई,

1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 249(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1998 जो 13 मई, *1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 259(अ) में प्रकाशित हुए थे।*

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 96(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1998 जो 27 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-650/98]

(2) महासागर विकास विभाग की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-651/98]

(3) विद्युत विभाग की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-652/98]

(4) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 1998-99 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-653/98]

अपराह्न 12.03¾ बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : मैं गांव और डाकखाना कैलवाड़ा कलां, कटनी के श्री सुभाष पटेल तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करूंगा जिसमें मध्य प्रदेश के कटनी और सतना जिलों के अनेक गांवों में चूना भट्ठों के काले धुएं और जहरीली गैसों से प्रभावित लोगों को राहत दिये जाने का अनुरोध करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी.-654/98]

अपराह्न 12.04 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

(एक) प्राक्कलन समिति

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 30 सदस्यों को 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 30 सदस्यों को 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) लोक लेखा समिति

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 15 सदस्यों को 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 15 सदस्यों को 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियन 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्यों को 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1)

द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्यों को 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1999 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4(4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4(4)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, *जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें*, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' आरम्भ होगा। श्री फातमी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पीठ के साथ सहयोग करें। मैं आप सबको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए। कृपया सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री फातमी को अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान) आज हिंदुस्तान की डैमोक्रेसी में सदन सबसे अहम खम्भा है, उसकी एक अहम भूमिका है। यहां जो वायदे सरकार के द्वारा किये जाते हैं उन पर अमल न होने का दुख हम लोगों को है। ऐसा ही एक वाकया है, इस सदन के अंदर उस समय के होम-मिनिस्टर इन्द्रजीत गुप्त ने 1.8.97 को यहां एक वायदा किया था वह मामला सी.बी.आई. के अधिकारी*... को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को लालू प्रसाद को जो उस समय मुख्यमंत्री थे जब बेल देने से मना कर दिया, तो लालू जी ने त्याग पत्र दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

था और कहा था कि वे अपनी हाजिरी हाईकोर्ट में दें। लेकिन 29 तारीख की ही रात को ...*(व्यवधान)* उन्होंने कानून को हाथ में लेकर ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया अब समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, माननीय सदस्य उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं कर सकते जो सदन का सदस्य नहीं है। सदन के नियम और प्रक्रिया के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता जो अपना बचाव करने के लिए स्वयं उपस्थित नहीं है। इसलिए इस नाम को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री फातमी को अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, आर्मी बुलाने के लिए कि ऐसा होगा, वैसा होगा ...*(व्यवधान)* कोई इंतजाम के लिए नहीं कहा। मैं सरकार से इस बात के लिए कह रहा हूं। इस बात को लेकर सदन में 1.8.97 को वायदा किया गया था कि एक कमेटी बनेगी और कमेटी निर्णय करेगी कि किस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। श्री दुरई जोकि उस कमेटी के इंचार्ज बनाए गये थे। ...*(व्यवधान)* दुरई कमेटी ने एक रपट होम-मिनिस्टर को दी ...*(व्यवधान)* उसके तहत जो पदाधिकारी थे* ... दूसरे पदाधिकारी ...*(व्यवधान)* उनके खिलाफ एक्शन लेना था। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि जो इस सदन के अंदर वायदा होम-मिनिस्टर ने किया है, क्या सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहती है या नहीं और नहीं ले जाना चाहती है तो क्यों नहीं ले जाना चाहती है, यह हमें बताने का काम करेगी। यह बहुत सीरियस मामला है। इस तरह से तो कोई भी अधिकारी चाहेगा तो वह कानून को अपने हाथ में लेकर कानून और पार्लियामेंट की धज्जी उड़ाएगा ...*(व्यवधान)* इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी। यहां पर प्रधान मंत्री बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)* क्या कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी ऑफिसर को है। मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गढ़वी की टिप्पणी के अलावा और कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.16 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.16¼ बजे

इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस जाइए।

अपराह्न 12.17 बजे

इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, आपने अपना मुद्दा उठा लिया है। अब कृपया अपने स्थान पर जाएं। मैं सरकार को बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप स्थिति जानते हैं कि मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता। मैंने आपको मामला उठाने की अनुमति दी है। मामला उठाने के बाद आपको यह नहीं करना चाहिए। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए और अनुमति मांगिए। यह तरीका नहीं है। अन्यथा मैं सदन स्थगित कर दूंगा। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। मंत्री *जी उत्तर दे रहे हैं।*

अपराह्न 12.19 बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, आज सुबह ही मुझे यह बात मालूम हुई। जब मैं 10 बजे के करीब आफिस में आया तो मैंने सैक्रेट्री पार्लियामेंटरी अफेयर्स को बुलाया? ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने उनसे सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने को कहा है। जब मुझे सारे फैक्ट्स मालूम हो जाएंगे ...*(व्यवधान)* आप एक बात और सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* यह बात ठीक है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझें कि माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : चूंकि यह मामला कोर्ट में है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं फैक्ट्स देखने के बाद ही बताऊंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : शून्य काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यहां एक अधिकारी के नाम का उल्लेख किया गया है। ...*(व्यवधान)* वह सदन का सदस्य नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* महोदय, एक अधिकारी का नाम लिया गया है और वह स्वयं बचाव के लिए उपस्थित नहीं है। वह यहां उपस्थित नहीं है। वह सदन का सदस्य नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं अच्छी तरह जानती हूं कि शून्य काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता। तो भी जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसके नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि किसी के भी नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वह अधिकारी इस संसद का सदस्य नहीं है और उसके नाम का उल्लेख किया गया है। वह स्वयं बचाव नहीं कर सकता। यह भाग कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* महोदय, आपका क्या निर्णय है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय सदस्य के मुद्दे से सहमत हूं कि नामों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया इसे प्रक्रिया से निकलवाएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत का अध्ययन करूंगा; कृपाय बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं सहमत हूं कि किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, किंतु यह मामला अलग है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में साइक्लोन के आने से 500 लोग मारे गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा। अब कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम इस मुद्दे पर चिंतित है। हम किसी एक के प्रति चिंतित नहीं है। प्रश्न यह था कि क्यों हम उसे समर्थन दे रहे थे और अनुरोध कर रहे थे। प्रश्न यह कि क्या एक सिविल प्राधिकारी द्वारा सेना बुलाई जा सकती है और किन परिस्थितियों में। जब पिछली बार यह मामला सदन के समक्ष आया था तो प्रत्येक सदस्य ने गहरी निराशा और चिंता व्यक्त की थी। मेरे पास मेरे बहुत ही अच्छे मित्र श्री जसवंत सिंह जी के भाषण की प्रति है। ...*(व्यवधान)* पूर्व में सेना में रहकर उन्होंने महसूस किया ऐसे मामलों में सेना को नहीं बुलाना चाहिए था। मेरे पास रिकार्ड्स हैं। ...*(व्यवधान)* इस सदन में लगभग आम सहमति थी। यह निर्णय किया गया था कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था जबकि उच्च न्यायालय की यह राय थी कि इस मामले में उसे निदेश देने का अधिकार था। ...*(व्यवधान)*

हमें उस मामले को याद करना चाहिये। सेना को बुलाया गया था और पटना उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायधीशों ने मौखिक निदेश दिए थे। ये ऐसा मामला है, जिसने सदन में प्रत्येक सदस्य को आन्दोलित कर दिया है।

एक जांच की अपेक्षा की गई थी। तत्कालीन विपक्ष के नेता, जो अब प्रधान मंत्री हैं, भी इस सदन में उपस्थित थे। एक जांच समिति गठित की गई थी और उस समिति ने कुछ सिफारिशें की थी। उसके आधार पर आरोप पत्र जारी किया गया था, किंतु उस आरोप पत्र को दाखिल नहीं किया जा सका, क्योंकि एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र को अवैध घोषित कर दिया था ...*(व्यवधान)* मैं केवल उस का उल्लेख कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, प्रश्न यह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में सेना बुलाई जा सकती है ...*(व्यवधान)* हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर करें। यही सबसे आसान तरीका है। हम चाहते हैं कि सरकार को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए ताकि हम जान सके कि कानूनी स्थिति क्या है। यही वह बात है जिसका हम अनुरोध कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* हम नहीं जानते कि वे क्यों चिल्ला रहे हैं।

पिछले सत्र में इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के श्री जसवंत सिंह भी सम्मिलित थे, ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की थी। अब श्री चन्द्रशेखर ने यह कहा है। हम सरकार से उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने का अनुरोध करेंगे ताकि हम देश का कानून जान सकें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.एस. गढ़वी बोलें।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.27 बजे

इस समय श्री दिन्शा पटेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मौहम्मद अली अशरफ फातमी, मैंने आपको अनुमति दी है। आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पी.एस. गढ़वी के भाषण को छोड़कर और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में साइक्लोन के आने से गरीब लोगों की बस्ती में बाढ़ का पानी, दरिया का पानी भर गया है। ...*(व्यवधान)* झोंपड़-पट्टी में रहने वाले बीस हजार लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ...*(व्यवधान)* केवल कच्छ में ही 140 लोगों की मृत्यु हो गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी : महोदय, लगभग 500 लोगों के डूब जाने की आंशका है। ...*(व्यवधान)* आज कांडला के निकट चक्रवाती तूफान के कारण सबसे बुरी हालत है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही आश्वासन दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बस बहुत हुआ। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, वे उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं अथवा नहीं? अब प्रश्न यह है ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, यह 'शून्य काल' है।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, क्या आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति नहीं देंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया प्रतीक्षा करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात भी सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष महोदय, आज जो मुद्दा लालू प्रसाद यादव जी ने उठाया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मैं आपको बोलने के लिए अलाऊ करूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह केवल लालू यादव जी का मामला नहीं है। यह सारे देश का मुद्दा है और यह संविधान से जुड़ा हुआ मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस संबंध में क्या हो सकता है, इस बारे में आज हम कानूनी सलाह लेकर, सदन को कल इन्फार्म करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री दिन्शा पटेल (खेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने दिया जाए। यह नवभारत टाइम्स पेपर मेरे हाथ में है। ...*(व्यवधान)*

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट जाने में क्या रुकावट है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गढ़वी। ....*(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात की आवाज को हाउस में दबा दिया गया है। बड़े पैमाने पर वहां नुकसान हुआ है, लेकिन उस बात को नहीं सुना जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के स्थगित होने से पहले जिस विषय पर काफी तर्क-वितर्क हो रहा था, जब मैं गृह मंत्री था, तब मुझे उस घटना के बारे में इस हाउस में स्टेटमेंट के रूप में एक विस्तृत बयान देना पड़ा था, जो मेरा दुर्भाग्य था क्योंकि मैंने वह स्टेटमेंट दिया। उस पर किसी ने उस समय आपत्ति नहीं की। सभी ने बहुत धीरज से उसको सुना। वह स्टेटमेंट आपके रिकार्ड में है। मैंने उसका उल्लेख अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि कोई मेरे स्टेटमेंट से कोटेशन न दे दिया जाए। मैंने देखा है कि अब पुरानी चिट्ठी या स्टेटमेंट से कोटेशन देने की आदत सी बन गई है। इसलिए मैं घबड़ा रहा था।

अध्यक्ष महोदय, जो मामला यहां हुआ, मैं उसके बारे में ज्यादा रिपोर्ट नहीं देना चाहता हूं। क्योंकि यदि मैं विस्तार में जाऊंगा तो मुझे कुछ नामों का मजबूरी में यहां उल्लेख करना पड़ेगा। चूंकि वे इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए नियमानुसार उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। अतः मैं सिर्फ आफीसर्स ही कहूंगा। व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। उस समय एक ऐसा मामला हुआ, जिसके लिए सब लोग चिन्तित थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बोलना चाहता हूं जिन लोगों को जानकारी होगी, वे इस बात को जानते होंगे, लेकिन आप अगर यह पूछेंगे कि इसका प्रमाण क्या है, तो मैं बोल रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, यही प्रमाण है। जो लोग इस पर ज्यादा चिन्तित थे और अपनी ओर से चिन्ता प्रकट कर रहे थे, उनमें इस देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति जी हैं, जो हमारे संविधान के मुताबिक इस देश की आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। मुझे खबर मिली थी कि वे भी काफी चिन्तित हैं। इसके बारे में कोई कार्रवाई करें या नहीं। यहां यह सवाल आ गया था कि कोई भी सिविलियन आफीसर, कोई भी ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी से एक ऐसी परिस्थिति का विचार इस ढंग से करे कि उस परिस्थिति में ला एंड आर्डर की रक्षा करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस की मदद लेना जरूरी हो जाए और आर्म्ड फोर्सेस को बुलाने के लिए कदम उठाए। यह चीज आज हमारे संविधान के मुताबिक, हमारे रूल्स के मुताबिक हो सकती है या नहीं, यह सवाल था। क्योंकि जो मामला यहां हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसमें एक आफीसर पटना हाइकोर्ट के जज के पास रात को एक या दो बजे गए। मैं समय भूल गया हूं। जब जज साहब सो रहे थे। उनको नींद से उठाया गया और उनसे कहा गया कि लालू प्रसाद यादव जी को गिरफ्तार करना है। उस समय उनके ऊपर बहुत सारे चार्ज थे। उन अधिकारी महोदय ने बताया कि लालू प्रसाद यादव जी के मकान को, उस समय वे मुख्य मंत्री थे और मुख्य मंत्री निवास को बहुत सारे लोगों ने डंडे और लाठी लेकर घेर रखा है। अगर ऐसी स्थिति में हम, उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वहां टकराव हो जाए और खून-खराबा हो जाए। इससे बचने के लिए बेहतर यह रहेगा कि आर्मी की मदद ली जाए। जो उनका कहना था, वह सारा उस रिपोर्ट में है। जज साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करना जरूरी है, तो 'आगे बढ़े' उसमें लिखा हुआ है कि (आगे बढ़े) अब गो अहेड का मतलब उन्होंने यह समझा और व्याख्या की कि आर्मी बुलाना जरूरी है, तो आप इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। अब आर्मी बुलाना ठीक था या नहीं, यह अलग बात है। वहां दानापुर कैंटोनमेंट के आर्मी कमांडर जो थे, उनका मैं नाम भूल गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने उनको कांटैक्ट किया और उनसे कहा गया कि ये सारी बातें हैं तथा कहा कि ला एंड आर्डर की परेशानी सुबह पटना में हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वैस्ट है, कि इस काम में आप हमारी मदद करें और मिलिट्री को आदेश दें। जज साहब ने कहा ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि हमें कम से कम एक कंपनी फौज चाहिए जो वहां जाए, ताकि अगर ला एंड आर्डर की कोई दिक्कत हो, तो उसे मैनटेन कर पाएंगे। जो दानापुर का कमांडिंग आफीसर हैं, उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां ऐसा रूल नहीं है कि सिविल

अथॉरिटी की मदद करने के लिए मैं सेना भेजूं। जो मेरे सुपीरियर दिल्ली में हैं, जो आर्मी हैडक्वार्टर है, वहां से मुझे क्लीयरेंस लेनी पड़ेगी। वहां से अगर मुझे परमीशन न मिले तो मैं आपकी रिपोर्ट के बेसिस पर अपने आप नहीं कर सकता हूं। उन्होंने उस वक्त तुरंत करने को रिफ्यूज किया और कहा कि मैं हैडक्वार्टर को कांटेक्ट कर रहा हूं। वे भी पूरी परिस्थिति पर विचार करेंगे और तब जो होना है, वह होगा। इस ढंग से यह सवाल आया था और उनसे यह पूछा गया था कि हाई कोर्ट के जज ने कहा कि "गो अहैड" क्या यह रिटन में दिया था? उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने जुबानी ही "यू गो अहैड" कहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि वे जज साहब भी कैसे हैं? दानापुर में जो आफिसर थे,

[अनुवाद]

मुख्यालय की आज्ञा के बिना उसने कोई सेना अथवा किसी व्यक्ति को भेजने से मना कर दिया था।

[हिन्दी]

सवाल जो पैदा हुआ था, वह अभी है क्योंकि उसका हल नहीं हुआ। क्या इस ढंग से कोई भी सिविलियन, आफिसर, ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से आर्मी को मदद करने के लिए बुला सकता है? मुझे उस वक्त यह रिपोर्ट मिली थी कि हरेक जगह एक डेजीगेनेटिड आफिसर होता है। अगर आर्मी को बुलाना है और उसके लिए परमीशन भी मिल गई है तो वह ऑर्डर और रिक्वैस्ट डेजीगेनेटिड आफिसर की तरफ से जानी चाहिए। वह डेजीगेनेटिड आफिसर इस वक्त पटना के *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : महोदय मामला यह नहीं है। मामला केवल यह है कि क्या सरकार को अपील करनी चाहिए अथवा नहीं। सभा के समक्ष केवल यही मामला है *...(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सरकार को कहना है *...(व्यवधान)* वह सरकार को कहना है। मैं नहीं कह सकता। वह श्री खुराना को कहना है *...(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : महोदय उच्च न्यायालय ने सभी बातों की जांच की है। प्रश्न केवल यह है कि अपील करनी चाहिए अथवा नहीं *...(व्यवधान)* केवल यही मामला है *...(व्यवधान)* मैं नहीं जानता कि क्यों सारा ये इतिहास *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम सोचते हैं कि यह बहुत गंभीर सवाल है और इसके पीछे कोई बड़ा षडयंत्र हो सकता है। इसलिए इसकी कानूनी सुनवाई होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* गवर्नमैंट यह बताये कि वह अपील में जायेगी या नहीं? *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, लालू जी को पकड़ने के समय इनकी गवर्नमैंट थी। *...(व्यवधान)* लालू जी को फंसा दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप लोगों को इससे क्या तकलीफ हो रही है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, कल जब गवर्नमैंट उत्तर देगी तो अब यह बात क्यों हो रही है? *...(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपया आप सरकार से पूछिये। होम मिनिस्टर की हैसियत से मैंने जो मामला सदन में पेश किया था और कहा था कि यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर सीरियस स्टेप लेने की जरूरत है, इस गवर्नमैंट या उस गवर्नमैंट का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कांस्टीट्यूशनली, सिविल अथॉरिटी और मिलिट्री अथॉरिटी के बीच सम्पर्क क्या होना चाहिए और किसका कितना अधिकार है? इस सवाल पर हम सोचते थे कि उस आफिसर ने जो कुछ किया वह उसकी पावर्स के खिलाफ है। वे अपनी पावर्स के बाहर चले गये थे। इसलिए उसके ऊपर कुछ स्टेप लेना चाहिए। यह गलत है कि उसको चार्जशीट दी गयी। चार्जशीट नहीं दी गयी बल्कि डिपार्टमैंटल प्रोसीडिंग शुरू की गई थी। डिपार्टमैंटल प्रोसीडिंग में पूछा गया था कि एक सीनियर आफिसर होते हुए आपको तमाम रूल्स की जानकारी है और आप जानते है कि इस ढंग से आर्मी को बुलाना मुनासिब नहीं है, इसके बारे में आपको उस डिपार्टमैंटल प्रोसीडिंग में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, यह डिसाइड हुआ था लेकिन उसके बाद हमारी सरकार का तो पतन हो गया। अब नई सरकार आयी है इसलिए मैम्बर्स जानना चाहते हैं। वह सवाल खत्म नहीं हुआ, वह सवाल तो रह गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब जो सरकार आई है, वह इस पर क्या करना चाहती है? कुछ करना चाहती है कि नहीं, कुछ कदम उठायेगी या नहीं या मामला ऐसे ही लटकता रहेगा। क्या कोई भी सिविलयन, आफिसर या ब्यूरोक्रेट्स जब मर्जी बोल सकता है कि आर्मी को बुलाओ और आर्मी को कांटेक्ट करके कह सकता है कि एक या

दो कम्पनी भेजो। यह तो गनीमत है कि उस आर्मी आफिसर ने रिफ्यूज किया और उसने कहा कि मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरी क्षमता के बाहर है।

हम एक बहुत बड़े संकट के किनारे पर आ गये थे इसलिए लोग इस बारे में बहुत चिन्तित हैं और हम चाहते हैं कि सरकार बताये कि वह इस मामले में क्या करना चाहती है?

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि मामला लटकता जा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि आपका ऐश्योरेंस राज्य सभा में 1.8.97 को आया और अभी तक ऐश्योरेंस कमेटी का पास गया ही नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या ऐश्योरेंस है?

श्री मदन लाल खुराना : ऐश्योरेंस यही है कि इन्होंने जो स्टेटमैंट दिया है, उस पर कार्यवाही की जायेगी। 1.8.97 को आपने जो स्टेटमैंट दी और जिसकी आपने अभी चर्चा की 'कि कार्यवाही की जायेगी', वह ऐश्योरेंस बन गयी। राज्य सभा में दिया गया ऐश्योरेंस अभी तक ...*(व्यवधान)* आप बैठिए। ...*(व्यवधान)* मैं उसी पर आ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैंने इन्द्रजीत गुप्त जी की पूरी बात सुनी और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं वह मुद्दा ले रहा हूं जैसे यह कह रहे हैं कि मामला बड़ा पेंडिंग हो रहा है, बड़ी चिन्ता हो रही है। मेरा यह कहना कि जो इंक्वायरी कमेटी बैठी उसने उस आफिसर के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की। वह आफिसर कलकत्ता हाई कोर्ट गया और कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला उस इंक्वायरी की फाइंडिंग्स के खिलाफ गया और उसे क्वैश कर दिया। ...*(व्यवधान)* सरकार के साथ मामला पेंडिग यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करें या न करें। ...*(व्यवधान)* यही मैंने कहा है। शुरू में मैंने जो कहा कि इसके बारे में हम कानूनी राय ले रहे हैं और कल उसके बारे में बता देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दें।

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : महोदय, विपक्ष के सदस्यों को प्रक्रिया की जानकारी है ...*(व्यवधान)* अपील करने से पहले, पूर्व गृह मंत्री को भी इसकी जानकारी है ...*(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : हम सरकार की मंशा जानना चाहेंगे।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : उस इंक्वायरी को कब क्वैश किया? ...*(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर : सरकार उस अपील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री चन्द्रेश पटेल ने कहा है, उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में बहुत लोग मर गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल : हम मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और यहां हमारी आवाज दबा दी गई है। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, इस पर संसदीय कार्य मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव से पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल : मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि *गुजरात में कल एक हजार से ज्यादा लोग मर गए हैं। ...(व्यवधान)* मेरी पार्लियामैंट्री कौन्सटीटूऐंसी जामनगर में करीब 45 लोग मर गए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल : गुजरात में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। *...(व्यवधान)* गुजरात सरकार ने जामनगर के अलावा राजकोट से फूड पैकेट्स मंगवाकर उनको भेजा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सीनियर मोस्ट मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट *...(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद : जब भी कोई बोलने के लिए खड़ा होता है, वे बोलने के लिए खड़े रहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम बताएंगे कि कैसे-कैसे क्या हुआ। हम इनके कहने से ही मानेंगे क्या?

डा. शकील अहमद : आपको मौका मिलेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसके बाद हम बोलेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं भी भ्रमित हो रहा हूं क्योंकि मेरे पास उच्चतम न्यायालय के दो माननीय न्यायधीशों द्वारा दिया गया आदेश हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन लिया जाए। ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : इन्द्रजीत गुप्त जी बार-बार बोल सकते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप एक मिनट के लिए इनको बोलने दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप लोग बोलने ही नहीं देंगे क्या?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम नाईक को बोलने की अनुमति देता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त मैं आपको श्री राम नाईक के बाद बोलने दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : गुजरात में हजारों लोग मर गये, क्या उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा? *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम पहले से ही इस मामले में बोलना चाहते थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, यह क्या है? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : पहले जरा पूरी बात सामने आ जाये। इन्द्रजीत गुप्त जी को आप बार-बार बोलने का मौका दे रहे हैं। लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार रहें, यह बात आप ध्यान में रखिये।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : इस मुद्दे पर केवल दो मिनट लगेंगे। वे इस पर शोर क्यों मचा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी बोल रहे हैं।

अपराह्न 2.40 बजे

इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

अपराह्न 2.41 बजे

इस समय श्री प्रभुनाथ सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी बोलेंगे। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : पहले हम बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बोलने दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैं पहले से खड़ा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.01 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रभुनाथ सिंह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपका नियमन हो जाए कि नये सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है तो हम बैठ जाएंगे, नहीं तो हम अपनी बात कहेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यों, मैंने इस मामले पर दलों के नेताओं से चर्चा की है। अभी आपको बहुत सारा काम निपटाना है। आपको चार और विधेयकों पर चर्चा पूरी करनी है और आपको सामान्य बजट पर भी चर्चा आरम्भ करनी है। कई माननीय सदस्य गुजरात की बात भी उठाना चाहते है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : आपने तमिलनाडु पर भी चर्चा करने की सहमति दी थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। अब श्री इन्द्रजीत गुप्त।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने जैसे कहा है कि समय बहुत हो गया है और बिजनेस बहुत बाकी है इसलिए सदन का समय बचाने के लिए मैं कोई भाषण नहीं देने वाला हूं और मैं विभिन्न मेम्बरों की बात के ऊपर कोई मंतव्य करने वाला भी नहीं हूं। मैं आपसे केवल जानकारी के लिए परमिशन चाहता हूं। मैं ये दो वाक्य सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पढ़ना चाहता हूं। मैं इसके ऊपर कोई मंतव्य नहीं करूंगा, बाकी जो लोग इस पर व्याख्या करना चाहते हों तो वे करें, मुझे खुशी है।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : कौन सी तारीख है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 6 नवम्बर, 1997।

श्री नीतीश कुमार : उस समय कौन सी सरकार थी। ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब आप हिसाब कर लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : उस समय आप ही की सरकार थी। ...*(व्यवधान)* आपने एक्शन इनीशिएट किया था, जिसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसलिए अब उस जजमेंट को सुनाने का क्या मतलब है? ...*(व्यवधान)* उस समय आपकी ही सरकार थी, आपने बहुत कुछ किया। आपके सब कुछ करने के बाद भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ...*(व्यवधान)* यह बात आनी चाहिए। उस समय आपकी पोजिशन दूसरी थी। ...*(व्यवधान)* हम श्री इन्द्रजीत गुप्त का बहुत आदर करते हैं और यह उस जजमेंट का उदाहरण दे रहे हैं, जिस जजमेंट के वक्त उनकी सरकार थी। इन्होंने दुरई कमेटी बनाई, दुरई कमेटी ने कुछ कार्यवाही की सिफारिश की। ...*(व्यवधान)* इन्होंने सोचा कार्यवाही करे। हाईकोर्ट ने इनके फैसले को रद्द कर दिया। अब आप क्या कहेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं दो वाक्य पढ़ रहा हूं:—

[अनुवाद]

यह फैसला न्यायमूर्ति एस.पी. बरूचा और न्यायमूर्ति एच.सी. सेन ने दिनांक 6 नवम्बर, 1997 को दिया।

इसमें कहा गया है:

> "विद्वान महान्यायवादी ने निवेदन किया है कि विशेष न्यायालय द्वारा श्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध जारी किया गया वारंट जिसमें उनके विरुद्ध जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र दायर किया गया है, के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व विशेष न्यायालय का है, अतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो के किसी भी अधिकारी के लिए इस संबंध में ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि वह श्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध जारी वारंट के कार्यान्वयन के सिलसिले में सेना की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का निर्देश मौखिक अथवा अन्य जारी करने के लिए उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की किसी खंड पीठ के पास जाये।"

इस आधार पर यह कहा गया कि इस घटना की जांच से संबंधित कुछ निदेश जो सेना से सहायता मांगने से संबद्ध थे, उन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित नहीं था और इससे संबंधित निर्देश अतर्कसंगत थे ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, यह तर्क दिया गया ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह तर्क दिया गया ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : महोदय, यह तर्क वकील द्वारा दिया गया है, यह उच्चतम न्यायालय का निष्कर्ष नहीं है। वे भ्रमित क्यों कर रहे है? वे उच्च न्यायालय के फैसले को क्यों नहीं पढ़ते है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दें। कृपया सहयोग दें।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : उच्च न्यायालय का फैसला कहां है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ममता जी, कृपया सहयोग दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, उस जजमेंट के बाद इनकी सरकार ने कार्यवाही की। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, गुप्त जी ने जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पढ़ा, ...*(व्यवधान)* उन्हीं के समय का था. कैसे था, मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता। मैंने जो पहले अपील की, यह जो कलकत्ता हाईकोर्ट का अप्रैल, 1998 का आर्डर है, ...*(व्यवधान)* उसमें उस आफिसर के खिलाफ जो जांच कमेटी की कार्यवाही की गई थी उसको क्वेश करके रद्द कर दिया और उसे मान लिया। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए या न की जाए, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हम कल इसकी कानूनी राय लेकर सदन में आएंगे। अब बात को यही खत्म किया जाए। जिस आफिसर का नाम लिया गया है, जो यहां मौजूद नहीं है उसको इस कार्यवाही से निकाल दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रेश पटेल गुजरात त्रासदी के बारे में बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : अध्यक्ष जी, गुजरात के समुद्री तूफान से जामनगर में करीब 45 लोगों की मृत्यु हुई है, बिजली और टेलीफोन के खम्भे उखड़ गये हैं, बड़े पैमाने पर वहां नुकसान हुआ है। वहां पर रोड टूट गये हैं तथा जामनगर के ओखापोर्ट, सलायापोर्ट, बडीपोर्ट में भारी पैमाने पर, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, 70 हजार लोग बेघर हो गये हैं। उनके रहने के लिए मकान नहीं बचे हैं। रिलाइंस इंडस्ट्री के पीमाई में 40 हजार लोग बेघर हो गये हैं तथा गुजरात में करीब एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा नुकसान हुआ है और 200 से ज्यादा लोग मर गये हैं। खबरों के हिसाब से वहां 500-600 लोगों की मृत्यु हो गयी है। अकेले जामनगर में कच्छ में करीब 200 लोगों की मृत्यु हो गयी है। अस्पताल में 250 लोग भर्ती हैं। वहां बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए हैं और मरे हैं। बिजली बिल्कुल गायब है, वहां 5-7 दिन तक तो बिजली बिल्कुल नहीं मिल सकती है। संचार व्यवस्था बिल्कुल ठप्प हो गयी है। मैं केन्द्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की तुरंत मदद करे।

श्री दिन्शा पटेल (खेड़ा) : सर, गुजरात में समुद्री तूफान और बारिश के कारण करीब 500 से भी ज्यादा लोग मरे हैं और एक लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गये हैं। राज्य सरकार भी वहां भाजपा की है और यहां भी भाजपा की है। मैं तो इतना ही बताना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें ऐसा नहीं है, माननीय सदस्य को बोलने दो।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सुबह प्रोमिस किया था, ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें दीजिए और उस पर बात कर लीजिए। ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर साहब देने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिन्शा पटेल : वहां 500 से ज्यादा लोग मरे हैं, एक लाख से ज्यादा बेघरबार हो गये हैं, वहां पीने के पानी की समस्या हो गयी है। यह अकेले सौराष्ट्र की समस्या नहीं है, कांडला में भी बड़ा नुकसान हुआ है, दक्षिण में भी दीव-दमन, पच्चीसगढ़ में भी भरूच, बड़ौदा, खेड़ा और सभी जिलों में नुकसान हुआ है, खाने पीने का कोई इंतजाम हुआ नहीं है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां कोई शीघ्र से शीघ्र रिलीफ दी जानी चाहिए और पार्लियामेंटरी डेलीगेशन वहां शीघ्र भेजना चाहिए और उस डेलीगेशन की रिपोर्ट यहां शीघ्र रखनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अध्यक्ष महोदय : श्री पी.एस. गढ़वी।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह सम्पूर्ण सदन के लिए चिन्ता की बात है। जब मंत्री जी विवरण के साथ तैयार हैं, तो *वह बोल सकते हैं ...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उनका नाम पुकार चुका हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी : सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि साइक्लोन यहां भी आने वाला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ) : सर, कांडला बन्दरगाह बिल्कुल तबाह हो गया है, दो महीने तक कांडला बन्दरगाह काम नहीं आयेगा। जो वहां आयातित फूड था, खाद्य सामग्री थी वह सब बर्बाद हो गयी है। कांडला बन्दरगाह के नजदीक सरवा कॉलोनी में 20 हजार लोग जो झोंपड़पट्टी में रहते हैं, गुजरात सरकार के आंकड़ों के हिसाब से वहां 140 आदमी मर गये हैं। अभी फोन से मेरी बात हुई है, वहां 1000 के करीब गुजरात में लोगों की मृत्यु हुई है

[अनुवाद]

कांडला-भटिंडा पाईप लाईन उत्तर भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

तेल जो वहां से आता है वह कट-ऑफ हो जाएगा। मेरे क्षेत्र में एक हजार आदमियों की *...(व्यवधान)* तबाही हुई है।

[अनुवाद]

अत: तत्काल कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रेल राज्य मंत्री, संसदीय कार्य राज्य मंत्री और योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : अध्यक्ष *महोदय, कृपया उन्हें अनुमति दे दीजिये।*

[हिन्दी]

श्रीमती भावना कर्दम दवे (सुरेन्द्रनगर) : अध्यक्ष जी, हमारे गुजरात में जो चक्रवात 150-200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसके कारण 900 किलोमीटर का तटीय इलाका तहस-नहस हो गया है। इस तुफान से सौराष्ट्र प्रायद्वीप को अलग-थलग कर दिया है। पोरबंदर में सूक्ष्म तरंग स्तम्भ के गिरने से नौ लोग उधर ही मर गए है। तुफान इतना जबर्दस्त था कि कांडला बन्दरगाह क्षेत्र में नावें का 120 मीटर लम्बा और 15 हजार टन वजन का एक जहाज तट पर आकर धंस गया। कच्छ, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ क्षेत्र इस तूफान से अत्यधिक प्रभावित हो गए हैं। उत्तरी गुजरात के कई जिलों में भी तबाही का तांडव शुरू हो गया है। बंदरगाह ट्रस्ट के चेयरमैन सहित अधिकारी और कर्मचारियों का पता नहीं चल रहा है। आशंका व्यक्त की गयी है कि या तो वे सुरक्षित स्थानों पर चले गये हैं या फिर कहीं तूफान में फंसे हैं।

हमारी गुजरात सरकार ने इस तबाही से बचाने के लिए पहले ही सेंटर को बता दिया था। कई मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गयी थी। कई मंत्री वहां गये थे। सॉल्टसेस जो होता है वह नमक में काम करने वाले वर्कर्स के लिए होता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती है कि साल्ट के सैस का जो करोड़ों रुपया सरकार के पास पड़ा हुआ है, वह साइक्लोन से तबाह नमक बनाने के काम में लगे वर्कर्स को मदद के तौर पर दिया जाए और प्रधान मंत्री राहत कोष से गुजरात सरकार की जल्दी से मदद की जाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्रीमती उषा मीणा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गुजरात में साइक्लोन आया है, उसी तरह राजस्थान में भी साइक्लोन आया है। जोधपुर, जालौर और उदयपुर में साइक्लोन के आने से कई लोग मर गए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले मिनिस्टर का स्टेटमैंट होगा।

श्रीमती उषा मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि वहां की राज्य सरकार साइक्लोन से प्रभावित लोगों की कोई सहायता नहीं कर रही है।

वहां के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। ...*(व्यवधान)* वहां के लोग बारिश के आने से परेशान हैं। बच्चे और बड़े लोग अधिक बारिश के आने से बह रहे हैं। महिलाएं पेड़ के नीचे दब कर मर रही हैं। सरकार क्या कर रही है? केन्द्र सरकार एक कमेटी राजस्थान और गुजरात भेजे जिससे सभी को वास्तविक स्थिति का पता चल सके।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने का प्रयास कीजिये। मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय विपदा है। पूरा सदन इसके साथ है। भारत सरकार को प्रत्येक मृतक के आश्रित को पांच-पांच लाख रुपए देने की घोषणा करनी चाहिए। कई लोगों के कमाने के साधन खत्म हो गए हैं। उसको रेस्टोर करवाना चाहिए। राष्ट्रीय विपदा के समय सरकार को चारों तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए। भारत सरकार को प्रभावित लोगों की पूरी मदद करनी चाहिए। जिन माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय विपदा का सवाल उठाया है, उन पर मंत्री जी पूरा ध्यान दें ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है। ...*(व्यवधान)* मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह साइक्लोन से प्रभावित लोगों की पूरी मदद करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया बैठ जाइये। अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय, सभा को व्यवस्थित करना होगा तभी मैं बोल सकूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.24 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में चक्रवाती तुफान से उत्पन्न स्थित

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय, मैं गुजरात, महाराष्ट्र, तथा राजस्थान के कुछ भागों में समुद्री तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में वक्तव्य देने के लिए मैं सदन की अनुमति चाहता हूं। पांच जून, 1998 को गोवा से लगभग 600 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम में एक गहरा दबाव बना जो 9 जून, 1998 (भारतीय मानक समय के अनुसार 09.00 बजे) की सुबह पोरबन्दर के निकट गुजरात तट को पार कर गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इस गतिविधि की लगातार मानीटरिंग कर रहा था और संबंधित राज्य सरकारों से नियमित सम्पर्क बनाए हुए था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 5 से 9 जून के बीच आकाशवाणी तथा दूरदर्शन से 13 समुद्री तूफान चेतावनी बुलेटिन प्रसारित किए गए।

गुजरात सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कच्छ (140), पोरबन्दर (10), जामनगर (35), जूनागढ़ (4), भवनगर (1), बनासकांठा (2), सूरत (1), भड़ौच (1), राजकोट (9), वलसाड़ (1) तथा नवसारी (1) में जिलों में कुल 205 व्यक्तियों की जानें गई हैं। 210 व्यक्ति घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हवा के 70 से 150 कि.मी. प्रति घंटे के वेग के कारण पोरबन्दर शहर में माइक्रोवेव-टॉवर गिर गया और इसके परिणामस्वरूप संचार व्यवस्था भंग हो गयी। बिजली और टेलीफोन के कई खम्भे और वृक्ष गिर गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सामान्य है। दूर-दराज क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर सड़कों पर रूकावटें आने तथा क्षति की सूचना मिली है। कच्छ, जामनगर तथा जूनागढ़ जिलों में 20 राहत शिविर खोले गए हैं। 7000 से अधिक लोगों को उनमें ठहराया गया है। राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक बचाव और राहत उपाय कर रही है।

राजस्थान सरकार के अनुसार, बाड़मेर जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और जालौर जिले में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया बैठ जाइए। यह एक गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : यह कोई तरीका नहीं है। आप गम्भीर सवाल को भी सुनना नहीं चाहते। सदन में इस प्रकार व्यवहार करने का

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कोई तरीका नही है। एक दुखद घटना हुई है। आप अपने आप को नियंत्रित रखें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण समाप्त होने के पश्चात् ये बोल सकतीं थीं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को गुस्सा क्यों आ रहा है? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : हमें कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। सदन में व्यवहार का और मर्यादा का जरूर सवाल है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी गुस्सा न करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उस काम के लिए स्पीकर साहब हैं। आप अंगूठा भी दिखाते हैं और शट-अप भी करते हैं। ...*(व्यवधान)* आपके एक मंत्री ने शट-अप कहा। आप हम को व्यवहार सिखाते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गुस्सा मत करो। इसे कम्पलीट करो।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, यह क्या है?

श्री सोमपाल : बाड़मेर तथा जोधपुर के कुछ भागों में 125 से 240 मि.मी. वर्षा हुई जिससे बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, लगभग 150 खम्भे और वृक्ष उखड़ गए और कुछ पशु मारे गए।

महाराष्ट्र सरकार के अनुसार रत्नागिरी जिले में, दो मछुआरों के लापता होने की सूचना मिली है।

राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबन्ध व्यवस्था को सक्रिय बनाया गया। आपदा राहत कोष के अन्तर्गत 1998-99 में गुजरात को 154.83 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 75.64 करोड़ रुपये और राजस्थान को 198.56 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इसकी 75% राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है। वर्तमान वर्ष के लिए आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश की पहली किश्त के तौर पर गुजरात को 29.03 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 14.18 करोड़ रुपये तथा राजस्थान को 37.23 करोड़ रुपये की धनराशियां अप्रैल, 1998 में निर्मुक्त की जा चुकी हैं। गुजरात सरकार के संसाधनों में वृद्धि के लिए केन्द्रीय अंश की 29.03 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त आज ही अग्रिम तौर पर निर्मुक्त की जा रही है। इसके अलावा, प्रत्येक मृतक के निकटतम सम्बन्धी के लिए 50,000/- रुपये की धनराशि प्रधान मंत्री जी के राष्ट्रीय राहत कोष से दी जा रही है।

राज्य सरकार से निकट सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है और स्थिति का कारगर रूप से सामना करने के लिए भारत सरकार सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर विचार शुरू करें।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, केवल इसलिये कि हम शालीन व्यवहार कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइये।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। 24 मई को **टाइम्स ऑफ इंडिया** ने तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु में आई.एस.आई. की गतिविधियां भड़काने की सूचना दी थी। कोयम्बटूर की घटना में मुख्यमंत्री को जानबूझकर कार्यवाही न करने का दोषी करार दिया गया है। **टाइम्स आफ इंडिया** में छपी खबर के अनुसार ....*(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है ...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार सभा में कम से कम एक वक्तव्य दे। यदि यह सत्य नहीं है तो सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिये और हमें बताना चाहिये कि सत्य क्या है। यहां कोई सरकार नहीं है, सभी कनिष्ठ मंत्री यहा बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इस पर एक वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : डा. सुब्रहमण्यम स्वामी, कृपया समाप्त कीजिये। अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर विचार करेंगे। अब श्री बची सिंह रावत बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : डी.एम.के. सरकार को पाकिस्तान की आई.एस.आई. के साथ संलिप्त होने के कारण इसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिये।

श्री टी.आर. बालू : यह एक बिना सोचा समझा आरोप है। आपको तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध इस प्रकार के बिना सोचे समझे आरोप लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। यह एक राज्य विशेप की कानून एवं व्यवस्था का मामला है। ऐसी स्थिति में, हमें कुछ राजनैतिक दलालों के साथ कुछ सी.आई.ए. एजेंटों की मिलीभगत पर भी चर्चा करनी चाहिये।

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम) : मैं एक गंभीर मामला उठा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री आर. मुथैया : मैं तमिलनाडु राज्य में बढ़ती हुई आई.एस.आई. गतिविधियों और वहां आई.एस.आई. एजेंटों के साथ राज्य सरकार की निकट मिली-भगत के कारण देश की सुरक्षा से संबंधित एक मामला उठा रहा हूं।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? इस पर सरकार को क्या कहना है? ...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया : यहां तक कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था की जांच के लिये केन्द्र द्वारा भेजे गये दल ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि तमिलनाडु में देशद्रोह के लिये धन उपलब्ध कराने में आई.एस.आई. का हाथ होने के पर्याप्त प्रमाण तथा साक्ष्य मौजूद हैं। इससे भी अधिक, वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही उन सभी आई.एस.आई. एजेंटों को छोड़ दिया जिन्हें हमने हिरासत में रखा था। कोयम्बटूर में एक पाशा नामक व्यक्ति ने, जिसे हमने हिरासत में रखा था, कोयम्बटूर की घटना में मुख्य सूत्रधार के रूप में कार्य किया था और वह कोई और नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा छोड़ दिये जाने वालों में से एक था। इसे प्रमाणित करने के लिये बहुत से साक्ष्य हैं ...** परन्तु वह उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का बहाना मात्र कर रहे हैं। यहां तक कि तीन दिन पहले प्रेस को एक समाचार जारी किया गया है जिसमें रामेश्वर के निकट नाडीथीव एक द्वीप में तमिलनाडु के इन आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना के लोगों द्वारा स्वयं प्रशिक्षिण देने का विवरण दिया गया है।

अपराह्न 3.33 बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : आपको सबसे पहले प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिये। कृपया अपने स्थान पर जाइये। यह क्या है? यह ठीक नहीं है।

अपराह्न 3.34 बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार अपने स्थान पर वापस चले गये।

अध्यक्ष महोदय : जो श्री मुथैया बोल रहे हैं उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री आर. मुथैया : इस प्रकार की स्थिति में यदि यह सरकार राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही में विलम्ब कर रही है तो मैं श्री राजीव गांधी की घटना का उदाहरण देते हुए इस सरकार को चेतावनी दे रहा हूं। यहां तक कि जब ये लोग 1989-91 के दौरान सत्ता में थे तब एल.टी.टी.ई. के साथ अच्छी मिलीभगत के कारण हमने उन दिनों में श्री राजीव गांधी को खो दिया। उसी प्रकार, अब कोयम्बटूर की घटना में इन आतंकवादियों द्वारा एक प्रयास किया गया है ...* जो स्वयं श्री एल.के. आडवाणी के जीवन पर लक्षित था। यद्यपि मैं इन सभी घटनाओं का वर्णन कर रहा हूं, तथापि मुझे इस सभा को कुछ और बातें बतानी हैं जो आई.एस.आई. एजेंटों की राज्य सरकार से मिली-भगत होने की स्थिति को स्पष्ट करती हैं ताकि इस सरकार से निवेदन किया जाये कि वह संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य सरकार के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

विरुद्ध कार्यवाही करे और इस सरकार को बर्खास्त करे। परन्तु दुर्भाग्यवश, मेरे अनुरोध का उत्तर देने के लिये सदन में न तो प्रधानमंत्री हैं और न ही गृह मंत्री।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : माननीय सदस्य द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति गंभीर प्रतीत होती है। गृह मंत्री यहां नहीं हैं। मैं यह सारी सूचना गृह मंत्री के विचारार्थ तुरंत उनके पास भेजूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब नियम 377 के अंतर्गत मामलों पर विचार करेगी। अब श्री बची सिंह रावत 'बचदा' बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ...*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.36 बजे

इस समय श्री आर. मुथैया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

अपराह्न 3.37 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आजकल कुमाऊं के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है जिसके कारण वन सम्पदा व वन्य जीव-जन्तुओं की अपार क्षति हो रही है। पर्यावरण दूषित होने के साथ-साथ जंगलों में स्थित ग्रामवासियों के पेयजल स्रोत भी सूख गए हैं या नष्ट हो गए हैं। इस कारण पेयजल का भीषण संकट खड़ा हो गया है।

पेयजल का यह संकट पूरे उत्तरांचल क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति न हो पाने व लो वोल्टेज के कारण पेयजल की पंपिंग योजनाओं के ठप्प हो जाने से और भी गंभीर हो गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चम्पावत जिलों के अनेक नगर व ग्राम समूह जो विद्युत पम्पिंग योजनाओं पर पेयजल के लिए निर्भर थे वहां पेयजल की भारी कमी है। पेयजल उपलब्ध न हो पाने से जनता द्वारा प्रदूषित वे संक्रमित जल का उपयोग किया जा रहा है जिस कारण अब तक करीब 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिसमें लोहाघाट ब्लाक में सर्वाधिक 29 लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। सैकड़ों लोग उल्टी दस्त से प्रभावित हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जनता को तत्काल शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करें तथा मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही राज्य सरकार को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बची सिंह रावत 'बचदा' के नियम 377 के अधीन मामले को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब वैद्य विष्णु दत्त बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.38 बजे

इस समय श्री टी.आर. बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

अपराह्न 3.39 बजे

इस समय श्री टी.आर. बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मुझे एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी.आर. बालू : मैं आपकी अनुमति से लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377ग को उद्धृत करना चाहूंगा। इस नियम में यह कहा गया है:

"(1) कोई भी सदस्य एक सप्ताह के दौरान एक से अधिक मामला नहीं उठायेगा।

(2) केवल अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित होगा।"

इस मामले में श्री मुथैया को आरोप लगाते हुए सुना गया है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में कुछ अप्रासंगिक टिप्पणी की है ...*(व्यवधान)* क्या आपने उन्हें इसकी अनुमति दी है या नहीं? मैं अध्यक्षपीठ से इस संबंध में व्यवस्था चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* अन्यथा, आरोपों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री वैको (शिवकाशी) : अध्यक्ष महोदय ने श्री मुथैया को मामला उठाने की अनुमति दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, कृपया स्थिति को समझने का प्रयास कीजिये। मैंने श्री मुथैया को शून्य काल के दौरान अनुमति दी थी और नियम 377 के अधीन मामलों के दौरान नहीं।

[हिन्दी]

(दो) डोगरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ की संख्या में लोगों की बोले जाने वाली भाषा "डोगरी भाषा" को भारत के संविधान के आठवें शेड्यूल में सम्मिलित किया जाए।

यह भाषा जम्मू व कश्मीर की राज्य भाषाओं की सांवैधानिक सूची में सम्मिलित है।

जम्मू व कश्मीर के विश्वविद्यालयों में इस भाषा की एम.ए. तथा पी.एच.डी. की उपाधियां दी जाती हैं।

इस भाषा का अपना शब्दकोष और व्याकरण भी है। साहित्य की दृष्टि से बड़ी समृद्ध भाषा है। गद्य, पद्य, नावल, गीत आदि की बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो साहित्यक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। अखिल भारतीय साहित्यिक अकादमी तथा जम्मू-कश्मीर की साहित्य संस्था के कई अवार्ड लेखकों को प्राप्त हुए हैं। इसी अवस्था में इसे भारत के संविधान के आठवें शेड्यूल में सम्मिलित कर भाषा के विकास में अन्य भाषाओं के स्तर पर न्याय प्राप्त हो सके।

(तीन) मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रोगों से प्रभावित जनजातीय लोगों को चिकित्सीय और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मण्डला) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के मंडला आदिवासी जिले में लगातार एक माह से भयंकर उल्टी दस्त की बीमारियों से लगभग दो सौ लोगों की मौतें हुई हैं तथा आज भी मौतों का क्रम जारी है। अनेक क्षेत्रों में इसकी सूचनाएं दिन प्रति दिन मृत्यु की मिल रही हैं। वर्तमान में सम्पूर्ण म.प्र. एवं विशेषकर मंडला आदिवासी जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर काम ठप्प किए हुए हैं। अतः भारत सरकार से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि पिछड़े आदिवासी जिलों के हित में मृत्यु एवं बीमारी पर रोक लगाए जाने हेतु उचित रोकथाम की जाए एवं मृतक के परिवारों को उचित सहायता राशि दी जाए।

(चार) नसीराबाद और महू के बीच राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से मुंबई के मध्य जयपुर-अजमेर-नसीराबाद-नीमच-मंदसौर होकर एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। एक दूसरा मार्ग रतलाम वाया मथुरा-आगरा-देवास होकर है, किन्तु सुरक्षा व मार्ग के छोटे होने से प्रथम मार्ग पर भारी यातायात है जो वाया जयपुर-अजमेर है, किन्तु इस मार्ग का मध्य भाग नसीराबाद से महू तक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इस कारण सड़क परिवहन में भारी कठिनाई है। कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। राजस्थान में मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा भी इस बीच के भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने का अनुरोध किया गया है तथा विभिन्न नगर निगमों, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों व अन्य व्यापारिक व सामाजिक संगठनों, सांस्कृतिक व आम जनता ने इस हेतु निवेदन किया है कि यातायात की सुविधा, समय की बचत, ईंधन की बचत होकर इससे भारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान होगा।

अतः मेरा परिवहन मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त मध्य भाग नसीराबाद से महू जो नीमच-मंदसौर होकर निकलता है, को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन किया जाए।

[अनुवाद]

(पांच) केरल के कुट्टानाड के किसानों को साधारण बीमा निगम द्वारा 1996-97 के रबी - एक मौसम के लिए मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान रबी - एक मौसम 1996-97 के दौरान फसल नष्ट हो जाने

के कारण फसल बीमा मुआवजा प्राप्त करने में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के फलस्वरूप केरल के अलेप्पी जिले में कुट्टानाड के गरीब किसानों के समक्ष उत्पन्न कठिनाईयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बीमा प्रीमियम प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों से लिया जाता है तथा किसान इन वित्तीय संस्थाओं से खेती के लिए ऋण प्राप्त करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विनाशकारी कीटों अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण कम उपज होने अथवा फसल नष्ट होने की स्थिति में ऋण की अदायगी के लिए किसानों को समर्थ बनाना है, ताकि किसान बिना किसी वित्तीय बाधा के अगली फसल के लिए नया ऋण प्राप्त कर सकें।

रबी-एक मौसम 1996-97 के दौरान कुट्टानाड क्षेत्र में धान की फसल "गॉल मिज" कीटों के हमले के कारण बुरी तरह से नष्ट हो गई। केरल सरकार ने नष्ट हुई फसल की मात्रा का अनुमान लगाया है और इसके आंकड़े साधारण बीमा निगम को अगली कार्यवाही के लिए भेज दिए हैं। मुझे पता लगा है कि साधारण बीमा निगम के फसल बीमा प्रकोष्ठ, त्रिवेन्द्रम ने रबी-एक मौसम 1996-97 के लिए इस क्षेत्र के किसानों को 1.94 करोड़ रुपए की सहायता देने की सिफारिश की है। किन्तु, किसानों को अभी मुआवजा मिलना बाकी है जबकि अन्य क्षेत्रों में रबी-दो मौसम का मुआवजा दिया जा चुका है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करे कि गरीब किसान वैध मुआवजे से वंचित न रहें जिसके लिए उन्होंने पहले ही प्रीमियम दे रखा है।

(छह) पूर्वोत्तर राज्यों में पेड़ों के काटने पर लगाए गए प्रतिबंध से उत्पन्न समस्या का समाधान ढूंढ़ने की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर के राज्यों में पेड़ों के काटने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण लगभग 500 प्लाईवुड कारखानें और सौ मिलें बन्द होने के कगार पर हैं और सरकार को नियोक्ताओं, कर्मचारियों और राज्य सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने की जरूरत है ताकि विद्यमान संयंत्रों और मशीनों का पुनःउपयोग करने के लिए विविध अर्थक्षम विकल्पों का पता लगाया जा सके।

यदि सभी कारखानें और मिलें बन्द हो जाएंगे, कुछ तो बन्द हो भी चुके हैं, तो हजारों कर्मचारियों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, अन्य हजारों लोग, जो इनसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये हैं, उनकी भी आय बन्द हो जाएगी तथा उनकी आजीविका का साधन खत्म हो जाएगा। पूर्वोत्तर के लोगों में पहले से ही व्याप्त निराशा, वंचित होने तथा अलगाव की भावना को इस प्रकार की विस्फोटक स्थिति से और बल मिलेगा। चूंकि यह एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है, अतः सरकार को इस पर विचार करना परमावश्यक है, साथ ही, उसे स्वयं विविधीकरण योजनाएं तैयार करने के लिए इस उद्योग के प्रयास में शामिल होना चाहिए ताकि कर्मचारी तथा अन्य संबंधित लोग अपनी जीविका को बनाए रख सकें।

(सात) पंचायती राज निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि, विशेषकर उड़ीसा के गंजम जिले में, जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेने से वंचित न रहें, को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (बरहामपुर) (उड़ीसा) : महोदय, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज निकायों के माध्यम से बेहतर प्रशासन प्रदान करना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज प्रशासन को सक्रिय करने के लिए इन निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अवसर प्रदान करना है। किन्तु, उड़ीसा के गंजम जिले में एक जिला परिषद् के छः निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनमें से चार महिलाएं हैं, अपनी भूमिका नहीं निभा सके क्योंकि उन्हें उनकी सदस्यता से वंचित कर दिया गया।

इन छः प्रतिनिधियों को यह नहीं बताया गया था कि उन्हें अपनी सदस्यता को बनाए रखने के लिए जिला परिषद् की तीसरी बैठक तक शपथ ले लेना चाहिए था। उनकी उपस्थिति इन तीनों बैठकों में दर्ज की गई और उन्होंने सभापति एवं उप-सभापति के निर्वाचन में भी भाग लिया जो पहली और दूसरी बैठकों की कार्यसूची का एकमात्र विषय था। उन्हें किसी प्रकार पता लगा कि उन्हें तीसरी बैठक तक शपथ ले लेना होगा। जब उन्होंने शपथ दिलाने की मांग रखी, तो कहा गया कि वे चौथी बैठक में शपथ ले सकते हैं। किन्तु, चौथी बैठक आरंभ होने से पूर्व, उन्हें उनकी सदस्यता से वंचित कर दिया गया। मेरे मतानुसार, यह कृत्य लोकतंत्र की जड़ पर एक कुठाराघात है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि पंचायती राज निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने कर्त्तव्य पालन से वंचित न किया जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शिवपुरा और गोधन गांवों में आग लगने की घटना से प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री सहायता कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मोहनलालगंज के लखनऊ उ.प्र. में मलीहाबाद विधान

सभा क्षेत्र के माल ब्लाक में शिवपुरा एवं गोधन ग्रामों में पिछले सप्ताह आकस्मिक आग लगने से लगभग 50 घर जल कर राख हो गए हैं जिसमें जानमाल की क्षति हुई है। जिसमें ज्यादातर घर अनुसूचित जाति एवं मुस्लिम घर हैं। जिसमें एक व्यक्ति सहित कई मवेशियों की जानें गई हैं। लोगों के घर में रखे अनाज सहित सभी आवश्यक वस्तुएं जलकर राख हो गई हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से मांग करती हूं कि "प्रधान मंत्री राहत कोष" से आर्थिक मदद एवं आवास, पेयजल एवं रोजगार की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

(नौ) उड़ीसा में पुरी में एक पूर्ण स्थानीय रेडियो स्टेशन शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, उड़ीसा में पुरी स्थित स्थानीय रेडियो स्टेशन के ट्रांसमीटर ने ऑल इंडिया रेडियो, कटक से प्रसारित कार्यक्रमों को 29 जून, 1995 से रिले करना आरंभ कर दिया है तथा अप्रैल, 1996 से, इसे एक पूर्ण रेडियो स्टेशन के रूप में चालू करने के लिए अपेक्षित सभी आधारभूत सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं जिससे पुरी के गौरवपूर्ण सांस्कृतिक कार्यकलापों और इसकी प्रतिभाओं और कलाकारों को शामिल करके यह अपने कार्यक्रम स्वयं तैयार कर सकता है। सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी अप्रैल, 1997 से पुरी में कार्यरत हैं। ऑल इंडिया रेडियो का उद्घोषक भी नवम्बर, 1997 में नियुक्त किया जा चुका है। किन्तु, इस स्टेशन से अब भी ऑल इंडिया रेडियो, कटक से प्रसारित कार्यक्रमों को ही रिले किया जा रहा है तथा इस स्थान की प्रतिभाओं और कलाकारों की योग्यताओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अत:, मेरा जोरदार आग्रह है कि ऑल इंडिया रेडियो के पुरी स्टेशन का शीघ्र आगामी कार उत्सव के दिन अर्थात् 26.6.1998 को या उससे पहले उद्घाटन कर देना चाहिए।

(दस) कालीकट हवाई अड्डे पर और अधिक सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : कालीकट हवाई अड्डा अब देश के व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक हो गया है जहां प्रति सप्ताह 64 उड़ानें भरी जाती हैं। उन 64 उड़ानों में से एअर इंडिया और इंडियन एयर लाईंस द्वारा संयुक्त रूप से 32 उड़ाने विदेशों के लिए तथा अन्य 32 साप्ताहिक उड़ाने इंडियन एयरलाईंस एवं निजी एयर लाईंस द्वारा कालीकट-मुंबई, कालीकट-चेन्नई, कालीकट-कोयम्बटूर एवं कालीकट-बंगलौर के बीच भरी जाती हैं।

तथापि, प्रति सप्ताह 32 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरने के बावजूद कालीकट हवाई अड्डे में अभी भी बहुत सी सुविधाओं का अभाव है जिसके फलस्वरूप हजारों यात्रियों को कठिनाइयां और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उड़ान पट्टी का 6000 फीट से 7500 फीट तक के विस्तार का प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है परन्तु रात्रि में विमानों के उतरने के लिये आवश्यक साइड एंगल इंडिकेटर, एप्रोच लाईट इंडिकेटर, कंट्रोल लाईट, इत्यादि नहीं लगाए गये हैं। अभी तक एज लाईट भी नहीं लगाई गयी है। वहां एअरोब्रिज भी नहीं है। यहां तक कि यात्रियों के आगमन और प्रस्थान लौंज में भी सुविधाओं का अभाव है। वहां यात्रियों के लिये बाहर टेलीफोन करने की सुविधा भी नहीं है।

कालीकट से सऊदी अरब में जेद्दा और रियाद के बीच सीधी विमान सेवा चलाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है जबकि हजारों यात्री इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस मांग पर गंभीरता से विचार करे क्योंकि कालीकट हवाई अड्डा इंडियन एयरलाईंस एवं एअर इंडिया को पर्याप्त राजस्व प्रदान करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इसके विकास और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिये उचित विचार करना चाहिये।

(ग्यारह) कोयम्बटूर बम विस्फोट से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : कोयम्बटूर बम विस्फोट के पीड़ितों की मुंबई बम विस्फोट के पीड़ितों को प्रदत्त सहायता के अनुरूप वित्तीय रूप से तथा आश्रितों को उपयुक्त रोजगार प्रदान करके सहायता की जानी चाहिये।

(बारह) श्रीनगर स्थित एच.एम.टी. शोरूम को स्थानांतरित करने से रोकने तथा पारिस्थितिकी-अनुकूल उद्योग स्थापित करने हेतु एक समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उद्योग मंत्री ने श्रीनगर स्थित एच.एम.टी. के शोरूम को कश्मीर से बाहर स्थानांतरित न करने के मेरे अनुरोध पर विचार नहीं किया। यद्यपि मैं 30 अप्रैल, 1998 को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला था और उन्हें एक पत्र भी दिया था जिसमें उनसे पुरजोर निवेदन किया गया था कि 'शोरुम' को कश्मीर से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिये परन्तु कोई उत्तर नही मिला। मैंने इस बात पर बल दिया था कि एच.एम.टी. कश्मीर स्थित एक मात्र ऐसा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें 1984 में सरकारी क्षेत्र में किये गये राष्ट्रीय निवेश का 0.3 प्रतिशत लगा हुआ था और शोरुम को स्थानांतरित किया जाना इस इकाई के भविष्य के लिये हानिकारक सिद्ध होगा। एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से मामला उठाये जाने पर उद्योग मंत्री ने लिखित रूप

से सूचित किया है कि कश्मीर में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रोनिक उद्योग स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कश्मीर में पर्यावरण अनुकूल उद्योग स्थापित करने के लिये एक समिति के गठन पर विचार करें।

अपराह्न 3.55 बजे

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक—*जारी*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल इस बात का उल्लेख कर रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में सरकारी उपक्रम रूग्ण पड़ गये हैं जहां कर्मचारियों और श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि जमा नहीं हो रही है। इसके परिणामस्वरूप सेवा-निवृत्त श्रमिकों और कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति परिलाभ नहीं मिल रहे हैं। उन्हें स्वयं अपने हिस्से की राशि से वंचित रहना पड़ता है जो जमा हो जानी चाहिये थी।

मैं पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जेसप, को जानता हूं जो 200 वर्षों से अधिक पुराना है। यह कंपनी अब रूग्ण पड़ी है। 700 से अधिक श्रमिक या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी उन्हें उनकी भविष्य निधि की राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें इसमें अपने अंशदान का हिस्सा भी प्राप्त नहीं हुआ है। इन सेवानिवृत्त श्रमिकों के परिवार अब भूखों मर रहे हैं।

सरकारी उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और श्रमिकों को देय सांविधिक राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है। कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थिति इससे भी खराब है। इन कमियों को कैसे दूर किया जाये?

हम उस उपबंध का समर्थन करते हैं जिसमें अंशदान को 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने और अधिकतम 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। परन्तु अंशदान में वृद्धि करने मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक कि कुछ और कड़े उपाय न किये जायें। श्रमिक कानून प्रभावी नहीं रहे। अधिकांश श्रमिक कानून अब पुराने पड़ चुके हैं। मंत्री महोदय जो अभी श्रम मंत्रालय संभाल रहे हैं को यह स्वयं अनुभव होगा कि अधिकांश श्रमिक कानून पुराने पड़ चुके हैं और प्रभावी नहीं रहे। उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि कुछ उपाय किये जाने चाहिये ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सांविधिक देयों और अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सांविधिक देयों और अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभों से वंचित न होना पड़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सांविधिक संकल्प पेश करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक को आगे विचार करने के लिये प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : सांविधिक संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है।

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : स्थिति यह है कि केवल उसी व्यक्ति को बोलने का अवसर दिया जायेगा जिसने इसे पहले प्रस्तुत किया हो।

श्री ए.सी. जोस : मैं समझता हूं। मैं इस सांविधिक संकल्प के माध्यम से अध्यादेश का विरोध कर रहा हूं। अतः मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह ऐसा नहीं है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> ''कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।''

जैसा कि माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कर्मचारियों के लाभ के लिये अनिवार्य भविष्य निधि, पेंशन, परिवार पेंशन और जमा से जुड़े बीमा कोष की स्थापना का प्रावधान है। ये योजनाएं श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था में तथा उनके परिवारों एवं आश्रितों को उनकी असमय मृत्यु की स्थिति में सुरक्षित आय का मुख्य स्रोत हैं। हमारी भविष्य निधि योजना आकार तथा लाभ प्रदान करने की दृष्टि से विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। यह योजना 20 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले

अधिकांश औद्योगिक और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार, इसमें सम्मिलित प्रतिष्ठानों की कुल संख्या लगभग 2.98 लाख थी जबकि अंशदाताओं की संख्या 2.15 करोड़ थी।

श्रम और कल्याण संबंधी संसद की स्थाई समिति ने अधिनियम में और संशोधन करने के लिए कतिपय सुझाव दिये हैं। केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड, ईपीएफ ने भी इस संबंध में कतिपय सुझाव दिये हैं। इन प्राप्त सुझावों के आधार पर इस अधिनियम में अब निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है।

कामगारों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण संशोधन भविष्य निधि अंशदान की दर में वृद्धि करने से संबंधित है। इस समय कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध की धारा 6 में मजदूरी के 8.33 प्रतिशत की दर पर अंशदान का भुगतान करने हेतु प्रावधान है। तथापि अंशदान की दर को दस प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुज्ञात्मक प्रावधान है। अनुज्ञात्मक प्रावधान के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले 177 उद्योगों में से 172 उद्योगों में अंशदान को बढ़ाकर 10 प्रतिशत पहले ही कर दिया है। कर्मचारियों को अत्यधिक सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भविष्य निधि अंशदान की न्यूनतम दर को 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने और मासिक मजदूरी की अधिकतम दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का विचार है।

इस समय कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम उन नये कारखानों/प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता जिनका पंजीकरण/स्थापना हुए अभी 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। इस उपबंध के परिणामस्वरूप लगभग दस लाख कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलेंगे। इसलिए आरंभ के तीन वर्षों के प्रावधान को हटाने और इस अधिनियम को उन सभी कारखानों/प्रतिष्ठानों, जिनमें 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, पर आरंभ से ही लागू करने का विचार है।

इस समय वही व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की पात्रता रखता है, कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हरता वाले व्यक्ति का चयन करने में काफी कठिनाइयां हैं। इस संबंध में व्यापक रूप से विचार करते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि एक व्यक्ति जो कि न्यायाधीश हो या जो जिला न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाने का पात्र है।

संक्षेप में, इस विधेयक के माध्यम से ये कुछ प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधन हैं। श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया है। चूंकि यह विधेयक 7.8.1997 से सभा में लंबित पड़ा है और विधेयक को पारित करने में होने वाला विलंब कर्मचारियों को अत्यधिक सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित कर रहा है, इसलिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया गया और विधेयक के उपबंध 22.9.1997 से लागू किये गये।

चूंकि इस विधेयक के उपबंध मोटे तौर पर विवादास्पद नहीं हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों सदनों के विचारार्थ इस विधेयक की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

"कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1998 पर बोलने का अवसर दिया। प्रौवीडेंट फंड हर एम्प्लाई का अपनी कमाई से दिया गया हिस्सा होता है जिसमें एम्प्लायर अपना शेयर मिलाकर देते हैं। यह गवर्नमैंट् साइड में होता है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में होता है और कुछ बड़ी कम्पनियां जो गवर्नमैंट की तर्ज पर अपने एम्प्लाइज को बैनीफिट्स देना चाहती हैं, वे देती हैं। यह उनका अपना कमाया हुआ पैसा होता है। लेकिन हमने कई बार देखा है, सरकारी संस्थाओं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स और गैर-सरकारी संस्थाओं में जो सरकारी तौर पर अपने एम्प्लाइज की रिटायरमैंट के बाद या उनकी असमय मृत्यु के बाद उनके परिवार के लोगों को पैसा देना चाहते हैं, उनको अपना प्रौवीडैंट फंड लेने में बड़ी कठिनाई होती है। इसमें करप्शन भी होता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आग्रह है, मंत्री जी यहां बैठे हैं, एक कानून बनाया जाए कि यदि कोई व्यक्ति रियाटर होता है या किसी एम्प्लाई की असमय मौत हो जाती है और एम्प्लायर उसके प्रौवीडेंट फंड का पैसा देने में एक निश्चित अवधि के बाद बिना किसी कारण देर करता है, तो बैंक का जो इंटरस्ट रेट मिलता है, वही इन्टरस्ट रेट एम्प्लायर

[डा. शकील अहमद]

से लेकर उस एम्प्लाई को देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा कानून बनना चाहिए, इससे एम्प्लाइज को फायदा होगा।

यह बिल कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए है इसलिए इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन मैं एक-दो बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अपराह्न 4.07 बजे

[**प्रो. रीता वर्मा** *पीठासीन हुईं*]

सभापति महोदया, आप बड़े अच्छे समय पर आई हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप पैरा तीन पढ़ें-

[अनुवाद]

"कोई व्यक्ति, किसी अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में (जिसे बाद में पीठासीन अधिकारी कहा गया है) नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह जिला न्यायाधीश न हो या न रहा हो या उसकी अर्हता न रखता हो। ..."

[हिन्दी]

सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। मंत्री जी, क्या आपने फैसला कर लिया है कि केवल पुरुप ही किसी ट्रिब्यूनल का प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर होगा। इसमें आपको 'ही ओर शी' इन्क्लूड करना चाहिए। मेरी राय है कि यह होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : जनरल क्लॉज़ेज एक्ट के मुताबिक-

जहां कहीं भी 'वह' है, वह 'महिला' और 'पुरुष' दोनों के लिए है।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : जो व्यक्ति नहीं जानता, वह इसे इस्तेमाल कर लेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

"....जब तक कि वह-

(एक) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश; या

(दो) जिला न्यायाधीश;

न हो या न रहा हो या उसकी अहर्ता न रखता हो।"

[हिन्दी]

डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट के जज में किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने जो "अहर्ता रखता हो" लिखा है, डिस्ट्रक्ट जजों के क्वालीफिकेशन हर राज्य में करीब-करीब अलग हैं। उनकी क्वालीफिकेशन कि लॉयर होना चाहिए, इतने दिन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद हाई कोर्ट में भी कुछ जज ऐसे हैं जो बैंक से आते हैं, बाहर से आते हैं, इससे उनमें कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें अहर्ता रखता हो को नहीं रखा जाए, कार्यरत, सेवानिवृत्त, वर्तमान कोई भी हो सकता है।

ये हाई कोर्ट का जज रख रहे हैं और अमैंडमैंट ऑफ सैक्शन 7(च) में लिखा है-

[अनुवाद]

"किसी पीठासीन अधिकारी को उसके पद से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच किये जाने के पश्चात् दुर्व्यवहार अथवा अयोग्यता सिद्ध होने के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा दिये गये आदेश के सिवाय नहीं हटाया जाएगा ..."

[हिन्दी]

एक तरफ आप हाई कोर्ट के जज को ट्रिब्यूनल का प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर बना रहे हैं और दूसरी तरफ उसी के समकक्षीय व्यक्ति से उसके विरुद्ध इन्क्वायरी या मिसबिहेवियर के चार्जेस की जांच कराएंगे। यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज हो तो उसकी जांच हाई कोर्ट के जज से कराई जाए लेकिन यदि प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर हाई कोर्ट का समकक्षीय जज हो, तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करानी चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ, यदि आप ऐसा सुधार करेंगे तो मैं इस बिल का समर्थन करूंगा नहीं तो मैं इसके मत में नहीं हूं।

[अनुवाद]

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक में ऐसे कई पहलू हैं जो कर्मचारियों के हितों और उद्योग की स्थिति का ध्यान रखते हैं।

पहली बात, यह कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान में वृद्धि करता है जिससे उन्हें जरूरत के समय और सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी लाभ मिलेगा। दूसरे, यह तीन वर्ष के प्रारंभिक काल को समाप्त करता है जो पहले नये उद्योगों के लिए शुरू किया गया था। अतः उसे भी समाप्त किया गया है। मेरे विचार से इसे समाप्त

करने से उस व्यक्ति का परिवार जिसकी इस अवधि के दौरान मृत्यु हो जाये, इस प्रकार भी लाभार्थी बन जायेगा।

एक अन्य पहलू भी काफी महत्वपूर्ण है। मेरे एक माननीय मित्र ने इसका उल्लेख किया था। इस अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले यह निर्णय लिया गया था कि केवल वही व्यक्ति इस अपीलीय अधिकरण का चेयरमैन अथवा पीठासीन अधिकारी बनने का पात्र है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हर हो लेकिन इसके बाद, आप कह सकते हैं कि इस विधेयक के माध्यम से जिला न्यायाधीश भी पीठासीन अधिकारी बनने के लिए पात्र हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं और यह चिंता का भी विषय है क्योंकि सुदूर पूर्वी क्षेत्र के लोग हमेशा इस स्थिति में नहीं होते कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व अथवा अध्यक्षता वाले अधिकरण तक पहुंच सकें। इन पहलुओं को देखते हुये मेरे विचार से यह विधेयक स्वतः ही पारित हो जायेगा क्योंकि विपक्ष के सदस्य भी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। मेरा यह विचार है।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : सभापति महोदया, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण की इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है। माननीय सदस्य ने यह बताया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मामले को गंभीरता से नहीं ले सकते। इस वाक्य को कार्यवाही वृत्तांत में से निकाला जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इस मामले पर गौर किया जायेगा और हम इस संबंध में निर्णय लेंगे।

श्री तपन सिकदर : इस मामले का विधेयक में भी उल्लेख किया गया है। मैं इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुये इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं और मैं सभा के माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का भी अनुरोध कर रहा हूं।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णगर) : महोदया, मैं कुछ संदेहों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य भविष्य निधि में अंशदान की दर 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करना है। इस देश के कामगार मूल अधिनियम में विद्यमान भेदभाव को दूर करने के लिए एक लम्बे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उसमें न्यूनतम और अधिकतम तरह के अंशदान के दो स्तर क्यों हैं? यह उचित नहीं है। स्थायी समिति ने भी इस भेदभाव को दूर करने और दोनों दरों को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में मैंने एक संशोधन का सुझाव दिया है। श्रम मंत्रालय की दलील पटसन उद्योग सहित पांच उद्योगों में दर को कम रखना है। उन्होंने अपनी दिनांक 9 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना में इसका उल्लेख किया है। उनकी दलील मुख्यतः रूग्णता के बारे में है। रूग्णता के कारण, उन्होंने यह प्रावधान किया है। किन्तु यह दलील तर्कसंगत नहीं है। जहां तक भविष्य निधि में अंशदान का संबंध है, अंशदान की दर नियत करने में रूग्णता मानदण्ड नहीं हो सकती। आज एक औद्योगिक एकक रूग्ण है। किन्तु, कल वह अर्थक्षम हो सकता है अथवा इसके उलट हो सकता है। इसलिए, मैं वह उद्धृत करता हूं, जो स्थायी समिति ने स्पष्टतया उल्लेख किया है:

> "समिति ने इस खंड पर विस्तारपूर्वक विचार किया। सदस्यों का मत यह था कि रुग्ण प्रतिष्ठानों अथवा औद्योगिक वित्त पुनर्गठन बोर्ड को निर्दिष्ट किए गए उद्योगों में न्यूनतम अंशदान को 8 प्रतिशत तक सीमित करके इन उद्योगों के कर्मचारियों को उनकी कोई गलती न होने के बावजूद उन्हें सेवानिवृत्ति के अधिक लाभ से वंचित होना पड़ेगा।
>
> समिति का मत है कि रुग्ण उद्योगों के कर्मचारियों और अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के बीच अंशदान के मामले में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अतः, समिति सिफारिश करती है कि श्रम मंत्रालय को संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके इसकी पुनरीक्षा करनी चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी तरह के प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि में अंशदान की 12 प्रतिशत की एक समान दर करने की संभावना का पता लगाना चाहिए।"

मैं नहीं जानता की सरकार ने स्थायी समिति की इस विशिष्ट सिफारिश की क्यों उपेक्षा की है। यह स्थायी समिति की एक सुविचारित सिफारिश थी। मैं एक उदाहरण देता हूं। पश्चिम बंगाल के पटसन के बड़े उद्योगपति भविष्य निधि के सबसे बड़े चूककर्ता हैं। आप इसी उद्योग को अंशदान से छूट दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई कारण है? नहीं, कोई कारण नहीं है। इसलिए, मैं आपसे यह विचार करने की प्रार्थना करता हूं कि यह विसंगति दूर की जानी चाहिए। आपको मेरे द्वारा सुझाये गये संशोधन को स्वीकार करना चाहिए।

यह एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है। अधिनियम तो बहुत से हैं, किन्तु समस्या इनके कार्यान्वयन की है। क्या इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है? यदि इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, तो यह कैसे संभव है कि श्रमिकों के करोड़ों रुपये नियोजकों के खजाने में पड़े हैं? अभी श्री बसुदेव आचार्य ने जेसप एंड कंपनी का उल्लेख किया है। यह अकेला मामला नहीं है। यह निरंतर हो रहा है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद भी भविष्य निधि

[श्री अजय मुखोपाध्याय]

सहित उनके वैधानिक देयों का भुगतान करने से मना किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय के पास कोई शक्ति नहीं है। मैं श्री पी.आर. कुमारमंगलम से, जो अब श्रम मंत्रालय के प्रभारी मंत्री हैं, यह जानना चाहता हूं। वह श्रमिक नेता भी रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका विचार श्रम मंत्रालय को कोई शक्ति देने का है। इसे अन्य बातों की तरह हाशिए पर डाला जा रहा है। श्रम मंत्रालय के पास कहने को कुछ नहीं है। सभी बातें वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। देश के हजारों कामगारों को वेतन के भुगतान जैसे वैधानिक देयों से भी मना किया जा रहा है।

दूसरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं, वह भविष्य निधि में श्रमिकों के अंशदान में चूक के बारे में है। यह एक दंडनीय अपराध है।

किन्तु नियोजकों द्वारा भविष्य निधि के भुगतान में चूक को दंडनीय अपराध नहीं माना जाता। श्रम संबंधी सलाहकार समिति द्वारा एक समिति गठित की गई थी। मैं उस समिति का एक सदस्य था और उस समिति ने सुझाव दिया था कि इस संगठन को और श्रम मंत्रालय को भी, कुछ शक्ति देने के लिए भविष्य निधि अधिनियम में पूरी तरह संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं किया गया। परिणामत:, कामगारों के हजारों करोड़ रुपये - कर्मचारियों और नियोजकों के अंश - का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सेवा निवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों को उनके अपने अंश का भुगतान करने से मना किया जा रहा है। इसलिए, केवल कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को पारित करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को इसका कार्यान्वयन भी करना होगा।

महोदया, अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह अंशदान की राशि के बारे में है। अंशदान की राशि को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए कुल संचित राशि बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि कर्मचारी अधिक ब्याज दर की आशा कर सकते हैं। सरकार इस राशि का कहीं निवेश करेगी और जाहिर है कर्मचारी भी यह आशा करेंगे कि उन्हें बढ़ी हुई ब्याज दर मिले। इस पहलू पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? इस मुद्दे पर सरकार चुप है।

महोदया, अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह भविष्य निधि संगठन के कुप्रबंधों के बारे में है। हजारों करोड़ रुपया जो भविष्य निधि के द्वारा देय है, उन कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया है, जो सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? यह रुपया भविष्य निधि संगठन के पास पड़ा है। क्यों? माननीय श्रम मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं, किन्तु उन्होंने दूसरे सदन को आश्वस्त किया है कि सरकार भविष्य निधि संगठन में व्याप्त कुप्रबंध की जांच के लिए सभा एक समिति का गठन करेगी। यदि इस समिति का चूकों के वास्तविक कारणों का पता लगाने और उन कारणों को दूर करने के लिए गठन किया जाता है तो हम आशा करते हैं कि उस समिति में इस सभा के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। ये मूलभूत कारण हैं जिनके लिए माननीय मंत्री जी ने सभा की समिति गठित करने के लिए सहमति दी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस समिति में इस सभा के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाएगा अथवा नहीं।

महोदया, इस देश में श्रमिक वर्ग उदारीकरण की नीतियों का सबसे अधिक शिकार हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि समृद्धि और प्रगति जिसकी प्राय: हम डींग मारते हैं, इस देश में श्रमिक वर्ग के असीम त्याग को बिना संभव नहीं हो सकता था। किन्तु उनकी अपेक्षा की जा रही है। हम उद्योगों के लिए हितकारी बजट पर चर्चा कर रहे हैं। हम उद्योग हितकारी निर्णयों की चर्चा कर रहे हैं, किन्तु हम श्रम हितकारी बजट और श्रम हितकारी निर्णयों की चर्चा कभी नहीं करते। इसका मुझे 1989 में अनुभव रहा है। मैं श्रम संबंधी सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूं और विभाग से संबद्ध श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति की स्थापना से ही इसका भी सदस्य रहा हूं।

यह मेरा अनुभव है। सभी मुसीबतें देश के श्रमिक वर्ग पर गिरती हैं। यूनियन नेता संसद सदस्यों से केवल इसलिए मिलने आते हैं, ताकि वे वेतन भुगतान को नियमित करने और भविष्य निधि तथा उपदान सहित उनके सेवा निवृत्ति लाभों को प्राप्त करने के लिए कह सकें।

इसलिए, मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि यही समय है जब हमें पूरे मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए और उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। अन्यथा, वह दिन दूर नहीं है जब ये लोग, जो हमारे देश की रीढ़ है, निष्क्रिय नहीं बैठे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं मंत्री जी से मेरा संशोधन स्वीकार करने और जो समस्याएं मैंने अभी उठाई हैं, उसका उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, यह एक अच्छा विधेयक है और मैं कुछ टिप्पणियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। कारण यह कि मजदूरों के हित में यदि अच्छे कदम उठाए जाते हैं, चाहे गलत लोगों द्वारा भी उठाए जाते हैं, तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

दूसरी बात, किसी भी सरकार के लिए यह अच्छी बात है कि प्रोविडेंट फंड के कन्ट्रीब्यूशन की सीमा बढ़ा दी गई है। मेरे

विचार से केवल सीमा बढ़ा देना काफी नहीं है। हम लोगों का जो अनुभव है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं, राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार और निजी क्षेत्र के जो नियोजक हैं, वे कर्मचारियों को समय पर उनको सेवा निवृत्ति के साथ उनके प्रोविडेंट फंड का भुगतान नहीं करते हैं। इस विषय पर अपने क्षेत्र में और आस-पास के जो निजी क्षेत्र के मालिक हैं, उनसे अकसर इस सवाल पर संघर्ष होता है। सेवा निवृत्त होने पर वे कहते हैं कि मेरे पास प्रोविडेंट फण्ड को वापिस करने के लिए धन नहीं है, इसलिए आप इस उम्र में भी, जितना पैसा आप पा रहे हैं, उतने में काम करते रहिए। वे दो-तीन बरस तक उसी प्रकार काम करते रहते हैं और उनको परेशानी रहती है। इस स्थिति में हम लोगों को सिफारिश करनी पड़ती है। राज्य सरकारें उस प्रोविडेंट फण्ड के पैसे को विकास के कार्यों में लगा देती हैं और रियाटरमेंट के बाद राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, दो-दो, तीन-तीन साल तक दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनको उनका पैसा नहीं मिलता है। नियम बने हैं कि रिटायर होने के बाद एक महीने के पहले ही प्रोविडेंट फण्ड का पूरा भुगतान करने का इंतजाम सरकार करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

महोदय, मुझे एक बात से परेशानी होती है। कोई कमीशन बनता है, तो उसमें जज साहब आ जाते हैं। पता नहीं किस खुशी में आ जाते हैं, कल भी आ गए थे और आज भी आ गए। श्रम विभाग में ऐसे ईमानदार अधिकारी है, जिन्होंने जीवनभर मजदूरों के हित में काम किया है। सेवा निवृत्त होने के बाद जब श्रम विभाग के ट्रिबम्युनल में नियुक्त किए जा सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट का जज होने से ...

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : क्वालिफिकेशन।

श्री मोहन सिंह : क्वालिफिकेशन श्रम विभाग के अधिकारियों की होना जरूरी नहीं है। उन्होंने एलएलबी किया है और उनकी सारी जिन्दगी इसी बात में लगी है कि उन्होंने मजदूरों के साथ रहकर, मजदूरों के हित में और उनकी ओर से अन्याय के साथ लड़ाई लड़ी है और काम किया है। ऐसे व्यक्तियों को आप नहीं रख पायेंगे, क्योंकि उनमें योग्यता नहीं है और वह गलती से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन बातों पर गौर कीजिए, सभी मर्ज की दवा जज न मान लीजिए। इन सुझावों के साथ, आपके द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डा. उल्हास वासुदेव पाटील (जलगांव) : मैं इस मामले के संबंध में सभा के समक्ष कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि भविष्य निधि योजना का असंगठित क्षेत्र तक विस्तार कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक असंगठित क्षेत्र के हितों की रक्षा करेगा। परन्तु इस विधेयक में कतिपय खामियां हैं। इस विधेयक में इस बात का भी प्रावधान किया जाना चाहिए था कि यदि किसी कामगार को भविष्य निधि का फायदा नहीं दिया जाता है तो इसे एक दण्डनीय अपराध माना जाए। ऐसे कामगार भी हैं जिन्हें मृत्यु होने के बाद भी भविष्य निधि नहीं मिलती है। यह देखा गया है कि अधिकांश लाभार्थियों का पता ही नहीं चल पाता है और नहीं भविष्य निधि संगठन भविष्य निधि के भुगतान के लिए सम्पर्क करते हैं। इन संगठनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मांगें पेश करते हैं। इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाईश है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए।

यह अच्छी बात है कि इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि इसमें कर्मचारियों का अंशदान 12 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये और इसमें उपदान की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये तक भी बढ़ाने का प्रावधान है। इस समय लगभग 2.64 लाख प्रतिष्ठान है जिनमें लगभग 1.93 करोड़ कामगार कार्यरत हैं। इस कानून द्वारा इन सभी कामगारों का फायदा होगा। परन्तु कुछ ऐसी बातें भी है जिन पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि यदि ऐसे भविष्य निधि संगठन है जो 12 प्रतिशत अंशदान काटने की बात को लागू नहीं करते हैं तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि 12 प्रतिशत अंशदान काटा जाए गंभीर कदम उठायेगी? दूसरे क्या सरकार की भविष्य निधि को अनुषंगी बाजार में जमा करने की मंशा है? ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिन्हें मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। कुल मिलाकर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसे लाने के लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं खास तौर पर अंशदान की दर को 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने और 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने का समर्थन करता हूं।

यह योजना संगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के हितों के खिलाफ है। हमने इस बात का विरोध किया था और इस मामले पर ग्यारहवीं लोक सभा में पहले भी चर्चा हो चुकी है।

मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाखों लोग पारंपरिक रूप से चलने वाले काजू, नारियल जटा और

[डा. एन.के. प्रेमचन्दन]

अन्य कार्यों में लगे हैं। यह चीज काजू और अन्य पारंपरिक कामगारों के लिए अच्छी है। परन्तु इनके कर्मचारियों के भविष्य निधि पेंशन योजना में सम्मिलित होने में एक रूकावट है। अर्थात वे लोग जो परिवार पेंशन योजना 1971 के सदस्य नहीं है उन्हें इस योजना की सदस्यता से वंचित रखा जा रहा है। मुझे पता चला है कि इस संबंध में पहले ही एक आदेश पारित किया जा चुका है कि यदि कोई कामगार 1971 से समस्त बकाया राशि का भुगतान करता है तो वह भविष्य निधि पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा। इन पारंपरिक कामगारों की मुख्य कठिनाई यह है कि ये गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं और वे इस स्थिति में नहीं हैं कि इस योजना में सम्मिलित होने के लिए 5000 रुपये से लेकर 15000 रुपये की इतनी बड़ी राशि का भुगतान कर सकें। अत: मैं श्रम मंत्रालय से अपील करूंगा कि वह इस बाधा को दूर करें और ऐसी व्यवस्था करें कि जो बकाया राशि कामगार द्वारा भुगतान की जानी है वह इस निधि में से काट ली जाए और उसे इसका फायदा उठाने का अवसर दिया जाये। ये गरीब कामगारों के जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं इस योजना से लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाए। मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस संबंध में सरकार की स्थिति स्पष्ट करें।

यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। इससे गरीब किसानों, काजू पैदा करने वाले किसानों और पारंपरिक किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहां तक कामगारों द्वारा अंशदान का भुगतान न किये जाने की बात है मैं तो कहूंगा कि कामगारों का अंशदान उनकी मजदूरी अथवा वेतन में से नियमित रूप से काटा जाए। परन्तु उन्हें ठीक ढंग से और समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। इन गरीब काजू और नारियल जटा कामगारों को कोई रसीद नहीं दी जाती है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं।

150 कामगारों को एकमुश्त राशि दी गयी लेकिन उन्हें भविष्य निधि कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से कोई भी रसीद नहीं दी जा रही है। ये गरीब पारंपरिक कामगार और अशिक्षित काजू पैदा करने वाले कामगार यह बात समझने में असमर्थ हैं कि क्या उनके अंशदान का भुगतान कर दिया गया है और क्या इसकी कोई रसीद दी गयी है। अत: मेरा सुझाव है कि प्रत्येक कामगारों को ठीक ढंग से रसीद दी जानी चाहिए।

जहां तक कामगारों को अंशदान का भुगतान न किए जाने की बात है यह इस अधिनियम के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है और इसमें दिये गये दण्ड का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। जब तक हम इसे कार्यान्वित नहीं करेंगे तब तक कामगारों के लिए इस लाभकारी कानून को बनाने का कोई फायदा नहीं है।

जैसे कि कामरेड अजय मुखोपाध्याय पहले ही कह चुके हैं मैं भी श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का सदस्य था और हमने इस संबंध में कुछ सुझाव दिये थे। हमें भविष्य निधि अंशदान के भुगतान में कई अनियमिततायें और खामियां नजर आयीं। अत: इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। एक बार फिर मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वे इन बाधाओं को दूर करें ताकि गरीब कामगारों को पूरी बकाया राशि का भुगतान किए बगैर ही इसका लाभ मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदया, मैं इस भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

वास्तव में यह विशेष अध्यादेश स्थायी समिति को भेजा गया था और हमने समिति में इस विधेयक को सभी पहलुओं पर व्यवहारिक रूप से चर्चा की थी। हमने कई सिफरिशें की थीं और हमने सरकार से अनुरोध किया था कि वह इन सिफारिशों पर गौर करे तथा उसके बाद इस विधेयक को संसद में अधिनियमित करने के लिए लाये। मुझे प्रसन्नता है कि इसमें कतिपय उपबंध शामिल किये गये हैं लेकिन शेष सिफारिशों को सम्मिलित नहीं किया गया है। जब कभी ऐसे मामलों पर संसदीय स्थायी समिति में पर्याप्त विचार विमर्श होता है और सरकार को सिफारिश की जाती है तो यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह संबद्ध मामले पर गौर करे तथा अनुशंसित उपबंधों को इसमें शामिल करने हेतु पूर्ण प्रयास करें।

यह इस खंड विशेष के बारे में मैंने नोट किया है कि सभी उद्योगों के लिए अंशदान समान नहीं रखे गये है। रूग्ण उद्योगों को छूट दी गयी है। पहले अंशदान 8.33 प्रतिशत था अब हमने 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। तो इसमें भेदभाव की क्या बात है? यदि सभी उद्योग रूग्ण हो जाते हैं तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि किन कारणों की वजह से उद्योग रूग्ण हुए हैं। यदि हम ऐसी छूट देते रहे तो हम उद्योगों के रूग्ण होने को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अब हमने भाग 1 में वस्तुत: सभी उद्योगों को लिया है। जहां तक अंशदान दर की बात है मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर गौर करना चाहिए।

सरकार को इन सब बातों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंशदान सभी उद्योगों के मामले में समान हो चाहे वे रूग्ण हों या नहीं।

दूसरे, यदि आप भविष्य निधि खण्ड के सभी पहलुओं पर गौर करें तो पायेंगे कि बकाया राशि की वसूली पर काफी जोर दिया गया है। हमें इस भविष्य निधि अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कतिपय उपबंध करने होंगे जिससे कि समय पर ठीक ढंग से वसूली हो जाये। अब वसूलियों में समय नष्ट हो जाने के कारण, करोड़ों रुपये अभी तक नियोक्ताओं के पास पड़े हुए हैं और श्रमिकों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, किन्तु जैसा कि इस सम्मिलित सभा के कुछ सदस्यों ने ठीक ही उल्लेख किया था, सेवा निवृत्ति के बाद भी उन लोगों को उनकी धनराशि समय पर प्राप्त नहीं होती जिन्होंने जिन्दगी भर इसमें अंशदान किया है। उन्हें उस धनराशि का भुगतान तीस दिनों के भीतर करना होता है। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक वर्ष से अधिक समय तक भी उनकी अपनी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

श्री अजय मुखोपाध्याय : वे कहते हैं कि कर्मचारियों को तीन वर्षों से उनकी बकाया राशि उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है।

श्री मधुकर सरपोतदार : ऐसे कई मामले हैं।

भविष्य निधि एक ऐसा तंत्र है जिससे सरकार को इतनी सारी धनराशि प्राप्त हो रही है परन्तु इतनी सारी धनराशि भविष्य निधि आयुक्त के पास लंबित है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वे इस धनराशि का कहां उपभोग करने जा रहे हैं और क्यों उन कर्मचारियों को जो तमाम जिन्दगी इसमें अंशदान करते हैं, समय पर देयताएं प्राप्त नहीं होती, अतएवं, इस मंत्रालय को अधिक ध्यान देना होगा और देखना होगा कि इससे श्रमिकों को कुछ राहत प्राप्त हो। यह भी एक ऐसा पहलू है जिसे इस सरकार द्वारा सुलझाने का कम से कम प्रयास तो किया ही जाना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री मुखोपाध्याय ने स्थायी समिति के प्रतिवेदन के कुछ प्रावधानों को उद्धृत किया था। मुझे नहीं मालूम कि माननीय मंत्री महोदय अपने भाषण में इसका स्पष्टीकरण देंगे या नहीं कि आखिर क्यों इन प्रावधानों को विधेयक में सम्मिलित किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे संसद सदस्यों को इसे समझने में सहायता मिलेगी।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : वे प्रावधान कौन से है?

श्री मधुकर सरपोतदार : यह पृष्ठ 3 पर है। उससे अगला वह प्रावधान है। कृपया पृष्ठ 4 पर पैरा 2.3 और 2.4 देखिये। ये अंशदान के संबंध में हैं।

अत: सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जब भी सरकार को ऐसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायें उनका ठीक ढंग से और संपूर्ण अध्ययन किया जाना चाहिये और तत्पश्चात् समिति की सिफारिशों का लेखा-जोखा लिया जाना चाहिये। अन्यथा ये स्थायी समितियां अर्थहीन हो जाएंगी। ये समितियां अध्यक्ष महोदय द्वारा बनायी गई हैं तथा इन समितियों का कार्यकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन समितियों में जन प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इन समितियों के प्रतिवेदन आम सहमति वाले होते हैं। अत: इनके सुझावों को माना जाना चाहिए और इसका सम्मान किया जाना चाहिये। यह सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : सभापति महोदया, मैं एक मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

कुछ मिलें तथा संस्थान ऐसे हैं जहां भविष्य निधि में श्रमिकों द्वारा अंशदान किया जाता है और साथ ही साथ नियोक्ताओं द्वारा समान अंशदान किया जाता है। परन्तु जब कुछ मिलों के मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे जाते हैं और बोर्ड उनकी बंदी का आदेश देता है तो ये इकाईयां पूर्णत: बंद हो जाती हैं। इन स्थितियों में श्रमिक अपने स्वयं की भविष्य निधि की मांग करते हैं।

इन मामलों में चूंकि मालिक उनके द्वारा अंशदान की हुई जो भी राशि है उसका उपभोग कर चुका होता है, वे केवल उनके हिस्से की राशि प्राप्त करने की ही अनुमति देते हैं। मालिक के अंशदान की अनुमति नहीं दी गयी है क्योंकि वे एक ट्रस्ट जैसी इकाई बना लेते हैं और इस प्रकार वे निधि निकाल लेते हैं या वे इसे किसी संस्थान अथवा किसी उद्योग में लगा देते हैं। सरकार को इन जटिल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये और इसका समाधान ढूंढ़ना चाहिये। क्योंकि श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है।

श्री मधुकर सरपोतदार : अधिनियम में इसका पहले ही प्रावधान है किन्तु इसे ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है. ...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : मैं एक विशिष्ट मामले का उल्लेख करूंगा, शोलापुर लक्ष्मी विष्णु मिल ...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : मुझे उस विशिष्ट मामले की जानकारी है। उनकी मशीनरी कार्य नहीं कर रही है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदस्यों के बीच चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री सुशील कुमार शिंदे : इसीलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर ध्यान दें और इसे एक संज्ञेय अपराध बनाएं।

श्री ए.सी. जोस (मुकुंदपुरम) : जैसा कि मंत्री महोदय ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में उल्लेख किया है, सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम इस विधेयक पर पर्याप्त समय ले चुके हैं। अब यह बिल्कुल संभव नहीं है।

श्री ए.सी. जोस : भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन योजना के अंतर्गत एक विशाल धनराशि है। उसमें 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं। इसका उचित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये ताकि समय-समय पर पेंशन में वृद्धि की जा सके और इसकी समीक्षा की जा सके।

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : महोदया, कृपया मुझे आधा मिनट बोलने की अनुमति प्रदान कीजिये ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण-मध्य) : महोदया, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह बिल्कुल संभव नहीं है। हमने इस विधेयक पर पहले ही बहुत समय ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : सभापति महोदया, मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे यदि मुझे पत्र लिखेंगे तो मैं तत्काल कार्यवाही करूंगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बाद में मंत्री महोदय से मिल सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं।

मंत्री महोदय, कृपया आप अपना उत्तर दीजिये।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : महोदया, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों, विशेष रूप से श्रमिक आंदोलन के वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी के लिए आभारी हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मीणा जी, आप लिखकर दे दीजिए, मैं कर दूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं कुछ न बोलूं, बैठ जाऊं। अभी चार बिल्स हैं और बजट भी है।

सभापति महोदय : कुमारमंगलम साहब, आप चेयर को एड्रैस कीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभारी हूं।

वस्तुतः यह विधेयक संसद सदस्यों और स्थायी समिति के अनुरोध पर लाया गया था।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य ने उठाया कि सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम सांविधिक भविष्य निधि की बकाया राशि को जमा नहीं कर रहे हैं और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी भविष्य निधि के लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमें इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने जोसेफ एंड कंपनी के संबंध में बताया था कि उस पर 14.15 करोड़ रुपये बकाया हैं। हमने इस सांविधिक बकाया राशि की वसूली के लिए हर संभव प्रयास किया है। वस्तुतः, मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा कि कम से कम योजना सहायता के एक भाग के रूप में इस बकाया राशि के भुगतान पर विचार करने के लिए पिछले वर्ष मंत्रियों का एक दल गठित किया गया था क्योंकि उनकी मजदूरी का भुगतान भी योजना सहायता के एक भाग के रूप में किया गया था। दुर्भाग्य से, उस निर्णय को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं श्रम मंत्री के ध्यान में यह बात लाऊंगा ताकि वह यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकें कि मंत्रियों के दल द्वारा लिए गए निर्णय को क्रियान्वित किया जाये।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : यह किसी विशेष उद्योग के लिए नहीं, अपितु अधिकाधिक उद्योगों के लिए होना चाहिए क्योंकि वहां बहुत से उद्योग हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह नियम अधिकांश उद्योगों पर लागू होगा। यह सभी उद्योगों के लिए है। यह केवल जोसेफ कंपनी लि. के लिए ही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : क्या संसद द्वारा कोई निर्णय लिया गया था?

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह सभी उद्योगों के लिए है। मैं सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह निर्णय सभी उद्योगों के संबंध में लिया गया है जो जोसेफ कंपनी लि. के

मामले में समान रूप से लागू होता है। इस मामले में वे अब ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां उनकी मजदूरी भी योजना सहायता द्वारा दी जा रही है। हम इन सभी मामलों की जांच करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह पहले ही आश्वासन दे चुके हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : माननीय सदस्य, डा. शकील अहमद ने पूछा है कि क्या न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए केवल पुरुष ही पात्र होंगे। ...*(व्यवधान)*

डा. असीम बाला : वे कंपनी में कार्यरत सभी मजदूरों को बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। भविष्य निधि के भुगतान के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

एक माननीय सदस्य : इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

डा. असीम बाला : लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जो आपके दबाव में नहीं आयेंगे। कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं यह बताना चाहूंगा कि आपने वास्तव में क्या कहा है। अधिनियम के सामान्य खंडों के खंड 13(1) के अंतर्गत पुरुष में महिला भी शामिल है और इसलिए वह (पुरुष) में महिला भी शामिल है। अब निःसंदेह अधिकांश नियमों में हम 'व्यक्ति' का प्रयोग करते हैं, कि 'व्यक्ति' शब्द 'वह' (पुरुष और महिला) के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन यह हमारे पुराने कानूनों में से एक है। इसलिए, अधिनियम के अनुरूप संशोधन में उन्होंने 'महिला' शब्द का प्रयोग किया है।

संविधि के अंतर्गत निपटाये जा रहे दावों के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि वे सभी दावे 30 दिन के भीतर निपटाने होंगे। अन्यथा, सदस्य को अब लाये गये अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित रखने के लिए उसे 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। इस संबंध में यदि कोई अत्यावश्यक मामले हैं तो मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह श्रम मंत्री को पत्र लिखें और मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि श्रम मंत्री जी कदम उठायेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : कितने पत्र लिखें?

सभापति महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री ए.सी. जोस : उत्तर देने का यह कोई सही तरीका नहीं है। क्या मुझे श्रम मंत्री को सूचित करना होगा? यह सब क्या है?

सभापति महोदय : इसका कोई अंत नहीं है।

श्री ए.सी. जोस : हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। श्रम मंत्री को सूचित करना अनिवार्य नहीं है। यह सब क्या है? यह उत्तर देने का सही ढंग नहीं है।

सभापति महोदय : लेकिन हम काफी अधिक चर्चा कर चुके हैं। आपको बोलने का अवसर मिल चुका है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए कि यद्यपि एक समरूप नीति है एक अधिसूचना हैं, तथापि ऐसे कई महत्वपूर्ण मामले सामने आ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से एक संसद सदस्य के रूप में और मजदूरों के नेता के रूप में यह जानता हूं कि कई मामलों में वास्तव में देयराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि कृपया व्यक्तिगत मामले श्रम मंत्री जी के ध्यान में लायें। मैंने सभा में ऐसा कहा है और मैंने आपको यह आश्वासन दिया है कि मैं स्वयं श्रम मंत्री जी से कहूंगा कि मैंने यह आश्वासन दिया है और वे उन समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्काल ध्यान दें। ...*(व्यवधान)*

आपने वित्त मंत्री जी के बारे में जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल सही है। जब मैंने मंत्रियों के दल का उल्लेख किया था तो ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह कोई तरीका नहीं है। तब मुझे बैठना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* यह ठीक है। मैं अब नहीं बोलूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मंत्री जी से बाद में बात कर लें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल मंत्री जी का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...(*व्यवधान*)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं सिफारिश करता हूं कि यह विधेयक प्रस्तुत किया जाये। ...(*व्यवधान*) यह कोई तरीका नहीं है। यदि कोई सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मैं बैठ रहा हूं और यही कहूंगा कि यह विधेयक प्रस्तुत किया जाये। मैं प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूंगा क्योंकि यह कोई तरीका नहीं है। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : मोहन रावले जी, कृपया अपना सहयोग दें। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कृपया सहयोग दें।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : पीठासीन अधिकारी के पद की अर्हता में संशोधन करने के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में हमने यह काफी सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने उस संबंध में ऐसा कहा है। मेरे विचार से उन्हें यह समझना चाहिए कि जिला न्यायाधीश की अर्हताएं अनिवार्यत: उन विनियमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं जो उच्च न्यायालयों की सिफारिशों पर बनाए जाते हैं।

कुछ संसद सदस्यों ने ब्याज की जिन उच्च दरों का उल्लेख किया है, उसके बारे में हमारा यह मानना है कि यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कामगारों का धन सुरक्षित रहे। हम बाजार में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन न्यासी बोर्ड यह महसूस करता है कि शेयर बाजार में धन लगाना या निजी क्षेत्र में उसका निवेश करना खतरनाक है। हम इसे सुरक्षा आधार पर रखना चाहते हैं। ऐसे कई संसद सदस्य और नेता हैं जिनके विचार इससे भिन्न हैं। यदि वे ऐसा सोचते हैं कि वह सुरक्षित उपाय है और उससे अच्छा लाभ मिलेगा तो मुझे विश्वास है कि न्यासी बोर्ड उस पर विचार करेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : स्थायी समिति इस पर विचार कर सकती है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : हम इसे अगली स्थायी समिति में ले सकते हैं।

भेदभाव के मसले के संबंध में स्थायी समिति ने सिफारिश की है और मुझे कहना चाहिए कि वास्तविक समस्या यह है कि ये सभी विशेष उद्योग, उनमें से सभी पांच वास्तव में रुग्ण उद्योग हैं, जिन्हें अलग रखा गया है। इन पर पहले ही 110 करोड़ रुपया बकाया है।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णगर) : क्या आप एक मिनट के लिए रूकेंगे?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : नहीं।

इसे संयुक्त निधि से देने के लिए उचित समय पर विचार किया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया किसी हस्तक्षेप का उत्तर नहीं दें।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : हमने कहा कि इस पर हम बाद में विचार करेंगे। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : यह नहीं किया गया है। श्री मुखोपाध्याय, आपने बोलने में काफी समय लिया है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : हमने निर्देश दिया है कि भुगतान 31 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। मैंने पहले ही 12 प्रतिशत ब्याज का उल्लेख किया है। मुझे कहना चाहिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 14, 14(क) आदि के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह बताना जरूरी है कि 1.4.1998 तक की स्थिति के अनुसार, 40,000 मामलों में कदम उठाए गए हैं। 1998 में, 1,666 मामलों पर कार्यवाही की गई थी। वास्तव में, हमने इस वर्ष 1047 मामलों को दोष सिद्ध किया है और कार्यवाही करके 1997-98 में 129 करोड़ रुपये और 1996-97 में 83.46 करोड़ रुपये वसूल किए। मैं पिछले दो वर्षों के आंकड़े देख रहा हूं और यह भी बता रहा हूं कि क्या कार्यवाही की गई। मैं समझता हूं कि बहुत से सदस्य जानते हैं कि विधि निदेशकों की भी इस मामले में भर्त्सना की गयी है।

ब्याज की उच्च दर के संबंध में मैं पहले ही अपना विचार प्रकट कर चुका हूं। हाउस कमेटी के संबंध में मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इस सभा के सदस्य इस हाउस कमेटी के सदस्य बनें और यदि सभापति महोदया निर्देश दें, तो हम हाउस कमेटी के रूप में एक संयुक्त समिति का गठन करने के लिए दोनों सदनों के बीच में समुचित कार्यवाही कर सकते हैं। इसके लिए हम एक संकल्प लाएंगे।

मैं केवल यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए, क्योंकि यह हमारे कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लाभों में सुधार के लिए एक बड़ा कदम है। यह बहुत दिनों से लम्बित है और वास्तव में इसमें बहुत देरी हो रही है। औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा मांग की गई है कि यह अप्रैल, 1995 से होना चाहिए, किंतु यह सितम्बर 1997 से होगा जब अध्यादेश आया था।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरा अनुरोध है कि यह विधेयक पारित किया जाए। विभिन्न महत्वपूर्ण संशोधनों पर विचार किया जाना है। हम प्रक्रिया में है। बहुत से श्रम कानूनों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि स्थायी समिति का भी अब तक गठन किया जाना चाहिए था। उन कानूनों का अध्ययन करने में समिति को भी हमारी सहायता करनी चाहिए ताकि सुव्यवस्थित करने, सरल बनाने और कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन लाने हेतु समुचित कदम उठाए जा सकें।

मैं सिफारिश करता हूं कि सभा द्वारा विधेयक पारित किया जाए।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदया, यह अध्यादेश पहली बार 1997 में प्रख्यापित किया गया था। यह विधेयक 1997 में पुरःस्थापित किया गया और इसे श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। स्थायी समिति ने भी इस पर विचार किया था ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : एक मिनट, आचार्य जी।

सभापति महोदया, मैंने अपने उत्तर के अंत में श्री बसुदेव आचार्य से उनका सांविधिक संकल्प वापस लेने का अनुरोध नहीं किया था। यह देखते हुए कि यह एक सामान्य और गैर-विवादास्पद विधेयक है, मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य कृपया अपना सांविधिक संकल्प वापस ले लें।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा उद्देश्य इस विधेयक का विरोध करना नहीं था।

महोदया, इस विधेयक को इससे पहले भी पारित करने की काफी गुंजाइश थी। हमने वर्तमान अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लागू करने के संबंध में कुछ सुझाव दिये थे, जिनको समुचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है और वर्तमान कानून में संशोधन करने और अद्यतन करने की आवश्यकता है। श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति उस पहलू पर भी विचार कर सकती है।

अन्य समस्या, जिसको लगभग सभी सदस्यों ने प्रमुखता दी है, वह चूक की समस्या है। करोड़ों रुपया जो भुगतान किया जाता है, उसका कामगारों और कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे को पिछली लोक सभा में भी दोनों सदनों में उठाया गया था।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया संक्षेप में बोलें। मंत्री महोदय पहले ही आपसे अनुरोध कर चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री महोदय ने भी बताया है कि मंत्रियों का एक दल इसकी जांच करने और यह सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था कि न केवल भविष्य निधि की समस्या, बल्कि उपदान की भी, अर्थात् सांविधिक देयों की समस्या को कैसे निपटाया जाए।

अगला विधेयक आ रहा है और मैंने इस विधेयक पर भी एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मंत्री महोदय द्वारा बताए गए तथ्यों को देखते हुए और हाऊस कमेटी गठित करने और मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन करके उन्हें सरल और अद्यतन बनाने का जो आश्वासन दिया है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने की सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : हां।

सांविधिक संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा-पारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2

सभापति महोदय : खंड 2 में यह संशोधन श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तावित है। श्री मुखोपाध्याय जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री अजय मुखोपाध्याय : जी, हां।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1,-

पंक्ति 7 से 10 के स्थान पर

"2. कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा

गया है) धारा 6 में "आठ सही एक बटा तीन प्रतिशत" और "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां भी वे आते हैं "ग्यारह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।"

सभापति महोदय : मैं अब श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 1 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.08 बजे

उपदान संदाय (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब, मद संख्या 26 और 27 को एक साथ लेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित उपदान संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय, मैं अपने स्टेचूटरी रिजोल्यूशन को सदन के सामने विचारार्थ रखता हूं और मैं इस पर दो-चार शब्द कहना चाहता हूं कि अभी हमने एक विधेयक पास किया है जो मजदूरों के हक में था और दूसरा विधेयक भी कुछ उसी से मिलता-जुलता है। जिसमें आप पचास हजार से डेढ़ लाख की सीमा बढ़ा रहे हैं। बदली हुई परिस्थितियों में जबकि पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू हो चुकी है और इसकी सीमा बढ़ाने की आवश्यकता थी। मैं इसमें बहुत विरोध की गुंजाइश नहीं देखता हूं। लेकिन क्योंकि एक संसदीय पद्धति है कि बिना रिजोल्यूशन प्रस्तुत किये बहस की गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सामने बहस की शुरूआत के लिए प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित विचार किया जाए।"

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित होगा, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, पत्तनों, रेल कम्पनियों, दुकानों और कतिपय अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को उपदान के भुगतान तथा उससे संबंधित अन्य मामलों के लिए एक योजना का प्रावधान किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत, अधिवर्षता, सेवानिवृत्ति अथवा पांच वर्ष की सेवावधि पूरा होने के बाद सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में उपदान देय होता है। तथापि, पांच वर्ष की सेवावधि की शर्त मृत्यु अथवा नि:शक्तता के कारण रोजगार की समाप्ति के संबंध में लागू नहीं होती है। गैर-मौसमी स्थापन के कर्मचारी प्रत्येक एक वर्ष के पूर्ण सेवाकाल अथवा छ: महीने से अधिक उसके भाग के लिए 15 दिन के वेतन की दर से उपदान के पात्र होते हैं, जबकि मौसमी स्थापन के कर्मचारी प्रत्येक मौसम के लिए सात दिन के वेतन के बराबर

उपदान के पात्र होते हैं। इसके अतिरिक्त, उपदान के भुगतान की अधिकतम सीमा 1,00,000/- रुपए है।

इस सीमा में संशोधन करने के लिए कामगारों की ओर से समय-समय पर मांग की जाती रही है। इस संबंध में दिए गए अनेक सुझावों एवं की गई सिफारिशों पर विचार किया गया और प्रारंभ में इसकी अधिकतम सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया तदनुसार एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया एवं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने इस विधेयक की जांच की तथा यह सिफारिश की कि उपदान की राशि की अधिकतम सीमा को 2.50 लाख रुपए से और बढ़ाकर 3.50 लाख रुपए किया जाना चाहिए। सरकार ने समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और अब उपदान की अधिकतम सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

संक्षेप में, इस विधेयक के माध्यम से इसी संशोधन का प्रस्ताव है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस गैर-विवादास्पद स्वरूप के प्रस्तावित संशोधन का स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा से इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित उपदान संदाय पर (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।"

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विचार किया जाए।"

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : सभापति महोदया, इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री को केवल यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से जो संशोधन लाया जा रहा है, उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री और इस सभा को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे 1.4.1995 से लागू कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए भी, इसे उसी तारीख से लागू किया जाना चाहिए। सभी कामगारों, कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के लिए भी, उपदान की सीमा को बढ़ाने के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है। एक लम्बी प्रतीक्षा एवं पुकार के पश्चात् अब इसे सभा के समक्ष लाया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसलिए, मैं इस संशोधन का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा केवल यह अनुरोध है कि इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् 1.4.1995 से लागू किया जाए ताकि कुछ और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : सभापति महोदया, उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1998 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक की धारा 4 की उपधारा 3 में एक लाख की जगह 50 हजार रुपए करने का प्रावधान किया गया है। देश के लाखों मजदूरों और कर्मचारियों के हित में यह काम होने जा रहा है। इस बारे में बहुत समय से रिकमंडेशन थी और मांग थी। उसको हमारी सरकार एक विधेयक के रूप में लेकर आई है। इससे कर्मचारियों का हित होगा। हमारी सरकार का जो एजेंडा है यह काम उसके अंतर्गत किया गया है। हमारी सरकार का यह मत है कि यह सरकारी कर्मचारियों, मजदूरों और गरीबों के हित के काम करने में कभी पीछे नहीं रहेगी।

सभापति महोदया, इसमें विपक्ष की ओर से संशोधन आए हैं, लेकिन विरोध का स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा आग्रह है कि जितने भी लेबर लाज हैं, ग्रेच्युटी एक्ट है और इस प्रकार के जितने भी अन्य नियम और कानून हैं उन सबका कांप्रीहेंसिव तरीके से परीक्षण कराएं ताकि सभी को न्याय मिल सके और कानूनों की खामियों को दूर किया जा सके। मेरा निवेदन है कि अभी तो मंत्री महोदय, दो अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मंत्री महोदय इस संबंध में एक काम्प्रीहेंसिव बिल लेकर आएंगे। 24 सितंबर, 1997, यानी रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से इसे लागू किया गया है। इसके लिए भी मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं और इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री एच.पी. सिंह (आरा) : सभापति महोदया, इसमें कांट्रैक्ट लेबर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस प्रकार से बीच में उठकर आप नहीं बोल सकते हैं। विधेयक पर बोलने के लिए आपको पहले अपना नाम देना चाहिए था। चूंकि आपने नाम नहीं दिया है इसलिए एच.पी. सिंह जी आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : सभापति महोदया, हम तो इस विधेयक का स्वागत करना चाहते हैं। आप हमें बोलने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : सभापति महोदया, हमारे कुछ नेताओं ने जो अनुरोध किया है, उससे मेरी पूरी सहानुभूति है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, इसमें श्री विकास चौधरी का नाम है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति प्रदान करें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। उन्हें दो मिनट के लिए बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री विकास चौधरी (आसनसोल) : सभापति महोदया, जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है और जिसके माध्यम से ग्रेच्युटी की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपए की गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3.50 लाख रुपए की रकम मजदूरों और कर्मचारियों के लिए की गई, वह उनको मिलने वाली नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं निजी उद्योगों में जो स्थाई कर्मचारी और मजदूर हैं, उनकी विदाई कर दी गई है। जो पुराने और लंबी सर्विस वाले मजदूर हैं, उन सबकी विदाई कर दी गई है। उनके स्थान पर ठेकेदारों के मजदूर घुस गए हैं।

सभापति महोदया, हमारे मंत्री जी मजदूरों के हमदर्द हैं। इसलिए हम यह जरूर पूछना चाहेंगे कि ठेकेदारों के मजदूरों के लिए भी ग्रेच्युटी एक्ट लागू किया जाएगा या नहीं, यदि नहीं किया जाएगा, तो कांट्रैक्ट एबोलिशन एक्ट लागू किया जाए ताकि ठेकेदारों के जो मजदूर काम कर रहे हैं वे परमानेंट बन सकें और इसका बैनीफिट उनको मिल सके।

सभापति महोदया, मैं पब्लिक सैक्टर की बात करना चाहता हूं। पब्लिक सैक्टर में काम करने वाले मजदूरों को चार-चार साल तक ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। जिन मजदूरों को ग्रेच्युटी मिलनी थी, उनकी तो मृत्यु हो गई है और उनके परिवार के लोग अनेक वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको ग्रेच्युटी नहीं मिली है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जो पब्लिक सैक्टर की फैक्ट्रियां सिक हैं उनको अगर वाएबल बनाया जाए, तो ग्रेच्युटी के लिए उनमें कार्यरत मजदूरों को केन्द्र सरकार की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिक यूनिट हैं उनको वाएबल बनाकर ही उनको ग्रेच्युटी दिलाने का मौका मिलेगा।

सभापति महोदया, जो ग्रेच्युटी एक्ट है उसमें एक लाख रुपए की जगह साढ़े तीन लाख रुपए करने का संशोधन लाया गया, लेकिन अभी-अभी बहुत से पब्लिक सैक्टर के ऐसे कारखाने हैं, कन्वेंशनल फैक्ट्रियां हैं जहां ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार मजदूर घुस रहे हैं। यदि इसी प्रकार से ये लोग घुसते रहे, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब मजदूरों और कर्मचारियों की संख्या कम होगी और ठेकेदार मजदूरों की संख्या अधिक होगी। यह स्थिति बहुत जल्दी आने वाली है। यदि यही रफ्तार इनकी चलती रही, तो चार-पांच साल में ऐसा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहां स्वदेशी की बात कही जाती है, लेकिन फैक्ट्रियों में स्वदेशी मजदूरों की विदाई हो रही है और उनकी जगह पर ठेकेदार मजदूर आते जा रहे हैं। हमारे जो श्रम मंत्री हैं, वे मजदूरों के हमदर्द हैं और इसीलिए उन्होंने ग्रेच्युटी की सीमा को साढ़े तीन लाख रुपए तक बढ़ाया है। यह बहुत अच्छा काम किया है। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मजदूरों को यह मिले, इसकी हमें गारंटी देनी होगी। आप जानते हैं कि ठेकेदार मजदूर के ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है। ठेकेदारी प्रथा को एबोलिश जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक मजदूरों का फायदा नहीं हो सकता। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम) : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, खास तौर पर माननीय सदस्य मोहन सिंह जी का जिन्होंने सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया, यद्यपि मैं समझता हूं कि उन्होंने अध्यादेश पर आपत्ति जाहिर करने की बजाय इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इसे प्रस्तुत किया। यहां आपके जरिये यह बात सदस्यों के ध्यान में लाना सुसंगत समझता हूं कि यहां उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत सेवा शर्तें संबंधी आवश्यकता केवल पांच वर्ष है। पात्रता संबंधी शर्त के अन्तर्गत नैमित्तिक ठेका श्रमिक भी इसमें शामिल किए गए हैं। मैं इसे फिर दोहरा रहा हूं कि नैमित्तिक ठेका श्रमिक भी इसमें शामिल किए गए हैं। इस संबंध में गणना करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है वह वेतन जमा महंगाई भत्ते पर आधारित है। उपदान का भुगतान सेवा से निकाले जाने के बावजूद किया जाता है, निःसन्देह, नैतिक भ्रष्टाचार की स्थिति को छोड़कर। इस विधेयक में यह सीमा 50000 रुपये से 1 लाख रुपये तक बढ़ाने के बजाय एक लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव किया गया है और यह सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दी गयी है।

वास्तविक समस्या तारीख के बारे में है केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक लाख रुपये से 2.50 लाख रुपये की यह बढ़ोत्तरी पहली बार 1.4.1995 से प्रभावी हुई। फिर, उन्हें पांचवें

वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद इस संबंध में 3.5 लाख रुपये तक की एक और वृद्धि दी गयी। यहां माननीय सदस्यों के ध्यान में इसके इतिहास को लाना आवश्यक है। पिछली बार, जब 1986 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 50,000 रुपये से एक लाख रुपये की वृद्धि की गयी तो औद्योगिक कर्मचारियों के लिए भी अन्ततः मई 1994 में इसे एक लाख रुपये कर दिया गया। यहां इस संबंध में हम तेजी से आगे बढ़े हैं कुछ ही माह में इसे 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है। परन्तु जहां तक 2.5 लाख रुपये तक करने की बात है हम सवा दो साल पीछे हैं। हम अपनी अनुक्रिया में सुधार लाये हैं। परन्तु वास्तविक समस्या यह है कि हम दो भिन्न-भिन्न स्थितियों के लिए अधिनियम में दो बार संशोधन नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते है कि 2.5 लाख रुपये की वृद्धि डेढ़ साल या दो साल के लिए करे और फिर उसके बाद एक लाख की वृद्धि और करें। तब तो हमें दो अध्यादेश लाने चाहिए। यह बहुत ही नाजुक स्थिति है। अतः हमने वस्तुतः पिछली बार के अध्यादेश की तारीख अर्थात सितंबर 1997 को लिया है और अभी जारी किये गये अध्यादेश को नहीं लिया है। हमने इस संबंध में जो तारीख ली है वह अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित की जाने वाली तारीख नहीं है। हमने सितंबर 1997 की मूल तारीख ली है।

मेरा अनुरोध है कि इसे पारित किया जाये। मैं समझता हूं कि हमें अपनी इस व्यवस्था पर गौर करना चाहिए जिसकी वजह से औद्योगिक कामगारों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बीच उपदान के संबंध में विसंगति लगातार पैदा हो रही है, उसे हल किया जा सके और ये समस्यायें लम्बे समय तक न चलती रहें।

माननीय सदस्य रावत जी ने इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए एक व्यापक कानून बनाने का मुद्दा उठाया है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जांच तथा समीक्षा करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्य बल स्थापित किया गया है और हम इस संबंध में तत्काल कदम उठायेंगे।

मेरा इस विधेयक के बारे में छोटा उत्तर देना इस बात का द्योतक है कि यह सभी को स्वीकार्य है और यह सब काफी समय से लम्बित था। मेरा इस सभा से अनुरोध कि इस विधेयक को विचार के लिए लिया जाये।

मैं माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह से भी अनुरोध है कि वह विधेयक तथा मेरे द्वारा दिये गये आश्वासनों को देखते हुए अपने सांविधिक संकल्प को वापस लें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैंने शुरू में कहा था कि मेरी मंशा इस विधेयक का प्रस्ताव करते हुए कोई विरोध करने की नहीं हैं। मैंने इस प्रस्ताव को मात्र बहस के लिए प्रस्तुत किया था और मैं आदरणीय सदन से इस प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या यह सभा श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प को वापस लेने की अनुमति देती है।

संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं श्री पी.आर. कुमारमंगलम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि उपदान संदाय अधिनियम में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब, सभा विधेयक पर खण्ड-वार, विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक बहुत साधारण संशोधन है।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 1, पंक्ति 4

"24 सितंबर 1997" **के स्थान पर**

"1 अप्रैल, 1995" **प्रतिस्थापित** किया जाये।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह एक जटिल मसला है।

श्री बसुदेव आचार्य : संशोधन जटिल नहीं है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मामला जटिल हो जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : मामला जटिल नहीं होगा। यह बहुत साधारण सी बात है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और औद्योगिक कामगारों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : अब यह संशोधन भेदभाव का कारण बनेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : जी हां। यदि इस संबंध में भिन्न-भिन्न तारीखें होंगी, तो इससे भेदभाव पैदा होगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : इससे भेदभाव उत्पन्न होगा क्योंकि उन्हें 2.50 लाख रुपए मिले हैं। मैं इसके लिए भी कानून नहीं ला सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और औद्योगिक कामगारों के बीच भेदभाव को दूर करने के लिए उस तारीख से लागू करने में क्या कठिनाई है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यह आपका संशोधन है। हम कानून नहीं लायं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस भेदभाव को दूर करने के लिए इस संशोधन को स्वीकार करें।

माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करना चाहते हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मेरी उस पर पूरी तरह से सहानुभूति है, असल में इस संशोधन से भेदभाव हो जाएगा क्योंकि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 2.50 लाख रुपये और औद्योगिक कामगारों को 3.50 लाख रुपये मिलेंगे। हमें इसके लिए एक और संशोधन लाना पड़ेगा और यह सब अबाध रूप से चलता रहेगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि भविष्य में एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी जहां यह समान रूप से सब जगह हो। जो कुछ हम करने जा रहे है इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.29 बजे

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगली मद सं. 28 और 29 पर विचार करेंगे। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।"

चुनाव कार्य के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की मांग करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण इस अध्यादेश को दिसम्बर, 1997 माह में जारी किया गया था।

महोदया, अध्यादेश को पहले दिसम्बर में जारी किया गया था। फिर, अप्रैल के महीने में इसे पुनः जारी किया गया हालांकि

इस अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत किए जाने की गुंजाइश थी ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): कब? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : एक दिन क्यों? आप कर सकते थे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बसुदेव दा को कोई डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसे ही काफी समय लगता है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : जब इतना जरूरी था तो जब मौका था, स्कोप था, सैशन भी बुलाया था, वोट ऑफ कौन्फीडेंस के बाद हम दो दिन बैठे थे, उस समय यह आर्डिनैंस लाया जा सकता था, रिप्लेस हो सकता था, बिल लाया जा सकता था, हम पास कर सकते थे। लेकिन सरकार ने नहीं किया। फिर जरूरत हुई तो आर्डिनैंस लाए। इस सैशन के बीच में सरकार को कम से कम नौ आर्डिनैंस लाने पड़ें। ऐसा आर्डिनैंस, जो पहले जारी किया गया था, फिर आर्डिनैंस जारी करना पड़ा। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : पहला सैशन तो कौन्फीडैंस मोशन का था। जब तक कौन्फीडैंस मोशन पास नहीं होता, तब तक कैसे लाते। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप मुख्य मंत्री बनने से पहले एक-डेढ़ साल इधर बैठे थे। ...*(व्यवधान)* उस समय आप भी यही बात कहते थे कि आर्डिनैंस क्यों ला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट के कारण इस चुनाव में रिक्वीजिशन नहीं कर सका। थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन हम ऐसा पीसमील लैजिसलेशन नही चाहते, हम कम्प्रीहैनसिव चाहते हैं, हाउस में इलैक्टोरल रिफार्म्स लैजिसलेशन आ जाए। सब पोलिटिकल पार्टीज की एक मीटिंग हो गई थी। ...*(व्यवधान)* हम कई साल से सुनते आ रहे हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी, उनका रिकमैंडेशन, मनी पावर, मसल पावर, कैसे रिड्यूस कर सकेंगे, इलैक्टोरल रिफार्म्स के बारे में एक साथ कम्प्रीहैनसिव लैजिसलेशन आना चाहिए। यही हमारी मांग है। जितनी जल्दी हो सके, इस तरह का एक विधेयक सदन में आना चाहिए। हम इसका विरोध नहीं करते। यह आर्डिनैंस संयुक्त मोर्चा की सरकार लाई थी। आपको फिर इस आर्डिनैंस को लागू करने की जरूरत पड़ी। हम इसका विरोध नहीं करते फिर इस तरह का आर्डिनैंस लागू करने का हम विरोध करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बीच में टोका-टोकी मत कीजिए, इससे बहुत समय बर्बाद होता है।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार का यह काम गलत है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपने स्टैटूटरी रैजोलूशन को मूव करता हूं।

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बीदुरई) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

संविधान के अनुच्छेद 324 के खण्ड (6) के अनुसार राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने इसको सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159 के अनुसार स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए मांगा जा सकता है।

यद्यपि सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के अलावा केवल स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए बुलाया जा सकता था। फरवरी 1995 तथा बैंकों सरकारी उपक्रमों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सांविधिक निकायों के कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए मांगा गया था। कुछ समय पूर्व, भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ, पटना तथा अन्य और उत्तरी क्षेत्र बीमा कर्मचारी संघ, राजस्थान ने चुनाव कार्य के लिए बैंक एवं बीमा कर्मचारियों की सेवाएं मांगने को चुनौती दी और भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7.2.1995 के अपने फैसले में कहा था कि सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, केवल सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों को ही चुनाव कार्य के लिए बुलाया जा सकता है तथा तदनुसार, बैंक एवं बीमा कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए नहीं बुलाया जा सकता।

उच्चतम न्यायालय के उक्त फैसले के परिप्रेक्ष्य में भारत के निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्य में आवश्यक संख्या में कर्मचारियों को लगाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था विशेषकर इसलिए कि एक बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, गणना अधिकारी इत्यादि के रूप में चुनाव कार्य में लगाना पड़ता है। लोक सभा के आम चुनाव के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता की विशालता का अंदाजा इस

[डा. एम. तम्बीदुरई]

तथ्य से लगाया जा सकता है कि हाल ही में संपन्न हुए लोक सभा चुनावों में लगभग आठ लाख मतदान केन्द्रों पर नियुक्ति के लिए लगभग 40 लाख चुनाव कर्मियों की आवश्यकता थी।

तदनुसार, भारत के निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159 में संशोधन करने का आग्रह किया ताकि स्थानीय प्राधिकरणों के अतिरिक्त केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सभी सांविधिक एवं गैर-सांविधिक निकायों, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों तथा सभी अन्य शैक्षिक संस्थानों के कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए उपलब्ध कराया जा सके। बारहवीं लोक सभा के चुनावों को देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1997 नामक एक अध्यादेश 23 दिसम्बर 1997 को जारी किया गया ताकि स्थानीय प्राधिकरणों के अलावा केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूर्णत: अथवा मुख्यत: सहायता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों या उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवाएं चुनाव कार्य के लिए मांगी जा सकें। तथापि, सांविधिक निकायों और कंपनियों के कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए बुलाए जाने से अध्यादेश में छूट दे दी गयी। उपरोक्त अध्यादेश को 24 अप्रैल, 1998 को पुन: प्रख्यापित किया गया ताकि 1997 के उपरोक्त अध्यादेश के प्रावधानों को निरंतर प्रभावी बनाए रखा जा सके और शासनांतराल में चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग को किसी भी कठिनाई से बचाया जा सके।

सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त अध्यादेश द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159 के अधीन आने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि के कर्मचारियों को भी उस धारा के अधीन लाया जाये जिससे कि सभी स्थानों पर चुनाव कार्यों को निपटाने के लिए आसानी से कर्मचारी उपलब्ध हो सकें। इससे किसी संगठन पर चुनाव कार्य के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराने के अनावश्यक भार से भी बचा जा सकेगा।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि विधेयक में प्रस्तावित उपाय चुनाव कार्य के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं और मुझे आशा है कि इस विधेयक को सदन के सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा।

मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ सौंपता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।"

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : महोदया, मैं सरकार का इस बिल के लिए स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे यह भी दुख होता है कि दो बार आर्डिनेंस लाया गया।

मेरे दिल में एक शंका पैदा होती है कि जो इण्टरवीनिंग पीरियड में आप कहीं और भी किसी दूसरे कानून के लिए फिर आर्डिनेंस नहीं निकालेंगे, इस तरह का दूसरे कानून के लिए यदि इस सदन को आश्वासन दें तो मैं सरकार की भूमिका समझ सकूंगा कि आप इस तरह के आर्डिनेंस नहीं लाने का प्रयास करेंगे।

मुझे एक ही बात इस पर कहनी है कि यह अच्छी बात होगी कि इलैक्शन कमीशन में जो कठिनाई थी, उसके लिए आप इलैक्शन कमीशन को सहयोग दे रहे हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि एन.जी.ओज़. या आपने कहा कि स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी, एडेड जो संस्थाएं हैं, इनकी सर्विसेज आप काम में ले रहे हैं, लेकिन शंका इस बात की है और डर भी पैदा होता है कि कभी-कभी माइट इज़ राइट, ये एन.जी.ओ., एडेड इंस्टीट्यूशन हैं, इन संस्थाओं के इलैक्शन के काम के लिए जो लोग लिए जाएंगे, उसमें इसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि एकाध विशेषत: कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन हो और उसी क्षेत्र में इलैक्शन लागू हो या कोई एन.जी.ओ. हो और उसी एक क्षेत्र में या गांव में या डिवीजन में या डिस्ट्रिक्ट में यदि इलैक्शन हो तो वहीं यदि उनका उपयोग करना हो तो एक पोलिटिकल अनड्यू इन्फ्ल्यूएंस वहां हो सकता है। इसलिए मैं सरकार को विनती करूंगा कि इसमें सब-सैक्शन बनाकर या सब-क्लाज बनाकर इसमें यह दिशा भी आपको देनी होगी कि इलैक्शन कमीशन यह केयरफुली देख लें ताकि वहां अनड्यू इन्फ्ल्यूएंस न आ जाये और फेयर इलैक्शन होने के लिए यह तरदुद उसमें होना बहुत जरूरी है।

ज्यादा समय नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं। एक अच्छी बात आपने कही, रिजर्वेशन के बारे में हम हमेशा जो कहते हैं, कि एडेड, नॉन एडेड और गवर्नमेंट एडेड विशेषत: जो भी संस्थाएं

हैं, जैसे कि कोआपरेटिव हो, शुगर फैक्टरीज़ हों, ऐसी जगह भी रिजर्वेशन के लिए इस तरह का प्रावधान करना चाहिए, ऐसा बार-बार इस सदन में हम कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह नई-नई सरकार है, बड़ी प्रोग्रेसिव है। एक अच्छा कानून में एमेंडमेंट लाई है। ...*(व्यवधान)* मैं इसी के लिए आया हूं, अगली बार जब बजट पर बोलूंगा तो सरकार कितनी अच्छी है, यह बताऊंगा, लेकिन इस सरकार को एक विनती करूंगा कि इसी तरह रिजर्वेशन के लिए भी कुछ करें। ...*(व्यवधान)* नहीं, पूरा समर्थन है। जो अच्छा काम करते हो, उसके लिए पूरा समर्थन है। जहां हमारे आचार्य जी समर्थन कर रहे हैं, जो हमेशा अपोज़ करने वाले हैं, हम तो अच्छे काम के लिए समर्थन करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह हमारी सरकार का था।

श्री सुशील कुमार शिंदे : यह चुनाव आयोग के लिए अच्छा काम किया है, हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

फरवरी, 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी थी। इस राय में यह दिया गया था कि चुनाव के काम में शुरू सरकारी कर्मचारी या लोकल बॉडी के जो कर्मचारी हैं, वे सिर्फ निर्वाचन के काम में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो राय दी थी, इससे निर्वाचन कमिश्नर को परेशानी में डाल दिया, इसलिए डाल दिया कि जब चुनाव होते हैं तो निर्वाचन कमिश्नर को नौ लाख निर्वाचन केन्द्रों को मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए उनको 45 लाख कर्मचारियों की जरूरत है। इतने कर्मचारी कहां से लाये। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाइये, जिले में चुनाव में आप देखेंगे कि जिले में इसकी परिचालना करने के लिए जितने आदमियों की जरूरत है, उतने आदमी वहां नहीं होते। तो क्या निर्वाचन कमिश्नर निर्वाचन के काम को बन्द कर दें? मैं पहले सरकारी कर्मचारी था, मुझे याद है, सरकारी लोग, आफिसर लोग यहां बैठे हैं, वे जानते हैं। जो लोग चुनाव में जाते हैं, वे अपनी खुशी से नहीं जाते। यह छुट्टी का समय है। तब किसी को बुखार आ जाता है, कोई सिक लीव ले लेता है और कोई जाकर पोलिटिकल लोगों के या किसी ब्यूरोक्रेट के चक्कर काटता है कि मेरा नाम जरा कटवा दीजिए। यह सब होता है, वे लोग हर तरह का बहाना बनाते हैं।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब मैं 1983 में सैन्ट्रल गवर्नमेंट में सीनियर क्लास वन आफिसर था, तब मुझे भी चुनाव की परिचालना करने के लिए असम भेजा गया था, मेरे साथ जो दोस्त थे, जब उन्होंने सुना कि उन्हें असम भेजा गया है तो अधिकांश लोगों ने तो उस समय रोना शुरू कर दिया। तब एस.टी.डी. फैसिलिटी नहीं थी तो उन्होंने मद्रास, मुंबई टेलीफोन बुक करवाया, कहने लगे मम्मी, डैडी, मैं असम जा रहा हूं, मेरे बारे में सोचना, मैं जा रहा हूं और मैं कब लौटूंगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वे ऐसा बोलने लगे और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम जिंदा लौटेंगे या नहीं, ऐसा वे बोले। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह प्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं है। वहां कोई मर भी कता है। मैं जानता हूं, अगर कोई असम में जाये, पंजाब में अगर कभी इलैक्शन में चला जाये और कहीं भी आप चले जायें, मिजोरम चलें जायें तो मरने की अधिकांश गुंजाइश होती है, यह सम्भव होता है।

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : ये चुनाव में गये थे, इसीलिए ये भाग आये थे।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं नहीं भागा था, मैं वहां गया था। मैं मरने वाला था, मैं वहां से मरते-मरते बचकर आया हूं। असम से मैं बचकर आया हूं। इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ठीक है, किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। कोई तो जाएगा न। इसीलिए सरकार जो यह आर्डिनेंस लाई है, इसका विरोध करने का मैं कुछ कारण नहीं देख पा रहा हूं। सिर्फ टैक्नीकल ग्राउण्ड पर अपोज़ करना, मैं इसको ठीक नहीं मानता हूं। मेरा यह कहना है कि जो 45 लाख कर्मचारी मिलने का अभी कोई चांस नहीं है, इसलिए यह जो आर्डिनेंस लाया गया है ...*(व्यवधान)* एक मिनट में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि निर्वाचन कमिश्नर ने इस बारे में दूसरी जितनी पार्टीज़ हैं, उनके साथ बात की थी और इलैक्शन रिफोर्म्स के लिए भी दिया था। ...*(व्यवधान)* कालिता जी, मेरे बोलने के बाद आप बोल सकते हैं।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : देखिये, इस हाउस से गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं : मुझे यही कहना है, आप जरा देखिये।

श्री भुवनेश्वर कालिता : इससे गलत मैसेज चला जायेगा। वहां जो एम्पलाइज काम कर रहे हैं, जो लोग वहां आलरेडी हैं, जो लोग ड्यूटी करते हैं, उनके लिए गलत मैसेज चला जायेगा। आप जो बोल रहे हैं, इससे गलत मैसेज जायेगा।

[अनुवाद]

असम के कर्मचारियों की क्षमता को कम न आंके। यह गलत है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिये न। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मैं गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : यह बात तो उन कर्मचारियों पर लागू है, जो कमजोर और डरते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : इसीलिए इन्होंने आर्डिनेंस लाकर ठीक किया है। यह प्रप्रोजल तो चुनाव कमिश्नर ने रखा है, सरकार ने नहीं, आप इसको अपोज कर रहे हैं, इसके माने कि आप इलैक्शन कमिश्नर को अपोज़ कर रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भुवनेश्वर कालिता : यह जो आप बोल रहे हैं यह आपका पर्सनल एक्सपीरिएंस है, आप असम के एम्पलाइज़ को क्या मैसेज दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपोजीशन के, प्रतिपक्ष के जितने लोग है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे एमेंडमेंट वापस लें और इसको समर्थन दें।

[अनुवाद]

श्री भुवनेश्वर कालिता : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए। उन्हें अपने उल्लेख करने का कोई अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री कालिता जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए। इस तरह से सदन को चलाना संभव नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मंत्री जी, कृपया आप अपना उत्तर देना शुरू करें। बहुत हो चुका। कृपया बैठ जाइए। जब मैं बोल रही हूं, तो आपको बैठ जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, आपको भी निखिलानन्द सर को बोलने की अनुमति देनी पड़ेगी।

सभापति महोदय : मंत्री जी, मैं समझती हूं, आपको कुछ मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं श्री निखिलानन्द सर को अनुमति दूंगी।

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान) : सभापति महोदया, मैं कुछ संशोधनों के साथ माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा लाए गए लोकप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1998 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसा कि हम सब जानते है, इसका आशय नया रूप देने, दो बार लाए गए अध्यादेश को बदलने का है। किंतु अध्यादेश क्यों लाया गया था? यह चुनाव प्रक्रिया में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए था।

1952 से बहुत से चुनाव हुए है और चुनाव कराने वाले कार्मिकों का अभाव भी नहीं था। लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हैं, चुनाव लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। मतदाताओं को निष्पक्ष चुनावों से संतुष्टि मिलनी चाहिए। चुनावों में भाग ले रहे दलों को ऐसे ढंग से कार्य करना चाहिए कि लोग अपना मत स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकें। मुझे अफसोस है कि ऐसा वातावरण करीब-करीब है ही नहीं। अब, धन और बाहुबल, अवसरवादी गठबंधन, जाति और धार्मिक भावनाएं राजनीतिक दलों से जुड़ गई हैं और दलबदल विरोधी कानूनों का गलत प्रयोग और गलत व्याख्या लोगों की लोकतांत्रिक आस्था को बहुत अधिक दूषित कर रहे हैं। विधायी निकायों के सदस्य बिक्री योग्य वस्तु बन गए हैं। हमने बहुत से **आया राम** और **गया राम** देखे हैं। यह वर्तमान स्थिति है।

इसलिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए अध्यादेश लाने जैसे खंडशः कानून पर्याप्त नहीं है। हम विधेयक का समर्थन करते हैं। किंतु इसी समय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें व्यापक निर्वाचन सुधारों के बारे में सदन को बताना चाहिए कि वह इसे इस माननीय सदन के समक्ष रखने जा रहे हैं अथवा नहीं। जो लोग उच्चतम न्यायालय में गए है, उन्होंने इसे सच्ची भावना से नहीं लिया है और इसके कारण

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने में उपेक्षा दिखाई। इस भावना पर विचार किया जाना चाहिए और सरकार को व्यापक निर्वाचन सुधारों को प्रस्तुत करने के लिए समुचित वैधानिक उपायों के साथ यथासंभव आगे आना चाहिए।

इस प्रकार, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें निकट भविष्य में इस विधेयक के साथ आगे आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सभापति महोदय, मुझे दो मिनट का समय दिया जाए। विधेयक में सभी दलों की राय होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मोहन सिंह जी, आप हमेशा ही बोलते हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : महोदय, हम इलैक्शन कमेटी में भी नहीं हैं। हमारी पार्टी उस कमेटी से हटा दी गई है और यहां सदन में भी राय लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि दो मिनट का समय दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम राय लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक राय के साथ पच्चीस राय और आ जायेंगी। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मान्यता प्राप्त करिए। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : कमेटी में भी हमारी पार्टी नहीं है। *...(व्यवधान)* इस बिल का विरोध नहीं है। हमारे कुछ साथियों में गलतफहमी पैदा हो रही है कि हम इस बिल के विरोध में हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने चुनाव सुधार के लिए एक मुकम्मिल विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कमेटी बनाई है। मैं खुराना साहब जी से शिकायत के साथ कहना चाहता हूं कि उस कमेटी में हमारी पार्टी के नेतृत्व को आपने नहीं लिया है, इसलिए हमारी यह मजबूरी है कि हम कुछ बातें रखें। हम चाहेंगे कि आप उन पर विचार करें।

दूसरी बात, इलैक्शन में जनता अधिक से अधिक भागीदार हो। इसके लिए अधिक से अधिक पोलिंग स्टेशन्स बनने चाहिए। जिन गांवों में 500 से वोटर कम से कम हों, वहां जरूर पोलिंग स्टेशन हों। जब आप पोलिंग स्टेशन अधिक बनायेंगे, तो आपको अधिक से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। उस दृष्टि से यह विधेयक बहुत ही जरूरी था, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या निरन्तर घट रही है और जब कर्मचारियों की संख्या निरन्तर घट रही है, तो पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ानी चाहिए। स्टेशन्स पर काम करने के लिए विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार और पब्लिक अंडरटेकिंग्स के कर्मचारियों का होना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से यह विधेयक बहुत उचित है और स्वागत योग्य है, लेकिन अलग विधेयक रखने से और आधे हिस्से को न जोड़ने से विसंगतियां पैदा होंगी। इसलिए जो काम्प्रिहैंसिव विधेयक आने वाला था, उसको लेकर आना चाहिए था, तो ज्यादा ठीक होता।

इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं, इस सुझाव के साथ हमारी पार्टी उस समिति में शामिल हो।

श्री रामदास आठवले (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। चुनाव लोकतंत्र का हृदय है, इसलिए चुनाव सही तरीके से होने चाहिए और रूल्स तथा रेज्युलेशन्स के अनुसार होने चाहिए। चुनाव सम्पूर्ण करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए।

अपराह्न 6.00 बजे

अगर कोई अधिकारी वहां ड्यूटी देने के बाद बोलता है कि मैं इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा तो उस अधिकारी पर बंधन लगाने के लिए आप यह जो बिल लाए हैं, यह बहुत इम्पोरटेंट है। मगर सरकार को उस अधिकारी के जीवन और उसके बाल-बच्चों की भी चिन्ता अवश्य करनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी पर कोई अटैक होता है, कोई ऐसा मामला आ जाता है तो उसके लिए उसके इंश्योरेंस के संबंध में सरकार को इस बिल में विचार करना चाहिए। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस संबंध में आप विचार करिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अब आप बैठ जाइए और मंत्री जी की बात को सुनिए।

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बीदुरई) : महोदया, मैं सभी माननीय

[डा. एम. तम्बीदुरई]

सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान बहुमूल्य सुझाव दिए।

श्री बसुदेव आचार्य सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के तरीके के बारे में चिंतित थे, उनको कुछ आशंकाएं थी। मैं बताना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को लाने और ऐसी स्थिति बनाने का सरकार का कोई आशय नहीं था।

वास्तव में, यह अध्यादेश चुनाव आयोग के अनुरोध पर लाया गया था, क्योंकि आयोग को 12वीं लोक सभा के चुनाव करवाने थे, और उन्होंने कुछ कार्मिक मांगे थे। केवल इसी उद्देश्य के लिए अध्यादेश लाया गया था। उस अध्यादेश को लाने में हमारा यही सीमित उद्देश्य था।

जैसाकि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है; सरकार शीघ्र ही एक व्यापक निर्वाचन सुधार विधेयक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ, हमने पहले ही सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए, श्री इंद्रजीत गुप्त के नेतृत्व में एक समिति भी नियुक्त की गई थी। मैं समझता हूं कि तीन माह के भीतर ही वह कुछ सुझाव प्रस्तुत करेगी। उन सुझावों को ग्रहण करने के बाद हम एक व्यापक निर्वाचन सुधार विधेयक लाएंगे।

श्री सुशील कुमार शिंदे ने सहकारी क्षेत्रों के बारे में कुछ बातें सुझाईं और कुछ संशोधन भी सुझाये। हम उन बातों पर उस समय विचार करेंगे, जब हम व्यापक निर्वाचन सुधार विधेयक लेकर आएंगे।

श्री खारबेल स्वैन सुरक्षा पहलू के बारे में बोलते समय कह रहे थे कि जो अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर जा रहे हैं उन्हें जान का खतरा है। यदि ऐसी बात है तो हम राज्य सरकार से उनको आवश्यक सुरक्षा और संरक्षा देने का अनुरोध करेंगे, जो उस तरह का निर्वाचन कार्य करने जा रहे हैं।

मैं समझता हूं, बहुत से सदस्यों ने इस विधेयक की आवश्यकता को स्वीकार किया है और विधेयक को समर्थन भी दिया है। इसे देखते हुए मैं श्री बसुदेव आचार्य से अनुरोध करता हूं कि वह अपना सांविधिक संकल्प वापस ले लें और इस विधेयक को पारित होने दें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, चुनाव सुधार संबंधी व्यापक क़ानून, जो कि पहले ही बनाया जाना चाहिए था, के संबंध में विधि मंत्री द्वारा दिए गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य ने अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति ली है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंड-वार विचार किया जायेगा।

खंड 2 और 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

डा. एम. तम्बीदुरई : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.07 बजे

[अनुवाद]

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा मद सं. 30 और 31 अर्थात् वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प और वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक पर एक साथ विचार करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

महोदया, वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1998 विलंबित था। यह अध्यादेश प्रख्यापित किया गया और यह आवश्यक भी था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कन्वेंशन सं. 147 में सुधार करना अपेक्षित था। समुद्री जहाज में काम करने वाले नाविकों के लिए कार्य घंटों की कोई प्रणाली नहीं है। अब सभी नाविकों के लिए कार्य करने के सामान्य घंटे सप्ताह में 48 घंटों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इससे पहले, कोई प्रणाली नहीं थी। यहां तक कि नाविकों को एक साथ कई महीनों तक कार्य करना पड़ता था। इसकी कोई सीमा नहीं थी और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन के बाद भी भारत सरकार ने इसमें सुधार नहीं किया।

नाविकों को जिस अन्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह विवादों से संबंधित है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की इस पर कोई अधिकारिता नहीं है और न ही नौवहन बोर्ड इन विवादों का समाधान कर सकता है। इसलिए, विवादों के निपटान के संबंध में कोई प्रणाली होनी चाहिए। लेकिन यह विधेयक विवादों के निपटान के संबंध में उनकी सहायता नहीं कर रहा है।

मूल अधिनियम की धारा 89 का संशोधन इस प्रकार है:—

"भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान के विदेशी नाविक का भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र में मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता के साथ किसी विवाद का परिवाद, रजिस्ट्रीकरण के देश के सक्षम प्राधिकारी को पारेषित करना और ऐसे परिवाद की एक प्रति महानिदेशक, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय को भेजी जाएगी।"

इस प्रणाली में समय लगेगा। जब तक विवाद के निपटान के संबंध में कोई सही पद्धति नहीं बनाई जाती, तब तक विदेशी समुद्री जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविक तथा भारतीय समुद्री जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविक पीड़ित होते रहेंगे। इस समस्या का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे वाद-विवाद का उत्तर देते हुए इस पर विस्तार से चर्चा करें।

मैंने यह महसूस किया है कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। सरकार को अध्यादेश जारी किए बिना ही एक विधान लाना चाहिए था। मैं आशा करता हूं कि वे यह स्पष्ट करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अध्यादेश सत्रावसान अवधि में क्यों जारी किया गया था? विधान अध्यादेश को जारी किए बिना सभा को समक्ष क्यों नहीं लाया गया?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बीदुरई) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

आपकी अनुमति से मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) (विधेयक, 1998) प्रस्तुत करते हुए कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

भारत ने अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन सं. 147, जिसे 1976 में स्वीकृत किया गया था, में 26 सितम्बर, 1996 को संशोधन किया और यह भारत में एक वर्ष के बाद अर्थात 26 सितम्बर, 1997 को प्रभावी हुआ। कन्वेंशन के अनुसार राज्यों को उनके क्षेत्र में पंजीकृत समुद्री जहाजों के संबंध में निर्धारित न्यूनतम मानक, जिसमें सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और नियोजन की शिपबोर्ड स्थितियां तथा रहन-सहन की व्यवस्थाएं शामिल हैं, अपनाने होंगे।

भारतीय कानून और प्रक्रिया, कन्वेंशन के प्रावधानों का काफी अधिक अनुसरण करती है। तथापि कन्वेंशन की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुसरण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित संशोधन अनिवार्य समझे गये थे:

(एक) इससे पहले वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम में नाविकों के लिए निर्धारित कार्य घंटे विनिर्दिष्ट नहीं थे। तथापि, समुद्री जहाज के मालिकों और समुद्र यात्रियों के बीच

[डा. एम. तम्बीदुरई]

द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, कार्य के सामान्य घंटे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रतिदिन 8 घंटे और शनिवार को प्रतिदिन चार घंटे हैं, जोकि कुल मिलाकर प्रति सप्ताह 44 घंटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन सदस्य देशों के लिए कार्य करने के घंटे निर्धारित करता है। भारतीय समुद्री जहाजों पर कार्य कर रहे नाविकों की परम्परा को देखते हुये कानून में पहली बार यह प्रावधान न करने का प्रस्ताव किया गया है कि नाविकों के कार्य करने के सामान्य घंटे प्रति सप्ताह 48 घंटों से अधिक नहीं होने चाहिए। इस प्रावधान की विपरीत स्थिति में समुद्री जहाज का प्रभारी 48 घंटों के अतिरिक्त प्रति घंटे के लिए संदेय औसत मजदूरी दर से दुगुनी दर से जुर्माने का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(दो) इससे पहले, इस कानून में शिपिंग मास्टर द्वारा भारतीय पंजीकृत समुद्री जहाजों पर कार्य कर रहे भारतीय नाविकों के संबंध में केवल शिकायतों की ही थी जांच का प्रावधान था। तथापि कन्वेंशन के अनुसार पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय समुद्र में शिपिंग मास्टर विदेशी जलयान में कार्य कर रहे विदेशी नाविकों अथवा विदेशी जलयान में कार्य कर रहे भारतीय नाविकों से उनकी शिकायतें प्राप्त कर सकता है। इसे शिपिंग मास्टर के कार्य का हिस्सा बनाया जा रहा है कि वह इस तरह से प्राप्त शिकायतों को उस जलयान के पंजीकृत देश के सक्षम प्राधिकारी को भेज दे और ऐसी शिकायत की एक प्रति महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा को भी भेजी जायेगी।

भारत द्वारा अनुसमर्थित कन्वेंशन के नियमानुसार शिप मास्टर को अन्य देशों के सक्षम प्राधिकारियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त करने लिए भी सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

जब कभी भी जलयान में कोई दुर्घटना होती है, जिसके परिणामस्वरूप जलयान अथवा जान अथवा माल की हानि होती है तो उसकी प्रारंभिक जांच की जाती है और उसके बाद सरकार उसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट से औपचारिक जांच करा सकती है। मजिस्ट्रेट सरकार को औपचारिक जांच रिपोर्ट पेश करता है। इससे पहले, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना अपेक्षित नहीं था। इस रिपोर्ट को जनता की जानकारी के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करवाने के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

चूंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन सं. 147 को भारत में 26.9.97 से लागू किया जाना था और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इन चारों संशोधनों को अध्यादेश की उद्घोषणा द्वारा प्रभावी किया जाये ताकि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को पूरा कर सकें। तदनुसार, 26.9.97 को एक अध्यादेश जारी किया गया था। तत्पश्चात् इस अध्यादेश के स्थान पर एक विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए राज्य सभा को सूचना दी गई थी लेकिन वर्ष 1997 के शीतकालीन सत्र में व्याप्त परिस्थितियों के कारण इसे पुर:स्थापित नहीं किया जा सका। इसलिए, इसे प्रभावी बनाये रखने के लिए इस अध्यादेश को दो बार जारी करना पड़ा और अंतिम बार यह 23.4.98 को जारी किया गया था।

विधेयक 3.6.98 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है और अब वह इस सभा के विचारार्थ है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदया, मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1998 से संबंधित चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। भारत में जलयानों की अधिप्राप्ति और संचालन के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 एक मुख्य अधिनियम है। मैं इस बात से पूर्णत: अवगत हूं कि विधान के इस विशेष अंश का उद्देश्य काफी सीमित है और यह वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के सभी पहलूओं पर विचार नहीं करता। लेकिन माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के पश्चात् कुछ बातें प्रकाश में आई हैं और मैं उनसे संबंधित कतिपय मुद्दे उठाना चाहता हूं।

महोदया, विधेयक की धारा 132 की उप-धारा 1(क) में कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं:

"भारत से भिन्न किसी देश में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान पर भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र में मास्टर, स्वामी या अभिकर्ता के साथ, विवाद का कोई परिवाद जो किसी भारतीय नाविक से पोत परिवहन मास्टर को प्राप्त हुआ हो।"

वह सब सही है। लेकिन वहां अनेक भारतीय ध्वज पोत हैं जिनमें भारतीय नाविक कार्य कर रहे है और उनकी अनेक समस्याएं

है और वहां काफी विवाद भी हैं। यहां तक कि कभी-कभी नाविकों के विवादों के कारण कई पत्तनों में समुद्री जहाजों को रोक लिया जाता है। इन समस्याओं को हल करने के लिए ऐसी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिससे नौवहन सेवाएं बिना व्यवधान के चलाई जा सकें।

महोदया, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां नौवहन हमारे जीवन का एक भाग है। हमें नौवहन के संबंध में बार-बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम इन समस्याओं के काफी आदी हो गये हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि इस खंडश: विधान को लाकर सरकार वास्तव में न तो कर्मीदल अथवा नाविकों से न्याय कर पाएगी और न ही यात्रियों और जहाज कर्मियों के साथ न्याय कर पायेगी। इसलिए नाविकों की समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाना होगा। आखिरकार यह अधिनियम वर्ष 1958 में बनाया गया था। समय के साथ-साथ काफी परिवर्तन हुये हैं, भारतीय समुद्री जहाजों की टन क्षमता में वृद्धि हुई है और भारतीय नौवहन काफी आगे बढ़ गया है। इसलिए बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यापक विधेयक इस सभा के समक्ष लाया जाये जो नौवहन उद्योग के समक्ष आने वाली समस्याओं का ध्यान रख सके।

मैं जानता हूं क्या हो रहा है। कई बार दो-तीन महीनों तक समुद्री जहाजों को रोक लिया जाता है और लोग मुख्यभूमि तक नहीं जा सकते। यहां तक कि कार्गो सेवाओं में भी विघ्न डाला जाता है। ऐसी स्थिति होने पर जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इसनें सुधार हो। इस संबंध में आवश्यक विधान लाये जा सकते हैं ताकि सभी समस्याओं का ध्यान रखा जा सकें।

अब मैं सी.टी.सी. जारी करने के प्रश्न पर आता हूं। यह जारी करना नौवहन महानिदेशक की जिम्मेदारी है। लेकिन आज आप चाहे कोई भी क्षेत्र लें हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। सी.टी.सी. जारी करवाने के लिए आपको 50,000 रुपये से 70,000 रुपये तक की आवश्यकता पड़ती है। नौवहन वाणिज्य पोत के कार्यालयों में ऐसा हो रहा है। जब तक मंत्री जी इन सब बातों की जांच नहीं करेंगे तब तक वे समुद्री जहाजों पर कार्यरत नाविकों के साथ न्याय नहीं कर सकते।

मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। कार्य के घंटे 48 घंटे निश्चित करने का प्रावधान एक स्वागत योग्य प्रावधान है। हम सभी इसका समर्थन करते हैं। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। लेकिन अनेक यात्री पोत ऐसे हैं जिनको समुद्री यात्रा में लगभग 10-12 दिन लगते हैं। अत: इन 10-12 दिनों के लिए नाविक विशेष पोत में कार्य करते हैं। वे उस विशेष जलयान में इन 10-12 दिनों तक रहते हैं। अत: एक स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए कि स्थिति क्या रहेगी। इस तरह के विवाद समय-समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। हर बात स्पष्ट की जानी चाहिए ताकि न तो नाविक को और न ही यात्री तथा न ही जहाज के मालिकों को कोई नुकसान हो।

मेरा तो यह कहना है कि इस विधेयक को बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया है। दंड विधान के उपबंध में सरकार को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि इस प्रावधान को किस प्रकार प्रभावी बनाया जायेगा। मान लीजिए, कोई समुद्री जहाज पांच दिन के लिए चलता है तो उस विशेष जहाज में कार्यरत नाविकों के कार्य करने के घंटे निर्धारित घंटों से कहीं अधिक होंगे। समुद्र के बीच में जहाज को रोक कर नाविकों को बदल नहीं सकते। अत: ये सब बातें विशेष रूप से स्पष्ट होनी चाहिए।

जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं, इस विधेयक की परिधि बहुत ही सीमित है। नौवहन उद्योग की अनेक समस्याएं हैं। यह आवश्यक है कि सरकार सभा में यह आश्वासन दे कि वह इन सभी बातों की ओर ध्यान देगी और सभा के समक्ष एक व्यापक विधेयक लायेगी ताकि इस पर पूर्णत चर्चा करने के लिए सभा में पर्याप्त अवसर मिल सके। केवल तभी नौवहन उद्योग को इससे लाभ मिलेगा।

मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता। मैं मंत्री जी से केवल यही अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित कराकर ही संतुष्ट न हो जायें अपितु नौवहन उद्योग के भविष्य के बारे में भी सोंचे। उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि वे इसके सभी गुण दोषों पर ध्यान देते हुये सभा एक समक्ष एक व्यापक विधेयक लायेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : माननीय सभापति महोदय, अभी जिस बिल पर चर्चा हो रही है, उसके बारे में माननीय मनोरंजन भक्त जी ने कहा कि यह बिल बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। उनको मालूम होना चाहिए कि यह बिल पहले तीन बार अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित हो चुका है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि यह बिल बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। आज के प्रश्न काल में भी समुद्री विज्ञान के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया। उसमें सरकार की ओर से प्वाइंट नम्बर 10 में इन्फ्रास्ट्रक्चर इन शिप्स पर काफी प्रकाश डाला है।

इस विधेयक में मर्चेंट शिपिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दृष्टि से आई.एल.ओ. में भारत ने एपीयर होकर हस्ताक्षर किए।

[श्री चन्द्रशेखर साहू]

आई.एल.ओ. की कनवेंशन 147 के तहत जरूरी हो गया था कि एक्ट में संशोधन किया जाए। सी मैन की जो वर्किंग कंडिशन है, उसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक के तहत अपेक्षित सुधार किया जाए। उनकी वर्किंग कंडिशन को सुधारने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं समझता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से मैं तहेदिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और गुजारिश करता हूं कि पूरा सदन इसको सर्वसम्मति से पारित करे।

[अनुवाद]

डा. एम. तम्बीदुरई : महोदया, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने पोत परिवहन उद्योग के विकास के लिए विभिन्न सुझाव दिए। प्रारंभ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का दायरा बहुत सीमित है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में सुझाया है, हम इस अधिनियम में यथा समय संशोधन करेंगे। मैं इस बात से सहमत हूं कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1957 बहुत पुराना हो गया है। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों को नोट कर लिया है और मैं निश्चित रूप से यथा समय व्यापक विधेयक लाऊंगा।

श्री मनोरंजन भक्त ने भ्रष्टाचार की समस्या का उल्लेख किया है, जो उन्होंने देखी है। उन्होंने बताया कि कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को आश्वस्त करता हूं कि हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे और व्यवस्था में व्याप्त इस तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करेंगे।

जो खंड सम्मिलित किया जा रहा है, वह हमारे पोत परिवहन उद्योग में नाविकों और समुद्री यात्रियों के कल्याण को सुनिश्चित करेगा। जिन देशों ने आई.एल.ओ. कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और उसकी सम्पुष्टि की, उन्हें अपने समुद्री यात्रियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। इन सभी पर विचार करते हुए, मैं श्री बसुदेव आचार्य, जो स्वयं एक प्रसिद्ध श्रमिक नेता है, से अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि विधेयक का एक मात्र उद्देश्य श्रमिकों और नाविकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, आई.एल.ओ. की कनवैंशन 147 का रैटिफिकेशन करना जरूरी था। इसके मुताबिक मेरे दो संशोधन हैं — एक सी मैन के ड्यूटी आवर्स और दूसरा उनके डिस्प्यूट्स कैसे सैटल किए जाएं? इनके बारे में मैंने एक सुझाव रखा था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत या कोई दूसरा तरीका निकाल कर डिस्प्यूट सैटल हो सकते हैं या नहीं?

दूसरा सवाल मनोरंजन भक्त जी ने ड्यूटी आवर्स के सम्बन्ध में उठाया कि 48 घंटे के ड्यूटी आवर्स को कैसे लागू किया जाए? इन ड्यूटी आवर्स को लागू करने से कुछ समस्याएं उठ खड़ी होंगी। उसको कैसे टैक्स करना है, आपको वह भी देखना होगा। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी सी मैन के वैलफेयर के लिए एक विधेयक लाया जाए। यह एक अच्छा कदम है। हम इसका समर्थन करते हैं लेकिन भविष्य में एक कॉम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए जिससे उनकी प्राबलम्स सॉल्व हो सकें। यही कहते हुए मैं स्टैट्यूटरी रैजोल्यूशन को वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं सभा की अनुमति से अपना सांविधिक संकल्प वापस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या श्री बसुदेव आचार्य को अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने की सभा की अनुमति है?

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

डा. एम. तम्बीदुरई : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय . प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.33 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मद 32 और 33 को एक साथ लिया जाएगा।

अब बजट (सामान्य) 1998-99 पर सामान्य चर्चा।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र बुडानिया (चुरू) : सभापति महोदय, बजट पर डिस्कशन शुरू हो रहा है और वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : सभापति महोदय, यह सदन की प्रथा रही है कि मंत्री जी सदन में उपस्थित होते हैं। ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : वित्त मंत्री जी राज्य सभा में हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. शिव शंकर : यह सदन की प्रथा रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री नरेन्द्र बुडानिया : आप पहले उन्हें बुलवाइये।

श्री मदन लाल खुराना : ठीक है, मैं अभी उनको जाकर देखता हूं। ...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : आप राज्य सभा से उन्हें बुला लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (मुंबई दक्षिण) : हम चर्चा आरम्भ नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वित्त मंत्री सभा में आएंगे। इस बीच श्री सोमपाल वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 6.34 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

एक. खोपरा तथा कच्चे पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मौसम 1998 और मौसम 1998-99 के लिए खोपरा और पटसन हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के संबंध में वक्तव्य देना चाहता हूं। भारत सरकार ने वर्ष 1998 मौसम के लिए उचित औसत किस्म के मिलिंग खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपये प्रति क्विंटल तथा बाल खोपरा की उचित औसत किस्म के लिए 3125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : यह बहुत कम है ...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है। मुझे बोलने की अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया उन्हें सुनें।

श्री ए.सी. जोस : यह बहुत ही अनुचित है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : पहले मुझे वक्तव्य पूरा करने दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करें। उन्हें पहले पूरा करने दें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मुझे अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : इस प्रकार 1998 मौसम के दौरान मिलिंग खोपरा और बाल खोपरा, प्रत्येक के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

[श्री सोमपाल]

में गत वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से खोपरा उत्पादकों द्वारा और अधिक पूंजी लगाये जाने तथा खोपरा की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ने की संभावना है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड खोपरा के लिए मूल्य समर्थन कार्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा।

दो. 1998-99 मौसम के लिए कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य

भारत सरकार ने 1998-99 के मौसम के लिए असम के लिए डी.डी.-5 ग्रेड के कच्चे पटसन के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, यह बहुत कम मूल्य है। वे नहीं जानते कि किसानों की पीड़ा क्या है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हें पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, सभी आयातों की लागत काफी बढ़ गई और माननीय मंत्री जी 650 रुपये प्रति क्विंटल तय कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे मेरा वक्तव्य पहले पूरा करने दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दें। उन्होंने अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : महोदय, क्या माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि और अधिक किसान आत्महत्या कर लें? ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, यह एक बहुत खतरनाक बात है। वे किसानों की दुर्दशा पर विचार नहीं कर रहे है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें पूरा करने दें। उन्होंने अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं। उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जोस और श्री बसु कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने के बाद, अब कोई चारा नहीं रह गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, माननीय मंत्री जी यह घोषणा कैसे कर सकते हैं? महोदय, वह कहते हैं कि कृषि लागत और मूल्य आयोग ने मूल्य तय किए थे और यह कि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था। संपूर्ण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हम माननीय मंत्री जी से इसे रोकने का अनुरोध करते है ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, केरल की सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, मौसम समाप्त होने जा रहा है और अब वे इसके लिए इतना कम मूल्य तय कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें पूरा करने दें। उन्होंने पूरा नहीं किया है। यदि माननीय सदस्यों को कुछ कहना है, तो वे चर्चा के लिए सूचना दे सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : महोदय, एक बार घोषित हो जाने के बाद हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : महोदय, कृषि लागत और मूल्य आयोग से निर्णय की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया जाना चाहिए।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, पहले मुझे वक्तव्य पूरा करने दिया जाए ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : माननीय मंत्री को निर्णय की पुनरीक्षा करने दें। यह सभा को स्वीकार्य नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले माननीय मंत्री जी को वक्तव्य पूरा करने दें।

श्री अनिल बसु : कृपया माननीय मंत्री जी यह समझाएं कि हमारे लिए क्या उपाय रह गया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वक्तव्य के पश्चात् एक या दो माननीय सदस्य स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : मंत्री महोदय, आप इस घोषणा पर पुनर्विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : मंत्री महोदय को देश के किसानों की दशा के बारे में पता नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी को स्टेटमेंट पढ़ने दिया जाए। यदि उसके बाद कोई शिकायत है, तो बताएं। यदि डिस्कशन चाहते हैं, तो अध्यक्ष महोदय को लिखकर दें। उसके ऊपर विचार किया जा सकता है और डिस्कशन के लिए समय निश्चित किया जा सकता है। जब ये पावर में थे, तब इन्होंने कितना बढ़ाया था, वह बताएं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं तो आपसे यह कह रहा हूं कि अगर कोई डिस्कशन करना है, तो अध्यक्ष महोदय को लिखकर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : खुराना जी, आप दिल्ली के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों और खेती के बारे में आपको ज्यादा मालूम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पहले मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, मुझे वक्तव्य पूरा करने दीजिए। सदस्यों को वक्तव्य के बाद के समय में भी कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार है ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : अब हमारे पास क्या उपाय शेष रह गया है? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमपाल : इस सदन में व्यवहार करने का यह कोई तरीका है? आप एक वरिष्ठ सदस्य है। आप इस प्रकार व्यवहार नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)* महोदय, श्री अनिल बसु एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उनसे सदन में इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। उन्हें अनुशासित किया जाना चाहिये और बैठ जाने के लिये कहा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। तत्पश्चात्, माननीय सदस्य अपनी टिप्पणियां कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय क्या आप मुझे एक स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री जोस, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत?

श्री पी.सी. थामस : हम सामान्य बजट पर चर्चा करने ही ...ते हैं और इसीलिये सभा की बैठक बढ़ाई गयी है।

यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं जो कृषि राज्य मंत्री दे रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें कोई न कोई सूचना तो मिलनी ही चाहिए थी।

यह कार्यसूची में नहीं था। हमें यह कार्यसूची में नहीं मिला था। इसे परिचालित भी नहीं किया गया था। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। कृषक, जूट उत्पादक और नारियल उत्पादक काफी लंबे समय से पीड़ित है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है जिस पर वक्तव्य दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : वक्तव्य अध्यक्ष महोदय की सहमति से दिया गया है। वक्तव्य देते समय कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

श्री पी.सी. थामस : मैं प्रश्न पूछने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : महोदय, उन्हें वक्तव्य नहीं देने दिया जा रहा है। उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप इसी प्रकार हर जगह, हर मुद्दे पर व्यवधान पैदा करते रहेंगे, तो मैं अत्यंत विनम्रता से कह सकता हूं कि सभा की कार्यवाही को चलाना संभव नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। हम एक बड़े महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय को पूरा अधिकार है। मैं वक्तव्य दिये जाने की अनुमति देने के उनके अधिकार पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। किन्तु, अध्यक्ष महोदय द्वारा समय नहीं दिया गया था। हमने इसलिए हस्तक्षेप किया था क्योंकि माननीय वित्त मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। मेरी एक विनती है। आपने देखा है कि माननीय सदस्य काफी उत्तेजित हैं क्योंकि इसका संबंध किसानों से है। आप एक ऐसा मूल्य निर्धारित कर रहे हैं जिसके बारे में यह पता है कि यह इसके लागत मूल्य से भी काफी कम है। इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं। यदि आप इसे परसों जारी करते हैं, तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। आप कुछ माननीय सदस्यों को बुलाकर, उनके साथ बैठकर उनके विचार क्यों नहीं प्राप्त करते? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वह मददगार साबित होगा।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे कृपया इस पर ध्यान दें। ऐसा मत सोचिए कि आपके पास इतना बहुमत है कि आप हमें हमेशा ठग लेंगे। यह उपयुक्त कार्यसंचालन के लिए हमारा निवेदन है। यदि आप इस पर सहमत नहीं है, तो ठीक है, अब यह आपको देखना है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य सोमनाथ चटर्जी का बहुत आदर करता हूं। सोमनाथ जी इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं। आप तो जानते हैं मंत्री जी द्वारा कोई स्टेटमेंट सदन में दिया जा रहा हो और उसे बीच में ही विदड्रा कर लिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, आधा बाद में पढ़ लेंगे।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि स्टेटमेंट आने दीजिए। जब स्टेटमेंट पूरा हो जाए और यदि सब लोग चाहें तथा सदन की अनुमति हो, तो इस विषय पर यहां एक या डेढ़ घंटे की चर्चा हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसे वापस लेने के लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : एक उपाय किया जा सकता है। श्री खुराना, उनके वक्तव्य देने के पश्चात्, कल कृषि मंत्री केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा कर्नाटक के संबंधित सदस्यों की एक बैठक बुलाएंगे। वे सभी उत्तेजित है।

श्री सोमपाल : कल यह संभव नहीं है क्योंकि मैं सभा में व्यस्त रहूंगा।

सभापति महोदय : ऐसा इसलिए कि परसों संसद स्थगित कर दी जाएगी। अतः आप कल कुछ समय निकालिए।

श्री सोमपाल : प्रथमतः मुझे यह वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

सभापति महोदय : उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक सीमित प्रश्न है कि ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष महोदय सहमति नहीं दे सकते या कि अध्यक्ष ने अपनी सहमति नहीं दी है।....

सभापति महोदय : मैंने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है।

श्री सोमपाल : वक्तव्य अध्यक्षपीठ की उचित अनुमति के पश्चात् ही दिया जा रहा है। इस समय वक्तव्य देने की मुझे अनुमति प्रदान करने के संबंध में अध्यक्षपीठ का लिखित आदेश है।

श्री पी.सी. थामस : हमें भी इसकी जानकारी का हक है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। कार्यसूची में भी कुछ है। इसे कार्यसूची में आना ही चाहिए।

सभापति महोदय : श्री थामस का एक अलग मुद्दा है। श्री थामस, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी.सी. थामस : इस प्रकार का अत्यंत महत्वपूर्ण मामला कार्यसूची में आना चाहिए था। यह कार्यसूची में नहीं आया है।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : महोदय, यह नियम 372 के अधीन है। अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात् सरकार को अपना वक्तव्य देने का अधिकार है। यह ठीक है। परन्तु मेरा प्रक्रिया संबंधी प्रश्न है। क्या होता है कि जब महत्वपूर्ण वक्तव्य

होते हैं, तो हम चाहेंगे कि विपक्ष के सदस्य यहां उपस्थित हों। इस सभा में लगभग दो या तीन घंटे पूर्व एक पूरक कार्यसूची जारी करने की हमेशा से एक प्रथा रही है। ताकि सदस्य उपस्थित रहें। परन्तु यह बार-बार हो रहा है। वे हमें चकित कर रहे हैं। इसीलिए सदस्य उत्तेजित हैं। यदि हमें ज्ञात होता कि वक्तव्य 6 या 7 बजे दिया जा रहा है तो हमने तैयारी कर ली होती। कुछ पूर्व चर्चा की जा सकती थी। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। सभा में यह प्रथा नहीं है। जब कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जा रहा हो तो एक पूरक कार्यसूची परिचालित की जाती है। यह बार-बार हो रहा है। हर रोज, सरकार चुपचाप बैठी हुई है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : सभापति महोदय, नियम 372 में साफ लिखा है कि जब कोई मंत्री वक्तव्य दे रहा हो तो उसके बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। ...*(व्यवधान)* इसमें स्पष्ट लिखा है।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : कृपया उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व इस पर विचार कीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। उन्हें वक्तव्य पूरा करने दीजिए। कल किसी समय वह केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों के सदस्यों की एक बैठक बुलाएंगे।

श्री सोमपाल कृपया बोलिए।

श्री सोमपाल : भारत सरकार ने 1998-99 के मौसम के लिए असम के लिए टीडी-5 ग्रेड के कच्चे पटसन के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह पिछले मौसम के लिए घोषित किए गये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। कच्चे पटसन की अन्य किस्मों और ग्रेडों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य टीडी-5 ग्रेड के संबंध में सामान्य विपणन मूल्य अंतरों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जायेगा।

भारतीय पटसन निगम 1998-99 मौसम के लिए पटसन के मूल्य समर्थन कार्य को करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : सभापति महोदय, पिछली बार कितनी कीमत थी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सामान्य बजट पर चर्चा होगी। श्री मुरली देवरा।

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : धान पर विचार नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : वह बैठक बुलायेंगे।

श्री ए.सी. जोस : आपने विनिर्णय दिया है कि उन्हें कल या परसों बैठक बुलानी चाहिए। परन्तु मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : उन्होंने केरल की मांग पर विचार नहीं किया है, जो कुछ भी घोषणा की गई है, वह भी उत्पादन लागत से कम है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम है। इससे केरल के लोगों की परेशानियां बढ़ जायेंगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : सभापति महोदय, पिछली बार कितना बढ़ाया गया था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमारे सदन में वक्तव्य देने के बाद कोई भी स्पष्टीकरण देने की अनुमति नहीं है। मंत्री जी संबद्ध राज्यों के सदस्यों से मिलने पर सहमत हो गये हैं। कल आप इन सभी मुद्दों को बैठक में उठा सकते हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : मैं इस पर एक चर्चा चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप नियम 193 के अन्तर्गत एक नोटिस दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगला विषय सामान्य बजट पर चर्चा है। श्री मुरली देवरा आरम्भ करेंगे। श्री मुरली देवरा की बात के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू : आप पिछली बार का बता दें ...*(व्यवधान)*

श्री मदन प्रसाद जायसवाल : सभापति जी, आप हमारी बात भी सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* जब वे सरकार में थे तब कितना बढ़ाया गया था, इसकी जानकारी दीजिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, नहीं वह पहले ही पूरा कर चुके है।

श्री पी.सी. थामस : इस घोषित मूल्य का मैं दृढ़ता से विरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*। मैं विरोधस्वरूप सभा भवन से बाहर जा रहा हूं।

अपराह्न 6.55 बजे

इस समय श्री पी.सी. थामस सभा भवन से बाहर चले गये।

श्री नादेन्दला भास्कर राव : मैं आपके जरिए उनसे अनुरोध कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत कम है और यह उत्पादन लागत से कम है। हम भी विरोध करते हैं और सभा भवन से बाहर जाते हैं।

अपराह्न 6.55 1/4 बजे

इस समय श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, यदि मुझे बहुत संक्षेप में एक छोटी सी बात कहने की अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी आवश्यक नहीं है। मैं पहले ही श्री मुरली देवरा को बुला चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : पिछले दो सालों के अन्दर कितना बढ़ाया गया था? एक बार 20 रुपये और दूसरी बार 60 रुपये और अब 80 रुपये बढ़ाये गये हैं। एक साल पहले 20 रुपये, फिर 60 रुपये और अब 80 रुपये बढ़ाए गए हैं। इसके बावजूद यह कहते हैं कि वाक आउट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आजकल रुपये की वैल्यू कुछ नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नादेन्दला भास्कर राव : महोदय, इस सरकार ने गेहूं पर बोनस दिया है लेकिन जहां तक धान की बात है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया गया है। अतः, हम आपके जरिये माननीय मंत्री से अनुरोध करते है कि वह इसे घोषित करें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें। मैं श्री मुरली देवरा को बुला चुका हूं।

अपराह्न 6.57 बजे

[अनुवाद]

बजट (सामान्य) 1998-99-सामान्य चर्चा और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)-1995-96

सभापति महोदय : अब हम सामान्य बजट को लेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधिक अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें:-

मांग संख्या 13, 14, 17, 65 और 81"

लोक सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत वर्ष 1995-96 के लिये अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि
1	2	3
राजस्व से पूरा किया गया व्यय		
13.	डाक विभाग	73,52,76,021
14.	दूर संचार विभाग	60,48,91,516
17.	रक्षा सेवाएं-सेना	6,93,663
81.	लोक निर्माण कार्य	8,43,16,283
पूंजी से पूरा किया गया व्यय		
65.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	99,150

श्री मुरली देवरा : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने पहली जून को अपना बजट भाषण शुरू किया था और जब उन्होंने 7 बजे अपना भाषण खत्म किया था तो मैं समझता हूं कि सदन के इस तरफ से मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने उनसे लगभग इसी वक्त हाथ मिलाकर बधाई दी थी। जब मैं बजट सुन रहा था तो मैंने सोचा कि यह अच्छा बजट है परन्तु अगले दिन सुबह जब मैंने समाचार पत्रों में गौर से पढ़ा तो मुझे धक्का लगा। बजट भाषण में श्री सिन्हा ने जो कुछ कहा वह ठीक लगा था लेकिन समाचार पत्रों में जो कुछ अन्दर की बात वास्तव में सामने आयी ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : गुप्त एजेन्डा।

श्री मुरली देवरा : .... और यह गुप्त एजेन्डा वास्तव में विनाशकारी है। मुझे याद है कि जब श्री वाजपेयी ने मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजी थी तो उस सुबह श्री खुराना वहां थे और मैं स्वयं उस शपथ ग्रहण समारोह में गया था लेकिन मुम्बई में समाचार पत्रों में एक बड़ा सा लेख छपा था जिसमें कहा गया था कि श्री जसवन्त सिंह और श्री यशवन्त सिंहा को लेकर कुछ भ्रान्ति है।

सांय 6.58 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

मैं नहीं जानता कि कौन अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने श्री यशवन्त सिन्हा की नियुक्ति का स्वागत किया था। लेकिन फिर जो कुछ मैंने पढ़ा है, उससे वास्तव में मुझे दुख हुआ है। मैं यह गंभीरता से कह रहा हूं। मैंने पढ़ा कि चूंकि श्री जसवन्त सिंह सुधार समर्थक हैं, अत: ऊपर से आदेश यह थे कि उन्हें वित्त मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए और मेरे मित्र श्री यशवन्त सिन्हा बन गये। मुझे अभी भी यह विश्वास नहीं होता है कि श्री यशवन्त सिन्हा सुधार विरोधी भी हो सकते हैं लेकिन जब मैंने यह बजट पढ़ा तो श्री सिन्हा द्वारा अपने इस प्रथम बजट, पिछली बार वह बजट प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, किये गये उपायों को देखकर मुझे वास्तव में धक्का लगा है और मुझे विश्वास हो गया है कि जो कुछ उसे लेख में उस समय छपा था वह सच था तथा श्री यशवन्त सिन्हा के इस बजट से समस्त विश्व को, सारे विश्व समुदाय को यह संदेश जाता है कि भारत सुधार विरोधी है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि बजट की एक विशेषता यह है कि यह 'सिम्पल' 'सरल' है। मैं उस पर बाद में आऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा भारतीय बजट के इतिहास में कम से कम 12 से 14 वर्षों में, सदन में जिन बजटों के प्रस्तुतिकरण के समय मैं उपस्थित रहा हूं पहली बार हुआ है-कि बजट प्रस्तुत करने के बाद 24 घंटों के भीतर ही सरकार ने पेट्रोल और यूरिया के मूल्यों में भारी कमी की घोषणा की। मैं नहीं जानता कि क्या श्री यशवन्त सिन्हा जी ने आर.के. लक्ष्मण के इस प्रथम पृष्ठ पर छपे व्यंग चित्र को देखा है। मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। "हम सौभाग्यशाली हैं कि वह हमारे बीच हैं। किसी अन्य मंत्री ने बजट में घोषणा के कुछ घंटों के भीतर मूल्यों में कमी नहीं की। सिर्फ एक ही दिन में, जब विपक्षी सदस्य अपना स्थान छोड़ चुके थे, मैं नहीं जानता कि क्या कारण था, जिसने श्री यशवंत सिन्हा, माननीय वित्त मंत्री, जो अनुभवी संसद सदस्य और अनुभवी नौकरशाह रहे हैं, अपना आपा खो बैठने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने यह कैसे कह दिया कि जो शीशे के घरों में रहते हों, उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। उनसे यह उम्मीद नहीं थी। यहां गलती हुई थी। आपके विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच में हेराफेरी हुई थी। पहले आप कह रहे थे "हम जिम्मेवार नहीं है, वे जिम्मेवार है।"

सांय 7.00 बजे

किन्तु अब, यदि आपने **इंडियन एक्सप्रेस** में परसों प्रकाशित नवीनतम रिपोर्टों को देखा गया है, तो उनमें स्पष्ट कहा गया है कि गलती की गयी थी। इसे मान लेना चाहिए। अब वे कह रहे हैं कि श्री मनमोहन सिंह जी ने यह बात 1994 में उठायी थी, इसलिए उन्होंने भी उठायी है। ये बहानेबाजी नहीं है। इसलिए मेरा मुद्दा यह है कि बजट तैयार करने के समय वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के बीच में समन्वय की कमी थी और मैं आशा करता हूं मंत्रीजी ने यह नोट कर लिया होगा और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इस गलती को सुधारा जाए। मंत्री जी ने पेट्रोलियम उत्पादों पर 3 रुपये का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया, किन्तु मंत्री जी अभी भी यूरिया के संदर्भ में की गई मूल्य वृद्धि को वापस न लेने को मुद्दा बना रहे हैं।

आज, यदि हम आर्थिक सर्वेक्षण को देखें, तो हमें पता चलता है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि नकारात्मक है। हम इससे भारतीय किसानों को क्या संदेश देने जा रहे हैं? इस सरकार के प्रथम बजट में यूरिया के मूल्य में वृद्धि की गयी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यूरिया के मूल्यों को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये। ...*(व्यवधान)* यहां तक कि स्वयं उनके सहयोगी दल और मेरे कुछ मित्र भी किसानों का हित चाहते हैं। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि मैं किसानों के बारे में बहुत कुछ जानता हूं क्योंकि आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं शहरी क्षेत्र से हूं ...*(व्यवधान)* मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह यूरिया के मूल्य पहले जितने कर देने का अनुरोध करता हूं।

[श्री मुरली देवरा]

महोदय, आज सुबह, दिल्ली में, कुछ लोग हमारे पास आए। श्री मदन लाल खुराना दिल्ली से चुने गए हैं। मैं नहीं जानता कि वह कितने वर्षों के लिए चुने गए हैं। भगवान जानता है। कोई भी वर्षों के बारे में नहीं कह सकता है ...*(व्यवधान)*। मुझे यह देखकर धक्का लगा कि बहुत से व्यापारी, **मिठाई वाले**, जो मिठाई बनाने के धंधे में लगे हैं, वे भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये वे लोग थे, जो भाजपा का समर्थन कर रहे थे। श्री खुराना दिल्ली से हैं। वे पता लगा सकते है कि क्या बात है। सभी मिठाई वाले, हल्दी राम, चन्दू हलवाई आदि कहते हैं कि यहां कोई समन्वय नहीं है। यहां मंत्री ने भाषण में क्या कहा और उत्पाद शुल्क निरीक्षक की ओर से, अगले दिन आने वाले राजपत्र में क्या छपा वह आपस में मेल नहीं खाता है। मैं उसमें से एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं: ''यदि कोई चीज जो फैक्टरी में बनी है तथा खाने के लिए तैयार है और फिर भेजी जाती है'' जो बात उनके बजट भाषण में थी, वह यह थी, ''फैक्ट्रियों में बनी ब्रांड वाला माल।'' जो **लड्डू, पेडा** और भुजिया बनाते है उन्हें ब्रांड की श्रेणी में कैसे ला सकते हैं? मैं जानता हूं वे क्या कहेंगे। मेरा विश्वास है कि जब आज कांग्रेस और अन्य दलों के कुछ सदस्य उनसे मिले, तो उन्होंने उन्हें 15 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के बारे में बताया। यदि एक दिन की बिक्री 15,000 रुपये है, तो 15 लाख रुपये की यह अधिकतम सीमा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से इसकी जांच कराने का अनुरोध करता हूं, यद्यपि वह मिठाई नहीं खाते हैं। मैं नहीं जानता कि श्रीमती सिन्हा उन्हें कोई मिठाई देंगी — वह किसी मिठाई के हकदार नहीं है — और मैं नहीं समझता कि वह अब बाजार जाने और मिठाई खरीदने की हिम्मत करेंगी, क्योंकि उन्होंने इन व्यापारियों पर बहुत ज्यादा भार डाल दिया है ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि श्री खुराना मिठाइयों के शौकीन हैं। वह भी उनका पक्ष ले रहे हैं ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं कहूंगा कि आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क मुद्दे का हो सकता है यह जानबूझ नहीं हुआ हो, मैं नहीं समझता कि श्री यशवंत सिन्हा की मिठाई वालों पर उत्पाद शुल्क लगाने की मंशा हो। मुंबई में 1 जून को शाम 8.30 बजे उत्पाद शुल्क निरीक्षक कुछ **मिठाई वालों** के पास गए और आप कह रहे है कि बजट सरल है। मैं दो और उदाहरण देता हूं। इसलिए मैं उनसे इसे भाषण के द्वारा नहीं बल्कि वास्तव में सरल बनाने का अनुरोध करता हूं। मुझे विश्वास है कि वे शीघ्र ही यह सुनिश्चित करेंगे कि **मिठाई वालों** पर उत्पाद शुल्क का मामला तथा अन्य चीजों का समाधान हो जाना चाहिए।

अन्य अनियमितता यह हैं कि वित्त मंत्री ने प्रत्येक वस्तु के आयात पर मूल्य के अनुसार 8 प्रतिशत शुल्क लगाया है। यह काउंटर वैलिंग शुल्क है। जब वह बजट प्रस्तुत करते समय बोल रहे थे, तब मैंने भी महसूस किया कि आठ प्रतिशत शुल्क अधिक है और इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि हम भारतीय उद्योगों को संरक्षण देना चाहते हैं। हां, हम इसका समर्थन करते हैं।

किन्तु क्या उन्होंने गणना की है कि यह कितना बनता है? मुझे विश्वास है कि वह यह जानते हैं। तो भी न्यूनतम 11.9 प्रतिशत ही होगा, क्योंकि 34 प्रतिशत के मूल्यानुसार से तात्पर्य है उस 34 प्रतिशत का आठ प्रतिशत। इसलिए यह 12 प्रतिशत से अधिक है। कुछ मामलों में 26 अथवा 27 प्रतिशत भी हो जाएगा। इसलिए एक तिहाई वृद्धि होगी। मैं नहीं समझता कि भारतीय उद्योग इतनी बड़ी मात्रा में अतिरिक्त शुल्क का भार वहन कर सकते हैं। वित्त मंत्री जी ने आयकर जैसे प्रत्यक्ष कर में वृद्धि नहीं की है। यह अच्छा है। किन्तु अधिक अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर ठीक नहीं है। इससे वास्तव में मुद्रास्फीति बढ़ेगी।

महोदय, मैं श्री यशवंत सिन्हा की टिप्पणी का स्वागत करता हूं, जब उन्होंने वित्त मंत्री का पद भार ग्रहण ही किया, कि भारतीय रिजर्व बैंक के एस.आर.आर. और एस.एल.आर. ऋण आपूर्ति आसान करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि उस समय जब वह वित्त मंत्री बने, तब उन्होंने ऋण आपूर्ति को आसान बनाया, क्योंकि उद्योगों के लिए बहुत से ऋण की आवश्यकता थी। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए पूर्व सरकारों ने धन नीति को बहुत कस रखा था। इसलिए उन्होंने जो किया वह ठीक है। किंतु इतने अधिक अप्रत्यक्ष कर लगाकर, जिसकी अन्य पूर्व सरकारें उन्हें चेतावनी दे रही थी, उन्हें याद होगा — शीघ्र ही मुद्रास्फीति दो अंकों में पहुंच जाएगी। क्या यह देश इतनी अधिक मुद्रास्फीति बर्दाश्त कर सकेगा? जब एक व्यक्ति दो लाख रुपये की आय के अंतर्गत आता है और मान लिजिए अधिकतम आयकर 40 प्रतिशत है, यदि 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है, वह 10 प्रतिशत और अधिक भुगतान करेगा अर्थात् 20,000 रुपये और अधिक। किन्तु जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, यहां तक कि कोई व्यक्ति जो प्रतिमाह 500 रुपये कमा रहा है, अथवा कोई जो नौकरी में नहीं हैं, उसे अधिक भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उत्पाद शुल्क का सभी पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी खरीदता है, उसे इस उत्पाद शुल्क का भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए, मैं वित्त मंत्री जी से दुबारा गणना करने का अनुरोध करता हूं और दोनों उत्पाद शुल्कों से 8000 करोड़-5000 करोड़ रुपये और 3000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि और विशेषत: काउंटर वैलिंग ड्यूटी — जिसका वह अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान से बहुत कम आंकी गयी है। हो सकता है कि वह बाद में वर्ष के अंत में यह कहते हुए कि श्रेय लेना पसंद करें कि अनुमान 8,000 करोड़ रुपये का था, किन्तु संग्रहण 34,000 करोड़ रुपये का हुआ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में हैरान हूं, क्योंकि इनके साथी सदस्य दूसरे सदन में कह रहे थे कि यह अनुमान से बहुत अधिक है।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रत्येक की अपनी राय है। मैं जानता हूं कि मेरे कुछ साथियों ने कहा है कि यह कठोर धन नीति मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए ठीक थी। मेरा व्यक्तिगत रूप से विश्वास है कि उन्हें मुद्रास्फीति जरूर रोकनी चाहिए, किन्तु विकास की कीमत पर नहीं। ब्याज की दरें अधिक होनी चाहिए ताकि बचत को प्रोत्साहन मिले, किन्तु इतनी अधिक न हो कि निवेश को निरुत्साहित करे। अब जब ब्याज की दरें इतनी अधिक हों, तो लोग अपना धन फिक्स डिपोजिट, चिट फंड आदि में जमा करना पसन्द करेंगे, और कोई भी व्यक्ति अपना धन व्यापार में नहीं लगाएगा। और न ही उद्योग लगाएगा। उन्हें यह क्यों करना चाहिए? उन्हें ऐसा जोखिम क्यों लेना चाहिए? इसलिए अब उन्होंने यह ठीक ही कहा है। पहले, कुछ लोगों ने भी यही बात कही थी। डा. मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था। मुद्रास्फीति की दर में थोड़ी सी वृद्धि तो ठीक है। लेकिन अब अप्रत्यक्ष करों की दर में इस अत्यधिक वृद्धि से मूल्य वृद्धि काफी अधिक हो जायेगी। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी को सावधान होना चाहिए और इसका दोबारा हिसाब लगााना चाहिए, मुझे विश्वास है कि वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वे इसका पुन: हिसाब करके प्रतिकारी (काउन्टरवेलिंग) शुल्क और उत्पाद शुल्क को कुछ सीमा तक कम करें और अन्य चीजों में छूट दें।

महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी को याद होगा, "एक मोडवेट" प्रणाली है जिसके बारे में एक विधेयक इस सम्माननीय सभा में पुर:स्थापित किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसे पूरी दुनिया में अपनाया गया है। वास्तव में भारत में यह प्रणाली देर से अपनाई गई थी, इसे पहले अपनाया जाना चाहिए था। जो कंपनियां ईमानदार हैं, अपना हिसाब ठीक रखती हैं, उन्हें 100 प्रतिशत लाभ मिलता है जिसे मोडवेट रिफंड करते हैं लेकिन जब उन्हें अन्य कर भी देने पड़ते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंचता है। मुझे यह देखकर धक्का लगा है कि क्योंकि कुछ लोग इस प्रणाली दुरुपयोग कर रहे हैं इसलिये श्री यशवन्त सिन्हा जैसे व्यक्ति इसके लिए कानून बना सकते हैं। अब उन्हें सौ प्रतिशत मोडवेट रिफंड के स्थान पर केवल 95 प्रतिशत मिलेगा। वह दूसरों की गलती के लिए ईमानदार करदाताओं को दंडित कर रहे हैं। सरकार को उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए जो इस प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे है। चूंकि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रणाली का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए वह केवल 95 प्रतिशत रिफंड दे रहे हैं। चाहे पांच प्रतिशत रिफंड ले लिया जाता है लेकिन वह भी काफी ज्यादा होता है। यह कराधान का कोई सही ढंग नहीं है।

यह तो ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने ऋण तो 100 रुपये लिया हो लेकिन वापस 95 रुपये कर रहा हो। यह उचित नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री जी के लोगों ने उन्हें यह सब बताया है। कभी-कभी कोई व्यक्ति कच्चा माल बनाता है, तो दूसरा माल तैयार करता है और तीसरा उसकी पैकेजिंग करता है। इस प्रकार एक ही उत्पाद तीन जगहों पर जायेगा और हर जगह उसे पांच प्रतिशत का नुकसान होगा। पैसा कहां से आयेगा? मैं समझता हूं कि आपको सही सलाह नहीं दी गई है। श्री यशवंत सिन्हा के बारे में तो मैं इतना जानता हूं कि मैं जे.पी.सी. में उनके पास बैठा करता था – मैं नहीं समझता कि वह ऐसी गलती कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है, वे कार्य की अधिकता से थक गये होंगे और नाराज हो गये होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब वह थोड़े संभल चुके होंगे। यदि वह गुप्त एजेंडा अपनाते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा और हम जानते हैं कि वह उसमें विश्वास नहीं करते। हम सभी यह जानते हैं। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह देखने का अनुरोध करूंगा कि इन विसंगतियों को ठीक किया जाये।

महोदय, ऐसा पहली बार हुआ है कि 8 प्रतिशत सीवीटी लगाई गई है जो एक वर्ग के लोगों पर नहीं लगाई जाती जबकि दूसरे वर्ग पर लगाई जाती है। मैं नहीं जानता कि उन्हें यह मालूम है या नहीं। व्यापार पर कर नहीं लगाया जाता। लेकिन व्यापारी हैं कहां? आप लोगों की बजाय व्यापारियों को आंखों पर बिठाया हुआ है। कृपया मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं मुम्बई के बारे में जानता हूं। मुम्बई भी व्यापारियों का शहर है। मैं दक्षिण मुम्बई से आया हूं। आप यह जानते है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपसे अनुरोध कर रहा हूं। मान लीजिए, कोई व्यक्ति अपनी फैक्टरी के लिए कच्चे माल का आयात कर रहा है। खुराना जी, अगर वह प्रत्यक्ष रूप से आयात करता है तो उसे 100 रुपये के पीछे 8 रुपये और देने पड़ते हैं। जब उसकी अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की या जाली ट्रेडिंग कंपनी है और वह कच्चा माल आयात करती है, तो वह ठीक है। मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूं। यह सब क्या है। आप लोगों को बेईमान बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपका इरादा ऐसा नहीं है। या तो आप कर नहीं लगाना चाहते हैं या आप सब पर कर लगाना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि जो उद्योग निर्माण कार्य में लगे हुये हैं, वे ट्रेडिंग भी करें? यह सब उनका काम नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने अपनी बात कह दी है और मदन लाल खुराना जी इस बात से सहमत हैं ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई : (बालासोर) : महोदय, एक सज्जन बोल रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसका आंखों देखा हाल बता रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा) : हम नये हैं तो हमारे लिए मैनर्स हैं और ये पुराने हैं तो इनके लिए कोई मैनर्स नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई : वह मुझे जैसे नये सदस्य के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मुझे सबक सिखा रहे हैं। उन्हें इस सभा में प्रवेश करने से पहले शिष्टाचार सीखना चाहिए। वह मुझे शिष्टाचार सिखा रहे हैं। वह मुझ पर हुक्म चलायेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ चटर्जी जी उनकी बातों में व्यवधान नहीं डाल रहे हैं अपितु वह उनकी सहायता कर रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : अर्थव्यवस्था पर इतना अधिक अप्रत्यक्ष भार ऐसे समय में पड़ा है जबकि अर्थव्यवस्था इसे वहन नहीं कर सकती। वित्त मंत्री महोदय यह जानते हैं। आज भारतीय बाजार में अत्यधिक मंदी है। मैं आपको दो-तीन उदाहरण दूंगा। मेरे मित्र जानते होंगे कि मोटर वाहन, स्कूटर आदि जैसी अनेक चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं थी और हम ट्रकों की शीघ्र सुपुर्दगी के लिए प्रमाणपत्र दिया करते थे। आज, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? चेन्नई में अशोक लेलैंड, जोकि ट्रक बनाने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है, के उत्पादन में 75 प्रतिशत तक कमी आई है। टेल्को के मामले में भी ऐसी ही स्थिति है जिसका उत्पादन 45 प्रतिशत तक घट गया है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ट्रकों की बिक्री नहीं कर सकते। मैंने परसों यह पढ़ा था कि चेन्नई में 11,000 लोगों की जबरन छुट्टी कर दी गई क्योंकि वे उनके ट्रक नहीं बेच सके। ऐसे समय में यदि आप 23,000 रुपये या 24,000 रुपये और बढ़ा दे तो मैं नहीं जानता कि यह कितना होगा और वे लोग कैसे उनकी बिक्री कर पायेंगे? पहली बात तो यह है कि हमें मांग पैदा करनी होगी। मान लीजिए, मांग तो थी और उनके गोदाम में स्टॉक नहीं था तथा और लोगों ने अपना माल बेच दिया, तब आप करों में और अधिक वृद्धि करेंगे, आप उन लोगों से पैसा कमायें जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इतने अधिक कर लगाने का यह कोई समय नहीं है। मैं आपको ऐसे सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन मैं अभी ऐसा करना नहीं चाहता। इसका बहुत जल्दी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कृपया यह सुनिश्चित करें कि ऐसा न हो।

आइये देखें कि श्री यशवंत सिन्हा - बजट को भारत में और विदेशों में अधिकांश लोगों और अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार लिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उनके कुछ साक्षात्कार देखने का अवसर मिला और उन्होंने जो कुछ उपाय किये हैं, उनके संबंध में उन्होंने जिस तरह सफाई दी है, उसके लिए मैं उन्हें अवश्य बधाई दूंगा। लेकिन कुछ ज्वलंत मुद्दों को उन्होंने जान-बूझकर या अनजाने में कैसे छोड़ दिया, मैं नहीं जानता? ऐसा 'जान बूझकर' किया गया होगा क्योंकि सिन्हा जी काफी चतुर है। वह बजट बनाने की कला जानते हैं, वह अफसरशाही की कला जानते हैं क्योंकि वह स्वयं एक सरकारी अफसर थे।

मैं सभा के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि सिन्हा जी के बजट पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं जानता हूं कि उन्होंने इन चारों लोगों को साक्षात्कार दिए हैं। मैं **टाइम्स ऑफ इंडिया** का उद्धरण दे रहा हूं। श्री जे. मूलराज मुख्य व्यक्ति हैं जो **टाइम्स ऑफ इंडिया** के लिए लिखते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उद्धरित करता हूं:

> "1 जून को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। यह एक विवेकहीन, बिना सोचे-समझे तैयार किया गया और निरुत्साहित करने वाला बजट है।"

मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री केवल इस बारे में ही संवेदनशील नहीं है कि संसद सदस्य क्या कह रहे हैं अपितु वे इस बारे में भी संवेदनशील है। हाल ही में, मैंने माननीय मंत्री जी को **बिजनेस स्टैंडर्ड** के श्री मेनन को साक्षात्कार देते हुये देखा था। मैं **बिजनेस स्टैंडर्ड** के संपादकीय पृष्ठ से केवल एक पंक्ति पढ़ूंगा। मैं उद्धृत करता हूं:

> "यशवंत सिन्हा के पहले बजट ने मुझ जैसे सुधारकों, स्टॉक बाजार – मैं स्टॉक बाजार से भी संबंधित हूं — और कई अर्थशास्त्रियों, को निराश किया है — मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं।"

महोदय, मैं आपको बता सकता हूं कि लंदन के **इकोनोमिस्ट** में प्रकाशित रिपोर्ट चौंकाने वाली है। मुझे विश्वास है कि आपके पास इन सभी की कटिंग्स होगी। मुझे विश्वास है कि आप जानते होंगे कि विश्व भर में क्या हो रहा है। इसमें कहा गया है:

> "भारत के परमाणु परीक्षण के बाद का बजट कायरतापूर्ण, राजनीति से प्रेरित तथा पहले से ही व्याख्या करने वाला है।"

मेरे विचार से आप ऐसी प्रशंसा के इच्छुक नहीं हैं। लार्ड मेघनाथ देसाई, जिनका जन्म भारत में हुआ था, इंग्लैंड में हाउस आफ लार्डस के सदस्य हैं। वह कांग्रेस के नहीं हैं, वह किसी भी दल के नहीं हैं। लार्ड मेघनाथ देसाई ने भी लिखा है, उसे मैं उद्धृत करता हूं:—

"सिन्हा जी ने एक अवसर खोया है। उन्होंने पहला अवसर ही खो दिया और संभवत: उनको अगला अवसर कभी नहीं मिलेगा।"

मुझे विश्वास है, वह जानते हैं कि यद्यपि वह पहले भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, वह बजट पेश करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने इस बार बजट पेश किया है लेकिन उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उनके सहयोगी, जसवंत सिंह जी दूसरी सभा में वापस आ गये हैं। मैं कोई कारण नहीं दे रहा हूं, मैं तो उनसे केवल यह सुनिश्चित करने हेतु विनम्र अपील करने का प्रयास कर रहा हूं कि इन विसंगतियों को ठीक किया जाये।

महोदय, बजट का सबसे बड़ा प्रभाव पूंजी बाजार पर पड़ा था। जब मैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करता हूं तो मैं यहां उपस्थित कुछ नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज की कुछ जानकारी है। 5,10,000 करोड़ रु. से अधिक के कुल बाजार से पूंजी निकासी से बाजार में 11 प्रतिशत की गिरावट आ गई है। आपको मालूम है कि पांच से छ: दिनों अर्थात् 1 जून से 5 जून की अवधि के अन्दर सेन्सेक्स में 11 प्रतिशत की गिरावट हुई है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कभी हुआ है जबकि निवेशकों को 55,000 करोड़ रु. से अधिक की हानि हुई हो। अध्यक्ष महोदय, जो भी आंकड़े मैं यहां दे रहा हूं, वह ठीक है। इनमें शून्य के बराबर भी गलती नहीं है। इसका अर्थ है कि निवेशकों ने 55,000 करोड़ रु. खोया है और इन शेयरों का एक तिहाई भाग यू.टी.आई., एल.आई.सी., जी.आई.सी., आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई. जैसे वित्तीय संस्थानों ने ले रखा है। उसके मालिक कौन हैं? सरकार नहीं बल्कि पॉलिसी धारक हैं। यदि आप पॉलिसी धारक हैं तो वह पैसा आपका है।

अत:, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूंजी बाजार पर बजट का ऐसा भयंकर प्रभाव पड़ा हो। मैं उनसे सहमत हूं। यह केवल बजट के कारण ही नहीं हुआ है बल्कि इसके अन्य कारण भी हैं जहां श्री यशवंत सिन्हा ज्यादा कुछ कर नहीं पायेंगे। मैं उनसे सहमत हूं। उन्हें अपने अन्य सहकर्मियों के साथ यह वेदना सहनी पड़ेगी। मैं पूंजी बाजार के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

सर्वप्रथम, आपके बजट के पश्चात् इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी सरकार द्वारा घोषित आर्थिक प्रतिबंधों की संभावना थी। इसके बारे में पूर्ण अस्तव्यस्तता की स्थिति है कि हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध क्या होंगे। कोई मंत्री कह रहे हैं कि कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं है। कोई अन्य मंत्री कह रहे हैं कि आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे। आपको मालूम ही है कि मंत्रालय में क्या हो रहा है। उन सारी बातों ने पूरा दिन ही ले लिया। श्री यशवंत सिन्हा आपको इसकी जानकारी है। जब मूडीज और स्टैंडर्स की रिपोर्ट आई उसने वास्तव में भारतीय स्टॉक मार्केट को एक बड़ा झटका दिया और मात्र एक दिन में यह 110 से 111 अंक नीचे आ गया। परसों एक आईआई ने सेन्सेक्स के घाटे को कम करने में मदद की। श्री यशवंत सिन्हा, आपको इसकी जानकारी है। यदि यूटीआई, आईसीआईसीआई और एलआईसी ने शेयर नहीं खरीदे होते तो सेन्सेक्स 220 अंक तक गिर गया होता। आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? मैं उसका सहीकरण बता रहा हूं। श्री मदनलाल खुराना आप यहां उनकी सहायता कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश, हार्वर्ड वाले दूसरे व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है। हार्वर्ड वाले एक ही वित्त मंत्री काफी थे। मैं समाचार पत्र से पढ़ना चाहूंगा। यह एक गंभीर चीज है। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं ला रहा हूं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसमें सुधार कर दीजिएगा। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं यहां उनको सहयोग और सहायता देने के लिए हूं। मैं बता रहा हूं कि भारत की ऋण योग्यता (क्रेडिट रेटिंग) कम किए जाने का मुख्य कारण क्या था जिसने बाजार को क्षति पहुंचाई और जो इसको आगे भी क्षति पहुंचाए जा रहा है, क्योंकि मूडीज और पूअर की दूसरी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। मैं सभी समाचार पत्रों में उद्धृत एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यह आपके पास होगी। मैं 5 जून के "दि इंडियन एक्सप्रैस" मुम्बई से उद्धृत करता हूं:-

"व्यापार और निवेश के उदारीकरण जैसे गंभीर मुद्दों पर बी.जे.पी. सरकार की स्थिति के संबंध में संकेत अक्सर विरोधाभासी थे।"

इसके बारे में सबको पता है। मैं श्री यशवंत सिन्हा को दोष नहीं देता। हम यहां रोज ही सुश्री जयललिता और श्री जॉर्ज फर्नांडीज एवं अन्य व्यक्तियों के बयान देखते रहते हैं। अब मैं समाचार पत्र से उधृत करूंगा:

"इसके अतिरिक्त, राजनैतिक दलों और व्यक्तियों का मिश्रण, जिससे नई सरकार बनी इसमें अस्थिरता अंतर्निहित दी है जिसने एक और संक्रमण की संभावना बढ़ा दी।"

इसका अर्थ है अस्थायी सरकार। मैं अस्थायी सरकार नहीं कह रहा हूं। मैं इसके प्रभाव की बात कहने का प्रयास कर रहा हूं, यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार अस्थायी और अस्थिर है तो आपको मालूम है कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है।

[श्री मुरली देवरा]

मैं माननीय वित्त मंत्री से अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने सहकर्मियों को एक साथ रखें। उन्हें एक स्वर में बोलना चाहिए कि आर्थिक सुधारों के संबंध में क्या हो रहा है, क्या आप इस क्षेत्र में विदेशी भागीदारी की अनुमति देंगे अथवा नहीं। कोई पोटैटो चिप्स कहता है तो कोई माइक्रोचिप्स। आइबीएम क्या है? जब जार्ज फर्नान्डीज ने आईबीएम को कोकोकोला के साथ निकाल बाहर किया था—मैं कोको कोला के बारे में बात नहीं कर रहा हूं-क्या आपको पता है कि हमारे देश ने कितना तकनीकी विकास खो दिया था? कोई उसे याद नहीं कर रहा है। आज भी भाजपा के लोग बात कर रहे हैं कि हम माइक्रोचिप्स के पक्षधर है, पोटैटो चिप्स के नहीं। आईबीएम पोटैटो चिप्स के लिये नहीं है। मैं केवल एक यही उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूं। वित्त मंत्री महोदय, कृपया इस विसंगति को दूर कीजिए।

एक दूसरा कारण था भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट। अन्ततः, वित्त मंत्री महोदय, आप यहीं बैठकर मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मैंने आपको उसी दिन बता दिया था। आपको पता है कि आज डालर का मूल्य क्या है। यह 32 रु. से ऊपर है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। आप कह सकते हैं कि 50 वर्षों से तो आप ही सरकार में थे और आप क्या कर रहे थे? मैं यह नहीं कह रहा हूं। हम यहां वाद-विवाद का अंक नहीं बटोर रहे हैं। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि स्थिति ऐसी हो गयी है कि डालर के मुकाबले रुपये का मूल्य न्यूनतम हो गया है और यह और भी नीचे गिरेगा। उसी समाचार पत्र के निम्नलिखित बात भी कहीं गई है:-

> "छः महीने तक फारवर्ड कवर प्रक्रिया का मूल्य अलग से 10 प्रतिशत।"

मुझे विश्वास है कि आपको इसके बारे में पता है। श्री मदनलाल खुराना, यदि आज यह 42 रु. है तो यदि आप छः महीने बाद भारतीय रुपये के बदले डालर खरीदेंगे तो आपको 46 रु. का भुगतान करना होगा।

[हिन्दी]

42 रुपये पर चार रुपये 80 पैसे और देने पड़ेंगे?

[अनुवाद]

आपतो पता होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं मात्र एक मिनट लूंगा। आप इन सभी को बजट से जोड़ रहे हैं।

श्री मुरली देवरा : जी हां।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि एक अन्य सेन्सैक्स, हांगकांग का हैंगसन आज 80000 अंकों से नीचे गिर गया। यह तीन वर्षों में पहला मौका है कि यह उस स्तर तक जा पहुंचा है।

श्री मुरली देवरा : क्या आप उसे न्यायोचित ठहरा रहे हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : जी हां, आपको तथ्यों की जानकारी है।

श्री मुरली देवरा : जी हां, मुझे उसकी जानकारी है। मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा।

श्री यशवंत सिन्हा : जापानी येन सात वर्षों के निम्न स्तर तक पहुंच गया है। कल यह 141 था।

श्री मुरली देवरा : यह 135 है। मुझे पता है।

श्री यशवंत सिन्हा : यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हैं।

श्री मुरली देवरा : क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मुझे पता है कि आप उससे संतुष्ट हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं नहीं हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा : चूंकि किसी के घर में आग लगी है इसलिए आप चाहते हैं कि आपके घर में भी थोड़ी आग लगनी चाहिए। मुझे पता है।

श्री यशवंत सिन्हा : श्री मुरली देवरा, मैं आपको एक बड़ा विद्वान व्यक्ति मानता था। अतः मैंने सोचा कि मुझे इन तथ्यों को आपके ध्यान में लाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा : कृपया मेरी बात सुनिए ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : मैं तो मात्र तथ्यों को बता रहा हूं। मैं कोई संतोष व्यक्त नहीं कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा : ये ही तथ्य हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, हांगकांग और मलेशिया जैसे सुदूर पूर्वी देशों में ऐसा हुआ है। किन्तु हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मात्रा में या कुछ हद तक उनके साथ जुड़ी हुई है। पहले, उनके साथ ऐसा हुआ था, किन्तु अब नहीं। हमारे मामले में, यह आज बजट के बाद ही क्यों घटित हो रहा है? इंडोनेशिया का रुपया 272 प्रतिशत तक गिर गया था। थाईलैंड, मलेशिया और इन सभी देशों ने छह अथवा आठ महीने पहले

घाटा उठाया था। उस समय हमारे रुपये पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप इस तथ्य से अपने को दिलासा अथवा तसल्ली न दें कि पड़ोसी के घर में भी समस्या है और इसलिए मेरे घर में भी एक समस्या हो तो क्या ...*(व्यवधान)* आप भारत के वित्त मंत्री हैं। आप कृपया यह न करें। मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूंजी बाजार के निर्माण के लिए कुछ करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने अपने भाषण के पृष्ठ 14, पैरा 44 में कहा कि वह पूंजी बाजार को मजबूत करने के उपाय करने वाले हैं। पांच दिनों में, पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या उपाय किये हैं? मुझे विश्वास है कि आप इसके बारे में जानते हैं। जो कुछ उपाय वह लेकर आए हैं, वे पूंजी बाजार के लिए विनाशकारी ही साबित होंगे। मंत्री जी, आप पर्याप्त उपाय नहीं कर पाए है। हमें इस पर और बहस नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे कुछ और उपाय करने का अनुरोध करता हूं। हो सकता है, आपने और अधिक उपाय किया हो। किन्तु यह असफल हो चुका है और अब आप परिणाम देखेंगे। अब, कृपया कुछ और उपाय करें।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। यह समाचार था कि कंपनियों द्वारा शेयरों की वापसी खरीद की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जानता है। मैंने परसों राजस्व सचिव श्री एन.के. सिंह का वक्तव्य देखा, जिसमें कहा गया है कि शेयरों की वापसी खरीद गति मिलती और उससे पूंजी बाजार को बढ़ने में सहायता मिलती। मैं जानता हूं कि आपको अपने सहकर्मी, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री की ओर से समस्या है। आपने श्री खुराना की सहायता ली होती। वह आपसे सहयोग करते। भारत सरकार के राजस्व सचिव ने भी परसों वक्तव्य दिया कि यह मुद्दा वित्त मंत्रालय से नहीं, बल्कि विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से संबंधित है। वास्तव में, यही मेरा आरोप है। मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय नहीं है। यदि महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बीच समुचित समन्वय नहीं है, तो क्या होगा? हम सभी इसके बारे में जानते हैं। अत:, मेरा अनुरोध है कि आपको यह उपाय करना चाहिए, जो कुछ हद तक शेयर बाजार और पूंजी बाजार को अर्थक्षम बनाने में सहायता कर सके।

अब मैं अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश पर आता हूं। मंत्री जी आपने कहा है कि आपने अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश की अधिकतम सीमा को बढ़ाया है। यदि कोई विदेशी किसी कम्पनी में शेयरों की अधिकाधिक मात्रा में खरीद कर ले, तो क्या होगा? निस्सन्देह, हमें विदेशी निवेश की आवश्यकता है। आज हमारे देश में नौ खरब डालर का विदेशी निवेश है, जिसका मूल्य 72,000 करोड़ रुपये है। यह नौ खरब डालर है। इस समय हमारे देश में सर्वाधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। मेरे पास मेरिल एंड लाइंच के आंकड़े हैं। आप इन सभी बातों के बारे में जानते हैं। इसलिए, मैं आपको उनके बारे में बताना नहीं चाहता। विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक मात्रा में बाहर जाना, केवल एक ही सप्ताह में, एक जून से 6 जून तक हुआ है। मुझे ये आंकड़े मिले हैं। मैं सम्पूर्ण सदन को इन आंकड़ों से उबाना नहीं चाहता ...*(व्यवधान)* किन्तु, मैं आपको यह बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कृपया विदेशी मुद्रा बाहर जाने की इस प्रवृत्ति को रोकें। अन्यथा, हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति नीचे चली जाएगी। हमारा ऋण-सेवा अनुपात ऊपर जाएगा और इससे हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

एक अन्य मुद्दा यह है कि जो विदेशी निवेशक हैं, उन्हें इस बात की चिंता है कि जब वे विनिवेश के माध्यम से अपने लाभ अथवा हानि को लेकर जाएंगे, उस समय उनकी स्थिति क्या होगी, यदि रुपया गिरता है। यह इसलिए है, क्योंकि जब उन्होंने निवेश किया, तो डालर का मूल्य 36 रुपये था और जब वह इसे बेच रहे हैं, तो डालर का मूल्य 42 रुपये है। वे उसमें छह रुपये खोने जा रहे हैं, जो 11 से 12 प्रतिशत होता है। कृपया उन्हें अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को पूरा करने की अनुमति दी जाए। मैं समझता हूं कि इसकी अनुमति नहीं दी गई है। मैं जो सुझाव देना चाहता हूं, वह यह है कि विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रक्षात्मक सुविधा की अनुमति दी जाए। इससे भविष्य में होने वाले लाभ-हानि प्रभावित नहीं होगी। वित्त मंत्री जी, कृपया इस मुद्दे पर विचार करें।

पिछले कुछ वर्षों में, हमने देखा है कि वित्तीय कम्पनियों, वृक्षारोपण कम्पनियों की संख्या में सामूहिक निवेश योजना के जरिये भारी वृद्धि हुई है। मैं उन कम्पनियों के नाम नहीं बताना चाहता। किन्तु कुछ कम्पनियों के पास पचास लाख की प्रदत्त पूंजी थी। क्या आप जानते है, उन्होंने कितना पैसा संग्रह किया है? उन्होंने 700 करोड़ रुपये संग्रह किया है। माननीय वित्त मंत्री इसके बारे में जानते हैं और कुछ किया गया है। मैं समझता हूं कि अब सेबी उसकी निगरानी कर रही है। कृपया इन कानूनों को सख्त बनाइए। हम अपने देश के गरीब निवेशकों को अपनी मेहनत के कमाए धन और बचत को इन कम्पनियों में खोने की अनुमति नहीं दे सकते। मैं समझता हूं, आप जानते है कि मुंबई में क्या हुआ। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यह ऐसा समय है, जब सेबी और अन्य संस्थानों को इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। इन कम्पनियों पर नियंत्रण रखने और रोक लगाने के लए निवेशकों में ऋण व्यवस्था के संबंध में जागृति आनी चाहिए। ऋण योग्यता अभिकरणों को सार्वजनिक ऋण योग्यता देने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि किसी कम्पनी की 500 करोड़ रुपए की खराब योग्यता है, तो ऋण योग्यता अभिकरण कहते हैं कि कम्पनी को 'सी माइनस' ऋण

[श्री मुरली देवरा]

गोग्यता मिली है और इसे किसी को खरीदना नहीं चाहिए। हमें अ ने निवेशकों को शिक्षित करना चाहिए। उन्हें अपनी आस्तियों को बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अधिकांश बेईमान कंपनियों ने जिन्होंने बड़े शहरों और छोटे-छोटे कस्बों में छोटे और निर्धन निवेशकों को ठगा था, अपनी आस्तियां बेच दी है।

जब हमने परमाणु परीक्षण किए, तो अमरीका ने हमारे विरुद्ध प्रतिबंधों की घोषणा की। अब भी, कोई नहीं जानता कि विश्व बैंक, ए.डी.बी., आई.बी.आर.डी. जैसी अन्य एजेंसियों से मिलने वाले ऋण और सहायता भी प्रभावित होंगे। मैं इसे समझता हूं, जैसा कि रिपोर्टों में मैंने पढ़ा है कि इन दो सप्ताहों में विश्व बैंक ने उन ऋणों को दो बार स्थगित किया है जो भारत के लिए स्वीकृत हो चुके थे। मैं अभी वाशिंगटन गया था। मुझे बताया गया कि जब वास्तविक मतदान होगा, और यदि अमरीका, जापान और एक और देश प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करते हैं, तो भारत को यह नहीं मिलेगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप इसके बारे में जानते हैं।

मैं आपको एक और सुझाव दूंगा। मुझे याद है एक बार श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने इस सभा में कहा था कि 12 बिलियन डालर से अधिक की अप्रयुक्त सहायता राशि आने वाली थी। आप अच्छी तरह जानते है कि हम उस पर प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान कर रहे हैं। यद्यपि यह छोटी धनराशि है, फिर भी हम उस पर प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान कर रहे हैं। विश्व बैंक के अधीन कार्यरत परियोजनाओं को कारगर बनाना चाहिए। श्री सरपोतदार जी, आपको मुंबई की जल आपूर्ति और मल व्ययन परियोजना का मामला याद होगा। जब मैं मुंबई का महापौर था, मैंने इस परियोजना के बारे में वित्त मंत्री के साथ बात-चीत की थी। क्या आप जानते हैं कि इसको वित्त मंत्रालय से प्राप्त करने और उसे मुंबई नगर निगम को देने में कितना समय लगा। मैं समझता हूं कि इसी तरह की समस्या का सामना कलकत्ता भूमिगत परिवहन कर रहा है। कृपया कम से कम अब तो इस विभाग को कारगर बनाइए, जब हमारी बहुत सी परियोजाएं उपेक्षित हैं अथवा अनिश्चितता की स्थिति में हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें वह रुपया मिलेगा अथवा नहीं। मेरा आपको सुझाव है कि कृपया इन परियोजनाओं को भी देखें, जिनको रुपया मिलने वाला है। उन मामलों में जहां धन की स्वीकृति करके संवितरण नहीं किया गया है, तेजी से संवितरित करना चाहिए। इस संबंध में लाभार्थियों की सहायता करनी चाहिए।

एक अन्य मुद्दा यह है कि हमें न केवल राजनयिकों और सांसदों को, अपितु व्यापारिक समुदाय के नेताओं को भी, विश्व बैंक और विश्व में कार्यरत अन्य संस्थाओं में भेजना चाहिए ताकि वे उन देशों में जाकर वहां के व्यापारिक नेताओं को बता सकें कि यह हमारी जरूरत थी, इसलिए हमने परमाणु परीक्षण किए। भारत का उद्देश्य युद्ध नहीं करना है।

जो कुछ दबाव भारत सरकार पर है, हमें उस दबाव के बारे में व्यापारिक समुदायों के पास जाकर बताना चाहिए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमरीका और अन्य देशों में — श्री सोमनाथ चटर्जी, आपको एक वामपंथी होने के नाते खुश होना चाहिए — व्यापारिक मामला क्या है। मुझे याद है, उस समय मैं यूरोप में था, जब बीजिंग में टीनामन चौक कांड हुआ, जहां चीन की सरकार ने सैकड़ों युवा छात्रों को बीजिंग में उस चौक पर मार दिया। तब अमरीका को चीन के विरुद्ध भारी प्रतिबंध लगाने पड़े। पर प्रत्येक व्यक्ति जानता है उस समय न केवल अमरीकी सरकार ने, बल्कि अमरीकी लोगों ने भी उन प्रतिबंधों का समर्थन किया था। किन्तु यहां इस मुद्दे पर अमरीकी सरकार हमारे विरुद्ध हैं किंतु अमरीकी लोग हमारे विरुद्ध नहीं हैं।

मैं चीन की बात कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? सात महीने के भीतर, अमरीकी विदेश मंत्री चीन गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा दिया। तब वे यही बात कर रहे थे।

अभी हाल ही में चीन के प्रेसीडेंट ने अमरीका के पश्चिमी भाग का दौरा किया। वे लास एंजिलस अथवा सेन फ्रांसिसको जाने की बजाय सीधा सोट्टल वाशिंगटन गये क्योंकि वे पांच बिलियन डालर मूल्य के हवाई जहाज खरीद रहे हैं। आप वह जानते हैं। इसीलिए बिल क्लिंटन जी आज वहां जा रहे हैं।

महोदय, भारत का बाजार बहुत बड़ा है। आज अमरीका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी, आपसे अनुरोध करूंगा और आशा करता हूं कि आप भी कुछ समय निकालकर वहां जायेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे वहां गये थे।

श्री मुरली देवरा : वे पहले गये थे। अब वे यह महसूस करेंगे। उन्हें नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा है। दुर्भाग्य से समस्या यह है कि वित्त मंत्रालय और भारत सरकार को अभी तक यह नहीं मालूम कि आर्थिक प्रतिबंधों के संबंध में क्या हो रहा है। कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। आज हमारी वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक थी जहां प्रत्येक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि अगला विषय भारत पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का संभावित प्रभाव होना चाहिए। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ऐसा करेंगे।

महोदय, मैं श्री सिन्हा के भाषण जो उन्होंने पिछले वर्ष विपक्ष के नेता के रूप में दिया था से एक पंक्ति उद्धृत कर रहा हूं— उनकी फोटो काफी अच्छी है, उनकी फोटो अच्छी आती है— इससे पहले वे धर्मनिरपेक्ष पार्टी में थे। वह पार्टी जिसे वह हमेशा सांप्रदायिक कहते रहे, या तो वह पाटी सांप्रदायिक नहीं है या फिर वह सांप्रदायिक हो गये हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता ...*(व्यवधान)*

महोदय मैं सिन्हा जी का उद्धरण दे रहा हूं। उन्होंने कहा है:

"भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या बेरोजगारी है।"

यह पिछले वर्ष के बजट के बारे में है। उन्होंने यह भी कहा है:

> "इस समस्या का बजट में उल्लेख तक नहीं किया गया है, इसका बहुत ही कम समाधान किया गया है।"

उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन उन्होंने किया क्या है? उन्होंने कुछ नहीं किया। आप भा.ज.पा. का एजेंडा भूल गये हैं। मैं नहीं जानता कि आप व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय एजेंडा में यह कहा गया है कि आप एक करोड़ नौकरियां देंगे। मैं उन पत्रों को यहां लाकर अपने दिमाग पर जोर नहीं देना चाहता। वहां यह दो बार लिखा गया है कि: **बेरोजगारी हटाओ**। "बेरोजगारी दूर करो।" माननीय वित्त मंत्री जी ने बेरोजगारी दूर करने के लिए यहां क्या किया है? उन्होंने इसे दूर करने के लिए बजट में काई प्रावधान नहीं किया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं—कि इन दो वर्षों में क्या हो रहा है - यह उनका दोष नहीं है। **इंडिया टुडे** में एक आवरण कथा छपी थी और वह मेरे पास है और मैं आशा करता हूं आपने यह पढ़ा होगा ...*(व्यवधान)* ... श्री सोमनाथ चटर्जी, आप और मेरे अन्य वामपंथी मित्र, बसुदेव आचार्य जी भी यह देखें कि नौकरी देने के संबंध में क्या हो रहा है? पिछले दो वर्षों में दो लाख लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। एक लाख लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से अपनी नौकरियां छोड़ चुके हैं। यद्यपि, उन्हें कुछ क्षतिपूर्ति की गई थी लेकिन उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। और एक लाख लोग मुकदमे अथवा बी आई एफ आर के द्वारा अथवा फैक्ट्री बंद हो जाने अथवा नौकरी से निकाल दिए जाने अथवा किसी अन्य कारण से नौकरी विहीन हैं ...*(व्यवधान)* श्री सोमनाथ चटर्जी, केवल यही एक मुद्दा है जहां मैं वामपंथी हूं अथवा आपसे ज्यादा वामपंथी हूं। अन्यथा आप जानते हैं कि मैं क्या हूं ...*(व्यवधान)* ...महोदय, मुम्बई सीमेन्स में 2000 से अधिक लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त हो गये हैं। टाटा ग्रुप में वर्ष 1992-93 में 78,000 कर्मचारी थे जो अब घटकर 68,760 रह गये हैं अर्थात इसमें 10,000 कर्मचारी कम हो गये हैं।

अधिक परियोजनाएं प्रारंभ किए जाने के बावजूद रोजगार घटता जा रहा है। नौं निजी एयरलाइन्स बंद कर दी गई हैं जिनके परिणामस्वरूप पांच हजार लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। मोदीलुफ्त, दामनिया एयरलाइन्स उनमें शामिल हैं। जिन लोगों को पहले प्रतिमाह 30,000 रुपये वेतन मिल रहा था, अब वे बेचारे 3000 रुपये या 4000 रुपये प्रतिमाह पर भी कार्य कर रहे हैं। वे चंद रुपयों के लिए भी कार्य कर रहे हैं क्योंकि नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी क्षेत्र में कोल इंडिया को ही लीजिए। श्री आचार्य जी, यह आपके लिए है। उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अंतर्गत 34,000 लोगों को सेवानिवृत्त करने के लिए 600 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने की योजना है। मेरे पास इसकी प्रति है। यह **इंडिया टुडे** की आवरण कथा में शामिल है जिसमें आपने नौकरियों के बारे में कहा था और आपने बेरोजगारी हटाओ योजना जैसी कोई चीज न लाने के लिए श्री चिदम्बरम को दोषी ठहराया था। आप क्या करने जा रहे हैं? आपने इस बजट में भी कुछ नहीं किया है। सच बात तो यह है कि आपका बजट और अधिक बेरोजगारी पैदा करेगा। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे यह कहते हुये खुशी नहीं हो रही है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस दिशा में कुछ कीजिए। यहां तक कि अमरीका जैसे पूंजीवादी देश में भी जहां निष्कासन नीति (एग्जिट पालिसी), काम लेकर बाहर निकाल फेंकने की नीति (हायर एंड फायर पालिसी) है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : यह सारी करतूत आपकी सरकार की है।

श्री मुरली देवरा : गोयल जी, आप तो ज्यादा दिन तक हैं ही नहीं, ज्यादा दिन तक रहेंगे भी नहीं, तो कहां से पाप होगा।

[अनुवाद]

वह मेरे मित्र हैं, वह एक व्यापारी हैं। वह आज बोल नहीं सकते। **मिठाई वाले** आज प्रात: उनके घर गये थे और उनकी खूब आलोचना की। क्या किया जाये, तब भी उन्हें बजट का समर्थन करना होगा।

[हिन्दी]

यशवंत सिन्हा जी, जब इलैक्शन होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी क्या हालत होगी। दिल्ली के मिठाई वाले आए, मैंने आपको बताया।

[श्री मुरली देवरा]

[अनुवाद]

मैंने उन्हें नाम दे दिये थे और उनसे कहा कि कृपया इन **मिठाई वालों** के लिए कुछ कीजिए। कृपया उन लोगों को नाराज मत कीजिए जो मिठाई बेचते हैं, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जायेंगे।

यहां तक कि अमरीका में भी उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है जो अपनी लाभकारी नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं। मुझे इस संबंध में एक सुझाव देना है। मेरे पास इस संबंध में एक टिप्पण है, मैं इसे आपके पास भेज दूंगा। मेरा सुझाव है कि भारत के प्रत्येक छोटे ब्लॉक में बहुत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जायें। देश में 700 ब्लॉक हैं। आप प्रत्येक ब्लॉक में 500 लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। वे इसे 'कलाकौशल में प्रशिक्षण' कहते हैं। वे बढ़ईगीरी, राजगीरी, सिलाई, लुहारगीरी, बिजली, मोटर, यांत्रिकी में और शहरों में कम्प्यूटरों में प्रशिक्षण देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय विद्या भवन में इस प्रकार का कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया हैं। मैं श्री सरपोतदार को एक बार मुम्बई आकर यह सब देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। माइक्रोसाफ्ट हैदराबाद में भी एक लगाने जा रही है। मि. बिल गेट्स आपके मुख्य मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने इस संगठन का वित्तपोषण किया है। मैं इस संगठन का वाइस चेयरमैन हूं। मैंने उनसे कलकत्ता के बारे में बात की थी। जिन लोगों को प्रतिमाह 1700-1800 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही थी, उन्हें कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 4500 रुपये अथवा इससे भी अधिक रुपये मिलने लग गये हैं। यह योजना विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अच्छी चल रही है। इसलिए, कृपया हमारे देश के 700 ब्लाकों में से प्रत्येक ब्लाक में भारतीय तकनीकी संस्थानों (आई.टी.आई.) के द्वारा शहरी क्षेत्रों में कुशलता सृजन के इस विचार को बनाये रखें। यह काफी हद तक सहायक होगा।

मैं शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को समाप्त करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। आप कलकत्ता में रहते हैं, इसलिए आप नहीं जानते। मैं मुम्बई में रहता हूं इसलिए मैं जानता हूं कि धोखेबाज बिल्डर्स क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमारे महानगर में भूमि की कृत्रिम कमी पैदा कर दी है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : ऐसा भाषण देकर आपने खराब कर दिया।

श्री मुरली देवरा : मैंने सच्ची बात बोली है। आपको पता नहीं है मैं आपको बताऊंगा।

[अनुवाद]

यह अधिनियम 1976 में आया था। मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में अभी तक एक प्रतिशत भूमि भी अधिगृहीत की गई है।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसको छोड़ो, इसको बोलने का क्या मतलब है।

[अनुवाद]

वे जहां सही होंगे मैं उन्हें बधाई दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : सब गरीबों को शहर से बाहर कर दिया।

श्री मुरली देवरा : गरीब शहर से बाहर नहीं हो रहे हैं, गरीबों को इससे सस्ते घर मिलेंगे, आप मेरी बात मानिए।

[अनुवाद]

मेरी राय यह है कि हालांकि केन्द्र सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है - जैसा कि आवास मंत्री ने इसकी घोषणा की है - इसे स्वीकार करना राज्यों पर निर्भर है।

मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे स्वीकार नहीं किया है। यह राज्य सरकारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि वे शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को समाप्त करने के लिए इस कानून को स्वीकार करें।

हम इस बात से सहमत हैं कि काफी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी काफी अधिक संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन उनके लाभ के लिए केवल एक ही बार ही एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसे 'शहरी निर्धनों के लिए स्वनियोजन हेतु नेहरु रोजगार योजना' कहते हैं। आज बैंकों ने इस कार्यक्रम में गड़बड़ी कर दी है। बैंक लोगों को निधियां नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जब वह अगली बार मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई का दौरा करें तो इस बात का पता लगाये कि इस कार्यक्रम का क्या हो रहा है।

मुम्बई जैसे शहरों में 'सार्वजनिक परिसर बेदखल अधिनियम' के नाम से एक अधिनियम है। मैं जानता हूं कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान माननीय मंत्री महोदय ने शहर की सहायता की

थी। बेदखली पुनः की जा रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया गरीब किरायेदारों को पुनः इमारतों से बाहर निकाल रहे हैं। यद्यपि संसद ने इस अधिनियम को पारित कर दिया है, फिर भी यह हो रहा है और इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से गरीब काश्तकारों के बचाव के लिए आगे आने का अनुरोध करता हूं। मैं उनसे जीवन बीमा निगम को निर्देश देने का अनुरोध करता हूं। वे सैकड़ों काश्तकारों को बाहर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें उस क्षेत्र में विद्यमान अधिनियम का पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपके सहयोग और सहायता तथा आपके मार्ग-निर्देशन में हमने पिछले सप्ताह इस सदन में चर्चा की थी। यह चर्चा फसलों के नष्ट हो जाने के कारण किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के संबंध में थी। इस पर **इंडिया टुडे** ने विशष लेख प्रकाशित किया था। किसानों के साक्षात्कार थे। उन्होंने आत्महत्या क्यों की? साधारण बीमा निगम फसल बीमा व्यवसाय में संलग्न है। हाल ही में, फसल बीमा योजना पर भी प्रश्न उठाया गया था। मैं, आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस बीमा योजना के लिए साधारण बीमा निगम के पास निधियों की उपलब्धता जरूर बढ़ानी चाहिए। वास्तव में, मैं नहीं जानता कि इसके बारे में आपको ऐसा कहना मेरे लिए उचित होगा अथवा नहीं जी.आई.सी. को इस व्यवसाय में रूचि ही नहीं है। वह सुझाव दे रहे हैं कि नाबार्ड, एल.आई.सी. और जी.आई.सी. तथा बजट पारित होने के बाद भारत में आने वाली अन्य बीमा कम्पनियों की सहायता से एक पृथक फसल बीमा निगम स्थापित किया जाए। यह घोषणा की गई है कि बीमा व्यवसाय निजी क्षेत्र में चला जाएगा। इसलिए, निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर जिम्मेदारी डालिए। हमें किसी भी कीमत पर अपने किसानों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

आज, 1100 करोड़ रुपये मोटर वाहन बीमा पर गंवाया जा रहा है। यदि कोई कार दुर्घटना होती है, तो हम जी.आई.सी. से स्वतः बीमा संरक्षण प्राप्त करते हैं। जी.आई.सी. 1100 करोड़ रुपये गंवा रहा है। यदि वे इस पर 1100 करोड़ रुपये खो सकते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है, वे हमारे उन किसानों को और अधिक धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं, जिन्होंने असहाय होकर आत्महत्या की है क्योंकि उसके ऋणदाता उन्हें परेशान कर रहे हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से केवल यही अनुरोध है कि एक नया निगम बनाया जाए, जो हमारे किसानों को और अधिक धनराशि देकर उनकी सहायता करेगी और उन्हें बचाएगी।

माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि बीमा क्षेत्र में निजी भागीदारी होगी। उनका सौ प्रतिशत 'भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों' से क्या अभिप्राय है? यदि एस.डी.एफ.सी. बैंक अथवा बीमा कम्पनियां शुरू करता है, तो उनके पास उनके अपने पांच और चालीस प्रतिशत के बीच विदेशी शेयर होंगे। यदि माननीय मंत्री जी बीमा क्षेत्र सुधारों पर मल्होत्रा समिति का प्रतिवेदन देखें - यह डा. मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था - वह पाएंगे कि इसमें कहा गया है कि बीमा व्यवसाय का निजीकरण विदेशी बीमा कम्पनियों की अल्प भागीदारी के साथ होना चाहिए।

मैं विदेशी बीमा कम्पनियों की वकालत क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी बीमा कम्पनियां प्रौद्योगिकी दृष्टि से काफी सहायता कर सकेंगी और वे काफी निवेश भी कर सकेगी। मैं यहां बैठे अपने दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूं। आज भारत में विदेशी बीमा कम्पनियां अपने आप कार्य नहीं कर रही हैं। मुझे विश्वास है कि आपको, खुराना जी, एयर इंडिया का जम्बों जेट कनिष्क एयरक्राफ्ट 747 का प्रसिद्ध अथवा बदनाम मामला याद होगा, जो अटलांटिक महासागर में गिर गया था। उसको कितने वित्त दिया? अमरीकी बीमा कम्पनी ने उसे वित्त दिया। जी.आई.सी. ने बहुत कम राशि दी। जी.आई.सी. ने केवल 60 लाख रुपये का भुगतान किया। जी.आई.सी. और अन्य भारतीय कम्पनियों का 97 प्रतिशत व्यवसाय पुनर्बीमा के माध्यम से होता है। बीमा विदेशी कम्पनियों द्वारा होता है। इसलिए, विदेशी कम्पनियां पहले से ही बीमा क्षेत्र में हैं, चाहे आप पसन्द करें अथवा नहीं। एक बात जरूर देखनी चाहिए कि बीमा कम्पनियों में कितना भ्रष्टाचार है।

[हिन्दी]

दो लाख लोगों का मोर्चा, उसमे यह चलने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : मैं देख रहा हूं कि वामपंथी दोस्तों का उत्साह अब ठंडा पड़ गया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : नहीं, इनकी पार्टी ने भी विरोध किया था ...*(व्यवधान)* बी.जे.पी. ने भी विरोध किया था। ये दोनों तरफ से हैं। ...*(व्यवधान)* अपनी पार्टी की ओर से पास करा दें, फिर देखा जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : मेरी पार्टी भी मेरे द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को स्वीकार नहीं कर सकती। इन सुझावों में से कुछ मेरे अपने सुझाव हैं।

[श्री मुरली देवरा]

यह देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है ...*(व्यवधान)* मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं जानता हूं कि हमें बीमा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और वित्त की आवश्यकता है। किन्तु जिसकी हमें अधिक आवश्यकता है, वह पारदर्शिता हैं। बेहतर होगा, यदि गुप्त रूप से पुनर्बीमा व्यवसाय के स्थान पर भारत में बीमा कम्पनियों में उनका अपना चालीस प्रतिशत शेयरों में हिस्सा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर व्यवस्या पुनर्बीमा द्वारा होता है। यह अधिकाधिक रोजगार सृजन में सहायक होगा। कृपया निर्णय पर पुनर्विचार करें।

मैं कुछ शब्द तेल के संबंध में कहना चाहता हूं। भारत के कुल आयात पर होने वाले खर्च का एक तिहाई खर्च तेल और पेट्रोल रसायन के आयात पर होता है। इस समय हम तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 10 खरब डालर खर्च करते हैं। सौभाग्य से, तेल के दामों में गिरावट के कारण यह अब कम हो गया है। यह चार अथवा पांच डालर कम हो गया है। नई खोज लाइसेंस नीति को पुन: सक्रिय करने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा इसकी घोपणा की गई थी, किन्तु उसे कारगर नहीं बनाया गया है। इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं आपसे नई खोज लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) को कारगर बनाने का अनुरोध करता हूं। लोगों को पता चलना चाहिए कि उस नीति का क्या हुआ। बोलीदाताओं को दस्तावेज नहीं दिए जाते हैं और उन्हें तेल क्षेत्र के बारे में ब्यौरा नहीं दिया जाता। ओ.एन.जी.सी. और आयल इंडिया को उन पर वरीयता दी जाती है। ओ.एन.जी.सी. पर आयकर कम है, जबकि अन्य कम्पनियों पर अधिक है। मुंबई हाई में नीलम एक तेल क्षेत्र है। प्रौद्योगिकी समस्या के कारण उस तेल क्षेत्र में तेल का उत्पादन दो तिहाई तक कम हो गया है।

मैं समझता हूं कि कैलटैक्स जैसी बड़ी कम्पनियों की बोलियां लम्बित पड़ी है। सरकार को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए कि ये बोलियां ठीक हैं। गहरे पानी में छिद्रण के लिए, जहां हाईड्रोकार्बन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, भारत में भूभौतिकीय और भूगर्भीय सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। हमें इन बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियों की सहायता लेनी चाहिए। मुझे बताया गया कि बंदरगाहों में, विशेपकर मुंबई बंदरगाह में स्थान की अनुपलब्धता के कारण देश विलम्ब शुल्क में 150 खरब अमरीकी डालर गंवा रहा है। वे गुजरात अथवा महाराष्ट्र के निकट अथवा कहीं और माल-नौकाएं और छोटी पत्तन बना सकते है। हम इस पर इतना अधिक घाटा क्यों उठाए? मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस पहलू पर गौर करेंगे।

अब मैं विद्युत क्षेत्र पर आता हूं। मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की उप समिति का संयोजक रहा हूं। हम फास्ट ट्रेक विद्युत परियोजना की जांच कर रहे थे।

पांच वर्ष पहले भारत सरकार ने 8 फास्ट ट्रेक विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। उनमें से 6 अभी तक निष्क्रिय पड़ी हैं और केवल दो ही चालू हैं। 6 फास्ट ट्रेक विद्युत परियोजनाओं का कोई ट्रेक नहीं है, जिन्हें आप पांच वर्षों से फास्ट ट्रेक कह रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी समस्या ईंधन आपूर्ति समझौते (एफ.एस.ए.) को अन्तिम रूप देने की है। कोल इंडिया का कहना है कि उसके पास कोयला है अथवा नहीं, किन्तु रेलवे माल डिब्बे नहीं हैं। जब उसके पास माल डिब्बे होते हैं, तो उसका कहना है कि इसे पर्यावरण मंत्रालय से मंजूर किया जाना है। जो भी पर्यावरण मंत्री बनता है, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के बारे में उसका अपना मानक होता है, जिसे हम सभी जानते हैं। इसलिए, इसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय के साथ प्रभावी समन्वय होने की आवश्यकता है। पर्यावरण मंत्रालय को परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देनी चाहिए। वे अनेक वर्षों से लम्बित हैं। कैबिनेट सचिव के सभापतित्व में एक समिति की स्थापना से उन्हें बहुत सहायता मिलेगी।

जब श्री इन्द्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, तब एक मिति गठित की गई थी, जिसे न्यायमूर्ति भगवती समिति के रूप में ाना गया। यह देखने के लिए कि समिति के पिछले प्रतिवेदनों का या हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। हम विद्युत परियोजनाओं को शी कार्यान्वित करने के लिए समितियां बनाते हैं। यहां बैठे मेरे दोस्त जानते है दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में वास्तविक विद्युत संकट है। हमें इसे रोकना चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर चिंतित है। यह स्थिति उत्पादन पक्ष से संबंधित है।

यदि आप वितरण पक्ष को देखें, तो आप पाएंगे कि यह बहुत चिंताजनक है। हम वितरण के बारे में कोई भी बात नहीं करते। वितरण पक्ष में बहुत सी चोरियां और घपले हुए हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार वितरण को निजी क्षेत्र को सौंपने – न केवल उत्पादन का निजीकरण करने, बल्कि वितरण को भी निजी क्षेत्र को देने, की योजना बनाने के बारे में क्यों नहीं सोच रही है।

राज्य बिजली बोर्डों को एन.टी.पी.सी. अथवा बी.एच.ई.एल. को जो उन्हें विद्युत और उपस्कर सप्लाई करते हैं 5000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी को यह योजना तैयार करने के लिए बधाई देता हूं। मेरे विचार से, चूंकि राज्य बिजली बोर्डों के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान नहीं किया जाता है इसलिए संबंधित राज्य सरकारों को यह बताया जाना चाहिए कि यह उनकी जिम्मेदारी है और एक नई योजना जिसका माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करना चाहते हैं वह साख पत्र शुरू करने की योजना है इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा

कि जो कंपनियां उन्हें उपस्कर और विद्युत की सप्लाई करती हैं, वे उन्हें प्राप्त होने वाली वैध निधियों से वंचित न हों।

अंततः, मैं वित्त मंत्री जी से यूरिया के मूल्य में की गई वृद्धि को समाप्त करने का अनुरोध करूंगा। मैं समझता हूं कि सभा में यहां बैठे मेरे मित्र, जो स्वयं एक किसान हैं, इसे भली भांति जानते हैं। मैं नहीं समझता कि मैंने फार्म तक देखा होगा। किसान अभी भी यूरिया नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि वे इस इंतजार में हैं कि यूरिया के मूल्यों में और कटौती होगी। वे जानते हैं कि वे लोग कितने मजबूत हैं और हम राजनीतिज्ञों की स्थिति कितनी दयनीय है। इसलिए इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाने की बजाय वापस लेना और इसकी घोषणा करना बेहतर है जैसा कि उन्होंने पहले किया था ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि कुछ किसान आप जितने ही गरीब हैं। कुछ किसान आप की तरह अच्छे हैं और हमें इस बात की खुशी है। महोदय, हमें आप पर गर्व है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी किसान बहुत गरीब हैं।

'मोटवेट रिफंड' पुनः 100 प्रतिशत किया जाना चाहिए। उन्होंने जो प्रणाली तैयार की हैं, वह कोई अच्छी प्रणाली नहीं है। हम ईमानदार करदाताओं को सही संदेश नहीं भेज रहे हैं। यदि उन्होंने कुछ भुगतान किया है, तो उन्हें पूरी राशि रिफंड की जानी चाहिए न कि 90 प्रतिशत, जो कि अच्छी बात नहीं है। 8 प्रतिशत सी.वी.डी. प्रभार को कम किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाये। मैं स्वदेशी उद्योग को संरक्षण देने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन यदि आप केवल भारतीय उद्योग को संरक्षण देंगे तो क्या होगा? दुर्भाग्य से, मेरे मित्र इन्द्रजीत गुप्त यहां उपस्थित नहीं हैं। मैंने सात वर्ष पहले विपक्ष में बैठकर इस सभा में बजट संबंधी चर्चा पर अपने भाषण में कहा था कि एक दिन आई.डी.पी.एल. बंद हो जायेगा। दुर्भाग्य से मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आई.डी.पी.एल. को आज बंद किया जा रहा है क्योंकि हमने उन्हें प्रौद्योगिकीय सहायता नहीं दी है, वे रूस से इस संबंध में पुरानी हो चुकी जानकारी खरीद रहे थे। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि कोई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना नहीं करता है, यदि कोई उन्हें सही प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं करता है जिसके बारे में आप ने कई बार कहा हैं, तो निजी और सरकारी, दोनों कंपनियां ज्यादा समय तक टिक नहीं पायेंगी।

मंत्री महोदय, आप मुम्बई क्लब के बारे में नहीं जानते हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं यह आपको मालूम है।

रात्रि 8.00 बजे

मैं आपको मुम्बई क्लब के बारे में बताऊंगा। ग्यारह वर्षों में स्कूटर के दो मुद्दे आये है। इन ग्यारह वर्षों में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने स्कूटर की गुणवत्ता अथवा कार्यक्षमता में सुधार नहीं किया है, उन्होंने स्कूटर से निकलने वाले प्रदूषण को भी कम नहीं किया है। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें संरक्षण प्राप्त था। बजाज इंडिया लिमिटेड और लोहिया मशीन्स लिमिटेड से स्कूटरों की डिलीवरी में छः वर्ष लगे। यदि आप स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो आपको छः वर्ष पहले स्कूटर बुक करना होगा। हम सभी जानते हैं कि यह सब क्या है। इतना ज्यादा संरक्षण उचित नहीं है। हमारी भारतीय कंपनी को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें प्रतिस्पर्धा करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। यदि वे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी, तो वे अपनी गुणवत्ता और बिक्री के बाद दी जाने वाली सेवा में सुधार नहीं करेंगी।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही एक घंटे से ऊपर समय ले चुके हैं।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, मैं वास्तव में केवल ढाई मिनट लूंगा ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी को अपने नाम के प्रथम अक्षर अर्थात् 'स' से बहुत प्रेम है। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। इसमें कोई बुरी बात नहीं है ...*(व्यवधान)* उन्होंने इस शब्द का तीन बार इस्तेमाल अर्थात् **सरल समाधान** और **सम्मान**। ये बहुत अच्छे शब्द हैं। लेकिन आप स्वयं आज शाम यह सोचें कि क्या अपाने वास्तव में सरल बजट प्रस्तुत किया है अथवा नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपने 'मोडवेट' और इन सभी बातों के बारे में क्या भ्रांति फैला दी है? क्या आप जानते हैं कि मुम्बई में मिठाईवाले विरोध कर रहे हैं और अब यही स्थिति दिल्ली में है।

[हिन्दी]

हमें मिठाई वालों की जरूरत पड़ती है क्योंकि वे भी हमारे वोटर हैं।

[अनुवाद]

वे सभी मेरे वोटर हैं।

कृपया खाद्य प्रसंस्करण को अधिक सरल बनाया जाये। मैं जानता हूं कि वित्त मंत्री जी आयकर विवरणिका भरने के लिए एक पृष्ठ का फार्म लाये हैं। मैंने वह रिपोर्ट पढ़ी थी कि आयकर विभाग इस फार्म के खिलाफ है क्योंकि करदाता से बहुत कम जानकारी मांगी गई है। उन्हें और अधिक जानकारी चाहिए। कृपया स्पष्ट कीजिए ...*(व्यवधान)* इसलिए, मुझे विश्वास है कि **सरल** वास्तव में **सरल** नहीं होगा, **समाधान** में वास्तव में कोई **समाधान** नहीं होगा और **सम्मान** के बारे में आपको **सम्मान** तब मिलेगा जब इन बातों का समाधान होगा। अन्यथा, क्या होगा? हमें लोगों

[श्री मुरली देवरा]

को सतर्क करना होगा। हमें लोगों को आपसे सावधान रहने के लिए कहना होगा। 'आपसे' मतलब है सरकार से, न कि व्यक्तिगत रूप से आपसे। और इस देश को दूसरे लोगों का सत्यानाश करके फलने-फूलने नहीं दिया जा सकता। इस देश को प्रगति करनी होगी, विकास करना होगा। वित्त मंत्री जी, मैं आपसे यह देखने के लिए अनुरोध करूंगा कि आपके द्वारा अनजाने में किए गए कुछ उपायों से जो परेशानी हुई है, उसे दूर किया जाये।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री सिन्हा जी ने इस वर्ष का जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सरकार ने 19 मार्च, 1998 को पद भार ग्रहण किया था। उस समय जो आर्थिक स्थिति थी, वह इतना निराशाजनक थी जिस का जिक्र काफी हद तक मुरली देवरा साहब ने भी किया और बाकी बोलने वाले भी इसका जिक्र करने वाले होंगे।

पिछले पचास वर्षों में इस देश में अधिकांशतः कांग्रेस पार्टी का राज रहा और कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी अगर मैं कहूं कि लगभग एक परिवार का राज रहा तो कोई गलती नहीं होगी। 1956 में कांग्रेस ने समाजवादी व्यवस्था का नारा दिया। 1956 में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नेृत्व में समाजवादी व्यवस्था से चुनी कांग्रेस 1969 में गरीबी हटाओ के नारे से होती हुई 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी की वैश्वीकरण की नीति से निकल कर ...*(व्यवधान)* मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। मैं आपके नेताओं का ही जिक्र कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अगर आपको बजट की समझ नहीं है तो मैं समझा नहीं सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : मुझे पूरी समझ है।

श्री सत्य पाल जैन : कोशिश करिए, और हो जाएगी।

वह स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वैश्वीकरण की नीति से निकलते हुए अंत में सरदार मनमोहन सिंह जी की उदारीकरण की नीति की गोद में बैठ गई। यह परस्पर विरोधी नीतियां थीं। उसी का परिणाम है कि आज देश की आर्थिक स्थिति अस्तव्यस्त होकर रह गई। 1997-98 से पहले 1996 में देश में एक प्रयोग हुआ। लोगों ने कांग्रेस पार्टी को हराया। वामपंथी विचारधारा वाले लोग और कांग्रेस के लोग जिन का विचारधारा के मामले में आपस में कोई मेल-जोल नहीं था, जो एक दूसरे का विरोध करते थे, उन्होंने 1996 से 1998 तक लगभग दो साल के दौर के अन्दर मिलकर एक प्रयास किया। उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत देश को चलाने की कोशिश की। उसका परिणाम यह निकला कि समग्र आर्थिक विकास कम होकर 5 परसैंट रह गया। यह भारत सरकार की फीगर्स हैं।

इस दौर में कृषि विकास का नकारात्मक विकास हुआ। 1996-97 में खाद्यान्न का उत्पादन 199 मिलियन टन था जो 1997-98 में कम होकर 194 मिलियन टन रह गया। यह उन लोगों की नीतियों का परिणाम था जो किसानों के विकास की बात करते थे। मैं इस विषय को थोड़ी देर बाद डील करूंगा।

रात्रि 8.08 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय, औद्योगिक उत्पादन मंदी के कारण मात्र 4.2 परसैंट रह गया था। वह और अधिक कमजोर होने लगा था। राजकोष घाटे की स्थिति निरन्तर बिगड़ती हुई और यह सकल घरेलू उत्पाद का 7.1 परसैंट हो गया था। उस समय आधारभूत बुनियादी सुविधाओं की कठिनाई निरन्तर बढ़ रही थी और देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में थी। 50 साल की नीतियों के बाद यह हमें बताना चाहते हैं कि स्वदेशी क्या है और विदेशी क्या है? पीने का पानी भी गांव के लोगों को यह सरकार दे नहीं पाई थी। एक नहीं, लाखों गांव हिन्दुस्तान में ऐसे हैं जहां 5-6 किलोमीटर दूर पीने का पानी लेने के लिए जाते हैं। बिजली की हालत आज भी खराब है। आपको आज भी हजारों गांव ऐसे मिलेंगें जहां लोगों को बिजली मिल नहीं पाई। हमें ऐसी आर्थिक स्थिति विरासत में मिली।

हमने जो पोखरण परीक्षण किया, उसके कारण विदेशी खतरे भी बढ़े। लोगों को आशंका थी कि बहुत सख्त बजट आएगा। लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कितने टैक्स लगेंगे। देश की जनता मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि इस बजट से भारी टैक्स लगेंगे। वे टैक्स देने के लिए तैयार भी थे। मैं देश के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि वे इन सारी परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिस के कारण जो लोग यह कह रहे थे, बहुत बड़े टैक्स लगेंगे, उनको निराशा हुई। वित्त मंत्री ने उनकी आशंकाएं दूर की और ऐसा बजट पेश किया है जिस का आम जनता ने स्वागत किया है। इसका मजदूरों, किसानों, महिलाओं और आम कर्मचारियों ने स्वागत किया है। इसका समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया।

महोदय, परमाणु परीक्षण के बाद बहुत सारे खतरे हमारे सामने आए थे लेकिन वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उससे लगता है कि उन्होंने बहुत गम्भीरता से बजट

प्रस्तुत किया है। यह हल्के-फुल्के ढंग से लाया गया बजट नहीं है। यह घबराहट से लाया गया बजट नही है। यह बजट सारी स्थितियों का आकलन करके और आने वाले खतरे का एहसास करने के बाद पेश किया गया है।

नेशनल एजेंडा आफ गवर्नेन्स के आने के बाद लगातार इस सरकार ने कहा कि भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा। विदेशी धमकियां आने के बाद जिसे खतरे का हमें सामना करना पड़ा, उसके बावजूद हमारे वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने किसी को धमकियां नहीं दी। उस खतरे को महसूस करते हुए एन.आर.आईज. का आत्मसम्मान जगाने का प्रयास किया गया। उनके अन्दर देशभक्ति की भावना और ज्यादा प्रबल करने की कोशिश की गई, जिस का परिणाम यह निकला कि हमारे एन.आर.आईज. चाहे वे दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, वे सारे भारत को यह संदेश दे रहे हैं कि किसी बात की चिंता मत करिए, अगर सैंक्शन्स आती हैं तो भारत के बाहर बैठा एन.आर.आई. भारत के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। यह संदेश इस बजट ने हम को दिया है।

प्रवासी भारतीयों को एक अच्छा पैकेज दिया गया है जिस के कारण इनकी इनवैस्टमैंट बढ़ेगी। उनका अपने देश के प्रति पूंजी लगाने का लगाव बढ़ेगा। विदेशी पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, उनको विशेष पी.आई.ओ. कार्ड प्राप्त हुए हैं। उनके लिए वीजा मुक्त भारत आने का प्रावधान किया गया है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह एक बहुत अच्छा कदम है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय कम्पनियों में अनिवासी भारतीयों की सीमा को एक परसैंट से बढ़ाकर पांच परसैंट किया गया है। किसी कम्पनी में कुल एन.आर.आई. की संबंधित सीमा को पांच परसैंट से बढ़ा कर दस परसैंट किया गया है। ये ऐसे कदम हैं जिन का स्वागत किया जाना चाहिए।

बजट में सभी वर्गों को राहत देने की कोशिश की गई है। समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जिस को वित्त मंत्री ने राहत देने का प्रयास न किया हो। हमारा देश ऐसा देश है जहां मैन पावर ज्यादा है और रिसोर्सिज कम हैं। इसलिए जहां तक बड़ी इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, यह ठीक है कि बड़ी इंडस्ट्रीज उत्पादन ज्यादा करती है। वे उत्पादन भले ही ज्यादा करती हों, लेकिन उनसे रोजगार कम लोगों को मिल पाता है। दूसरी तरफ जो स्माल स्केल उद्योग हैं, वे भले ही उत्पादन कम करती हों, लेकिन रोजगार ज्यादा लोगों को देती हैं। इस बजट में जो स्माल स्केल उद्योग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लघु उद्योगों के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लम्बे अर्से से उन लोगों को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जा रही थी।

महोदय, उत्पादन शुल्क के लिए छूट सीमा 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। जिससे बहुत सी यूनिट्स को लाभ होगा। ऐसे ही कार्यशील पूंजी, जो वार्षिक कारोबार का 20 प्रतिशत है, उसे दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ किया गया है। इससे बैंक ऋण प्राप्त करने में अधिक आसानी होगी। लघु उद्योगों के लिए बैंक ऋण की लागत कम करने के उपाय किए गए हैं। लघु उद्योग ऋण व्यवस्था में सिडबी की भूमिका अधिक होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्सपैक्टर राज हटाने के लिए उत्पादन शुल्क, प्रशासन तन्त्र में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। आज भी स्माल स्केल उद्योग में चाहे वह छोटा दुकानदार है, छोटा ट्रेडर हैं, उनको इन्सपैक्टर राज से ही भय था। इस पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे डायरेक्ट टैक्सिज और बाकी टैक्सिज के मामले में उनको इंस्पैक्टर राज से राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, ग्राम और ग्रामीण विकास की बात बहुत लम्बे अरसे से लोग करते रहे हैं। लेकिन ग्रामों के विकास की ओर जितना ध्यान दिया गया जब वह डाटा हमारे सामने आता है उससे हमें स्थिति स्पष्ट होती है। स्वयं स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राजस्थान में यह बात कही थी कि यदि एक रुपया गांव में विकास के लिए भेजा जाता है तो उसमें से केवल 15 पैसा नीचे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में कहां चले जाते हैं यह उनको मालूम था, लेकिन वह शायद उस पर बोलना नहीं चाहते थे, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। लेकिन विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि गांव के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है उस भूमि में से केवल 37 प्रतिशत भूमि ऐसी है जिसको इंश्योर्ड इर्रिगेशन मिल रही है, बाकी लोगों की हालत यह है कि उनको इर्रिगेशन के साधन उपलब्ध नहीं हैं। अभी आपने किसानों द्वारा आत्महत्या का जिक्र किया। मैं उस विषय पर बाद में आऊंगा। उसका मुख्य कारण यह था कि सिंचाई के लिए पानी देने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई, जिसके कारण किसानों पर ऋण बढ़ता गया और नौबत आत्महत्या तक पहुंच गयी। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए गांवों के विकास के लिए इस बजट में बहुत सारे कदम उठाए हैं, उसमें से मैं कुछ का जिक्र करना चाहूंगा। कृषि मंत्रालय के योजना आबंटन में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज तक जितने बजट आए हैं, ये उनमें रिकार्ड वृद्धि होगी।

ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 1627 करोड़ रुपये की आपने व्यवस्था की है जिससे करीब एक लाख परिवार लाभ उठायेंगे। जल संग्रहण विकास कार्यक्रम के लिए भी पैसा दिया है, उसमें 31 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मुझे बताया गया कि यह भी

[श्री सत्यपाल जैन]

शायद रिकार्ड वृद्धि है। आज तक किसी बजट में इतनी वृद्धि नहीं की गई। इसी प्रकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए जो प्रोविजन है उसमें 58 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और मुझे बताया गया है कि यह भी एक रिकार्ड वृद्धि है। किसानों के लिए कैश क्रेडिट कार्ड देने की बात शुरू की गई है। मुझे खुशी है हमारे विपक्ष के लोग भी इस बात के पक्ष में थे और एक दिन बहस करते हुए कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इस संबंध में बात कही थी तो श्री यशवंत सिंह जी ने कहा था कि मेरे बजट का इंतजार कीजिए, मेरा बजट आने के बाद आपको इस संबंध में कोई शिकायत नहीं होगी। यह बहुत खुशी की बात है कि आपने कैश क्रेडिट कार्ड देने की योजना शुरू की है। आज उससे किसानों को राहत मिलेगी, उनको सही दिशा में मदद मिलेगी। वह खाद, बीज आदि ले सकेगा और जो ऋण लेकर आत्महत्या करने की नौबत आती थी उससे बचने में उसे सहायता मिलेगी। वित्त मंत्री जी ने खाली नारों से देश को चलाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि एक स्थाई मदद किसानों को देने की कोशिश की है। मैं बताना चाहता हूं कि ऋण से ग्रस्त किसान को ऋण से मुक्त करने का प्रयास हमारे वित्त मंत्री जी ने किया है। उसके लिए देश का किसान हमेशा उनका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा, धन्यवादी रहेगा। इसी प्रकार से किसान जो लोन्स नहीं दे पाता था उनके लिए आपने कंसेशंस अनाउंस किये हैं, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय, आज आवास की समस्या सारे देश की प्रमुख समस्या बनकर रह गई है। आप किसी बड़े कस्बे में चले जाइये, किसी भी बड़े शहर दिल्ली, मुम्बई या कलकत्ता में चले जाइये, मकान की समस्या सबसे बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आने लगी है। लाखों-करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। आज आप कर्मचारियों से मकान मिलने की स्थिति के बारे में पूछों तो किसी के दफ्तर में 1974 की लिस्ट में चल रही है, किसी के यहां 1976 की लिस्ट चल रही है। हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हो जाते हैं लेकिन उसको सरकारी मकान नहीं मिल पाता है। सभापति महोदय, मैं चंडीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, यह एक छोटा सा केन्द्र शासित प्रदेश है और लोग इसको एक खूबसूरत शहर मानते हैं, यह वास्तव में एक खूबसूरत शहर है इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस यूनियन टैरिटरी की आबादी कुल साढ़े सात लाख है, लेकिन उनमें से एक लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। वहां 30 स्लम एरियाज हैं जहां से 6' या 8' की झुग्गियां बनाकर रहते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकान की सुविधा नहीं मिलती। मुझे खुशी है कि आज इस बजट में सरकार ने आवास के लिए बहुत ज्यादा धन दिया है। मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने 20 लाख अतिरिक्त मकान बनाने का लक्ष्य रखा है, मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यह सफल हो। ताकि देश के अंदर जो मकानों की कमी हो रही है, जिसके कारण आम कर्मचारी, गरीब आदमी, छोटा आदमी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, उनको सहायता मिल सके। इन 20 लाख अतिरिक्त मकानों में से 13 लाख आप ग्रामीण क्षेत्र में बनाने की बात कर रहे हैं बाकी सात लाख मकान शहरी क्षेत्र में बनेंगे। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना के लिए 1600 करोड़ रुपये दिये गये हैं। एक लम्बे अरसे से इंदिरा आवास योजना में कोई बहुत अधिक धन नहीं दिया जा रहा था और जो धन दिया भी जा रहा था उसमें मकान नहीं बन पा रहे थे। मुझे याद है कुछ दिन पहले बोलते हुए हमारे सदस्यों ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैसे से वे हजारों मकान बन सकेंगे जो आम आदमी के काम आ सकेंगे।

सभापति महोदय, हुडको में 110 करोड़ रुपये निवेश करने आपने व्यवस्था की है। इसके अलावा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में आवास निर्माण के लिए बहुत सारी रियायतें दी हैं। प्रथम पांच वर्षों के लिए और अगले पांच वर्षों के लिए 30 प्रतिशत की कर कटौती, मरम्मत आदि पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की गई है। इसके अतिरिक्त और भी घोषणाएं आपने इसमें की हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, उसमें जाने से बहुत समय लगेगा। मैं समझता हूं कि यह ऐसा क्षेत्र था जिसकी ओर आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, वे बेरोजगारी के कारण और शिक्षा में बहुत सारी कमियों के कारण बहुत परेशानी में थे। आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान देते हुए दो-तीन चीजें करने की कोशिश की है।

सभापति महोदय, रेलवे बजट में आपने देखा होगा पहली बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार ने देश में उन नौजवानों के लिए मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा प्रदान की है जो इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं। इस बजट में यह भी पहली बार ही हुआ है कि शिक्षा के बजट में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। 1997-98 में 4716 करोड़ का प्रावधान था जो 1998-99 में बढ़कर 7047 करोड़ किया गया है। हमारे गांवों में पिछड़े क्षेत्रों के लोग, गरीब परिवारों के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में इसलिए नहीं भेज पा रहे थे चूंकि उनको लगता था कि बच्चा अगर किसी चाय की दुकान पर काम करेगा, लड़की किसी के घर के बर्तन मांजने जायेगी तो वे कुछ पैसा कमाकर लायेंगे, जिससे परिवार का गुजारा किया जा सके। मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा की

व्यवस्था की है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और आपने इस मद में जो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, मैं आशा करता हूं कि यह रकम धीरे-धीरे और बढ़ेगी और महिलाएं मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर पायेंगी। इसके साथ-साथ युवाओं को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर की स्थापना की आपने घोषणा की है, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। इससे ज्यादा लोगों को लाभ होगा। जितनी पार्टियों के बजट हैं, जितनी पार्टियों के मेनिफेस्टो हैं, सब पार्टियों ने अपने मेनिफेस्टों में कहा था कि हम शिक्षा पर खर्चा बढ़ायेंगे, शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देंगे। लेकिन किसी सरकार ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। यह शायद पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हैं जिसने यूथ्स के लिए एजूकेशन, महिलाओं के लिए इतनी सारी व्यवस्था करने की कोशिश की है।

सभापति महोदय, टैक्सेशन में सरलीकरण की मांग बहुत समय से चल रही थी। मुझे खुशी है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है। आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 हजार की गई है। यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में यह कही थी कि इस सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जायेगा। परंतु मैं अपने मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी का यह पहला बजट है, अभी हमारे चार बजट आने बाकी हैं, जब पांचवा बजट आयेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस आयकर की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया जायेगा। इतना मुझे विश्वास है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह समय बहुत दूर नहीं है। वह समय शीघ्र ही हमारे सामने आएगा। हमारे बहुत सारे सदस्य इस खुशफहमी में हैं कि यह सरकार चली जाएगी। आज जाएगी या कल जाएगी और अगल बजट ये वित्त मंत्री पेश नहीं कर सकेंगे। मैं ऐसा सोचने वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे थोड़ा धैर्य रखें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आज देश की जनता इस सरकार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है। आपको परख चुकी है। हमारे कम्युनिस्ट भाई तो क्या बोलेंगे क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा मक्का-मदीना था, जो आपके सबसे बड़ा मसीहा था, रूस जिसके ऊपर आप सारी दुनिया की बात किया करते थे, जिसने स्टेट कंट्रोल की बात कही, जिसने मैटर को, मटीरियलिज्म को और चीजों को ऊपर उठाने की बात की, वह आज टूट कर बिखर चुका है और वहां की सारी व्यवस्था बिलकुल ध्वस्त हो चुकी है। चीन की कैसी स्थिति है वह आप सबको मालूम है। चूंकि आज वह विषय विचार का नहीं है इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। इसलिए आप उसकी बात न करें। जो हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था है, वह सबसे अच्छी अर्थ व्यवस्था है और वही दुनिया में आगे स्थाई रहने वाली है और उसी को सारी दुनिया मानेगी।

सभापति महोदय, जो कर्मचारी भाई हैं उनको इससे लाभ होगा। मैं मानता हूं कि आयकर में थोड़ी कम सिर्फ 50 हजार की छुट दी गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में वह और बढ़ेगी। सरल, समाधान और सम्मान जैसी बातों का बजट में समावेश करके आपने आयकर दाताओं की परेशानियों को समझा और हल करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं पेशे से वकील हूं। अगर आप वकील भी हैं और आपको आयकर की यदि रिटर्न भरनी है, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि फार्म बहुत काम्पलीकेटेड होता है। यदि आप इन्कम टैक्स या सेल्स टैक्स के वकील नहीं हैं, तो आपको फार्म भरने में परेशानी होगी। उसके सरलीकरण के लिए जो मंत्री जी ने प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत खुशी की बात है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आयकर में छूट की सीमा आपने बढ़ाई है। इसका भी स्वागत है। एक लाख रुपए के वेतन तक मानक कटौती को बढ़ा कर 25 हजार रुपए कर दिया है और पांच लाख रुपए से अधिक वेतन पाने वालों की मानक कटौती नहीं होगी, यह कदम भी सराहनीय है। फार्म का जो सरलीकरण किया है वह भी स्वागत योग्य कदम हैं। इसके अलावा जो समाधान शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके अंतर्गत बहुत मुकदमेबाजी चलती थी और लगातार डिकेड्स तक लोगों के केसेस कोर्ट में पेंडिंग रहते थे, 15-20 साल तक उनके फैसले नहीं होते थे, उनकी संख्या में कमी आएगी। अगर आप इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल के डाटा मंगाकर देखें, तो आपको मालूम हो जाएगा कितने सारे केसेस अनेक वर्षों से चल रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि आपने "समाधान" के माध्यम से इनको हल करने का जो रास्ता निकाला है और जो उच्च न्यायालय में सीधे अपील करने की व्यवस्था की है और 30 प्रतिशत का भुगतान कर के केस निपटाने की जो बात आपने कही है, मैं समझता हूं कि उससे केसेस में काफी कमी आएगी और आपने इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। आपने करदाता को जो "सम्मान" दिया है उसके लिए भी हिन्दुस्तान के करदाता हमेशा आपके आभारी रहेंगे।

सभापति महोदय, रोड डवलपमेंट के बारे में सरकार ने ध्यान दिया है। पेट्रोल के सबसे ज्यादा दाम बढ़े, तो कांग्रेस, जनता दल और युनाइटेड फ्रंट की सरकार में बढ़े थे। रसोई गैस के दाम भी उन्हीं सरकारों के समय में सबसे ज्यादा बढ़े थे, लेकिन वह पैसा कहां गया किसी को पता नहीं, उसका सदुपयोग सड़कों के सुधारने में किया जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं किया गया। हमारे वित्त मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने एक रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, तो यह टैक्स सरकार ने सड़कों को

श्री सत्यपाल जैन]

सुधारने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए, उनके डवलपमेंट पर खर्च करने के लिए देने का निश्चय किया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि उसके देश में अच्छी किस्म की सड़कें न हों। किसी ने एक बार पूछा कि क्या अमरीका इसलिए महान है कि उसकी सड़कें अच्छी हैं या इसलिए कि वह एक अमीर देश है, तो जवाब मिला कि अमरीका इसलिए महान है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं। मुझे विश्वास है कि पेट्रोल पर बढ़ाए गए टैक्स से प्राप्त होने वाले धन को आप देश की सड़कों के विकास पर लगाएंगे।

सभापति महोदय, यूरिया के संबंध में जिक्र किया गया है। यह बहुत सेंसिटिव इश्यू है और वित्त मंत्री जी ने पचास पैसे प्रति किलो यूरिया के दाम बढ़ाए हैं। सदन के सभी पार्टियों के सदस्यों ने वित्त मंत्री जी से निवेदन किया है इसलिए वे इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और इसके संबंध में वे एक नीति लेकर आएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस पर विचार करना चाहिए। कृषि मंत्री सोम पाल जी उस दिन जवाब दे रहे थे, लेकिन माननीय सदस्यों के शोरगुल में उनकी आवाज खो गई। आज सभी इस बात से चिन्तित है कि किसान यूरिया का बहुत अधिक इस्तेमाल करने लगा है जिसके कारण जमीन पर निगेटिव इफैक्ट्स हो रहे हैं। हमें उसके बारे में भी किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं पेशे से कृपक नहीं हूं, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं ओर जो साइंटीफिक डाटा आ रहा हुए उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यूरिया और अन्य केमीकल्स के प्रयोग के कारण जमीन का बहुत नुकसान हो रहा है। उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। यहां पर हल्ला सिर्फ इसलिए करना कि इससे किसानों का वोट मिल जाएगा, वह अलग विषय है, लेकिन यूरिया के बढ़ते हुए प्रयोग कर अंकुश लगाना और किसानों को इसके नुकसान के बारे में बताना तथा उन्हें इसके बारे में जागरूक करना भी आवश्यक है। यूरिया के प्रयोग से नाइट्रोजन का नुकसान होता है और प्लांट का सालिड मटीरियल कम आता है क्योंकि नाइट्रोजन पानी में घुलकर ऐसी जगह चला जाता है जहां उसकी आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा) : ये सब बकवास है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : कृपया बकवास शब्द का प्रयोग मत कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि संसद में किस तरह बोला जाता है। बकवास संसदीय शब्द नहीं है। उस शब्द का प्रयोग मत कीजिए। आपको यह मालूम होना चाहिए। कृपया ऐसा मत कीजिए आपको मेरे तर्क से असहमत होने का अधिकार है। आप सही नहीं कर रहे हैं। खैर इस बात को छोड़ ही दीजिए।

[हिन्दी]

सत्य पाल जैन : मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप मुझसे डिफर कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं, किसान जितना चाहे मरजी हो उतना यूरिया डालें, भले ही 15-20 साल में उसकी जमीन बेकार हो जाए या जाखड़ साहब कह सकते हैं कि नहीं, सत्य पाल जी आपकी बात ठीक नहीं है। आप मुझसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। मेरा कहना है कि यूरिया के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि नहीं, तो किसानों का बहुत नुकसान होगा।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने टैंट और ट्रक से सर्विस टैक्स वापस लिया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने वित्त मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था। फिजीकल एक्सरसाइज कम होने के कारण लोग घर में घूम फिर नहीं पाते हैं। माडर्नाइजेशन का इफैक्ट उस पर भी पड़ा है और फिजीकल एक्सरसाइज कम हो रही है। उस पर भी 12 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि साइकल (एक्सरसाइजर) जिस पर घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, वह महंगा हो गया है और स्थिति यहां तक बदतर हो गई है कि अपनी इंडस्ट्री में बनाया इक्सरसाइजर महंगा पड़ रहा है और बाहर का सस्ता पड़ रहा है। इसका अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री पर एडवर्स इफैक्ट हो रहा है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बारे में विचार करें। जहां स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आपने इतने सारे कंसैशन्स किए हैं वहां स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में भी आप पुनः विचार करें और इस एक्साइज ड्यूटी को हटाएं। हमने पिछली बार जो प्रावधान हुआ था उसके क्लैरीफिकेशन के लिए आपसे कहा था और अनुरोध किया था कि उसे ठीक किया जाए। इस बारे में हम लोग वित्त मंत्री जी से मिले भी थे और मांग की थी कि इसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन हुआ उल्टा बजाए उसे क्लैरीफाई करने और समाप्त करने के, यह कह दिया गया कि स्पोर्ट्स गुड्स के यो जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये स्पोर्ट्स गुड्स में नहीं आते हैं। मेरा निवेदन हैं कि इस बारे में वित्त मंत्री जी पुनः विचार करे।

सभापति महोदय, मैं पापुलेशन कंट्रोल के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। सरकार चाहे ए की हो, बी की हो या सी की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो और चाहे आप कितनी ही व्यवस्थाएं करते जाइए, बजट में चाहे कितना ही प्रावधान करते जाइए, जब तक हम पापुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक बढ़ती हुई जनसंख्या

पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हमारी सारी की सारी व्यवस्थाएं और प्रावधान बेकार हैं। ये सारे प्रयास धरे के धरे रह जाएंगे। बिना जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के इस समस्या का समाधान निकलने वाला नही है। मैं समझता हूं कि इस समस्या से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बने और सब पार्टियों के लोग मिलकर कोई समाधान निकालें। कई बार हमारे मित्र बोलते हैं कि 1976 में जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया गया था और उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली तथा राजनीतिक नुकसान हुआ। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। मैं समझता हूं कि अच्छा प्रोग्राम भी यदि ठीक ढंग से लागू न किया जाए, तो कई बार सारे राष्ट्र को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। आइए, हम सब उस बात से ऊपर बैठकर विचार करें और एक ऐसी नीति बनाएं जिससे पापुलेशन कंट्रोल के बारे में स्थायी कदम उठ सकें।

सभापति महोदय, यूनियन टैरीटरीज आज सीधे केन्द्र के अधीन आती हैं। हिन्दुस्तान में छ: यूनियन टैरीटरीज हैं, जो होम मिनिस्ट्री में आती हैं। मैं चंडीगढ़ यूनियन से चुनकर आया हूं। उनका बजट भी इसी बजट के साथ बनता और पास होता है। जो प्रदेश सरकारें हैं वहां का बजट वे बनाती हैं और बजट के समय प्रदेशों के मुख्य मंत्री यहां आते हैं, बात करते हैं, लेकिन यूनियन टैरीटरीज के बजट में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी किसी किस्म की कोई इन्वाल्वमेंट नहीं है। उनकी कोई भागीदारी नहीं है। मैं मांग करता हूं कि आगे के लिए यूनियन टैरीटरीज से आने वाले सांसदों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। उनका क्या मत है वह लिया जाना चाहिए। ताकि जो चुने हुए लोग हैं उनकी भागीदारी हो सके और जो लोकतंत्रीय पद्धति है उसे मजबूत किया जा सके। अत: मैं माननीय यशवन्त सिन्हा जी से विनती करना चाहता हूं कि यहां हाउसिंग के लिए, रीहैबीलिटेशन के लिए ज्यादा प्रावधान करें और जो वहां रेहड़ी और थड़ी वाले लोग हैं उनको पक्के बूथ बनाकर दिए जाएं। वहां रहने वाले कर्मचारियों को आवास के लिए और अधिक धन दें और आर्थिक क्षेत्र में अधिक व्यवस्था करें ताकि हम विकास कर सकें।

सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री मुरली देवड़ा जी ने कुछ प्रैस कटिंग्स पढ़ने के बाद कहा कि देश के प्रमुख लोगों और विदेशियों ने इस बजट को देश के हित में नहीं बताया है। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए मैं भी आपका ध्यान कुछ लोगों के कमेंट्स की ओर दिलाना चाहूंगा और ये कमेंट्स ऐसे लोगों द्वारा दिए गए हैं जिनके बारे में कह सकते हैं कि वे भा.ज.पा. के साथ सम्बद्ध नहीं है। जैसे आब्जरवर समाचार पत्र है। उसने वी.आर. पंचमुखी, डायरैक्टर रिसर्च एंड इन्फर्मेशन सिस्टम्स हैं, उनकी रिएक्शन अपने दैनिक समाचार पत्र दिनांक 2-6-98 में दी। मैं उसे यहां पढ़ना चाहूंगा।

[अनुवाद]

अनुसंधान और सूचना प्रणाली के निदेशक, डा. वी.आर. पंचमुखी ने श्री यशवंत सिन्हा के पहले बजट को नया बजट कहा जो कि सार्वभौमिकरण के सामान्य प्रारूप के अनुसार नहीं था।

> "......बल्कि यह एक राष्ट्रवादी बजट है जिसका भाजपा ने वायदा किया था।"

डा. पंचमुखी ने बताया .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति जी, ऐसे ही जो सही बात करेगा, वह आर.एस.एस. का लगेगा और जो लॉजिकल बात करेगा, वह आपको आर.एस.एस. का लगेगा। ऐसे ही एस. वेंकटरामन जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, कलकत्ता के टेलीग्राफ में उनका जो स्टेटमेंट छपा, आर्टिकल छपा वह सारा आर्टिकल मैं नहीं पढ़ना चाहता लेकिन उसके एक पैराग्राफ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं:-

[अनुवाद]

> "इस बजट में कृषि संबंधी बुनियादी सुविधाओं और कर सुधार पर काफी बल दिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। कोई भी वित्त मंत्री के इस विचार से असहमत नहीं हो सकता कि हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में जो असमंजस की स्थिति उभर रही है उसे दूर करना होगा। उन्होंने किसानों की आस्तियों पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराकर कृषि को मजबूत करने की आवश्यकता का सही उल्लेख किया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास संबंधी बजट विशेष रूप से नोट करने लायक है। हमें आशा करनी चाहिए कि वित्त मंत्री जी के इरादों को मूर्त रूप दिया जायेगा।"

[हिन्दी]

आगे चलकर लिखते हैं:-

[अनुवाद]

> "यशवंत सिन्हा जी ने प्रतिस्पर्धी जनवाद की विभिन्न परिस्थितियां और गठबंधन की राजनीति के दबाव के साथ एक साहसपूर्ण और जिम्मेदार बजट पेश किया है। पूर्वी एशियाई वित्त संकट ने अधिकांश देशों के वित्त मंत्रियों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आत्मविश्वास विकसित हो रहा है। इनके अतिरिक्त, प्रतिबंधित वातावरण

श्री सत्यपाल जैन]

> में वित्त मंत्री जी को निजी क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार, बाह्य संतुलन, निवेशक आत्मविश्वास और घरेलू दबाव ने सिन्हा जी के बजट को प्रभावित किया है। यह बात उल्लेखनीय है कि सिन्हा जी पुरानी चली आ रही नीति को ही यथावत बनाये रखा है। बजट की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट बात यह है कि सिन्हा जी ने एक राजनीतिज्ञ के रूप में सुधारों को जारी रखते हुए राष्ट्र को लाभ ही पहुंचाया है।''

[हिन्दी]

इसके साथ हिन्दी के प्रमुख अखबार राष्ट्रीय सहारा का भी मैं एक ही पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, बाकी मैं और नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने अपने बजट भाषण में लिखा है कि एक साहसिक बजट है। मैं एक पैरा पढ़ना चाहता हूं। इस अखबार का आर.एस.एस. से कोई ताल्लुक है और न बी.जे.पी. से कोई ताल्लुक है। वह लिखते हैं:

> ''केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा द्वारा 1998-99 के लिए संसद में पेश बजट के बारे में कोई भी आकलन प्रस्तुत करने से पहले यह कहना उचित होगा कि यह साहसिक बजट है। प्राथमिकता और उद्देश्य दोनों ही दृष्टि से यह बजट पूर्ववर्ती सभी सरकारों से भिन्न है। बजट देखकर कोई भी कह सकता है कि इसमें देश को एक नयी दिशा देने का प्रयास किया गया है। शायद यह पहला मौका है जब देश की जमीनी हकीकत के मद्देनजर बजट तैयार किया गया है। यही कारण है कि कृषि, ग्रामीण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कल्याण क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। कृषि पर बजटरी आबंटन में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उसे देश की बेहतर जनता की चिन्ता है। आजादी के 50 वर्षों बाद भी देश की 70 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है और यही उसकी अजीविका का मुख्य साधन भी है।''

सभापति जी, अच्छा होता यदि मुरली देवरा जी ने जहां बाकी चीजें पढ़ी हैं, ये कमेंट्स भी उन्होंने पढ़े होते तो शायद उनको बहुत क्लैरिटी होती। मैं कई बार सोचता हूं कि आलोचना करते हैं उसका कारण क्या है? जिन्होंने आलोचना करनी है उनको कोई न कोई रास्ता निकालना ही होता है। अयोध्या के बारे में दो दिन से सदन में हंगामा हो रहा है। जब हमारे राष्ट्रीय एजेंडे में अयोध्या का जिक्र नहीं आया तो यही हमारे सांसद भाई खड़े होकर कह रहे थे कि आपने राम को छोड़ दिया, आपने अयोध्या को छोड़ दिया। आज जब अखबारों में खबरें आई हैं कि शायद राम मंदिर के निर्माण के लिए कुछ लोग कहीं तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। आज यही लोग शोर मचा रहे हैं कि देखिये आप राम मंदिर का निर्माण करने लगे हैं। अगर आप उस आईटम को छोड़ देते हैं तो आपने क्यों छोड़ा और अगर आप उसको शामिल कर रहे हैं तो आपने क्यों शामिल किया, दोनों स्थितियों के अंदर जिन्होंने निंदा करनी है, उनसे अगर हम यह उम्मीद करें कि वह बजट की पोजीटिव साईड को एप्रीशिएट कर पायेंगे तो उनके लिए यह संभव नहीं है।

सभापति जी, यह जो देश का बजट है, यह गरीब आदमी का बजट है। यह साधारण आदमी का बजट है। यह कर्मचारी का बजट है। यह देश के आत्मसम्मान का बजट है। यह आत्मसुरक्षा का बजट है। यह विकास का बजट है। यह देश को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। एक नये भारत के निर्माण का बजट है और 21वीं शताब्दी में भारत को लेकर जाने का बजट है। मैं इसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और सदन से इसके पास करने की आशा करता हूं।

सभापति महोदय, इन सारे हालात से, जिस प्रकार के हालात से हम गुजरे हैं और जिस तरह का खतरा आज हमारे सामने हैं, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। भले ही कुछ मुट्ठी भर लोग इस संसद में, संसद के बाहर पोखरण कांड को लेकर हमारी निंदा करें, देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करें कि शायद हमारे पास कुछ नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि इस संसद में खड़े होकर पूर्व रक्षा मंत्री कहें कि हमारे पास पनडुब्बियां कम हैं। हमारे पास यह कम हैं, हमारे वह कम हैं। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने उसकी ओर पूरा ध्यान दिया है। सुरक्षा बजट के अंदर वृद्धि की है। लेकिन इससे देश का जन-मानस घबराने वाला नहीं है। इस देश के लोग आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं। इस देश के लोग यह नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान का वित्त मंत्री सारी दुनिया में कटोरा उठाकर भीख मांगता घूमे। यह देश की जनता नहीं चाहती और जो भी स्थिति हमारे सामने आयेगी, देश उसका मुकाबला करेगा। भूखा रहकर भी यह देश अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता की दो पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

''दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते,
टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते।''

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण प्रस्तुत करने का समापन हिन्दी के महान प्रगतिशील कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की कविता से किया था

और आज भाई जैन जी ने काव्यात्मक शैली में उनके बजट भाषण और बजट प्रस्तुतीकरण का उसी तरह समर्थन किया। लेकिन बजट भाषण के दौरान जो कविता सदन में पढ़ी गयी, उस कविता को कवि ने किस संदर्भ में, किस व्यक्ति के लिए लिखा था, इस बात को श्री यशवन्त सिन्हा जी अच्छी तरह से जानते होंगे। भारत का एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब लाल टोपी पहनकर इस देश के नौजवानों को संगठित कर समाजवाद लाने का संघर्ष कर रहा था, तो उसके अभिनन्दन के लिए दिनकर जी ने यह कविता लिखी थी। मुझे अफसोस है कि कविता तो उस महान समाजवादी के बारे में, महान सर्वोदयवादी के बारे में पढ़ी गयी लेकिन जो बजट रखा गया, उसमें न तो उस महान सेनानी का जिसका सारा इतिहास, सारा आकाश दिनकर जी ने समर्पित किया था, का समाजवाद इसमें है और न उसका सर्वोदयवाद इसमें है। मुझे इस बात का अफसोस है कि अन्त्योदयवाद हो ही नहीं सकता। इस टिप्पणी के साथ मैं इस बात को शुरू करना चाहता हूं।

जब इस सदन में वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक अनुदानों की मांग के ऊपर अपनी पहली बात कही थी तो उस समय जो पिछला बजट पेश हुआ था, उसमें जो स्वप्न देखा गया था, वह सारा स्वप्न किस तरह धराशायी हुआ, उस पर उन्होंने अपनी थोड़ी सी टिप्पणी रखी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि पिछले साल सीमा शुल्क की उगाही में 22 प्रतिशत की गिरावट आई थी। उत्पाद शुल्क में 9 फीसदी की गिरावट आई थी, कारपोरेट टैक्स में 2 फीसदी की गिरावट आई थी। आय कर में 14 प्रतिशत की गिरावट आई थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस बालू की दीवार पर खड़े होकर यह इस छलांग मारना चाहते हैं उसमें किस तरह वृद्धि होने वाली है। पिछली बार बजट अनुमानों में कहा गया कि हमारा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन के मुकाबले केवल 4.5 फीसदी होगा लेकिन अंतिम निष्कर्ष यह हुआ कि वह घाटा 6.1 फीसदी पर ठहर गया। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है जब आपने इस बात को कहा था, तो बजट बनाते समय उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था लेकिन ऐसा करना आपके लिए संभव नहीं था क्योंकि इस बजट में पूरे तौर पर न तो स्वदेशी का चित्रण है और न ही श्री मन मोहन सिंह द्वारा चालू की गयी सुधार की जो प्रक्रिया थी, वह दृष्टिगत होती है, न चौधरी चरण सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट जिसमें किसान दिखाई पड़ता था, वह दिखता है और न चिदम्बरम साहब का स्वप्न दिखलाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ हासिल करने की कोशिश में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा इस बजट से साफ तौर पर दिखलाई पड़ता है।

उसकी सबसे प्रमुख बात मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी कम्युनल सरकार जब तक डिसिप्लिन्ड नहीं होती, एक विचार की नहीं होती, एक तरह की जवाबदेही नहीं होती तो इस तरह का धोखा उस सरकार के साथ हो सकता है। यह लाजमी और स्वाभाविक है। इसी टिप्पणी के साथ मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश में गरीबी बढ़ रही थी। आपने कहा कि इसमें अन्त्योदय है। गरीबी बढ़ रही है और गरीबी केवल लक्षण है। गरीबी बेरोजगारी से पैदा होती है। असल समस्या बेरोजगारी की है। बेरोजगारी दूर हो जाए तो गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे देश में गरीबी का प्रतिशत कम हो रहा है, गरीब कम नहीं हो रहे हैं। 1973-74 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 54-55 फीसदी थी, आज देखने में लगता है कि वह घटकर 32-33 फीसदी हो गई है। लेकिन संख्या नहीं घटी है। उस समय भी 32-33 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे और आज सारी कोशिश करने के बावजूद इतने ही लोग भारत में गरीबी की रेखा के नीचे हैं। ऐसा होने के पीछे हमारे देश में एकमात्र कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी है। सरकार ने अभी दो दिन पहले इसी सदन में इस बात को स्वीकार किया कि सन् 2008 तक हम इस देश में गरीबी को जीरो तक ले आएंगे। लेकिन आपने शुरू कहां से किया। आपने सरकारी नौकरों की सेवा में निवृत्ति की उम्र 60 साल कर दी। एक क्षण के लिए कि हमारे बजट में अभी जो घाटा बढ़ने वाला था, पैंशन की राशि इस साल न देनी पड़े, 900 करोड़ रुपये बहुत अधिक आय नहीं है, सीमित बचत होगी, इसके लिए हम उम्र बढ़ा दें। उम्र बढ़ाने का हमारे देश के रोजगार पर कितना फर्क पड़ेगा, इसके बारे में नहीं सोचा।

अभी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है कि गरीबी की हालत क्या है। उनकी जो रिपोर्ट आई है, वे कहते हैं कि संगठित क्षेत्र में रोजगार की हालत पतली हो रही है। सरकारी क्षेत्र में हमारी हालत निरंतर खराब हो रही है। कैसे हो रही है। औद्योगिक इकाइयां बंद हो रही हैं, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में लोगों की छटनी हो रही है। उनके अनुसार पिछले दशक यानी 1980 से 1990 के बीच में रोजगार में 1.68 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि थी जो इस दशक में पहले ही सात साल में घटकर 0.82 प्रतिशत हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच चलने वाले उपक्रमों स्थानीय निकायों और सरकारी कर्मचारियों को 2 करोड़ 80 लाख की जगह 1 करोड़ 90 लाख नौकरियां आज मिली हुई हैं, पिछले ढाई-तीन वर्षों में हमारी नीतियों के चलते इसमें 80 लाख की पहले से ही कमी हो चुकी है। अब आपने सेवा निवृत्ति की उम्र 60 साल कर दी। इसके चलते आने वाले दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र, जो सबसे अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करता है, में भर्ती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सेवा निवृत्ति के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए राजकोष से कुछ मिलता रहता है लेकिन जो व्यक्ति रोजगारहीन है, नौकरी से बाहर है, नौकरी पाने की अपेक्षा में है, एकदम दरिद्रता के कगार पर रहता है, उसकी

[श्री मोहन सिंह]

परेशानी बढ़ती जाती है। उसका ध्यान किए बिना आपने जो उम्र बढ़ाई है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारे देश में रोजगार और नौजवानों को खपत करने का जो सबसे बड़ा साधन था, उसमें कमी आने की संभावनाएं बढ़ गईं। ...*(व्यवधान)* पे कमीशन की सारी रिकमैंडेशन्स तो आपने नहीं मानी। हमारे देश में इतनी छुट्टियां होती हैं, पे कमीशन ने उसको खत्म करने की बात कही थी, काम के घंटों में बढ़ोत्तरी करने की बात कही थी। बहुत सारी चीजें जिससे इस देश में वर्क कल्चर डैवलप होता है, आपने उन संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया। आपने इसी संस्तुति को स्वीकार करना जरूरी क्यों समझा जिसका सीधा असर हमारे देश की भावी पीढ़ी पर पड़ने वाला है। उसी पर कहना चाहता हूं कि सबसे अधिक लोगों को संगठित क्षेत्र में खपाने की क्षमता, औद्योगिक क्षेत्र में, लघु औद्योगिक इकाइयों में है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सरकार में डिस्पिलिन नाम की कोई चीज नहीं है। आबिद अली कमेटी के बाद जो लघु इकाइयों की सीमा पूंजी के हिसाब से तीन करोड़ करने का फैसला इस सरकार ने किया और उसके आधार पर तीन करोड़ की बहुत सारी इकाइयां स्थापित हो गईं जिनको लघु औद्योगिक इकाइयों की सुविधा मिल गई। लेकिन एक सम्मेलन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री जी गए और उन्होने उस सीमा को तीन करोड़ से घटाकर एक करोड़ कर दिया। जब उन्होंने उस सीमा को घटाकर एक करोड़ कर दिया तो यह अपेक्षा की जाती थी कि एक करोड़ की जो घटी हुई सीमा है, उसको वित्त मंत्री जी भी स्वीकारते और उसका उल्लेख अपने बजट में करते। उद्योग विभाग की शक्ल में एक आदेश निकालकर उस हिसाब से बजट बनाने का काम करता। लेकिन उद्योग विभाग ने उस तरह के आदेश नहीं निकाले। वित्त मंत्री जी ने इस बात का कोई उल्लेख अपने बजट में नहीं किया। एक बिल्कुल अराजकता की स्थिति, जो वित्तीय अनुशासन होना चाहिए, हम अफरा-तफरी के चलते इस सरकार और इस बजट में दिखाई न पड़ने के पीछे कई कारणों में एक कारण यह भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने बाहर से आने वाली मशीनों पर जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी, मुझसे कई ऐसी लघु औद्योगिक इकाई के लोगों ने कहा कि जो 90 लाख की यूनिट हम बाहर से खरीदकर लाएंगे, उस पर हमको जो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उसके ऊपर से काउंटर वेलिंग ड्यूटी पे करनी पड़ेगी तो उसी की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी और हम लघु औद्योगिक इकाई की सुविधा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इसके बारे में एक समन्वित सोच और समन्वित दृष्टि पैदा करने की आवश्यकता है, यह मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं।

मैं रक्षा बजट के बारे में खास तौर से कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी इस बात को जोर-जोर से कह रहे हैं कि हमने रक्षा के मद में 41,000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला कर लिया। लेकिन मैं आपसे साफ तौर पर करना चाहता हूं कि रक्षा पर जो खर्चा है, हमारी विदेशी मुद्रा की लगातार जो कीमत घट रही है, उसके रेशियो में यह कुछ भी नहीं है। आपने शिक्षा के बजट में 50 फीसदी वृद्धि कर दी, आणविक ऊर्जा में सौ फीसदी वृद्धि कर दी। लेकिन रक्षा के बजट में कुल वृद्धि 14.5 फीसदी हुई। यह जो 14.5 फीसदी की रक्षा में वृद्धि है, सभापति महोदय, मैं आपसे साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा के अधिकांश उपकरण बाहर से मंगाए जाते हैं। जब हम उनको बाहर से मंगाते हैं तो हमारी मुद्रा की कीमत जो लगातार घट रही है, आज 42 रुपये से अधिक हो गई है। मार्किट को ठीक से निरीक्षण करने वालों का कहना है कि आने वाले एक-दो महीने में हमारा डालर के मुकाबले 50 रुपया हो जाएगा। जब हमारा डालर 50 रुपये का हो जाएगा, ऐसी हालत में रक्षा के क्षेत्र में जो वृद्धि है, जिसमें हमारे रक्षा बजट का लगभग 70 फीसदी रक्षा शक्ति, वाहिनी के वेतन पर और उनकी सुविधा पर जाता है, उसका 11 फीसदी से अधिक पैसा बाहर से खरीदारी पर चला जाता है। हमारे जो नए रक्षात्मक उपाय हैं, क्योंकि आप बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि हम दुनिया में एक आणविक शक्ति बन गए हैं, रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमने जो नए अनुसंधान और विस्फोट कर लिए हैं, इनको हम अपनी रक्षावाहिनी में शस्त्र के रूप में प्रयोग करने में सक्षम हो गए हैं और हम उसका इस्तेमाल करने के लायक हो जाएंगे। उनका वैपनाईजेशन प्रोसैस कैसे शुरू कर सकते हैं, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जिस दिन आपका बजट आया, रक्षा मंत्री जी से उसी दिन यह सवाल किया गया और उन्होंने टेलीविजन के एक इंटरव्यू में कहा कि आज की तारीख में मूल बजट पेश करते समय रक्षा के बजट में भले ही अपेक्षित वृद्धि न हुई हो, लेकिन हमारी वित्त मंत्री जी से वार्ता हो चुकी है, आगे आने वाले दिनों में वे हमारे बजट में वृद्धि करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जिस दिन बजट पेश किया, हमको उसी दिन एक अनुपूरक बजट भी पेश करना है और बहुत सारे विभाग जो आज की तारीख में असंतुष्ट हैं, उनकी पे में हमको वृद्धि करनी है, उसका फैसला आप उसी दिन कर लेते हैं। यह किसी सुयोग्य और सक्षम वित्त मंत्री की ओर से कही हुई बात नहीं हो सकती।

कोई भी वित्त मंत्री साल भर की उसकी हर विभाग की क्या आवश्यकता है, क्या अपेक्षा है, कितना वित्तीय प्रावधान करना आवश्यक है, उसको ठीक से करने की कोशिश करता है। बीच में जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है, जिसको बजट तैयार करते समय वित्त मंत्रालय नहीं देख पाता है, वही चीजें यदि अनुपूरक अनुदानों में आयें तो ऐसे वित्त मंत्रालय और ऐसे वित्त मंत्री हमारी समझ में योग्य वित्त मंत्री

और योग्य बजट और अच्छा बजट कहा जा सकता है, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन रक्षा के मामले में इस तरह के जो बयान आये, उससे इस बात की सिद्धि हो रही है, इस बात की पुष्टि हो रही है कि यह बजट बहुत दिमाग लगाकर, सोच समझकर हमारी साल भर की जो अपेक्षाएं और आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर तैयार किया हुआ बजट नहीं है। इसलिए वित्त मंत्री जी इसके बारे में साफ तौर पर मैं आज हमारे देश का जब मैं अपना सकल घरेलू उत्पादन के मुकाबले, जिनको आप भारत का विशेष दुश्मन और यह बहस उस सरकार की ओर से बार-बार चलती है कि क्या चीन हमारा नम्बर एक का दुश्मन है, प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हम उसको नम्बर एक का दुश्मन नहीं मानते। नम्बर एक का आप नहीं भी मानते तो क्या उसको दुश्मन राष्ट्र मानते हैं कि नहीं? यदि आप दुश्मन राष्ट्र भी नहीं मानते तो आज की तारीख में हम आपकी कुछ चीजों के चलते मित्र राष्ट्र भी मानने की स्थिति में नहीं रह गये हैं और उसके बारे में अभी जो जैन साहब कह रहे थे कि एक साम्यवाद का शिराजा साम्राज्य का जो ढह गया और दुनिया में साम्यवाद नष्ट हो गया। ऐसी बात मानने के लिए मेरे पास पूरा आधार नहीं है। साम्यवादी देश चीन भी है और उसके बारे में आज दुनिया के अर्थशास्त्रियों और खास तौर से अमेरिकी अर्थशास्त्री इस बात की घोषणाएं कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में, यानी 2021 और 2022 तक दुनिया की आज जो एक नम्बर की आर्थिक शक्ति अमेरिका की है, चीन भी लगभग उसके बराबर हो जायेगा, ऐसी भविष्यवाणियां लोग करने लगे हैं और अमेरिका के ही लोग इस बात को कहने लगे हैं कि सन् 2021 के बाद यह स्थिति आ सकती है कि शायद चीन दुनिया का नम्बर एक का देश हो जाये, ऐसी भी स्थिति आ सकती है, कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसी भी आकलन है तो जब ऐसा आकलन है और उसको आप मित्र राष्ट्र बनाकर नहीं रख सकते तो उसके मुकाबले जो रक्षात्मक तैयारी है, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस देश की और दुनिया को बतलाने का काम करे। इस देश और दुनिया को यह बतलाने का काम करे कि जिसको हम गृह मंत्री जी जब यहां पर उस बहस के ऊपर भाषण कर रहे थे, जिस समय आणविक विस्फोट हुआ था, तो उनकी बात से, उनकी व्यंजना से इस बात की ध्वनि निकली कि हमारा दुश्मन नम्बर एक चीन नहीं, पाकिस्तान हैं और यदि पाकिस्तान ही है तो आज की तारीख में वह अपने सकल घरेलू उत्पादन के मुकाबले में लगभग 7.5 फीसदी रक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है और आप कितना कर रहे हैं? हम अपने ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू : गृह मंत्री ने पाकिस्तान को दुश्मन नम्बर एक नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : नहीं, मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने कहा। उनकी जो व्यंजना, उनकी जो ध्वनि थी, उनकी बात के कहने का जो ढंग था, उससे जो एक निष्कर्ष और निहितार्थ निकला, उससे मैंने जो अर्थ निकाला, वह यह है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है। ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : गृह मंत्री के नाम पर ऐसा अर्थ निकालना ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासमुन्द) : यह सैंसिटिव मैटर है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : मेरे कहने का मतलब यह है ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : आपका मतलब ठीक है। सभापति महोदय, ये शब्द कार्यवाही से निकाले जायें। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मोहन सिंह जी, ये आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री जी के द्वारा न तो इस प्रकार की बात कही गई, न ऐसी ध्वनि थी, न यह कहना कि कोई इस प्रकार के विचार हैं, ये शब्द इस प्रकार होने चाहिए कि यह मोहन सिंह जी के विचार हैं, यह गृह मंत्री जी के विचार लिखना ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : सभापति महोदय, गृह मंत्री के नाम पर यह कहना ठीक नहीं है। ये शब्द कार्यवाही से निकाले जायें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये न। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : तो ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि क्या इनके भाषण से अर्थ निकालने का अधिकार मुझे नहीं है, निष्कर्ष निकालने का अधिकार नहीं है? मेरे कहने का मतलब यही है कि जिन राष्ट्रों से हम अपनी प्रतियोगिता मानते हैं और समझते हैं, वे अपने सकल घरेलू उत्पादन का कितने फीसदी रक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं आप कितने फीसदी खर्च करने जा रहे हैं और उतने कम खर्चे के ऊपर आप दुनिया की एक महान शक्ति, आगे ऐसा कहकर माला पूरे देश में पहन रहे हैं, मेरे कहने का आशय यह है और मैं इस बात को कहना चाहता हूं। इसलिए मैं साफ तौर पर वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि या तो भारत के और देश के रक्षा का दो तरह का उपयोग करें, आप अपने पड़ौसी देशों से सम्बन्ध सुधारें, जैसा पिछली अपनी दो पूर्ववर्ती सरकारों ने किया कि हमने अपने पड़ौसी देशों से अच्छे सम्बन्ध बनाकर रखें। हमने इस बात का दुनिया के सामने एलान कर दिया कि हमारे पड़ौसियों से अब किसी तरह के झगड़े नहीं हैं।

[श्री मोहन सिंह]

यदि कोई विवाद भी हैं तो उसकी सामरिक शक्ति से आतंक और उन्माद पैदा करके नहीं, बल्कि आपसी बातचीत से हल करेंगे और हमारे सारे पड़ौसियों से अच्छे सम्बन्ध हैं, या तो इस स्थिति को आप लागू करिये, इसको परस्यू करिये, इस पर अमल करने का काम करिये और यदि ऐसा नहीं है, और एक ऐसा उन्माद पूरे देश में और पूरे उपमहाद्वीप में आप खड़ा करें कि जैसे जंग की स्थिति इस पूरे उपमहाद्वीप में है तो ऐसी हालत में हम भारत को एक मजबूत सामरिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र बनायें, यह कोशिश हमारी और से होनी चाहिए और उस कोशिश का कोई लक्षण इनके इस रक्षा बजट में दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा मैं कहना चाहता हूं।

उसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि अनिवासी भारतीयों के लिए बहुत कुछ प्रलोभन और बहुत कुछ बातें वित्त मंत्री जी ने अपने इस बजट में रखने की कोशिश की है, लेकिन दुनिया में कहीं भी जिस तरह के अनिवासी भारत में हैं, दुनिया के दूसरे देशों में नहीं हैं। आज पूरे पूर्वी एशिया का व्यापार लाभ सिंगापुर हो, हांगकांग तो अब चीन के पास चला ही गया, बर्मा का व्यापार हो, थाईलैंड का व्यापार हो, इण्डोनेशिया और मलेशिया का व्यापार हो, बहुत बड़ी संख्या में चीन का, अनिवासी चीनियों का उस पर अधिकार होता जा रहा है और वे अपनी पूंजी का इस्तेमाल न केवल उन देशों में करते हैं, बल्कि उन देशों में भी ले जाकर अपने मूल देश में करते हैं, उनमें इतनी राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र के प्रति इतना प्यार है कि वहां वे कोशिश करते हैं कि उस पूंजी को अपने देश में ले जायें। चीन का एक सौभाग्य है कि 100 साल की पूंजी जो हांगकांग में विकसित हुई थी, दुनिया के थैलीशाहों ने, पूंजीशाहों ने जो पूंजी हांगकांग में ले जाकर लगाई थी, 100 साल के बाद यह चीन का सौभाग्य है कि उसे प्राप्त हो गई। इस तरह की पूंजी भारत को मिलने वाली नहीं है, लेकिन आपने बहुत सारी छूट दी है। उस छूट में एक विशेष कार्ड भी आप अनिवासी लोगों के लिए जारी करेंगे, लेकिन ये अनिवासी भारतीय किन देशों के होंगे, इसका फैसला सरकार करेगी। इसके पीछे भावना क्या है, यह मैं नहीं समझ पाया। इसमें आपने डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की है कि देश का अनिवासी असली भारतीय होगा, उसकी पूंजी भारत में लगेगी। इसके बारे में हम एक स्पष्टीकरण चाहेंगे।

दूसरी बात आपने कही है कि यह जो पूंजी हम लगाएंगे, अनिवासी भारतीय यहां लगाएंगे, उससे जो उनको आमदनी होगी, उस आमदनी को अपने देश में ले जाने की भी उनको छूट होगी। इस छूट के मैं खिलाफ हूं और यदि इस तरह की छूट आप देंगे तो यदि किसी तरह की परेशानी भारत में होगी, किसी तरह का आर्थिक दबाव और तनाव पैदा होगा और उस तारीख में, उस स्थिति में हमारे वे अनिवासी भारतीय अपनी उस कमाई को, उस पूंजी को भारत से जिस देश में आज की तारीख में वे हैं, ले जाने लगेंगे तो क्या हमारी भी वही स्थिति नहीं हो सकती, जो मलेशिया की हो गई? दो साल, तीन साल पहले मलेशिया को हमारे पूर्वी एशिया में एक ऐसा उभरता हुआ राष्ट्र था, जिसकी बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति के बारे में लोग अनुमान करने लगे थे कि पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा मजबूत राष्ट्र होने वाला है, लेकिन पिछले एक साल के अन्दर उसका शिराजा ढह गया, उसकी सारी पूंजी, उसकी मुद्रा का इतना अवमूल्यन हो गया, उसकी सारी पूंजी इतनी बाहर होने लगी कि उसको हम आज उभरते हुए राष्ट्र के रूप में देखने से कतराने लगे। इण्डोनेशिया की हालत इतनी खराब हुई कि वहां पर विद्रोह की स्थिति खड़ी हो गई, वहां राज सत्ता का परिवर्तन हो गया। हमारे वित्त मंत्री जी जवाब में कह रहे थे कि इन देशों में भी मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। यदि हमारे देश में हो रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसी बात है, जो स्थिति वहां की राज सत्ता के खिलाफ वहां की जनता में हो रही है, क्या हमारे देश में भी उसी तरह की अराजकता की स्थिति की कल्पना हमारे देश की सरकार करना चाहती है? इसलिए मैं सुझाव देकर माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं।

बार-बार इस सदन में पिछले सालों में इन्कम टैक्स की लिमिट 60 हजार रुपये पर हो, इसकी मांग की गई। आपने अपने घोषणा-पत्र में इस बार कह दिया कि एक लाख रुपये पर हो और इसी सरकार के एक मंत्री जी ने सूरत में जाकर इस बात की घोषणा कर दी कि इस बार जो बजट आ रहा है, उसमें इन्कम टैक्स लिमिट 60 हजार रुपये कर दी गई है। इस तरह की घोषणाएं मंत्री बजट से पूर्व करें, यह बात समझ में नहीं आती। मैं मांग करना चाहता हूं कि आपने जो 50 हजार रुपये की सीमा की है, इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

रात्रि 9.00 बजे

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने कुछ चीजों पर उत्पाद कर बढ़ा दिए। जैसे आपने चाय पर बढ़ा दिया, ब्रांडेड मक्खन पर टैक्स लगा दिया।

सभापति महोदय : आप खत्म कर रहे हैं?

श्री मोहन सिंह : पांच-सात मिनट में खत्म कर दूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है, आप पांच-सात मिनट में अभी खत्म कर दें।

श्री मोहन सिंह : सभापति जी, वित्त मंत्री ने कह दिया कि देश का गरीब आदमी मक्खन नहीं खाता तो उस पर बढ़ा देंगे, इससे खास मुद्रास्फीति पर असर नहीं पड़ेगा।

श्री चन्द्रशेखर साहू : मक्खन तो राजनीति में लगता है।

श्री मोहन सिंह : उन्होंने अखबार में कहा जब उनसे पूछा गया कि आपने ब्रांडेड मक्खन पर टैक्स बढ़ा दिया है, तो उन्होंने कहा मक्खन गरीब नहीं खाता। डेयरी वाले इस बढ़े हुए कर को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और हड़ताल पर जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारी मशीनरी पर ड्यूटी लग गई उससे हमारा नुकसान होने वाला है। चाय आम आदमी की चीज है। उसको भी आपने लक्जरी गुड्स में गिन लिया। जो आम उपभोग की वस्तुएं हैं उन पर उत्पाद पर बढ़ाकर मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी, इस बात की आप कल्पना करते हैं। मेरा कहना है कि यह वास्तविकता के विपरीत है। बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है कि आने वाले दो-तीन महीनों में मुद्रास्फीति की दर दो अंकों में हो जाएगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि जो आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनके ऊपर बढ़ी हुई ड्यूटी वापस लें।

पैट्रोल के ऊपर चार-पांच घंटे इस देश में हंगामा खड़ा हो गया। 1988 के बाद लगातार आम बजट से पैट्रोल और डीजल की कीमतों को अलग रखा जाता था। उसका बजट से पहले प्रशासकीय मूल्य निर्धारित होता था। पिछली मोर्चा सरकार ने अच्छा काम किया और यह कहा कि तेल पूल घाटे की पूर्ति की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, तेल कम्पनी को इसके लिए छूट है। इस तरह उसको मुक्त कर दिया था और राजकोषीय खाते में किसी दबाव की आशंका नहीं थी। लेकिन इस बार बजट पेश करते हुए आपने पैट्रोल को उसमें सम्मिलित कर दिया। आपने घोषणा की कि एक रुपया प्रति लीटर और टैक्स लिया जायेगा। सारी तेल कम्पनीज ने इसका फायदा उठाते हुए कहीं पर चार रुपये और कहीं पर पांच रुपये वसूल किए। इस पर सदन में हंगामा हुआ और आपने स्वीकार किया। पैट्रोलियम मिनिस्टर ने देश के सामने टी.वी. पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि यह हमारी गलती से बढ़ गया। दुनिया के किसी भी जागरूक देश का कोई मंत्री अगर यह कहता कि हमारी वजह से पूरे देश के करोड़ों रुपये लूट लिए गए तो उस देश की जागरुक जनता उस मंत्री को स्वीकार नहीं करती। लेकिन इस देश में यह सम्भव है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पहले जो एक सिलसिला शुरू हुआ था तेल पूल के घाटे को बजट से नहीं, तेल कम्पनी स्वयं पूरा करें, उसे मान्य कीजिए। इससे 2001 तक तेल पूल पूर्णरूप से स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया को आप किसी भी रूप में बाधित करने की कोशिश न करें।

यूरिया के दाम के बारे में निरंतर कहा गया। कम से कम बजट प्रस्तुत करने के पहले अपने-अपने घटक दलों से परामर्श ही कर लिया होता। आपके दो समर्थक दलों की राज्य सरकारों, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने बयान दिया कि बढ़ी हुई दर नहीं रखनी चाहिए। आपके एक अन्य प्रमुख दल की नेता ने तमिलनाडु से घोषित किया कि यूरिया पर बढ़ी हुई दर हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। समता पार्टी की भी यही राय है, ममता बनर्जी की भी यही राय है। जब सरकार और पार्टी में आपस में समन्वय नहीं रहेगा तो काम करना मुश्किल होगा और सदन में आप बिना समर्थकों की राय के ऐसी घोषणा कर देंगे, इससे आपकी बदनामी होगी और इज्जत को चोट लगेगी।

मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरह के वित्तीय प्रस्ताव रखते हुए सरकार से जिस वित्तीय अनुशासन की अपेक्षा की जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रावधान किये जाएंगे। आपने किन्हीं दबावों के चलते हुए यह किया, जबकि चीजों के दाम क्विंटल और टनों पर बढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपने यूरिया पर प्रति किलो एक रूपया बढ़ा दिया। दूसरे दिन आपने 50 पैसे घटा दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी के 50 पैसे आपने किस खुशी में लगाये हुए हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इसको पूर्णरूप से वापस लिया जाए। यह सरकार इस सदन और देश के सामने सामूहिक रूप से बोलने की आदत सीखे और सरकार में जो अनुशासन की फंक्शनिंग होती है उसके हिसाब से काम करने के तौर-तरीके सीखे, तब मैं समझूंगा और देश के सामने इस तरह अपमानित होने की सीधी जिम्मेदारी वित्त मंत्री के सामने नहीं आएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 11 जून, 1998/21 ज्येष्ठ, 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।